08 August, 1986

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
Acc No. 5_8
Date 3/8/87

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 19, छठा सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 17, शुक्रवार, 8, अगस्त, 1986/17 श्रावण, 1908 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	326, 327, 329 से 331, 335, 339, 340 और 342,	1-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	328, 332 से 334, 336 से 338, 341, 343 से 345	26-34
अतारांकित प्रश्न संख्या :	3216 से 3267, 3269 से 3277 3279 से 3306, 3308 से 3324, 3326 से 3340, 3342 से 3364, 3366 से 3371, 3373 से 3376, 3378 से 3406, 3408 से 3424, 3426 से 3432, 3434 से 3450, 3450 क और 3450 ख	34-200
पटल पर रखे गए पत्र		203-218
राज्य सभा से संदेश		218
अरुणाचल प्रदेश की समदोरोंगचु घाटी में चीनियों द्वारा अतिक्रमण के बारे में वक्तव्य		219
श्री के. आर. नारायणन		219

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

सभा का कार्य 221-227

कार्य मंत्रणा समिति 227

26वां प्रतिवेदन

विधेयक—पुरःस्थापित 227-229

(एक) संविधान (54वां संशोधन) विधेयक 227-228

(दो) तमिलनाडु विधान परिषद् (उत्सादन) विधेयक 228

(तीन) राष्ट्रीय सुरक्षक विधेयक 228-229

(चार) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक 229

हाल की रेल दुर्घटनाओं के बारे में चर्चा 230-268

प्रो. मधु दंडवते 230-237

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत 238-240

श्री बी. तुलसीराम 240-242

श्री डी. पी. यादव 242.244

श्री बसुदेव आचार्य 244-247

श्रीमती माधुरी सिंह 247

श्री राम प्यारे पनिका 247-249

श्री नारायण चौबे 249-251

श्री एन. टोम्बी सिंह 251-252

श्री शिव प्रसाद साहू 252-253

श्री काली प्रसाद पांडे 253-254

श्री लाल विजय प्रताप सिंह 254-255

श्री राम स्वरूप राम 255-257

श्री गिरधारी लाल व्यास 257

श्री मनोज कुमार पांडे 257-258

श्री सोमनाथ रथ 258-260

श्री अता-उर्रहमान 260

श्री सरफराज अहमद 261

श्री दामोदर पांडे 261-262

श्री सी. जंगा रेड्डी 263

श्रीमती मोहसिना किदवई 263-268

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 268

22वां प्रतिवेदन

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास सम्बन्धी संकल्प 268-318

श्री हरीश रावत 268-272

श्री बी. एन. रेड्डी 272-274

श्री राजमंगल पांडे 274-278

श्री रामश्रेष्ठ खिरहर 278-279

श्री सैयद शाहबुद्दीन 279-282

श्री बालासाहेब विखे पाटिल 282-285

श्री डी. पी. यादव 285-287

श्री ए. सी. षण्मुख 288-290

श्री वी. कृष्ण राव 291

चौधरी सुन्दर सिंह 292-294

श्री सी. सम्बु 295

श्री राज कुमार राय 297-300

श्री सोमनाथ रथ 300-302

श्री काली प्रसाद पांडे 302-304

श्री मूलचंद डागा 304-305

आधे घंटे की चर्चा 306-318

पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

कुमारी ममता बनर्जी 306-310

सरदार बूटा सिंह 310-312 और 315-318

श्री मूल चंद डागा 313-314

श्री आशुतोष लाहा 314-315

लोक सभा

शुक्रवार, 8 अगस्त, 1986/17 श्रावण, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

———

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कुलनदेइवेलु आप सामने के बैंच पर अकेले ही बैठे हैं और अपना एकाधिकार बनाए हुए हैं । क्या आपका मामला एकाधिकार विरोधी अधिनियम—एम० आर० टी० पी० अधिनियम—के अन्तर्गत नहीं आता ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज तमिलनाडु का एकाधिकार है !

अध्यक्ष महोदय : श्री राम भगत पासवान ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग

*326. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा उनकी सहायक कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा का उपयोग किए जाने के बारे में जांच करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का इस प्रयोजनार्थ कोई विशेष समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न तो बहुत साधारण है, लेकिन जवाब

कुछ नहीं दिया गया है। अखबार में बराबर पढ़ने को मिलता है कि जितनी मल्टी नेशनल कम्पनियां हैं, विदेशी मुद्रा के बारे में काफी हेराफेरी कर रही हैं : दो-चार दिन पहले अखबार में निकला है, मैं इस प्रसंग में माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मल्टी नेशनल कम्पनियां जो हैं इनके लिए विदेश में विदेशी मुद्रा भेजने का क्या नियम है। उस नियम को बताने की कृपा करें और इन मल्टी नेशनल कम्पनियों का जो टोटल प्राफिट है, उसमें से कितना परसेंट बाहर विदेशी मुद्रा के रूप में भेज सकते हैं, यह बताने की कृपा करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, जहां तक उनके प्राफिट का सवाल है कि कितना भेज सकते हैं, जिनको हम लोगों ने स्वीकृति दे दी है, वह, जितना उनके हिस्से का प्राफिट है, जितना उनका परसेंट शेयर है, उसके हिसाब से अपना प्राफिट ले जा सकते हैं। यह जरूर है कि हम लोग यह प्रतिबन्ध लगा रहे हैं कि चालीस फीसदी तक या चालीस फीसदी से कम अपना शेयर ले आवें और जहां पर अतिआवश्यक क्षेत्र हैं और जहां पर एक्सपोर्ट या टैक्नोलोजी की बात है, वहां जरूर छूट है। लेकिन साधारणत: यह उनको चालीस फीसदी तक अपने हिस्से को लेना चाहिए।

श्री राम भगत पासवान : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह मान लूं कि चालीस प्रतिशत तक वह भेज सकते हैं, यह सरकार का नियम है क्योंकि उनको दो जगह से प्राफिट मिलता है, एक यहां से भी और दूसरे फारेन से भी। मैं यह जानना चाहूंगा कि उनका कितना टोटल प्राफिट है और अपना चालीस प्रतिशत वह सही रूप से भेज रहे हैं या नहीं। क्या इसकी आपने कभी जांच कराई है। जैसे आइ०टी०सी० है, उसकी सन् 80 से लेकर कितनी बार जांच कराई है। यदि वह सही भेज रहा है तो क्या मैं मान लूं कि जितनी मल्टी नेशनल कम्पनियां हैं, वह बहुत ईमानदार है और सही रूप से कार्य कर रही हैं और कोई गड़बड़ी नहीं कर रही हैं। कृपया यह बताएं कि अगर चालीस फीसदी नहीं भेज रहे हैं तो क्या एक विशेष समिति गठित करके इसकी जांच करायेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : मान्यवर, सरकार सजग रहती है और अगर कोई नियम का उल्लंघन होता है तो उस पर कार्यवाही करती है। बाटा इण्डिया का केस आया था, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। त्रिवेणी टीश्यूज कम्पनी का भी नवम्बर 85 में सर्च किया गया था। उसमें कुछ ओवर-इनवायसिंग वगैरह के मामले आए थे, इन्वैस्टीगेशन जारी है। जोकाई इण्डिया लिमिटेड का मार्च-86 में सर्च हुआ है। और उसके सम्बन्ध में इन्वैस्टीगेशन जारी है। इसके अलावा बुक-बॉड के सिलसिले में भी सर्च किया गया था, फरवरी माह में, और उन्होंने अपनी गलती मान ली है। आई०टी०सी०, जो एक मल्टी-नेशनल कम्पनी है के सम्बन्ध में सूचना यह है कि :

[अनुवाद]

उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में टी० एम० ई० मामले विभिन्न उच्च-न्यायालयों तथा उच्चतम-न्यायालय में लम्बित हैं। उनमें 40.47 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त है। अब इनमें से कुछ मामले एमनेस्टी स्कीम के के अन्तर्गत निपटाये जा सकते हैं।

एक और मामले में दिल्ली उच्च-न्यायालय ने आई० टी० सी० तथा अन्यों के विरुद्ध निर्णय दिया। वह मूल्य-निर्धारण का मामला था। अगस्त के अन्त में 4.66 करोड़ रुपए का भुगतान आई०

टी०सी० द्वारा किया जाना होगा।

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के महानिदेशक ने आई०टी० सी० के विरुद्ध मूल्य-निर्धारण में घोटाले का निर्णय दिया तथा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया जिसकी वसूली कर ली गई है। उन्होंने सगाहर्ताओं से देय राशि की गणना करने के लिए कहा है जो कि 100 करोड़ रुपए से अधिक होगी।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा आपने बताया, मल्टी नेशनल कम्पनियां अपने मुनाफे का चालीस प्रतिशत भाग देश के बाहर ले जा सकती हैं, उनको सरकार की तरफ से इजाजत है, तो क्या वह पैसा विदेशी मुद्रा के रूप में ले जाती हैं अथवा हमारे देश की मुद्रा के रूप में ले जाती है।

श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह : विदेशी मुद्रा के रूप में।

[अनुवाद]

त्रिपुरा-बंगला देश सीमा पर विदेशी जासूसी एजेंसियों की गतिविधियां

327. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** :
श्री मानिक साल्याल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के राष्ट्रपति की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान त्रिपुरा-बंगलादेश सीमा पर विदेशी जासूसी एजेंसियों की बढ़ती हुई गतिविधियों का मामला उठाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के आर० नारायणन) : (क) और (ख) सरकार के पास इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि त्रिपुरा बंगलादेश सीमा पर विदेशी आसूचना अभिकरण सक्रिय हैं। इसलिए बंगलादेश के राष्ट्रपति की अभी हाल की भारत की यात्रा के दौरान इस प्रश्न को नहीं उठाया गया।

श्री पूर्णचन्द्र मलिक : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बंगलादेश सरकार से यह अनुरोध किया है कि वे त्रिपुरा नेशनल वालंटियर फोर्स अथवा मिजो नेशनल फ्रंट अथवा नागा नेशनल कांउसिल जैसी दमनकारी शक्तियों को आश्रय न दें।

श्री के० आर० नारायणन : जी हां, हमने ऐसा अनुरोध किया है किन्तु उन्होंने, ऐसी कोई सहायता दी जा रही है, इसे अस्वीकार किया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : किन्तु इस सम्बन्ध में श्री लालडेंगा का क्या कहना है।

श्री पूर्णचन्द्र मलिक : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने

राष्ट्रपति इरशाद को यह बताया है कि एक सी० आई० ए० एजेंट जॉज गिडने बंगलादेश-त्रिपुरा सीमा पर सक्रिय है।

श्री के० आर० नारायणन : हमने ऐसी रिपोर्ट देखी है।

प्रो० मधु दंडवते : वह उस तरफ है या इस तरफ है।

श्री के० आर० नारायणन : हमने ऐसी रिपोर्ट देखी है। ऐसा अनुमान है कि वह चित्तगांव के पहाड़ी क्षेत्र में है। हमने ऐसी रिपोर्ट तो देखी है किन्तु इन ऐसी गतिविधि के समर्थन में कोई साक्षी नहीं मिला।

डा० सुधीर राय : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं वे ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, जबकि यह एक खुला रहस्य है कि त्रिपुरा नेशनल वालंटियर फोर्स अथवा अन्य दमनकारी ताकतें चित्तगांव पहाड़ी क्षेत्र में सक्रिय हैं और बंगलादेश सरकार द्वारा उनकी सहायता की जा रही है। यह बात सर्वविदित है। समाचार पत्रों में ऐसे समाचार रोज छपते हैं। इन समाचारों के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : एक रहस्य और खुले रहस्य में क्या अन्तर?

एक माननीय सदस्य : यह एक सर्वविदित रहस्य है।

प्रो० मधु दंडवते : यह रहस्य यदि संसद में खोला जाये तो यह खुला रहस्य है।

श्री के० आर० नारायणन : जैसा कि मैंने कहा है, हमने यह मामला बंगलादेश सरकार के साथ उठाया है। उन्होंने अस्वीकार किया है कि वे उन्हें कोई सहायता दे रहे हैं। किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि हमने निगरानी रखना समाप्त कर दिया है। यदि इस बात का कोई प्रमाण मिलता है तो हम उनकी जानकारी में लायेंगे और उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण

*329 **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों को कुल कितनी राशि के ऋण दिए गए;

(ख) विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कितनी राशि दी गई; और

(ग) विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में काफी समय से बकाया रही राशि की अलग-अलग स्थिति क्या है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अन्तिम आंकड़ों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सरकारी

क्षेत्र के बैंकों के कुल बकाया अग्रिमों की राशि मार्च 1985 के अन्त में 717971.14 करोड़ रुपए से बढ़ कर मार्च 1986 के अन्त में 20852.75 करोड़ रुपए हो गई। इसी अवधि के दौरान विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों की राशि 457.83 करोड़ से रुपए बढ़कर 505.53 करोड़ रुपए हो गई।

मार्च 1986 के अन्त में विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों के नाम 257.12 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी। वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों की अतिदेय राशियों की अलग से सूचना नहीं मिलती। लेकिन जून 1985 के अन्त में विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत कुल अतिदेय राशि 130.08 करोड़ रुपए थी।

श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं विभेदक ब्याज योजना के अन्तर्गत क्या वे राशि बढ़ाकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभान्वित करेंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है, विभेदक दर ब्याज योजना के अन्तर्गत सहायता के रूप में दिए गए 505.53 करोड़ रुपए में से 257.12 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिए गए हैं। यह पचास प्रतिशत से भी अधिक है। यद्यपि विभेदक दर ब्याज योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय लक्ष्य 1 प्रतिशत था यह 1.05 प्रतिशत हो गया है।

श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या मैं वसूल की गई राशि जान सकता हूं ? आपने लगभग 505 करोड़ रुपए दिए हैं। इनमें से आपने कितनी राशि इन लाभान्वितियों से वसूल कर ली है ?

श्री जनार्दन पुजारी : कुल देय राशि 130.08 करोड़ है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या सरकार ने नियत समय पर वसूली न किए जाने के मामलों में जुर्माने की दर पुनरीक्षा की है क्योंकि अनेक मामलों में ये विलम्ब ऋणी की गलती से नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा के कारण हो सकता है ?

श्री जनार्दन पुजारी : प्रत्येक मामले की जांच गुणावगुण के आधार पर की जाती है। जब कभी ऐसे मामलों की शिकायतें मिलती हैं उनकी जांच करके तदनुसार कार्यवाही की जाती है। कुछ मामलों में ये राशि विशेष कारणों से बट्टेखाते डाल दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि सैल्फ एम्पलायमेंट स्कीम के तहत जो शिक्षित बेरोजगारों को बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाता था, क्या उस स्कीम में फिलहाल कोई चेंज किया गया है ? क्या बैंकों को कोई नए निर्देश जारी किए गए हैं ताकि आसानी से लोगों को बैंक लोन मिल सके ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : इसकी पुनरीक्षा की गई है और जहां तक शिक्षित बेरोजगारों का प्रश्न

है शीघ्र ही सरकार विभिन्न श्रेणियों के लोगों को दी गई राशि के सम्बन्ध में छूट की घोषणा या सदन में करेगी या इस सत्र के बाद ऐसी किसी योजना की घोषणा करेगी।

श्री आशुतोष लाहा : हमें प्राथमिकता क्षेत्र के विभिन्न व्यक्तियों से सदा शिकायतें प्राप्त होती हैं। क्या मन्त्री जी को यह जानकारी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के लोगों को दी जाने वाली अग्रिम राशि काफी अनियमित तरीके से दी जाती है क्योंकि जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है तब धन नहीं दिया जाता ? इसलिए लोगों के प्रयत्न निरर्थक हो जाते हैं। यदि ऐसा है तो क्या मन्त्री जी ऐसा कोई उपाय कर रहे हैं कि बैंक अनियमित ढंग न अपनाएं।

श्री जनार्दन पुजारी : इस स्थिति की कई बार पुनरीक्षा की गई है। जब भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं हमने बैंक को अनुदेश दिए गए हैं और यह बात बैठकों में बैंक के कार्यकारी अधिकारियों की जानकारी में लायी गई है। वित्त मन्त्री ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की है। इतना ही नहीं। हमारे पास अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करने की प्रणाली है। उपभोक्ता सेवा एकक स्थापित किए गए हैं। जहां कहीं भी शिकायत होती है ऐसे मामलों की जांच की जाती है। बैंक अधिकारी भी ग्राहकों से मिलते हैं। जब भी शिकायत होती है, कार्यवाही की जाती है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के लिए अधिक धनराशि

*330. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्ध के अधीन कितनी मिलें चल रही हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि अपेक्षित कार्य-पूंजी और पुरानी कपड़ा मशीनों को बदलने के लिए लिए ऋणों के अभाव में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संचालित कुछ मिलों को बहुत हानि हो रही है ? और

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम को इसके नियन्त्रण और प्रबन्ध में चल रही कपड़ा मिलों के कुशल प्रबन्धन के लिए अपेक्षित धनराशि मंजूर करने में कौन से कारण बाधक है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगमों के अधीन वस्त्र मिलों के राज्य वार ब्यौरे निम्न प्रकार है :

राज्य संघ शासित क्षेत्र	मिलों की संख्या	
	राष्ट्रीयकृत	प्रबन्धित
आन्ध्र प्रदेश	6	—
कर्नाटक	4	—

राज्य संघ शासित क्षेत्र	मिलों की संख्या			
	राष्ट्रीयकृत		प्रबन्धित	
दिल्ली	1		—	
केरल	5		—	
पंजाब	4		—	
राजस्थान	4		7	
गुजरात	12		—	
मध्य प्रदेश	7		—	
तमिलाडु	14		—	
महाराष्ट्र	22		13	
पांडिचेरी तथा माहे	3		—	
उत्तर प्रदेश	9		2	
पश्चिम बंगाल	14		1	
असम	1		—	
बिहार	2		—	
उड़ीसा	1		—	
योग	109	+	16	125

(ख तथा ग) सरकार, राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा राष्ट्रीयकृत और प्रबंधित दोनों प्रकार की मिलों में काफी हानियों से ह्रासित कार्यकारी पूंजी की पूर्ति करने के लिए निधियां प्रदान करती है मार्च, 86 तक एन०टी०सी० के अधीन राष्ट्रीय यूनिटों के पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए 336 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी थी।

पुरानी और अप्रचलित मशीनों, अतिरिक्त श्रमिक-बल, अनियमित पावर सप्लाई और पावर की कमी के कारण संस्थापित क्षमता का प्रयोग होना, निवेशों, पावर, कोयले आदि की कीमत में वृद्धि आदि कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनसे राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन मिलों में निरन्तर हानियां होती रहती हैं।

उपलब्ध समिति संसाधनों के अन्तर्गत केवल चुनिन्दा आधार पर ही राष्ट्रीयकृत यूनिटों का आधुनिकीकरण करना होगा। प्रबंधित यूनिटों का आधुनिकीकरण, उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद ही किया जा सकता है।

श्री हुसैन दलवाई : प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबंध के अंतर्गत 125 मिलें हैं, जिनमें से 109 राष्ट्रीयकृत हैं और 16 में निगम का प्रबन्ध है। लगातार हो रही हानियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए, यह बात स्वीकार की गई है कि पुरानी और अप्रचलित संयन्त्र निरन्तर हानि का प्रमुख कारण हैं। किन्तु प्रमुख प्रश्न यह है कि किस प्रकार उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है और हानियों को घटाया जा सकता है? कहा जाता है कि प्रयास किए जा रहे हैं। किन्तु यह नहीं बताया जाता है कि कौन-कौन से प्रभावशाली उपाय किए जा रहे हैं। उत्तर अत्यन्त अस्पष्ट और असंतोषजनक है। कहा जाता है कि जो मिलें प्रबन्ध के अन्तर्गत हैं उन्हें राष्ट्रीयकरण के पश्चात् ही आधुनिकीकरण के लिए लिया जाएगा। किन्तु राष्ट्रीयकृत 109 मिलों के सम्बन्ध में, इस बात का उल्लेख किया गया है कि राशि की उपलब्धि पर चुन्निदा आधार पर आधुनिकीकरण आरम्भ किया जाएगा। मैं उस समस्या के समाधान के लिए एक सुनिश्चित सुझाव देना चाहता हूं। वित्तीय संस्थाएं इस परियोजना में सहायता करने के लिए तैयार हैं और यदि सरकार यह मामला गम्भीरता पूर्वक उठाएगी तो इससे न केवल हानियां खत्म हो जाएंगी अपितु मिलें लाभदायक रूप से भी चलेंगी।

मैं माननीय मंत्री से एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं, कि पिछले तीन वर्षों में हानियों के आंकड़े क्या थे।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, मैं वास्तव में माननीय सदस्य के प्रति अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने बहुत से लाभदायक सुझाव दिए हैं। किन्तु मैं निश्चय ही उन्हें यह कहना चाहूंगा कि आधुनीकरण केवल तब हो सकता है जब आवश्यक राशि उपलब्ध हो। जहां तक इन मिलों के कार्य कासम्बन्ध है, बताया गया है कि 1984-85 में कुल मिलाकर 172.36 करोड़ रुपए की हानि हुई थी जबकि 1985-86 में यह घटकर 128.80 करोड़ रुपए हो गयी है। मैं यह बात भी बताना चाहूंगा कि 1984-85 में ऐसी कुल पांच ही मिलें थी जिन्होंने शुद्ध लाभ कमाया था किन्तु 1985-86 में नौ मिलों द्वारा शुद्ध लाभ कमाया गया। जैसा पहले उल्लेख किया गया है, सातवीं योजना में हमने आधुनीकरण के लिए 302 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया था, किन्तु दुर्भाग्य से हमें केवल 117 करोड़ रुपए आबंटित किए गए और इन 117 करोड़ में से लगभग 70 करोड़ रुपए पहले से ही सांविधिक परिवर्तन के लिए निर्धारित किए गए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अंतर्गत मिलों की निरन्तर हानियों के चार-पांच कारण विवरण में दिए गए हैं, किन्तु, एक बात इसमें नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में मन्त्री से पूछना चाहता हूं। ऐसे राज्यों में बहुत-सी राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलें हैं जहां कपास का उत्पादन नहीं होता है। उन्हें कपास सप्लाई बहुत दूर से लानी पड़ती है। किन्तु क्या माननीय मन्त्री इस बात से अवगत हैं कि इनमें से कुछ मिलों को कई सप्ताहों और महीनों तक कपास की सप्लाई नहीं मिलती है, और यदि ऐसा है, तो वह किस प्रकार यह आशा कर रहे हैं कि उन्हें हानि नहीं होगी?

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, मुझे नहीं मालूम। यदि माननीय सदस्य को कोई सूचना है तो कृपा करके वह मुझे भेज दें और मैं इस पर विचार करूंगा। किन्तु मैं नहीं समझता कि हम

कपास की कमी अथवा और किसी कमी के कारण कोई मिल एक महीने के लिए भी बन्द कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की इस नीति के बावजूद भी आए दिन हम समाचार प्राप्त करते रहते हैं कि कई शहरों में मिलें बन्द होती जा रही हैं। उन मिलों को चालू करने के लिए वहां आंदोलन और धरने होते रहते हैं। क्या देश के स्तर पर सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्थित नीति को नया आकार दिया है जिससे उन मिलों को चालू करने की दिशा में फिर से प्रयत्न हो। मैं मध्य प्रदेश के बारे में खास तौर से पूछना चाहूंगा कि रतलाम में सज्जन मिल के जो 15 हजार श्रमिक सड़कों पर खड़े हुए हैं। क्या इसके लिए कोई नीति या योजना बनायी गयी है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : रतलाम की सज्जन मिल के लिए हमने मुख्यमन्त्री से कहा है कि अगर वह उसे नेशनलाइज करना चाहें तो बहुत शौक से कर सकते हैं।

श्री बालकवि बैरागी : वह उसे नेशनलाइज करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप उसके लिए कितनी सहायता देंगे ?

श्री खुर्शीद आलम खां : सहायता यही है कि हमारी नेक तमन्ना उनके साथ है।

अध्यक्ष महोदय : यह दाढ़ी ऐसे ही हिला देंगे।

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, आम तौर पर रुग्ण उद्योगों के लेने का यह कारण बताया जाता है कि इससे नुकसान कम हो जाएगा। अन्तिम उद्देश्य आर्थिक तौर पर व्यवहार्य इकाइयां बनाना है। इससे हम देखते हैं कि अधिकतर रुग्ण उद्योगों का प्रबन्ध हाथ में लेने से हानियां बढ़ती जा रही हैं तो इस मामले में क्या नीति है ? क्या यह नीति है कि लाभ प्राप्त हो और इसको व्यवहार्य बनाया जाए, अथवा यह कि इसकी हानियां होती रहें ? आपको इस मुद्दे को कैसे हल करने का विचार है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पुरानी घिसी-पिटी आउट-डेट मशीन से फायदा चाहते हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : यह आपको और हमको भी मालूम है।

अध्यक्ष महोदय : भागवत झा जी, मुझे माफ करना, हमारे पंजाबी में एक कहावत है :

बुड्ढा बैल ते मीट पचादा खादा जाय ते खादा
लठ जाय तो लठ नहीं खादा ही खादा ।।

इसका भावार्थ यह है कि बूढ़ा बैल खेती नहीं कर सकता और पचास एक बिरादरी

है, ऐसी जो मांग कर खाते थे, वे दोस्त होंगे तो वे तेरे से खाएंगे ही खाएंगे, देंगे कुछ नहीं। आप पीछा छुड़ाना चाहें तो छुड़ा लें वरना छूटेगा नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : वह बैल तो हमेशा से कहीं बूढ़ा नहीं था। उसे किसी ने बूढ़ा कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : उसको नए बछड़े से रिप्लेस कर देना चाहिए। रिप्लेसमेंट होना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : सरकार की हालत बूढ़े बैल जैसी ही है।

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, वही कर दें, वही हो जाय।

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, इन मिलों की औसत कार्याविधि ऐसी है कि बहुत अधिक पूंजी लगाए बिना इन्हें व्यवहार्य नहीं बनाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा हमने सातवीं योजना में एक योजना बनाई थी; हमने इस आधुनीकिकरण के लिए 302 करोड़ रुपए का आकलन किया था। किन्तु केवल 117 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया, जिसमें से, जैसे मैंने पहले कहा, 70 करोड़ रुपए सांविधिक आवश्यकताओं के लिए रखे गए हैं। अतः इसमें आधुनीकिकरण के लिए कोई राशि नहीं बचती है।

श्री भागवत झा आजाद : वित्त मन्त्री इस विषय में क्या कहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : वित्त मन्त्री चुप बैठे हैं!

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : आबंटन योजना आयोग द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : क्वश्चन नं० 311

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई सवाल नहीं है। डागा जी ने नम्बर पढ़ा है वैसा कोई सवाल नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कोई फर्क नहीं पड़ता, वही जवाब मिलेगा।

श्री बालकवि बैरागी : बनिये का बेटा लोक सभा में आकर गलती करे तो आपको उसे सजा देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बड़ी भारी गलती है।

श्री खुर्शीद आलम खां : मुश्किल यह है कि मैं पठान का बेटा यहां बनिए का काम कर रहा हूं। उलटा काम हो रहा है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : अप्रत्यक्ष रूप में वह यह कह रहे हैं कि वह रक्षा के प्रभारी होने चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बिलकुल ठीक बात है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : क्वश्चन नं० 331

उपभोक्ताओं को सस्ते कपड़े की आपूर्ति

*331. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुई के मूल्य में गिरावट, उत्पाद शुल्क में कमी तथा लचीली वस्त्र नीति लागू किये जाने के बावजूद कपड़े की कीमतों में कोई विशेष गिरावट नहीं आई है ;

(ख) उपभोक्ताओं को सस्ते कपड़े की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने कौन-से कदम उठाये हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में बनने वाले कपड़े का कितना प्रतिशत पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी विभागों को बेचा गया ; और

(घ) क्या यह बिक्री निविदाओं के माध्यम से की गई अथवा सीधे मांगे गये मूल्य पर की गई ;

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी नहीं।

(ख) भारत सरकार देश में समाज के कमजोर वर्गों को सस्ते कपड़े की सप्लाई के लिए दो योजनाएं चला रही है :—

(1) एन०टी०सी० क्षेत्र में नियंत्रित कपड़ा योजना।

(2) हथकरघा क्षेत्र में जनता कपड़ा योजना।

एन०टी०सी० मिलों द्वारा उत्पादित नियंत्रित कपड़े का विवरण मूलत: राज्य एवं संघ क्षेत्र की सरकारों का दायित्व है जोकि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फैडरेशन की एजेन्सी का उपयोग कर रहे हैं। एन०टी०सी० द्वारा उत्पादित नियंत्रित कपड़े के 85 प्रतिशत भाग का विवरण एन०सी०सी० एफ० द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में स्थित अपनी सदस्य फैडरेशनों की सेवाओं का उपयोग करके किया जाता है। राज्य स्तर की फैडरेशनें वास्तव में नियंत्रित कपड़े का सप्लाई कार्य अपनी

खुदरा-दुकानों जैसे उचित दर की दुकानों और उपभोक्ताओं भण्डारों तथा सहकारी दुकानों की मार्फत करता है।

जहां तक हथकरघा क्षेत्र में जनता कपड़े का सम्बन्ध है, उत्पादन एवं वितरण दोनों कार्यों का दायित्व राज्य सरकारों को सौंपा गया है। जनता कपड़े की बिक्री का कार्य राज्य अभिकरण अर्थात राज्य हथकरघा विकास सहकारिताएं, राज्य हथकरघा शीर्ष सोसायटियां और क्षेत्रीय शीर्ष सोसायटियां विनिर्दिष्ट दुकानों, उचित दर की दुकानों, उपभोक्ता सहकारी भण्डारों और दूसरे प्रकार के सहकारी भण्डारों आदिवासी सहकारिताओं तथा राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेषरूप से अनुमोदित गैर सरकारी खुदरा विक्रेताओं तथा कतिपय नियंत्रण के अध्यधीन उत्पादक अभिकरण की मार्फत करती है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान एन. टी. सी. मिलो द्वारा अपने उत्पादन में से सरकारी विभागों को बेचे गये कपड़े की प्रतिशतता सम्बन्धी स्थिति निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	कपड़े का कुल उत्पादन (मि० मीटरों में)	सरकारी विभागों को की गई सप्लाइंया (लाख मीटरों में)	सरकारी विभाग को बेचे गए वर्ष की उत्पादन प्रतिशतता
1983-84	902.00	71	0.79 प्रतिशत
1984-85	920.00	330	3.58 प्रतिशत
1985-86	994.72	476	4.78 प्रतिशत

(घ) 27 दिसम्बर, 1983 से पूर्व, एन. टी. सी. द्वारा सरकारी विभागों को वस्त्र फैब्रिकों की बिक्री खुली निविदा प्रणाली के अधीन डी. जी. एस. एन्ड डी. की मार्फत की गई। 27-12-83 के पश्चात्, एन. टी. सी. द्वारा सरकारी विभागों को वस्त्र फैब्रिकों की बिक्री एकल निविदा पर डी. जी. एस. एन्ड डी. की मार्फत जा रही है। कीमत का निर्धारण लागत लेखा शाखा, वित्त मन्त्रालय की सिफारिशों के आधार पर मानकी लागत आधार पर किया जाता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमेशा नहले पर दहला लगता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह तो अपनी पठान वाली बात पक्की कर रहे थे।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, 6 जून 1985 को न्यू टैक्सटाइल पालिसी बनने के बाद बड़े हौसले के साथ हमारे खुर्शीद आलम खां ओर दूसरे मंत्रिगण कहने लगे—

[अनुवाद]

हम कपड़ा शुल्क का लाभ उपभोक्ताओं को देते हैं ।

[हिन्दी]

अच्छे-अच्छे भाषण हो गये । आपने कहा कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, रुई का भाव धरती पर आ गया है, गिर गया है, आपको सब्सिडी भी 50 करोड़ से 5 करोड़ आज मिलती है, यह कह रहे हैं कि न्यू टैक्सटाइल पालिसी विरला पालिसी है, यह कह रहे हैं कि दूर दराज के लोगों को आप धोती, साडी, लांगक्लाथ, सब कपड़ा सस्ते दाम पर देंगे, ये आपके जितने सुन्दर और मधुर भाषण हुए है, एक जगह पर नहीं, कोई कसर नहीं रखी है—

[अनुवाद]

ये लाभ गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं ।

[हिन्दी]

एक्साइज ड्यूटी वाले हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वह सब्सिडी भी देते हैं और वह सब्सिडी 50 करोड़ से भी ज्यादा है···

अध्यक्ष महोदय : भगवन, आप सवाल तो करिए ।

श्री मूलचन्द डागा : रुई का भाव भी गिर गया ।

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि न्यू टैक्सटाइल पालिसी बनने के पहले सारी, एक मीटर ल्वायन क्लाथ, धोती और दूसरा कपड़ा जिसके लिए आपने नया प्लान्ट निकाला है, उस कपड़े का क्या भाव था और आज इन चीजों का दूर-दराज के गांवों में क्या भाव है—यह आप बतला दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : भाव तो नहीं, आपका भाषण बढ़ता जा रहा है ।

श्री खुर्शीद आलम खां : जहां तक इस बात का सवाल है कि टैक्सटाइल पालिसी घोषित करने के बाद इन कपड़ों के भाव में कितना फर्क पड़ा है तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा निगेटिव गेन जरूर हुआ है यानी कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ी हैं । जो कीमतें पहले 5 परसेन्ट से ऊपर बढ़ी थीं वह सिर्फ 2 परसेन्ट ही इस साल बढ़ी हैं । यह बात जरूर है कि अगर काटन की कीमत कम हुई है तो उसके साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि जो दूसरे इनपुट्स हैं उनकी कीमतें कितनी बढ़ी हैं जैसे बेजेज कितनी बढ़ी हैं और दूसरी चीजें कितनी बढ़ी हैं और अगर उनपर कन्ट्रोल होता तो शायद यह 2 परसेन्ट कीमतें भी नहीं बढ़तीं ।

इसके अलावा गरीब तबके के लिए जिस कपड़े की हाजत होती है वह कपड़ा हम बना रहे हैं और स्टेट्स को दे रहे हैं, स्टेट्स और एम० सी० सी० ए० उस कपड़े को तक्सीम करते हैं । हम तो

कपड़ा बनाने वाले हैं बाकी तकसीम करने का काम उनका ही है और वे बराबर तकसीम कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर तो आया नहीं। मैंने पूछा था कि पहले क्या भाव थे और आज क्या भाव हैं—वह आपने बताया नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो पालिसी ले-डाउन की है उसमें आपने कहा है कि यह हमारा गवर्नमेंट का काम नहीं है।

[अनुवाद]

मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, केवल सम्बद्ध भाग ही पढ़ूंगा। इसमें लिखा है :

"इस बात पर बल दिया गया था कि कन्ट्रोल कपड़े की बिक्री के दिन निर्धारित किए जाने चाहिए। जिला कलेक्टर को जिला प्रचार अधिकारी के माध्यम से नियन्त्रित कपड़े के आगमन। बिक्री के बारे में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यापक प्रचार की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके यह कपड़ा आम आदमी तक पहुंचेगा और गैर-कानूनी हालों में नहीं पहुंच जाएगा।"

[हिन्दी]

यह आपने अपनी पालिसी ले-डाउन की है। आप यह पालिसी ले-डाउन करने के बाद बड़ी हिम्मत के साथ कहते हैं कि हमने तीन लाख दूकानें खोल दी हैं, फेयर प्राइस शाप्स गांवों में फैला दी हैं और यह भी कहते हैं कि दूर-दराज रहने वाले लोगों को कन्ट्रोल प्राइस पर कपड़ा मिलेगा। अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं आप गरीबों के बड़े समर्थक हैं, हम जानते हैं कि आपका हृदय किन लोगों की तरफ पिघलता है इसलिए आप इस बात को भी सोचिए कि यह क्या हो रहा है, टैक्सटाइल के नाम पर पैसा उठाते हैं, अगर आपके क्षेत्र में उत्पादन होता हो तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूं लेकिन कहीं भी यह कपड़ा नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : हमारे यहां तो कपास पैदा करने वाले है जिसकी कीमत कम हो गई है।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी बात भी मुझे कहनी थी और वह मैंने पहले ही कह दी है। लेकिन इनके यहां झगड़ा यह है कि हमारे खुर्शीद आलम साहब कहते हैं कि फेयर प्राइस शाप्स के द्वारा कपड़ा बेचेंगे और राष्ट्रीय कपड़ा निगम वाले कहते हैं कि ज्यादा पैसा जहां से हासिल हो वहां से बेचो। इस झगड़े के कारण गरीबों को कपड़ा नहीं मिल पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल ही करें। सवाल के नीचे सारा वजन दब जाता है और इम्पार्टेन्स खत्म हो जाती है।

श्री खुर्शीद आलम खां : मान्यवर, डागा जी ने जो कहा है, मैंने पहले ही बताया कि कपड़ा हम नहीं बेचते, कपड़ा तो स्टेट गवर्नमेंट्स के जरिए से बिकता है। उनकी फेयर प्राइस शाप्स और एन०सी०सी०एफ० इन कपड़ों को बेचते हैं। अगर डागा जी की स्टेट में कोई गड़बड़ हो तो उसकी

तरफ वे मुख्यमन्त्री का ध्यान आकर्षित करें, अगर उनसे न बन सके तो हमें बताएं हम भी मुख्यमन्त्री को लिखेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : हम आपको बतायेंगे, आप चलिए तो हमारी स्टेट में ।

[अनुवाद]

श्री एम० टोम्बी सिंह : महोदय, विवरण में कहा गया है कि जनता कपड़े के उत्पादन तथा वितरण के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है । संसद ने हथकरघा क्षेत्र के लिए जनता कपड़े के समेत कुछ वस्तुएं आरक्षित करने के लिए कानून पारित किया है, और हथकरघे के लिए कुछ वस्तुओं के आरक्षण के सम्बन्ध में कानून पारित हुए लगभग एक वर्ष हो गया है ।

क्या मैं माननीय मन्त्री से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने इस कानून के पारित होने के पश्चात इसके सम्बन्ध में प्रतिक्रिया जानने हेतु तथा अनुवर्ती बातें जानने हेतु कोई गहन अध्ययन किया है ? हथकरघा क्षेत्र से सम्बन्धित सभी राज्यों को इसके साथ सम्बद्ध करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं ? इस सम्बन्ध में हमारी रिपोर्ट यह है कि व्यावहारिक रूप में इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है । क्या मैं माननीय मन्त्री से पूछ सकता हू कि क्या इन उपायों पर कोई ठोस कदम उठाया गया है ? यदि नहीं, तो कब उठाए जाएंगे ?

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, पहले ही सुनिश्चित उपाय किए गए हैं और हमने राज्यों को 50 लाख मीटर जनता कपड़ा दिया है और प्रत्येक राज्य को जनता कपड़े के उत्पादन तथा इसके उपयोग का कोटा निर्धारित किया गया है । आवंटन का आधार है कि, कोटा का 2/3 भाग राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पर और 1/3 गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है । इसके अतिरिक्त 85 प्रतिशत कन्ट्रोल का कपड़ा राज्यों को इनके आवंटन के आधार पर दिया जाता है । कन्ट्रोल के कपड़े का केवल 15 प्रतिशत राष्ट्रीय कपड़ा निगम के बिक्री केन्द्रों द्वारा बेचा जाता है ।

[हिन्दी]

श्री शिव प्रसाद साहू : अध्यक्ष महोदय, जनता कपड़ा गरीबों के बीच में, जंगलों में रहने वाले लोगों के बीच तकसीम करने के लिए बना है । लेकिन अमुमन यह देखा गया है कि उड़ीसा, बिहार और दूसरे प्रान्तो के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच यह कपड़ा नहीं पहुंच पाता है, शहरों में पहुंच जाता है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा, क्या केन्द्रीय सरकार पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले गरीब लोगों तक यह कपड़ा पहुंचा है या नहीं, इसके लिए कोई जांच कमेटी बठाएगी ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मान्यवर, हमने मुख्यमन्त्रियों को पहले ही लिखा है कि आप इसकी जांच करें कि कपड़ा जिन लोगों के लिए बनाया जाता है, उन तक पहुंचा है या नहीं । जो जवाब मुख्यमन्त्रियों के हमारे पास आए हैं, उनसे पता चलता है कि कपड़ा उसके मुताबिक ही बांट रहे हैं ।

[हिन्दी]

दिल्ली पर्यटन विकास निगम को वित्तीय हानि

*335. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों से दिल्ली पर्यटन विकास निगम को निरन्तर हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष इसे कितनी वित्तीय हानि हुई है ;

(ग) क्या उक्त वित्तीय हानि से बचने के लिए अब कुछ कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी है ?

[अनुवाद]

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पर्यटन विकास निगम को हुई हानि के वर्षवार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	(लाख रुपयों में)
1983-84	23.96*
1984-85	39.44*
1985-86	26.19*

*अन्तिम

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, यह स्पष्ट है कि विवरण में सरकार ने कुल तथ्य छिपाए हैं। यह लगता है कि सरकार दिल्ली विकास पर्यटन विकास निगम के 170 कर्मचारियों

की छंटनी करने की सोच रही है और 14 जुलाई को यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय हानि से बचने के लिए दिल्ली विकास पर्यटन विकास निगम 170 कर्मचारियों को निकालने जा रहा है जो कि फालतू समझे गए हैं। आपके जरिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह 170 कर्मचारियों को 'फालतू' समझकर निकालने की सोच रहे हैं? क्या यह ठीक है या नहीं?

श्री संतोष मोहन देव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस संगठन को हानि हो रही है प्रशासनिक सुधार विभाग ने 1985 में एक अध्ययन किया और 174 पदों को आवश्यकता से अधिक बताया। इन 174 लोगों में से केवल 85 लोगों को गोजगार मिला हुआ है और अन्य पद अभी तक रिक्त पड़े हैं। उनका किसी भी कर्मचारी को निकालने का विचार नहीं है। उन्होंने और शराब की दूकानें शुरू की है। इन कर्मचारियों में से कुछ इन शराब की दुकानों में लगाए जायेंगे और उन्होंने दिल्ली प्र शासन से भी उनमे से कुछ को लगाने के लिए कहा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या यह विदेशी शराब है?

श्री संतोष मोहन देव : यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जायेंगे कि वे बेरोजगार न हो जाएं। परन्तु आखिर हम सबको नियुक्त नहीं कर सकते हैं। हमें उनमें से कुछ को हटाना ही पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने इसके लिए आश्वासन दिया है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, मैं आपके जरिए एक स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि क्या वे कर्मचारियों की अस्थायी छंटनी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहकावे में न आइए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मन्त्री जी ने कहा है कि कर्मचारियों को शराब बेचने वाली दुकानों में लगाया जा रहा है परन्तु जहां तक मुझे जानकारी है अधिकांश कर्मचारी खान-पान विभाग में कार्यरत है। पुन: वे वित्तीय हानियों के कारणों को छुपा रहे है। यह ठीक है कि सरकार अपने सात वर्षीय कम बजट के किफायती होटलों की योजना शुरू करने में असफल रही है और हानि होने के बावजूद भी सरकार बहुत सारा धन टाटा कन्सलटेन्सी सेवा को अदा कर रही है? क्या यह ठीक है? मैं माननीय मन्त्री से एक उत्तर चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पोल खुल गयी है। (...व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : यह ठीक नहीं है। कुल कर्मचारियों में से केवल 27 खान-पान विभाग में हैं। शेष पर्यटन विभाग में है या परिवहन विभाग में है। कुछ मुख्यालय में हैं।

जहां तक बजट के नियतन का सम्बन्ध है हम पालम हवाई अड्डे के निकट एक किफायती होटल का निर्माण कर रहे हैं। यह आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों तथा युवा वर्ग के सैलानियों के लिए

है। हम कुछ कर्मचारी वहां नियुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हालांकि हमें पिछले तीन वर्षों से हानि हो रही है हमने किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की है। हमारे प्रयास अभी भी उन्हें रोजगार दिलाने के हैं। परन्तु हम कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा है यदि आखिरकार हम उन्हें न लगा पाए तो हमें उनकी छंटनी करने के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम प्रतिवर्ष 25 लाख रुपयों की हानि वहन नहीं कर सकते हैं?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : टाटा कन्सलटेन्सी के बारे में क्या हुआ है? तथा कम बजट के किफायती होटलों के बारे में क्या कर रहे हैं?

श्री संतोष मोहन देव : मुझे टाटा कन्सलटेन्सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं उसकी जांच करूंगा तथा माननीय सदस्य को सूचित करूंगा।

[हिन्दी]

श्री श्यामलाल यादव : मान्यवर, सरकार के कई ऐसे विभाग हैं, जो होटल चला रहे हैं और और चलाने की स्कीम बना रहे हैं लेकिन तजुर्बा यह बता रहा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट चाहे भारत सरकार का हो, चाहे दिल्ली का हो और चाहे स्टेट्स का हो, होटल चलाने में असफल रहा है। दिल्ली में कई ऐसे होटल हैं जो बनाए गए थे, वहां दफ्तर खुल गए और आगे खोलने की स्कीम है। यही दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर के होटल हैं, जहां बहुत भीड़ लगी हुई है। फिर हर एक विभाग, जिसका होटल खोलने का पेशा नहीं है, वह होटल खोल रहा है जैसे इन्टरनेशनल एयरपोर्ट आथेरिटी ने यह निकाला है कि वह होटल चलाएगी और एयर इन्डिया का होटल खुल चुका है। आई० टी०डी० सी०अलग होटल चला रहा है और हर विभाग में होड़ लगी है कि वह होटल खोले।

अध्यक्ष महोदय : मैं लोक सभा को इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री श्यामलाल यादव : कौन जाने, यह भी हो सकता है। कभी आप पर भी इसके लिए दबाव पड़ सकता है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की यह नीति है कि हर विभाग होटल खोले चाहे उस होटल में नुकसान हो जाए, खाने पकाने में वह असफल रहे और यात्री वहां ठहरें नहीं। यह आश्वासन दिया जाता है कि सस्ती दर पर होटल खुलेंगे। दो होटल यहां विंडसर प्लेस में खोले गए हैं। जिस तरह से उन्हें शुरु किया था अब उसका दाम कहां पहुंच गया है। यह कहा गया था कि 50 रुपया या 30 रुपया रखेंगे। इन तमाम अनुभवों के आधार पर क्या भारत सरकार ऐसे उद्यमों को चलाना चाहती है जिसमें शुरु से अन्त तक नुकसान होगा? एक्सचेकर से जनता की गाढ़ी कमाई टैक्स लगा-कर वित्त मंत्री भले ही इन होटलों को दे रहे हैं। कृपा करके ऐसे होटलों को बन्द कीजिए। जो संस्थाएं होटल चलाने का अनुभव नहीं रखती हैं वे होटल न चलाएं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : जो जानकारी माननीय सदस्य ने दी है। वह सही नहीं है। भारतीय

पर्यटन विकास निगम ने इस वर्ष 41/ करोड़ रुपये का लाभ कमाया है तथा केवल दो दिन पहले ही हमने अपना खाता पूरा किया है ।

श्री श्याम लाल यादव : पूंजी कितनी है तथा कुल निवेश कितना है ?

श्री संतोष मोहन देव : यह सही है कि कुल निवेश के अनुपात में लाभ बहुत अधिक नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं कि इसमें आगे सुधार होगा ।

जहां तक अशोक माली निवास के सम्बन्ध में आपके प्रश्न की बात है इसने भी इस वर्ष लाभ कमाया है ।

जहां तक सातवीं पन्चवर्षीय योजना के नए होटलों की बात है योजना आयोग ने सरकारी क्षेत्र के भारतीय पर्यटन विकास निगम पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि देश में कोई और होटल न खोलें । हम केवल राज्य निगमों के सहयोग से संयुक्त उद्यम के रूप में होटल लगा रहे हैं और लाभ का अनुपात 51 : 29 है ।

जहां तक पिछले प्रश्न की बात है कम बजट वाले होटलों के लिए टाटा कन्सलटैन्सी द्वारा एक व्यवहार्य रूप से अध्ययन किया जाना है परन्तु यह प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के पास अनुमोदन के लिए अभी तक लम्बित पड़ा है।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्रालय ने जो यह तय किया था कि भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ-स्थल हैं उन पर यात्रिकाएं कब तक बनायी जाएंगी ? मथुरा जहां से मैं आता हूं वहां कोई यात्रिका बनाने की योजना है ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : यद्यपि यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है, हमने तीर्थ स्थानों पर यात्रिकाएं बनाने की योजना बनाई है । हमने पहले ही सात को मंजूरी दे दी है तथा हमारा विचार और यात्रिकाओं को स्वीकृति देने का है । समस्या जमीन की है और हमने इसके लिए सभी राज्य सरकारों को लिखा है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : धन के लिए ।

श्री संतोष मोहन देव : धन की समस्या नहीं है । हमारे पास इसके लिए धन है । हम पश्चिम बंगाल के गंगा सागर के लिए धन दे रहे हैं । जहां कहीं से कोई प्रस्ताव आता है यदि यह व्यवहार्य है तो हम इसे मान लेते हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है तब धन की समस्या है ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करना चाहता हूं कि पर्यावरणीय तथा सौन्दर्यपरक भावना का भी ध्यान रखा जाए । यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

अनिवासी भारतीय पोर्टफोलियों निवेश योजना

*339. **श्री एम० जयपाल रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1986 तक अनिवासी भारतीय पोर्टफोलियों निवेश योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धन राशि प्राप्त की गई है, और

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना का देश में भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा के संदर्भ में भारतीय लेखे जोखे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 31 मार्च, 1986 तक पोर्टफोलियों निवेश योजना के अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों द्वारा 53.54 करोड़ रुपए की राशि का निवेश दिया गया ।

(ख) जी, नहीं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह वास्तविकता है कि योजना के अन्तर्गत निवेश किए गए 53 करोड़ रुपयों में से 23 करोड़ से अधिक केवल एक उद्योग रिलायन्स उद्योग में निवेश किए गए, क्या यह सच्चाई है कि 23 करोड़ रुपया ब्रिटेन की 11 द्वीपवालियों की कम्पनियों ने निवेश किया ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इन 53, 54 करोड़ रुपयों में से मूल रूप से 2 मुख्य निवेश आए हैं । एक 22.5 करोड़ का रिलायन्स से और दूसरा एक डी०सी०एम० संयुक्त से 13 करोड़ रुपए का और वह कुछ समय पहले हुआ था । उसके बाद इस पोर्टफोलियों निवेश योजना में बहुत अधिक प्रवाह नहीं हुआ है इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या आइ जल आफ मैन से कोई कम्पनी थी, यह विवाद पहले ही हो चुका है और संसद में ही सारे विस्तार पर विवाद किया था । मैं समझता हूं कि इन मुद्दों पर पहले ही बहस की जा चुकी है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच्चाई है कि रिलायन्स उद्योगों में 23 करोड़ रुपए का निवेश बढ़कर 100 करोड़ रुपए हो चुका है यदि वृद्धि की यह दर है तो क्या इस योजना पर आगे के लिए सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह भी सच्चाई है कि उसके बाद आइजल आफ मैन कम्पनी का निवेश, एक नई कम्पनी ब्रिटिश विरिजन आइलैंड कम्पनी को स्थानान्तरित कर दिया गया है और क्या सरकार इन दोनों कम्पनियों के शेयरों से सही स्वामित्व के बारे में सरकार को जानकारी है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : विदेशी मुद्रा के बाहर भेजे या बाहर जाने के बारे में माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे के सम्बन्ध में जो राशि एप्रिशियेशन से प्राप्त होगी इस सन्दर्भ में पूंजी लाभ कर की गणना की जाए और विदेशी विनिमय की विभिन्नता इसकी बाहर जाने वाली सम्पूर्ण राशि को प्रभावित करती है ।

क्या इनमें से कुछ कम्पनियां विशेष द्वीपों पर गई हैं इस विशिष्ट सूचना के सम्बन्ध में मुझे

सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री विनेश सिंह : क्या सरकार ने इन सौदों में किसी अनियमितता पर ध्यान दिया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : "ये" लफ बहुत बड़ा शब्द है ।

श्री विनेश सिंह : यह उसके बारे में जिसके बारे में हम विवाद कर रहे हैं । आपने इस पोर्टफोलियो से दो निवेशों की बात की है। क्या इन दो विशिष्ट निवेशों से सरकार ने किसी अनियमिता पर ध्यान दिया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ये सब बातें हो चुकी हैं जब संसद में वाद-विवाद हुआ था और सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि निवेश···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने यहां प्रश्न पूछा है जबकि वे वाद-विवाद का उल्लेख कर रहे हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप प्रश्न में इतनी सारी बातों का उल्लेख भी करते हैं । निर्णय यह था कि निवेश नियम और नियमन की परिधी में था ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय मन्त्री ने कहा है कि हाल में बहुत अधिक निवेश नहीं हुआ है । यदि इस योजना को चालू रखने की इच्छा पर कोई पुनरावलोकन किया जा रहा है अथवा योजना को समाप्त कर दिया जायेगा । क्या कोई पुनरावलोकन किया गया है यदि हां तो सरकार का क्या निर्णय है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जैसा मैंने कहा है बहुत अधिक निवेश इसमें नहीं हुआ है । परन्तु इसे रखने में कोई नुकसान नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कुछ पाने की आशा है ।

कच्चे नारियल का निर्यात

*340. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कच्चे नारियल का कोई निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और किन देशों को इसका निर्यात किया गया ;

(ग) क्या कच्चे नारियल के निर्यात के लिए कर्नाटक तथा अन्य राज्यों की सरकारों से व्यापार सम्बन्धी जानकारी मांगी गई है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का कर्नाटक राज्य से कच्चे नारियल के निर्यात को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार अथवा किन्हीं अन्य राज्यों द्वारा प्राप्त किन्ही व्यापार सम्बन्धी पूछताछों की जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में किसी भी राज्य सरकार से कोई पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) जी नहीं।

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर : यह बड़ी हैरानी की बात है कि सबसे स्वादिष्ट, स्वास्थ्य वर्द्धक और मिलावट रहित पेय, जिसकी मधुमेय रोगियों को छोड़कर लगभग सभी रोगियों को आवश्यकता है हमारे देश से उसका निर्यात नहीं किया जा रहा है कच्चे नारियल को निर्यात करने में क्या वास्तविक समस्या है? क्या सरकार ने कोई कोशिश की है? आप कहते है कि राज्य सरकारों ने जांच नहीं की है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किया है।

श्री ब्रह्मदत्त : यह एक वास्तविकता है कि कच्चा नारियल एक मधुर पेय है। परन्तु कुछ समस्याएं हैं। पहली यह है कि हरे नारियल का निर्यात करने वाले लोग गिरी और सूखी के निर्यात से वंचित हो जायेंगे जो अधिक आवश्यक है। हमारे पास खाद्य तेल की भी कमी है। इसके अतिरिक्त एक और समस्या है कि कच्चे नारियल का भार अधिक होता है और वहन शुल्क भी अधिक होता है। यह एक नष्ट होने वाली वस्तु है और किसी भी देश से विशेष व्यापार की जांच प्राप्त नहीं हुई है। वास्तव में कर्नाटक सरकार चाहती थी कि उन्हें कुछ नमूने भेजे जाते। हमने उन्हें अनुमति दे दी और हम नहीं जानते कि इसके बाद क्या हुआ।

श्री भागवत झा आजाद : इसका हल यह है कि इसे दिल्ली में उपलब्ध कराइए। यहां आपको अच्छे दाम मिलेंगे।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : यह निर्यात से सम्बन्धित नहीं है।

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर : माननीय मन्त्री को यह कहते हुए खुशी है कि गिरी की मांग अधिक है। स्वास्थ्य की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए डाक्टर सभी तरह के रोगियों को शर्बत और अन्य वस्तुओं का निर्देश देते हैं। यद्यपि मैं चिकित्सा क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूं परन्तु मैं जानता हूं कि नारियल सभी प्रकार के रोगियों के लिए सर्वोत्तम पेय है। मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है कि यह नष्ट होने योग्य है। परन्तु यह उतना जल्दी नष्ट नहीं होता। यह आठ से दस दिन तक चल सकता है। एक प्रयत्न करना चाहिए। मैं यह देखूंगा कि कर्नाटक सरकार अपनी राय देती है। उत्तर को प्राप्त करने के बाद क्या आप विचार करेंगे कि···

···(**व्यवधान**)···

जैसा कि श्री आजाद ने कहा है यह दिल्ली में भी उपलब्ध नहीं है। महोदय, यह बहुत

हैरानी की बात है। मेरा सुझाव है संसद भवन में भी एक केन्द्र होना चाहिए ताकि सदस्य पेय ले सके और अपने कार्य में अधिक प्रभावशाली बन सके। जो कुछ वे पीते है वह उसका एक विकल्प है।

कर्नाटक सरकार से उत्तर प्राप्त करने के बाद आप कच्चे नारियल के निर्यात को देखने के लिए क्या कदम उठायेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त : नारियल को दिल्ली या हमारे माननीय सदस्यों के लिए संसद भवन में आने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है परन्तु हाल के अन्दर नहीं। **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम उन्हें केन्द्रीय परिसर के अन्दर चाहते है।

श्री ब्रह्मदत्त : मैं समझता हूं कि भूसा, गिरी व नारियल को निर्यात करना और उन्हें खाद्य तेलों में प्रयुक्त करना राष्ट्रीय हित में है। देश के अन्दर इसके आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप जानते है कि कच्चा नारियल मीठा होता है यह पेप्सी कोला अन्य कोला से अधिक मीठा है। मृदुल प्रकृति के कारण निर्यात सम्बन्धी समस्या को कहते हुए मन्त्री महोदय प्रसन्न थे। वास्तविकता यह है कि खमीर बनने से पहले हम कच्चे नारियल को निर्यात नहीं करना है और उसे बाजार में उपलब्ध नहीं करना है। प्रश्न परिरक्षण का है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कच्चे नारियल के पानी का परिरक्षण करने व उसे बोतल में डालकर देश में इसका विपणन करने व निर्यात करने की सरकार की कोई योजना है। उस स्थिति में हमें बहुत अच्छा निर्यात बाजार मिलेगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है।

श्री ब्रह्म दत्त : जहां तक हमें पता है यह लाभदायक है तथा अन्य अन्तिम उत्पादों के निर्यात द्वारा हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। परन्तु यदि कोई ऐसा प्रस्ताव हो, तो हम निश्चय ही उस पर विचार करेंगे।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : क्या सरकार इस बात पर गम्भीरता से विचार करेगी कि क्या कच्चे नारियल के प्रयोग पर रोक लगाई जा सकती है क्योंकि इससे हम नारियल से प्राप्त होने वाले बहुत से पदार्थों से वंचित रह जाते हैं ? क्या सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ये तो सारा ही बन्द कर रहे हैं।

[अनुवाद]

यह एक दूसरा दृष्टिकोण है।

(...व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त : हम इस पर रोक लगाने की बात नहीं सोच सकते।

इण्डियन ओवरसीज बैंक में आरक्षण आदेशों का कार्यान्वयन

*342 **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ओवरसीज बैंक में उसके विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के मामले मे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण सम्बन्धी सरकार के अनुदेशों पर अनुपालन किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क और ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क और ख) : इण्डियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि सीधी भर्ती और लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग के निम्नतम स्तर तक पदोन्नति अर्थात् दोनों में बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए सरकार की आरक्षण सम्बन्धी नीति का अनुपालन किया जा रहा है। लेकिन, आरक्षित श्रेणियों से सम्बद्ध उम्मीदवारों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले खाली स्थानों की संख्या का हिसाब हर साल भरे जाने वाले कुल खाली स्थानों और पिछले वर्ष से आगे लाई गई उसी श्रेणी की बकाया रिक्तियों के सन्दर्भ में लगाया जाता है। बैंक द्वारा अमल में लाई जाने वाली इस प्रणाली के परिणामस्वरूप आरक्षित खाली स्थानों की संख्या रोस्टर प्रणाली के आधार पर आंकी जाने वाली संख्या से बढ़ जाती है बैंक से इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित प्रणाली का अनुसरण करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बेरवा : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जो सूचना सभा-पटल पर रखी है, उसी तारतम्य में, मैं इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आजादी मिलने पर यह अनुभव किया गया था कि अनुसूचित जातियों के लोग अन्य लोगों की तुलना में काफी पीछे रह गए, अत: सरकार ने उनको दूसरे लोगों के समकक्ष लाने के लिए स्पष्ट नीति यह तय की कि उनको विभिन्न मामलों में संरक्षण प्रदान किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी की दिली ख्वाहिश खास तौर से यह है कि ये जल्दी-से-जल्दी दूसरों के बराबर आ जाएं। उसके लिए यह जरूरी है कि सरकारी नीतियों का ठीक तरह से क्रियान्वयन हो। लेकिन उनके प्रति हमदर्दी का रवैया रखने की बजाए, देखा यह गया है कि उन नीतियों को क्रियान्वित करने वाली एजेन्सियां, बड़ी चतुराई से, इस तरह काम करती हैं, ताकि इन जाति के लोगों को कोई लाभ न मिल सके और इसी कारण आरक्षण के मामले में हमेशा बैकलौग पाया जाता है। मैं आपके सामने

एक स्पष्ट उदाहरण देना चाहता हूं और जैसा विवरण में भी कहा गया है कि "इण्डियन ओवरसीज बैंक" ने सूचित किया है कि सीधी भर्ती और लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग के निम्नतम स्तर तक पदोन्नति अर्थात् दोनों में बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार की आरक्षण सम्बन्धी नीति काअनुपालन किया जा रहा है। लेकिन आरक्षित श्रेणियों से सम्बद्ध उम्मीदवारों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले खाली स्थानों की संख्या का हिसाब हर साल भरे जाने वाले कुल खाली स्थानों और पिछले वर्ष से आगे लाई गई उसी श्रेणी की बकाया रिक्तियों के सन्दर्भ में लगाया जाता है। मैं समझ नहीं पाया कि यहां अधिकारी संवर्ग के निम्नतम स्तर तक पदोन्नति से आपका अभिप्राय है, क्या यह लिपिक से पदोन्नत होने वाली पहली स्टेज है या उससे कुछ आगे है, पहले तो आप इसे स्पष्ट करें। दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि जितने सरकारी निर्देश जारी होते हैं, क्या वे सरकारी बैंकों पर भी उसी तरह से लागू होते हैं, अथवा बैंकों के लिए अलग से व्यवस्था है। उन्हें अलग से निर्देश जारी किए जाते हैं तथा इस बैंक में रोस्टर प्रणाली को समुचित रूप से मेन्टेन किया जा रहा है, अथवा नहीं।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, जहां तक प्रश्न के बाद के भाग का प्रश्न है, बैंक ने रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं किया है।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : लेकिन रोस्टर प्रक्रिया का पालन न करके उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को अधिक लाभ प्रदान किया है मैं उदाहरण देता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : कैसे ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा करें। उन्हें उत्तर पूरा कर लेने दें।

श्री जनार्दन पुजारी : इण्डियन ओवरसीज बैंक में सामान्य श्रेणी के 287 रिक्त पदों मे से सामान्य वर्ग के 154 पद, अनुसूचित जातियों के 68 तथा अनुसूचित जनजातियों के 65 पद हैं। यदि रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता तो अनुसूचित जातियों के 68 के स्थान पर केवल 43 पद होते तथा जनजातियों के 65 के स्थान पर 21 पद होते। (व्यवधान)

महोदय, रोस्टर का पालन करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। इस समय मामला उच्च न्यायालय के समक्ष है। यह न्याय-निर्णयाधीन है। हमने सभी बैंकों से रोस्टर का पालन करने के अनुदेश जारी कर दिये हैं। इस मामले को हमने गम्भीरता से लिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो भी नियम हो, उन्हें और कड़ाई से लागू किया जाए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रेशम के उत्पादन के लिए राज्यों को विश्व बैंक से सहायता

*328. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराव वाडियर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ राज्यों को वित्तीय सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से रेशम का उत्पादन शुरू किया गया है;

(ग) क्या विश्व बैंक रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए कर्नाटक राज्य की सहायता कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और इस प्रयोजन हेतु कर्नाटक को उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क से घ) : कर्नाटक ही केवल एक ऐसा राज्य है जिसने अपने रेशम उत्पादन को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की है। विश्व बैंक सहायता प्राप्त कर्नाटक रेशम उत्पादन विकास परियोजना को, जिसे आरम्भ में 79.85 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 1980-81 से 1984-85 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था, बाद में इसे 101.13 करोड़ रुपए के बढ़े हुए परिव्यय के साथ आगे 1-1/2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ा कर 1600 मे० टन करने का है।

भारत में मुद्रास्फीति की दर के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट

*332. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक विकास रिपोर्ट, 1986 में यह बताया गया है कि भारत में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, 1965-73 की अवधि के दौरान 6.3 प्रतिशत औसत से बढ़कर वर्ष 1973-84 में 7.8 प्रतिशत हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) रिपोर्ट में दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत के सम्बन्ध में मुद्रास्फीति की दर 1965-73 के दौरान 6.3 प्रतिशत और 1973-84 के दौरान 7.8 प्रतिशत दिखाई गई है। यह नोट करने योग्य है कि विश्व बैंक की गणनाएं दो अवधियों

के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अपस्फीति के अनुमानों पर आधारित हैं और ये तारीख विशेष के चुनाव से प्रभावित हैं।

(ख) सरकार की मुद्रास्फीति-विरोधी नीति के अन्तर्गत कारगर आपूर्ति और मांग व्यवस्था पर जोर दिया जाता है जिसमें जरूरी वस्तुओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, विशेष योजनाओं के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को खाद्यान्नों की आपूर्ति राजकोषीय अनुशासन लागू करना और प्रचलन में कुल नकदी को नियन्त्रण में रखना शामिल है।

चाय का निर्यात

*333. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान चाय का निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्यात लक्ष्य क्या है और इसे आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क और ख) : इस वर्ष चाय का निर्यात जारी रहेगा। भारतीय चाय पूरे विश्व के कई देशों को निर्यात होती है। भारत से चाय के प्रमुख आयातक हैं—सोवियत रूस, ब्रिटेन, ए०आई०इ० पश्चिम जर्मनी, इराक तथा ईरान। चाय के निर्यात की मात्रा तथा दिशा घरेलू उत्पादन तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर निर्भर करेगी।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

*334. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1986-87 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किन-किन स्थानों पर किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क से ग) : 1985-90 की चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति में प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को 17,000 की जनसंख्या के पीछे कम-से-कम एक बैंक कार्यालय खोलने और प्रत्येक गांव से 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर-अन्दर एक बैंक कार्यालय सुनिश्चित कर बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में स्थानिक दूरियों को पाटने की परिकल्पना की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रणी बैंकों/राज्य सरकारों से शाखा लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में केन्द्रों का पता लगाने के लिए कहा था। खोली जाने वाली शाखाओं के सम्बन्ध में वर्ष-वार या राज्य-वार कोई लक्ष्य नहीं रखे गए। हिमाचल प्रदेश में अग्रणी बैंकों/राज्य सरकार द्वारा केन्द्रों के चयन का

काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

उत्पादन और गैर-उत्पादक व्यय का अनुपात

*336. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्पादक और गैर-उत्पादक व्यय के बीच अनुपात में वृद्धि के बारे में विचार करने और गैर-उत्पादक व्यय और मुद्रास्फीति में वृद्धि रोकने के लिए उपायों के बारे में सुझाव देने हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में सम्भावित वृद्धि रोकने के लिए कौन से अग्रिम कदम उठाने का विचार है ?

व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार सामान्य रूप से और विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर सावधानी से निगरानी रखे हुए है। प्रमुख कृषि सन्बन्धी वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन/वसूली मूल्यों में संशोधन करके किसानों को लाभकारी मूल्य दिए गए हैं ताकि अधिक उत्पादन की सम्भाव्य क्षमता का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सके। मुद्रास्फीति: रोकने के लिए अल्पकालिक उपायों का सम्बन्ध प्रभावी आपूर्ति और मांग की व्यवस्था से है जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समर्थ बनाना, चीनी और खाने के तेलों को नियमित रूप से जारी करना, भण्डार में वृद्धि करने के लिए खाने के तेल और चीनी जैसी आवश्यक मदों का आयात करना, राजकोषीय अनुशासन लागू करना, प्रणाली में कुल नकदी को नियन्त्रण में रखना शामिल है।

मैसर्स इण्डिया मीटर्स लिमिटेड

*337. **श्री थम्पन थामस** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एक रुग्ण एकक, मैसर्स इंडिया मीटर्स लिमिटेड, को वर्ष 1967 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा अपने अधिकार में लिया गया था तथा इसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई 65 लाख रुपए की अपेक्षित पूंजी से फिर चलाया गया था;

(ख) क्या उक्त कम्पनी को कुछ अनिवासी भारतीयों ने अपने नियंत्रणाधीन ले लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क से ग) : इंडिया मीटर्स लिमिटेड ने,

जो 1963 में निगमित की गई थी, 1967 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया गया था, उसे बराबर हानि होती रही और 1974 में बन्द कर दी गई। तदुपरान्त कंपनी ने सहायता के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (अब भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक) से सम्पर्क किया और कम्पनी तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा तमिलनाडु सरकार के बीच सम्पन्न परस्पर सम्मत ज्ञापन के जरिए 1977 में कंपनी दुबारा खुल गई। अलबत्ता, भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि० ने कंपनी का अधिग्रहण नहीं किया। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० ने केवल अपने कुछ कार्यपालकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजकर इस कंपनी के प्रबंध को समर्थन प्रदान किया। इसने कंपनी की शेयर पूंजी में कोई अंशदान नहीं किया।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने 1976 मे कंपनी के पुनरूद्धार के लिए 64.64 लाख रुपए मंजूर किए थे और शेयर पूंजी में 9 लाख रुपए का अंशदान भी किया था। इस कंपनी का प्रबंध एक बोर्ड के अधीन है और वित्तीय संस्थाओं, तमिलनाडु सरकार और भारतीय हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के प्रतिनिधि इस बोर्ड के सदस्य हैं। कंपनी की दीर्घावधिक, अर्थक्षमता बढ़ाने के लिए कंपनी में एक साधन संपन्न उद्यमी को शामिल करने के लिए प्रयास किए गए और इस प्रयोजन के लिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों से संपर्क किया गया। लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए। दो व्यवसायी अनिवासी भारतीयों ने शुरु में इक्विटी के रूप में इस कंपनी में 25 लाख रुपए निवेश करके इस कंपनी के प्रबंध को अपने हाथ में लेने की इच्छा जाहिर की थी। इक्विटी शेयर पूंजी के उनके अंशदान के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सिले-सिलाए कपड़ों का निर्यात

*338. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा-देशों और गैर-कोटा देशों को हमारे सिले-सिलाए कपड़ों के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारत की संवर्द्धनका नीतियों और कोटा-देशों की आयात नीतियों की जांच व पुनरीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो सिले-सिलाए कपड़ों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क से ग) : कोटा देशों तथा गैर कोटा देशों को परिधान निर्यातों की स्थिति नीचे दर्शाई गई हैं :

	(मूल्य करोड़ रुपए में) (अनन्तिम) 1985-86
कोटा देशों को निर्यात	807
गैर कोटा देशों को निर्यात	289
योग	1096

(स्रोतः अप्रैल नियति संवर्धन परिषद्)

कोटा देशों में परिधानों का आयात भारत तथा इन देशों के बीच हुए द्विपक्षीय वस्त्र करारों द्वारा संचालित होता है। भारत इन करारों में बेहतर ढंग से प्रवेश पाने के लिए प्रयास करता है। सरकार अपनी संवर्धनात्मक नीतियों की लगातार समीक्षा करती रही है और इसके परिणामस्वरूप परिधान निर्यातों को पढ़ाने के लिए उसने अनेक उपाय किए हैं जो संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

परिधानों के निर्यातकों को बढ़ाने के लिए निम्नोक्त उपाय किए गए हैं —

(1) स्वदेश के विनिर्मित न होने वाली अत्याधुनिक परिधान विनिर्माण मशीनों के ओ०जी० एल० पर आयात किए जाने की अनुमति है। परिधान विनिर्माण के लिए लगभग 114 मशीनें ओ० जी० एल० पर रखी गई हैं जिसमें से 97 मशीनों पर रियायत आयात शुल्क का लाभ उपलब्ध है।

(2) 1-7-86 से सी०सी०एस० दरें सुव्यवस्थित की गई हैं। ये दरें सूती परिधानों के लिए 31-12-88 तक तथा अन्य परिधानों के लिए 31-3-89 तक बढ़ा दी गई हैं। कोटे के अधीन कम कारोबार वाली पदों को भी जो कि पहले सी०सी०एस० हेतु पात्र नहीं थीं, अब पात्र बनाया गया है। गैर कोटा देशों को निर्यात हेतु तथा मानव-निर्मित फाइजर एवं रेशमी परिधानों के लिए सी०सी०एस० उच्चतर दरों की घोषणा की गई हैं।

(3) सूती परिधान संविदा पंजीकरण योजना के अन्तर्गत शामिल कर दिए हैं जिससे सी० सी०एस० के मामले में निर्यातकों को सुनिश्चितता प्रदान की जा सके।

(4) परिधान विनिर्माण के लिए फैशन डिजाइन के क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में एक फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

(5) परिधानों के लिए शुल्क वापसी दरों में वृद्धि की गई है।

(6) लदान पूर्व ऋण के दिनों की संख्या 90 से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। ब्याज की दर भी 2.5% कम कर दी गई है।

(7) आयात हकदारियां तथा आर० ई० पी० लाइसेंस 1985-88 के लिए आयात-निर्यात नीति के परिशिष्ट 17 द्वारा उदार कर दी गई है।

(8) कच्चे माल/फैब्रिकों की अनेक मदों के आयात की अनुमति आयात-निर्यात नीति 1985-88 के परिशिष्ट 19 के अन्तर्गत अग्रिम लाइसेंसिंग योजना और परिशिष्ट 21 के अन्तर्गत आर०ई० पी० योजना के अधीन दी गई है।

(9) विनिर्माता-निर्यातकों के लिए आयात-निर्यात पास बुक योजना भी आरम्भ की गई है।

(10) नए उत्पादकों और नए बाजारों के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाती है ;

(11) 100% निर्यात अभिमुख एकक तथा मुक्त व्यापार जोन योजनाओं के अन्तर्गत पूंजी

माल तथा कच्चे माल के उदार आयात के लिए सुविधाएं तथा अन्य रियायतें दी जाती हैं।

(12) सरकार संवर्धात्मक क्रियाकलापों जैसे बाजार अध्ययनों, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता आदि प्रयोजन और वित्तपोषण के लिए उदार सहायता दे रही है।

व्यय का बेहतर आयोजन और संगठन तथा प्रक्रियाओं में सुधार करने के उपाय

*341. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यावधिक आधार पर व्यय का पहले से बेहतर कार्यक्रम निर्धारण करने और प्रशासनिक कार्य कुशलता में सुधार करने और लागतों में कमी करने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) संगठन तथा प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए बहुमुखी नीतियां अपनाने, लागतों में कमी करने, उत्पादन बढ़ाने और आधारिक महत्त्व के विनिर्माता एककों में पहले से बेहतर समन्वय स्थापित करने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क और ख) : सरकार ने प्रमुख परियोजनाओं और योजनाओं पर होने वाले व्यय के लिए त्रैमासिक बजटीकरण लागू किया है, केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के बजट निर्माण में शून्याधारित बजटीय दृष्टिकोण अपनाना शुरु किया है और स्वीकृतियां जारी करने के सम्बन्ध में प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं में परिवर्तन सम्बन्धी कार्रवाई शुरु की है। यह आशा की जाती है कि इससे साधनों का अधिक कुशलतापूर्वक आबंटन करना सुविधाजनक होगा और प्रमुख परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन की गति में तीव्रता आएगी।

सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा लागतों में कमी करने और सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तद्पि सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की दशा में, जिन्हें भारी मात्रा में घाटे हो रहे हैं, वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों/विभागों को यह परामर्श दिया है कि वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यचालन में और अधिक सुधार करने के लिए समयबद्ध कार्यवाई शुरु करें, जिससे कि वे अपने आन्तरिक साधनों का अधिकतम निर्माण कर सकें और बजटीय समर्थन पर अपनी निर्भरता में कमी ला सकें। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जानी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए ऋण और उनमें जमा राशियां

*343. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 के अन्त में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा धनराशि और उनके द्वारा दिए गए ऋणों की राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : एक वितरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1985 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियों और अग्रिमों के राज्यवार अनन्तिम आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्यवार जमाराशियां और अग्रिम (करोड़ रुपए)

राज्य/क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	जमाराशियां	अग्रिम
1. उत्तरी क्षेत्र		
हरियाणा	1498.68	1019.29
हिमाचल प्रदेश	519.14	214.80
जम्मू और कश्मीर	424.96	148.56
पंजाब	4425.25	2013.29
राजस्थान	1877.71	1240.41
चंडीगढ़	609.15	1364.27
दिल्ली	7668.99	4182.76
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र		
असम	890.44	464.43
मणिपुर	31.33	22.26
मेघालय	118.89	33.45
नागालैंड	73.27	28.14
त्रिपुरा	78.02	46.06
अरुणाचल प्रदेश	162.89	7.77
मिजोरम	29.87	7.42
सिक्किम	45.21	10.47
3. पूर्वी क्षेत्र		

राज्य/क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	जमाराशियां	अग्रिम
बिहार	3599.86	134.32
उड़ीसा	968.54	774.34
पश्चिम बंगाल	7822.10	3752.84
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	19.58	7.73
4. मध्य क्षेत्र		
मध्य प्रदेश	2930.70	1722.94
उत्तर प्रदेश	7830.83	3523.49
5. पश्चिमी क्षेत्र		
गुजरात	5280.12	2867.33
महाराष्ट्र	14489.26	1239.35
गोवा, दमन और द्यू	711.29	227.19
दादरा और नागर हवेली	5.23	4.99
6. दक्षिणी क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश	4515.66	3449.20
कर्नाटक	3766.59	3275.65
केरल	2606.00	1630.33
तमिलनाडु	4578.40	4316.36
पांडिचेरी	115.52	63.21
लक्षद्वीप	3.58	1.04

[अनुवाद]

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा बासमती चावल के निर्यात पर शुल्क लगाना

*344. **श्री बीरेन्द्र सिंह :**

श्री जी० तुलसीरम :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों की मण्डियों में बासमती चावल और अत्युत्तम किस्मों के अन्य चावल का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार चावल का निर्यात करने के लिए अन्य अनुकूल मंडियों की तलाश कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को चावल का निर्यात कम कर देने से कौन-कौन से राज्य प्रभावित होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) 1985-86 के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई०ई०सी०) को बासमती चावल के भारतीय निर्यातों का अनुमान 12098 मे०टन लगाया गया है जिसका मुल्य 9.27 करोड़ रु० बैठता है।

(ख) हमारे बासमती चावल के लिए प्रमुख बाजार मध्य-पूर्व तथा सोवियत संघ है। विगत तीन वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय को हुए निर्यात हमारे कुल निर्यातों के 5% से 9.5 के बीच रहे हैं।

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय उद्भव वाले देश पर ध्यान दिए बिना 15,000 मे०टन प्रति-वर्ष की कुल मात्रा तक के आयातों के लिए बासमती चावल पर वर्तमान आयात लेवी 50% तक कम किए जाने संबंधी कथित प्रस्ताव के संबंध में अभी निर्णय लेना है। प्रस्तावित छूट से समुदाय बाजार में हमारे बासमती चावल की प्रतियोगी क्षमता में सुधार आएगा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों से बैंक ऋणों की राशि की वसूली में विलम्ब/वसूली न होना

*345. **श्री अनादि चरणदास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लोगों से बैंक ऋणों की राशि की वसूली में विलम्ब होने या वसूली न होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क और ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों से ऋणों की बकाया राशियों की वसूली पर गैर वसूली में विलम्ब के कारणों का पता लगाने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

कर अपवंचन विरोधी विभाग के कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण

3216. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्व आसूचना निदेशालय में कर-अपवंचन विरोधी विभाग के कर्मचारियों को लगभग 50 लाख रुपए मूल्य के वे पुरस्कार अब तक नहीं दिए गए हैं जिनके लिए वे गत वर्ष लगभग 11 करोड़ रुपए मूल्य के कर अपवंचन के मामले पकड़ने के कारण हकदार थे ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अपवंचन-निवारण निदेशालय द्वारा वर्ष 1985 में पता लगाए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अपवंचन के मामलों के संबंध में, 2103.79 लाख रुपए के शुल्क की मांग करते हुए 71 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है। मौजूदा अनुदेशों के अधीन अधिकारियों को पुरस्कार की अग्रिम रकम कारण बताओ नोटिस के जारी किए जाने के बाद देय हो जाती है बशर्ते कि पुरस्कार मन्जूर करने वाले प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त अपवंचन की न्याय-निर्णयन तथा प्रथम अपील में पुष्टि हो जाएगी। इस आधार पर 27 मामलों के सम्बन्ध में अग्रिम पुरस्कारों के लिए विचार नहीं किया जा सका। 20 मामलों के सम्बन्ध अपवंचन निवारण निदेशालय के 152 अधिकारियों को 11,78,825/- रु० का अग्रिम पुरस्कार मन्जूर किया गया है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी धार्मिक संगठनों को प्राप्त विदेश अंशदान पर कर

3217. **श्री चिन्तामणि जैन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गैर-सरकारी धार्मिक संगठनों को प्राप्त विदेशी अंशदान पर कोई कर लगाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पुण्यार्थ अथवा धार्मिक प्रायोजनों के लिए बनाए गए न्यासों द्वारा अथवा ऐसे ही प्रयोजनों के लिए स्थापित की गई संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए गए ऐसे अंशदानों को, जिनमें विदेशी अंशदान भी शामिल हैं, जो न्यास अथवा संस्थान के उद्देश्यों के लिए किए गए अंशदान नहीं हों, आयकर अधिनियम के प्रयोजन के लिए आय समझा जाता है और उस आय पर, केवल उन मामलों को छोड़कर, कर लगाया जाता है तो आयकर अधिनियम में इस सम्बन्ध में छूट के लिए निर्धारित सभी शर्तें पूरी करते हों।

(ख) मन्त्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। देश में बड़ी संख्या में धार्मिक संगठनों को देखते हुए ऐसे ब्यौरे एकत्र करना भी सम्भव नहीं होगा।

वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त कम्पनियों के निदेशक बोर्डों में नामनिर्दिष्ट निदेशकों की भूमिका

3218. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त कम्पनियों के अपने ही हितों की रक्षा करने और साथ ही औद्योगिक रुग्णता की स्थिति के पैदा होने को मुख्य रूप से रोकने तथा उनके द्वारा विशेषाधिकारों के संभावित दुरुपयोग और जनहित की दृष्टि से हानिकारक व्यापारिक व्यवहारों पर निगरानी रखने के लिए इन कम्पनियों के निदेशक मण्डलों में नामनिर्दिष्ट निदेशकों की भूमिका को पुनः निर्धारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी व्यापक रूपरेखा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मार्च 1984 में भारत सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार इन संस्थाओं के नामित निदेशकों को सरकारी नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से निर्धारित दायित्व दिये जाते हैं। इन क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ, कम्पनी का वित्तीय कार्य-निष्पादन संस्थाओं को बकाया रकमों की अदायगी, सरकारी बकाया रकमों की अदायगी प्रबन्धक ग्रुप पर कम्पनी द्वारा किए जाने वाला व्यय, उन सम्बद्ध कम्पनियों में जिनमें प्रवर्तक समूह से काफी शेयर हों, कम्पनी का निवेश और उन्हें ऋण या उनसे ऋण, शेयरों के सभी लेन-देन, संविदाओं की रकम और कच्चे माल, तैयार माल, मशीनरी आदि की संविदाओं की खरीद और बिक्री से सम्बद्ध नीतियां शामिल हैं। नामित निदेशकों से फिजूलखर्ची, अत्यधिक खर्च और धनराशियों को अन्य कामों में लगाए जाने की प्रवृत्तियों को रोकने की सुनिश्चित व्यवस्था करने की भी अपेक्षा की जाती है।

भारत पर्यटन विकास निगम को दिया गया अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार

3219. **श्री सी०के० कुप्पूस्वामी** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 के पर्यटन और होटल उद्योगों के लिए प्रतिष्ठित ग्यारहवें अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जिसे भारत पर्यटन विकास निगम को दिया गया था; इन्टरनेशनल टूरिस्ट रिव्यू 'ओरे वर्डे' और ट्रेड लीडर्स क्लब से मैड्रिड में प्राप्त किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्राप्त किए जाने की आशा है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास नियम को ऐसा कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है और न ही इस सम्बन्ध में उन्हें कोई सूचना मिली है।

कर विवादों को निपटाने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त न्यायाधिकरण

3220. **श्री एन० डेनिस** :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर विवादों को निपटाने के लिए एक उच्च शक्ति न्यायाधिकरण की स्थापना

करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सुझावों और सरकार के प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क की अदायगी से सम्बन्धित सभी मामलों से निपटने के लिए दीर्घकालिक वित्तीय नीति के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अध्यधीन एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करने का सरकार का प्रस्ताव है। प्रत्यक्ष करों के लिए अलग से एक अपीलीय न्यायालय के बनाए जाने का प्रस्ताव भी सरकार के पास विचाराधीन है। इन प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उर्वरकों का आयात

3221. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उर्वरकों के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा का आबंटन किया गया है ;

(ख) उसमें से अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ; और

(ग) उससे उर्वरकों की कितनी मात्रा खरीदी गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) उर्वरकों के आयात के लिए जारी की जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि, मांग, देशी उत्पादन और देश मे उर्वरकों की उपलब्धता में अन्तर के आधार पर विनिश्चित की जाती है। चूंकि भारत, विश्व के दो सबसे बड़े उर्वरकों के आयातकों में से एक है, इस लिए चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों के आयात के लिए जारी की गयी विदेशी मुद्रा की राशि को बताना, हमारे वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान अब तक आयात के लिए 200.81 करोड़ रु० (अदाएगी) के एफ० ओ० वी०/सी० आई० एफ० मूल्य के 15.65 लाख मे० टन के उर्वरकों के लिए संविदा की गई है और उन्हें प्राप्त किया गया है।

पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माताओं को आयकर में रियायत

3222. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फिल्म निर्माण में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माताओं को आयकर में रियायत देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उटता।

(ग) फिल्म निर्माण में निवेश को एक ऐसा क्षेत्र नहीं समझा गया है जिसमें कर में छूट देना न्यायसंगत हो। इसके अलावा, फिल्म निर्माण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर में छूट देना उचित साधन नहीं है।

विदेशों को निर्यात किये जाने वाले गेहूं की गुणवता

3223. **डा० बी०एल० शैलेश** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गेहूं पश्चिमी देशों द्वारा निर्धारित किये गये गुणवता के मानदण्डों के अनुरूप नहीं है विशेष रूप से प्रोटीन की मात्रा के सम्बन्ध है ;

(ख) क्या गत वर्ष सोवियत संघ द्वारा खरीदा गया लगभग 5 लाख टन गेहूं के अस्वीकार कर दिये जाने का मुख्य कारण इसका घटिया किस्म का होना था ;

(ग) क्या भारतीय गेहूं की घटिया किस्म इसके निर्यात में बाधक बन रही है ; और

(घ) यदि हां, तो गेहूं की किस्म में सुधार करने और स्वच्छता को भारतीय गेहूं की विशिष्टता बनाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) निर्यात किए जाने वाले हमारे गेहूं में कोई कमी नहीं होती है। प्रोटीन की मात्रा एक सीमाकारी कारण नहीं है और इसका अधिमान इस तथ्य पर निर्भर करता है कि गेहूं का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है।

(ख) 5 लाख मे० टन के निर्यात की संविदा में से सोवियत संघ को 2.07 लाख मे० टन गेहूं का निर्यात किया गया। निर्यातित भारतीय गेहूं में सोवियत संघ के क्रेता संगठन द्वारा थोड़े कार्नल बंट (नियोवोसिया इंडिका मित्रा) पाये जाने पर चिन्ता प्रकट किये जाने के कारण गेहूं की बाकी मात्रा का लदान रोक देना पड़ा।

(ग) जी नहीं।

(घ) भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक समान विशिष्टियों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम भण्डारों की अधिप्राप्ति करता है। क्रेता की आवश्यकताओं की विशिष्टियों के आधार पर ही भंडार का पता लगाया जाता है और निर्यात किया जाता है।

भारतीय कम्पनियों को विदेशों में संयुक्त उद्यम के रूप माना जाना

3224. **डा० बी० एन० रेड्डी** :
श्री भद्दम श्रीराम मूर्ति :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जियाजी राव काटन मिल्स लिमिटेड, रेमण्ड वूलन मिल्स लिमिटेड, बोम्बे वर्मा ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड और शा वैलेस एन्ड कम्पनी लि० जैसी अनेक कम्पनियों को विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों के रूप में नहीं माना जाता है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कम्पनियों द्वारा इनमें कब से पूंजी निवेश किया जा रहा है और उन्हें संयुक्त उद्यमों के रूप में न मानने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन कम्पनियों को विदेशों में पूंजी निवेश करने की अनुमति दी गई है ; और

(घ) विदेशी कम्पनियों के कार्यकलाप पूंजी निवेशकर्ता भारतीय कम्पनियों के व्यापारिक उद्देश्यों से कहां तक मेल खाते हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (ग) विदेशों में बनी वे कम्पनियां, जिनमें विदेशी सहयोगियों के साथ भारतीय कम्पनियां इक्विटी में सहभागी होती हैं, संयुक्त उद्यमों के बतौर मानी जाती हैं। भारतीय नियंत्रक कम्पनियों के पूर्ण स्वामित्व के अधीन विदेशों में स्थापित कम्पनियों को सहायक कम्पनियां माना जाता है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(घ) संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदित करते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि उनके प्रस्तावित कार्य-कलाप, पिछले अनुभव से सम्बन्धित हैं और सामान्यत: निवेश करने वाली भारतीय कम्पनियों के व्यावसायिक लक्ष्यों के समनुरूप हैं।

विवरण

भारतीय प्रवर्तक कम्पनी का नाम	स्थापित संयुक्त उद्यमों की संख्या	स्थापित सहायक कम्पनियों की संख्या	स्थापित करने की तारीख	जिसके द्वारा स्थापित करने की मंजूरी दी गयी
1. जियाजी राव काटन मिल्स	—	1	1962	प्रारम्भिक मंजूरी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई (मामले पर एफ० ई० आर० ए० के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है)
2. रेमाण्ड वूलन मिल्स	2	3	संयुक्त उद्यम 1) कीनिया—25-3-66	सरकार

भारतीय प्रवर्तक कम्पनी का नाम	स्थापित संयुक्त उद्यमों की संख्या	स्थापित सहायक कम्पनियों की संख्या	स्थापित करने की तारीख	जिसके द्वारा स्थापित करने की मंजूरी दी गई
			2)इंडोनेशिया—19-6-74	सरकार
		सहायक कम्पनियां	1) हांगकांग—21-5-76	सरकार
			2) ब्रिटेन—2-6-80	सरकार
			3) स्विजरलैंड—7-8-81	सरकार
3. बम्बई बर्मा ट्रेडिंग कं०	—	2	1) मल्येशिया—5-10-72 2) हांगकांग—1973	भारतीय रिजर्व बैंक एफ०इ० आर० ऐ० के० प्रख्यापन से पहले स्थापित की गयी। अभी अनुमोदन नहीं किया गया है। मामले पर कार्रवाई की जा रही है।
4. शा वैलेस	1	1	(संयुक्त श्रीलंका—5-4-1977 उद्यम)	सरकार
			(डब्ल्यू ब्रिटेन—4-4-1977 ओ०एस०)	सरकार

मेहर की राशि को आयकर से छूट देना

3225. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुस्लिम समुदाय से संबंधित पति द्वारा तलाक के समय पत्नी को दी गई मेहर की राशि को आयकर से छूट देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में भेदभाव पूर्ण वेतनमान

3226. **डा० सुधीर राय** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन-मान राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू बी०ए०बी०ओ०) के अधीन चल रही पश्चिम बंगाल की 15 मिलों के कर्मचारियों के वेतनमानों से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क और ख) निगमित कार्यालय में और राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू०बी०ए०बी०ओ०) के अधीन मिलों सहित एन०टी०सी० की मिलों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन ढांचे में अन्तर है। ऐसा प्रधान कार्यालय और यूनिटों के कर्मचारियों की भिन्न कार्य मात्रा। दायित्वों और सूती वस्त्र उद्योग व साथ ही क्षेत्र के अन्य उद्योगों में प्रारम्भ से ही चल रही पद्धतियों, प्रचलनों की वजह से है। तथापि, एन०टी०सी० (डब्ल्यू बी० ए० बी० ओ) उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को मद्देनजर रखते हुए अपने कर्मचारियों के वेतनमान संबंधी मामले की जांच कर रहा है।

बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस जारी करना

3227. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1984 मार्च, 1985 की अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रत्येक राज्य में किन-किन स्थानों पर अपनी शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"कम्प्यूटर हार्ड वेयर और साफ्टवेयर" की खेपों पर सीमा शुल्क में छूट

3228. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1985 से देश में आयात किए गए "कम्प्यूटर" हार्डवेयर और साफ्टवेयर की कुछ खेपों पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी खेपों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी ही उन खेपों का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में सीमा शुल्क में छूट देने का अनुरोध किया गया था किन्तु छूट नहीं दी गई थी; और

(घ) पूर्ववर्ती मामलों में छूट दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क से घ) हार्डवेयर/साफ्टवेयर की किस्म पर निर्भर करते हुए, इलैक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा प्रमाणपत्र दिए जाने पर सिफारिश कर दिए जाने पर, कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से सीमाशुल्क से छूट

प्रदान करने वाली अनेक अधिसूचनाएं विद्यमान हैं। इस संबंध में दिनांक 26.3.81 को असिसूचना सं० 71/सी०शु०, दिनांक 19.11.84 की अधिसूचना सं० 281-सी०शु० 19.11.84 की अधिसूचना सं० 282-सी०शु०, दिनांक 17.3.85 की अधिसूचना सं० 68-सी०शु० तथा दिनांक 12.4.85 को अधिसूचना संख्या 122-सी०शु० संगत हैं। सीकाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) के तहत जनवरी, 1985 से ऐसे माल के संबन्ध में छूट दिए जाने संबन्धी आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। देश में आयातित अलग-अलग खेपों के संबन्ध में लिए गए छूट-लाभों के बारे में, अथवा उन छूट प्राप्त दरों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं जिनके सम्बन्ध में विभिन्न पत्तनों पर दावे किए गए और उन दरों को या तो मंजूर किया गया अथवा नामंजूर किया गया।

यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट मामले (मामलों) के बारे में जानकारी चाहते हों तो उसके बारे में सूचना एकत्र करके उनको प्रस्तुत की जा सकती है।

अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के परिवर्तन पर प्रतिबन्ध

3229. **प्रो० मधु दण्डवते :**

श्री बेजावाड़ा पपी रेड्डी :

श्री उत्तम राठौड़ :

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कराने पर लगाए गए प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में सरकार के आदेश का पाठ क्या है;

(ख) यह आदेश किन परिस्थितियों में जारी किया गया था; और

(ग) कितनी कम्पनियों ने परिवर्तन की यह सुविधा उपलब्ध कराई थी और इस निर्णय का कितने डिबेंचर धारकों पर प्रभाव पड़ा है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अपरिवर्तनीय ऋण-पत्रों के परिवर्तन और आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण-पत्रों के अपरिवर्तनीय भाग के बारे में सभी अटकल-बाजियों को समाप्त करने के प्रयोजन से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब से बाद में ऐसे परि-वर्तनों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरे शब्दों में, अपरिवर्तनीय ऋण-पत्रों तथा आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण-पत्रों के अपरिवर्तनीय भाग निर्गम की स्वीकृति की मूल शर्तों के अनुसार ही रहेंगे।

(ख) उक्त निर्णय अत्यधिक अटकलबाजियों को ध्यान में रखते हुए किया गया। ये अट-कलबाजियां मुख्यतः इन आशाओं पर आधारित थी कि कुछ-एक अपरिवर्तनीय निर्गमों को भविष्य में परिवर्तित करने की अनुमति दे दी जाएगी।

(ग) दो कम्पनियों ने अरिवर्तनीय ऋण-पत्रों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। सरकार को इस

बात की कोई जानकारी नहीं है कि उक्त निर्णय से कितने ऋण-पत्र धारक प्रभावित हुए हैं क्योंकि कम्पनियों के लिए अपने पूंजी निर्गमों के आवेदन-पत्रों में ऋण-पत्र धारकों की संख्या बताना अपेक्षित नहीं है।

कम्पनियों द्वारा जारी किए गये इक्विटी शेयरों पर प्रीमियम

3230. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान कम्पनियों द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों के सम्बन्ध में प्रीमियम का निर्धारण करने के लिए वर्तमान मार्गनिर्देशों को उदार बनाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में अपनाए गए मार्गनिर्देशों तथा फार्मूले के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहक सेवा केन्द्र

3231. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश भर में राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहक सेवा केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क से ग) दिल्ली और सभी राज्यों की राजधानियों में पहले से ही ग्राहक सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि शाखा, अंचल, क्षेत्रीय और प्रधान कार्यालय स्तरों पर शिकायत कक्ष स्थापित किए जाएं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक शाखा के लिए एक शिकायत/सुझाव पेटी रखना आवश्यक है। विभिन्न स्तरों पर ग्राहकों की शिकायतों के निपटान पर निरन्तर निगरानी की भी व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

पश्चिमी देशों को किए जा रहे निर्यातों से आय

3232. **श्री लोडे रमैया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार यद्यपि भारत पश्चिमी देशों को अधिक निर्यात कर रहा है, तथापि उससे वर्ष 1950 से वर्ष 1960 के मध्य हुई आय की तुलना में कम आय हो रही है; जैसा कि 17 जून, 1986 के 'पैट्रियाट' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क और ख) प्रश्न में निर्दिष्ट अध्ययन, भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी द्वारा किया गया था और यह रिजर्व बैंक के विचारों को अनिवार्यता प्रतिपादित नहीं करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित अनुसार यूनिट मूल्य सूचक के सरकारी आंकड़े केवल विश्व में भारत के सकल निर्यातों के लिए ही उपलब्ध हैं : 1955, 1965, 1975 और 1980 के लिए यूनिट मूल्य आंकड़े निम्नोक्त अनुसार हैं :

वर्ष	यूनिट सूचक मूल्य
1955	30
1965	34
1975	100
1980	119

(स्रोत : संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष पुस्तक, 1982)

(ग) हमारी निर्यात आय को बढ़ाने के विचार से अभी हाल ही में विभिन्न संवर्धनात्मक उपाय किए गए हैं। इनमें हमारे उत्पादन आधार का विविधीकरण, हमारे उत्पादन साधन का आधुनिकीकरण, संस्थागत सहायता बढ़ाना, उच्चतर मूल्य वसूल करने के लिए वस्तुओं को संसाधित करना, हमारी औद्योगिक नीतियों का रूपान्तरण और उनमें आवधिक संशोधन तथा निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन देना शामिल है।

केरल में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा बांटा गया ऋण

3233. **श्री के० मोहन दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित कुल ऋण में केरल का हिस्सा कितना था;

(ख) क्या यह सत्य है कि यह हिस्सा काफी कम है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क से ग) दिसम्बर 1983, दिसम्बर 1984, और दिसम्बर, 1985 के अन्त में केरल राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों की राशि क्रमशः 1147 करोड़ रुपए, 1431 करोड़ रुपए और 1630 करोड़ रुपए थी। जबकि समूचे देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तदनुरूप अग्रिमों की राशि 36791 करोड़ रुपए 43990 करोड़ और 49902 करोड़ रुपए थी।

गत तीन वर्षों के दौरान केरल और अखिल भारत में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक यूनिट ट्रस्ट, भारतीय साधारण बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, राज्य वित्तीय निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

केरल (करोड़ रुपए)

अप्रैल-मार्च	स्वीकृतियां	संवितरण
1982-83	77.94	64.23
1983-84	79.03	66.05
1984-85	155.40	98.24
अखिल भारत		
1982-83	3183.90	2358.33
1983-84	4043.78	2893.26
1984-85	5624.35	3408.28

केरल राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई सहायता में वृद्धि हो रही है।

राज सहायता प्राप्त आयातों से घरेलू उद्योगों को संरक्षण

3234. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजसहायता प्राप्त आयातों से उत्पन्न होने वाली प्रतियोगिता से संरक्षण हेतु घरेलू उद्योगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी अपनी नीति की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) आर्थिक सहायता प्राप्त आयातों के सम्बन्ध में कोई भी याचिका प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, हमें कतिपय उत्पादों की डम्पिंग का आरोप लगाने वाली कुछ याचिकायें प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है।

विदेशी धन की स्वैच्छिक प्रकटन योजना

3235. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी धन के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए कोई योजना आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अप्रकट विदेशी धन के सम्बन्ध में सरकार का क्या अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार के पास गुप्त विदेशी धन के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

स्वर्ण शोधक कारखाने

3236. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने स्वर्ण शोधक कारखाने काम कर रहे हैं तथा यह किन-किन स्थानों पर हैं ;

(ख) प्रत्येक कारखाने में प्रतिवर्ष कितना सोना साफ किया जाता है ;

(ग) क्या अहमदाबाद में भी स्वर्ण शोधक कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है तथा उक्त कारखाने के कब तक स्थापित किए जाने और कार्य आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) देश में केवल एक लाइसेंस प्राप्त स्वर्ण शोधक कारखाना है। यह भारत सरकार टकसाल, बम्बई में स्थित है।

(ख) लगभग 18,000 किलोग्राम प्रति वर्ष।

(ग) और (घ) अहमदाबाद में स्वर्ण शोधन कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं

है। तथापित, अहमदाबाद में एक स्वर्ण संग्रहण-एवं-वितरण केन्द्र कार्य कर रहा है।

खली का निर्यात

3237. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खली के निर्यात में गिरावट आई है और मिलों के पास खली का स्टाक जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान निर्यात की गई खली का मूल्य क्या है और इसमें गिरावट आने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विदेशों में भारतीय खली की बहुत मांग है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 के दौरान खली के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान तेल रहित चावल भूसी सहित तेल रहित खली के भारतीय निर्यात का मूल्य संकलित अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, क्रमश: 180 करोड़ रु०, 152 करोड़ रु० तथा 155 करोड़ रु० आंका गया है। निर्यात में गिरावट के मुख्य कारण हैं: तेल रहित खली के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मन्दी और प्रमुख आयातक देशों द्वारा प्रवर्तित सख्त क्वालिटी नियंत्रण विनियमन। तथापि, चालू वर्ष के दौरान निर्यातों में सुधार दिखाई दे रहा है।

(घ) सरकार ने तेल रहित खली के निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए हैं। इनमें विलायक निस्सारित तेल खाद्यों के निर्यातों पर नकद मुआवजा सहायता प्रदान करना भी शामिल है। 1986-87 के दौरान तेल रहित खली का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण पर निर्भर करेगा।

"प्रोफार्मा क्रेडिट" पाने वाली टैरिफ मदों के लिए राहत

3238. **श्री आनंद पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ के अध्याय 37 के अन्तर्गत न आने वाली ऐसी कौन-कौन-सी मदें हैं जिनको इस समय 'प्रोफार्मा क्रेडिट" को सुविधा प्राप्त हो रही है और जो उन्हें संशोधित टैरिफ शीर्षकों के अन्तर्गत मिलने वाली सीमा तक राहत मिलती रहेगी ;

(ख) क्या पुराने टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली मदों को जो "प्रोफार्मा क्रेडिट" को सुविधा प्राप्त करने की हकदार थी, को राहत मिलती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जो मदें माडवेट योजना से बाहर

है किन्तु खाता जमा योजना के अन्तर्गत आती हैं, उनका विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) पुरानी टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाली मदों के बारे में, खाता जमा सुविधाएं मिलती रहेंगी किन्तु शर्त यह है कि निविष्टियां और उत्पाद दोनों ही पूर्ववर्ती टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आते हों। लेकिन शुल्क लगने योग्य किसी माल में इस्तेमाल किए जाने वाली सभी निविष्टियों पर, जो टैरिफ मद संख्या 68 के अन्तर्गत आती हैं, अदा किए गए शुल्क को खाता-जमा योजना समाप्त कर दी गई है क्योंकि नए टैरिफ के अन्तर्गत आने वाले शीर्षों के साथ ऐसी सभी निविष्टियों की पहचान करना सम्भव नहीं है।

विवरण

उन मदों की सूची जो माडवेट योजना से बाहर हैं किन्तु खाता-जमा योजना के अन्तर्गत हैं

क्रम सं०	विवरण
1.	वनस्पति उत्पाद।
2.	परिष्कृत डीजल तेल।
3.	पुराने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ को टैरिफ मद सं० 16-ख के अधीन आने वाली लकड़ी और लकड़ी की वस्तुएं।
4.	पुराने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ को मद सं० 17 के अधीन आने वाले कागज और गत्ते और उनकी वस्तुएं।
5.	सभी प्रकार का कपास का ट्विस्ट सूत और धागा।
6.	ऊनी सूत।
7.	सूती फैब्रिक।
8.	कृत्रिम फैब्रिक, जो पुराने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ को मद संख्या 22 के अन्तर्गत हैं।
9.	एस्बेस्टोस सीमेंट उत्पाद।
10.	जूते।
11.	जूट विनिर्मितियां।
12.	सभी प्रकार के जूट का ट्विस्ट, सूत, धागे, रस्सियां और ट्वाइन।
13.	कंफैक्शनरी और चाकलेट।
14.	तैयार किए गए या परिरक्षित खाद्य।

क्रम सं० विवरण

15. ग्लुकोस और डैक्सट्रोज और उनकी निर्मितियां।

16. स्नेहक तेल, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची की मद संख्या 11-क के अन्तर्गत हैं।

17. निस्पप्त पैट्रोलियम कोक।

18. खनिज फाइबर और सूत तथा उनकी विनिर्मितियां।

19. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची की मद संख्या 68 के अन्तर्गत माल।

20. ग्लिसरीन।

21. ऊन चूड़ा और धोलित क्लोम पूनी जिनमें, दोनों दशाओं में कुल फाइबर अन्तर्वस्तु के आधार पर परिकलित ऊन भार के अनुसार पचास प्रतिशत से अधिक है।

22. सूती फैब्रिक, जो सेलुलोसी व्युत्पादों को या अन्य कृत्रिम प्लास्टिक की निर्मितियों से संसेचित, लेपित या पटलित है और जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।

23. नायलोन का सूत, जो पूर्णतः या भागतः आयात किए गए सचन पाउडर से विनिर्मित है और जो मछली पकड़ने के जालों और पैराशूट की रस्सियों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए अभिप्रेत है।

24. संगमरमर।

25. स्टार्च।

सोवियत संघ से वस्त्र मशीनरी की खरीद

3239. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से वस्त्र निर्माण मशीनरी और उपकरणों की नियमित खरीद का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है क्योंकि इस समय भारत का सोवियत बाजार से आयात मुख्यतः तेल और कुछ औद्योगिक वस्तुओं तक ही सीमित है ;

(ख) क्या सोवियत संघ ने भी उसके बाजार से अन्य वस्तुओं की खरीद में अपनी रुचि दिखाई है जिसमें कि पूर्णतः तेल पर निर्भरता के व्यापार को रोका जाए ; और

(ग) क्या किसी शिष्टमंडल ने इस सम्बन्ध में सोवियत संघ का दौरा किया और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई समझौता हुआ है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (ग) भारत तथा सोवियत संघ की दोनों सरकारें कुछ मदों पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए व्यापार ढांचे में विविधता लाने

की आवश्यकता से अवगत है। सोवियत संघ से भारत को निर्यातित मदों की शृंखला में शामिल हैं : उर्वरक, अलौह धातुएं, रसायन, कच्चा तेल तथा तेल उत्पादों आदि तथा अनेक पूंजीगत माल तथा वस्त्र मशीनरी सहित मशीनरी मदें। भारतीय वस्त्र उद्योग सोवियत संघ से ही वस्त्र मशीनरी आयात करता है। इन आयातों को और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं जोकि भारतीय परिस्थितियों के सम्बन्ध में सोवियत मशीनरी की हमारी आवश्यकताओं तथा उपयुक्तता पर निर्भर करते हैं। सोवियत संघ से किए जाने वाले आयातों की सूची में तरल अमोनिया, अपरिष्कृत ऊन आदि जैसी नई मदों को भी शामिल किया जा रहा है। व्यापार बढ़ाने के लिए उपाय तैयार करने के लिए दोनों देशों के बीच कई प्रतिनिधि मंडलों ने दौरा किया है। इस सम्बन्ध में दिए गए सुझावों की दोनों ओर से निरन्तर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

जिला गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित यूनियन बैंक आफ इण्डिया का ऋण—जमा अनुपात

3240. **श्री जैनुल बशर :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के यूनियन बैंक आफ इण्डिया के पिछले तीन वर्ष के ऋण-जमा अनुपात का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) बैंक द्वारा उक्त अवधि के दौरान दी गई कुल वित्तीय सहायता/ऋण का कितना प्रतिशत कमजोर वर्गों और प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यूनियन बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में बैंक का ऋण—जमा अनुपात दिसम्बर 1983, दिसम्बर 1984 और दिसम्बर 1985 के अन्त में क्रमशः 33.8 प्रतिशत, 36.2 प्रतिशत और 36.6 प्रतिशत था।

(ख) पिछले तीन वर्षों में गाजीपुर जिले में यूनियन बैंक आफ इण्डिया के कुल अग्रिमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों और कमजोर वर्गों के अग्रिमों की प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

कुल अग्रिमों में प्रतिशतता

वर्ष	कमजोर वर्गों के अग्रिम	प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम
दिसम्बर, 1983	32.8	81.9
दिसम्बर, 1984	29.3	85.9
दिसम्बर, 1985	48.0	87.4

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अन्तर-शाखा खातों से सम्बद्ध बकाया राशि

3241. **डा० ए० के० पटेल :**

श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अन्तर-शाखा खातों से सम्बद्ध पुरानी बकाया राशि की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या अन्तर-शाखा लेन-देन का निपटान न करने से धोखाधड़ी की सम्भावनाएं बढ़ती हैं ;

(ग) एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत इस बकाया को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(घ) भविष्य में इस तरह का बकाया एकत्रित न होने देने के लिए प्रक्रिया और व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए गए हैं ; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि की धोखाधड़ी हुई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 1985 को सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में वर्ष 1984 तक की अवधि से सम्बन्धित अन्तर-शाखा समाधान खातों में 1,99,879.24 करोड़ रुपए की 260.52 लाख प्रविष्टियां बकाया थीं ।

(ख) अन्तर-शाखा लेन-देनों का समाधान न होना एक ऐसा क्षेत्र है जिसके कारण धोखाधड़ियों की सम्भावनाएं बढ़ती हैं ।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार समय-समय पर बैंकों से इस क्षेत्र के काम को अद्यतन करने के लिए कारगर और निरन्तर प्रयास करने पर तथा एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत बकाया प्रविष्टियों का समाधान किए करने पर जोर देते रहते हैं । बैंकों द्वारा पुराना बकाया प्रविष्टियों का समाशोधन जाने के काम की प्रगति पर भारतीय रिजर्व बैंक बराबर नजर रखता है । यदि यह प्रगति सुस्त पाई जाए, तो इस मामले को बैंकों के साथ उच्च स्तर पर उठाया जाता है । बैंक इस समस्या पर गौर कर रहे हैं और इस क्षेत्र में सुधार करने के लिए उन्होंने कई उपाय शुरू भी किए हैं । भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी अक्तूबर 1985 में सभी बैंकों से लेखा समाधान आंतरिक कार्य सहित अपने परिचालनों के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कार्य योचना बनाने के लिए कहा था ।

बैंकिंग उद्योग में अन्तर-शाखा खातों के समाधान की समस्या पर विचार करने और इस काम के कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में गठित उप-

समिति ने यह महसूस किया है कि प्रत्येक बैंक को अपनी प्रक्रिया की कठिनाईयों को पूरा करने के लिए और उनमें आवश्यकतानुसार उचित समाधान करने के लिए प्रणालियों का अध्ययन करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस उप समिति की सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी वाणिज्यिक बैंकों को भेज दी हैं। प्रायः सभी बैंकों में उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अधिकांश बैंकों में अन्तर-शाखा खातों के समाधान से सम्बद्ध काम का कम्प्यूटरीकरण कर लिया गया है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, गत 3 वर्षों में देश के अन्दर तथा देश के बाहर सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हुई धोखाधड़ियों में, चाहे वारदात की तारीख कोई भी हो अन्तर्ग्रस्त राशि से सम्बद्ध सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	अन्तर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपए)
1983	30.20
1984	45.75
1985	114.63

पर्यटन के विकास के लिए उड़ीसा को सहायता

3242. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में स्वदेशी और विदेशी पर्यटन के विकास की भारी क्षमता मौजूद है ;

(ख) क्या उड़ीसा पर्यटन को एक उद्योग घोषित करने वाला पहला राज्य है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस भारी क्षमता का उपयोग करने के लिए समुचित सहायता प्रदान की है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त राज्य सरकार को दी गई वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता तथा भविष्य में दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा राज्य सरकार "होटल" को एक उद्योग के रूप में घोषित करने वाला पहला राज्य है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पिछले तीन वर्षों यथा, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता दी है :—

		(लाख रुपयों में) मन्जूर की गई राशि	रिलीज की गई राशि
1.	चिल्का झील के लिए नौकाओं की खरीद	2.00	1.80
2.	चिल्का झील के लिए मास्टर प्लान	8.25	2.00
3.	कोर्णाक स्थित सूर्य मन्दिर के नजदीक टायलेट ब्लाक का निर्माण	3.49	2.61
4.	भुवनेश्वर स्थित नन्दन कानन चिड़ियाघर के लिए पैडल नौकाओं की खरीद	1.50	1.35
5.	चिल्का झील नौका त्यौहार	2.14	2.14
6.	चिल्का झील के लिए क्रूज नौका	3.97	3.54
7.	वन गृह, सिमलीपाल	36.76	20.80
8.	लायन सफारी पार्क, नन्दन कानन	21.01	1.50
9.	सतपदा में यात्री निवास	26.50	5.00
10.	सिमलीपाल में परिवहन सुविधाएं	4.04	3.64
11.	खण्डगिरी उदयगिरी में प्रकाश पुंज व्यवस्था	8.10	7.29
12.	भुवनेश्वर और कोर्णाक में टायलेट और पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था	3.00	2.00

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कार्यान्वित)

हथकरघा निर्यातकों को दिए गए प्रोत्साहनों का दुरुपयोग

3243. **श्री सी० सम्बु** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हथकरघा वस्त्रों के निर्यातकों दिए गए प्रोत्साहन उत्पादन स्तर पर बुनकरों । मास्टर बुनकरों तक नहीं पहुंच रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन प्रोत्साहनों को हथकरघा वस्त्र के निर्यात में लगे बिचौलियों द्वारा हड़प लिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो हथकरघा बुनकरों और मास्टर बुनकरों की शिकायतों को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) करों के भार और अन्य हानियों को पूरा करने के लिए निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन जैसे नकद मुआवजा सहायता, शुल्क वापसी आदि दिए जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक ऋण

3244. **श्री जी०एम० बनातवाला** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण दिए जाने को प्रोत्साहन देने के उददेश्य से बैंकों को इन्हें दिए जाने वाले ऋणों पर निगरानी रखने के लिए कोई अनुदेश जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये अनुदेश कब जारी किए गए और इनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन अनुदेशों के अन्तर्गत कौन-कौन से अल्पसंख्यक समुदाय शामिल हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने ने जुलाई 1983 में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को 20 सूत्री कार्यक्रम सहित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को दी जाने वाली सहायता के प्रवाह पर नजर रखने के लिए निर्देश जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण देने के प्रवाह पर निगरानी रखने के लिए दिनांक 24-7-1986 को बैंकों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं :—

1. इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक बैंक में एक विशेष कक्ष स्थापित किया जाये।

2. अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण देने के प्रवाह को सरल बनाने के लिए उठाए गए कदमों तथा इसमें हुई प्रगति की जिला परामर्शदात्री समिति और राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठकों में नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।

3. जहां अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या अधिक हो, वहां सरकार के विभिन्न गरीबी हटाओं कार्यक्रमों का और विशेषकर चुने हुए 50 जिलों में जहां अल्पसंख्यक समुदाय की अधिक जनसंख्या है, खूब प्रचार किया जाना चाहिए।

4. इन 40 जिलों में प्रत्येक अग्रणी बैंक का एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो विशेष रूप से अल्पसंख्य समुदायों को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह से सम्बन्धित शिकायतों को निपटा सके। उस अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह बैंक ऋण के विभिन्न कार्यक्रमों को अल्पसंख्यक समुदायों के बीच प्रचारित करे तथा शाखा प्रबन्धकों के सहयोग से उनके लाभ के लिए सपयुक्त योजनाएं भी तैयार करे।

(ग) भारत सरकार के दिनांक 19 जुलाई, 1983 के निर्देशों के क्रम में दिनांक 18 जनवरी, 1984 के परिपत्र के माध्यम से बैंकों से यह कहा गया है कि मुसलमानों ईसाइयों, नव बौद्धों, सिखों और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदाय की परिभाषा में शामिल किया जाए।

चाय कम्पनियों से करों की वसूली

3245. **श्री मुहीराम सेकिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम की चाय बागानों की चाय कम्पनियों के कितने मुख्यालय असम में स्थित हैं और कितने मुख्यालय असम से बाहर हैं ; और

(ख) इन कम्पनियों से इनके मुख्यालयों में नियुक्त व्यक्तियों के वेतन पर करों सहित कम्पनी कर के अतिरिक्त आयकर के रूप में कितनी राशि वसूल की गई है अथवा निर्धारित किये गए आयकर की राशि क्या है और इस राजस्व में से कितना भाग असम को प्राप्त होता है और कितना अन्य राज्यों को प्राप्त होता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) असम में स्थित चाय के बागानों और मुख्यालयों वाली चाय की कम्पनियों की संख्या 146 है। ऐसी चाय कम्पनियों की संख्या 104 है जिनके मुख्यालय असम से बाहर स्थित हैं।

(ख) इन कम्पनियों से वसूल किए गए या निर्धारित किए गए निगमित करके अलावा आयकर की राशि और इनके मुख्य कार्यालयों में नियुक्त व्यक्तियों के वेतनों पर करों की राशि 29,17,000 रुपए है। असम राज्य और अन्य राज्यों के राजस्व सम्बन्धी आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं क्योंकि एक सामान्य विभाज्य पूल रखा जाता है।

लिप्टन द्वारा चाय के निर्यात मूल्य कम दिखाया जाना

3246. **डा० जी विजयरामाराव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 1986 के 'इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि लिप्टन द्वारा ईरान को निर्यात की गई चाय के निर्यात मूल्य कम दिखाने के परिणामस्वरूप 15 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। उठाए जाने का विचार है ; और

(घ) क्या कुछ अन्य गैर सरकारी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों। भारतीय कम्पनियों द्वारा निर्यात का अन्य मदों के मूल्य कम दिखाने के कारण देश को इस प्रकार का ही घाटा हुआ है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (ग) चाय बोर्ड के निमंत्रण पर ईरान के एक प्रतिनिधिमण्डल ने जून-जुलाई, 1986 के दौरान भारत का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान प्रतिनिधिमण्डल ने विभिन्न निर्यातकों से मुलाकात की और बल्क तथा डिब्बा बन्द चाय की खरीद के लिए उनसे सीधे बातचीत की।

चाय (निर्यात लाइसेंसिंग का विनियमन) आदेश, 1984 के उपबन्धों के अन्तर्गत बल्क चाय के निर्यात के लिए संविदाएं ऐसी संविदाओं की तारीख से 11 दिन की अवधि के भीतर चाय बोर्ड में

पंजीकृत होनी आवश्यक हैं। जहां तक डिब्बा बन्द चायों का सम्बन्ध है, निर्यातकों को चाय बोर्ड से पोतलदान लाइसेंस प्राप्त करने आवश्यक हैं। लिप्टन इण्डिया लि० से चाय (निर्यात लाइसेंसिंग का विनियमन) आदेश, 1984 के उपबन्धों के अन्तर्गत संविदाओं के पंजीकरण अथवा डिब्बा बन्द चाय के निर्यात हेतु पोतलदान लाइसेंसों के सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। चाय के निर्यात के लिए कोई न्यूनतम निर्यात कीमतें नहीं हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

काफी का उत्पादन और निर्यात

3247. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान काफी का कितना उत्पादन हुआ है,

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान काफी का उत्पादन कम होने के जैसा कि 10 जुलाई 1986 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है, क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में काफी के निर्यात से प्रति वर्ष कितनी आय प्राप्त हुई और कितना निर्यात की गई;

(घ) क्या अनुसंधान और विकास प्रयासों के परिणामस्वरूप काफी का उत्पादन बढ़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) 1984-85 और 1985-86 मौसमों के दौरान काफी का उत्पादन निम्नोक्त प्रकार है :—

मौसम (जुलाई-जून)	उत्पादन मे० टन में
1984-85*	195800
1985-86*	120000

*अनन्तिम

(ख) 1985-86 के दौरान उत्पादन में गिरावट का कारण काफी का द्विवर्षी स्वभाव है, जिसमें भरपूर उत्पादन मौसम के बाद कम उत्पादन का मौसम आता है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान काफी के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :—

वर्ष	मात्रा (मे० टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1983-84	71179	175.05
1984-85	68896	209.69
1985-86	99298	274.98

(घ) और (ङ) साधारणतया विभिन्न अनुसंधान एवं विकास प्रयासों जैसे उच्च उत्पादकता, चयन का प्रयोग, हानिकारक कीटों और रोगों का प्रभावकारी नियन्त्रण और अनुकूलतम उर्वरक व्यवस्था आदि के कारण काफी उत्पादकता में आंशिक रूप से ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति रही है।

सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा लन्दन में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उम्मीदवारों का चयन

3248. **डा० पी० वल्लभ पेद्दमान :**

श्री आर० एम० भोये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा (लन्दन ब्रिटेन) में विदेशी सहयोग पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कुल कितने उम्मीदवारों को भेजे जाने का प्रस्ताव है और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भेजने के लिए हाल में जिन उम्मीदवारों को चुना गया है उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के चुने गए उम्मीदवारों की संख्या क्या है और यदि इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार नहीं चुना गया है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या शैक्षिक अर्हता में छूट दिए जाने के सम्बन्ध में आल इंडिया सेंट्रल बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ की मांग स्वीकार कर ली गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने बताया है कि उसका लन्दन (ब्रिटेन) में विदेशी सहयोग पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 6 अधिकारियों को भेजने का विचार है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बैंक के अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग में आधुनिक सिद्धान्तों की जानकारी देकर बैंक में एक ऐसा संवर्ग तैयार करना है जो पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा वाली अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार शाखाओं में सफलतापूर्ण कार्य कर सकें।

(ख) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए हाल की चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई भी उम्मीदवार नहीं चुना गया क्योंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के

दो पात्र उम्मीदवारों में से कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया ।

(ग) बैंक ने यह भी बताया है कि शैक्षिक अर्हताओं में छूट अर्थात सी० ए० आई० आई० बी० पार्ट-II की अपेक्षा को घटा कर सी०ए०आई०आई०बी० पार्ट-I करने के सम्बन्ध में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ की मांग को बैंक ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया था क्योंकि विदेशी मुद्रा का विषय सी०ए०आई०आई०बी० पार्ट-II के अन्तर्गत आता है और लन्दन भेजे जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें विदेशी मुद्रा के बारे में अच्छी जानकारी हो ।

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारतीय जूतों की मांग

3249. **श्री हरि हर सोरन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जूतों की आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बहुत मांग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन देशों को जूतों का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई प्रयास किए गए हैं तो वे क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (ग) आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारतीय फुटवीयर की मांग बहुत ज्यादा नहीं रही है। चमड़ा निर्यात परिषद, मद्रास ने मई, 1986 में आस्ट्रेलिया में एक क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया और जुन-जुलाई, 1986 में आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एक बिक्री-सह-अध्ययन दल भी प्रायोजित किया ताकि इन बाजारों को चमड़ा फुटवीयर सहित चमड़ा और चमड़ा उत्पादों की बिक्री संवर्धन किया जा सके ।

रक्षा क्षेत्र में चीन-अमरीका सहयोग

3250. **श्री के० वी० शंकर गौड़ा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों को देखा है कि चीन और अमरीका के वरिष्ठ सेना अधिकारियों ने संयुक्त सैनिक अभ्यास की सम्भावनाओं सहित हथियार और प्रशिक्षण सहयोग पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने समाचार पत्रों के प्रकाशित इन तथ्यों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क से ग) जी, हां। चीन अपनी सुरक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए अपने कार्यक्रम के अंग के रूप में अमरीका से सुरक्षा उपकरण प्राप्त कर रहा है। सरकार चीन-अमरीका सुरक्षा सहयोग से सम्बन्धित घटनाओं पर बराबर

निकट की निगाह रख रही है ताकि हमारे पड़ोस के सुरक्षा वातावरण पर पड़ने वाले इसके सम्भावित प्रभावों का जायजा लिया जा सके ।

प्राकृतिक रेशम उत्पादों का आयात

3251. **श्री के० एस० राव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राकृतिक रेशम के निर्यातकों को उत्पादन-शुल्क में छूट सहित अग्रिम लाइसेंस दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ निर्यातक तथाकथित लचीले प्रावधानों के अन्तर्गत 1983-1984 और 1984-85 की आयात नीति के विभिन्न अन्य उपबन्धों के अधीन कच्चे रेशम का आयात कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसे संशोधित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी हां ।

(ख) शुल्क छूट योजना (अग्रिम लाइसेंसिंग योजना) के अन्तर्गत आयातों की अनुमति निर्यात हेतु माल के विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए होती है ।

(ग) आयात-निर्यात नीति 1983-84 तथा 1984-85 में कच्चे रेशम के आयात की अनुमति आर०ई०पी० लाइसेन्सों के लचीले प्रावधानों तथा व्यापार-सदनों को जारी किए गए अतिरिक्त लाइसेन्सों के आधार पर कुछ सीमाओं तक दी गई थी ।

(घ) आयात-निर्यात नीति 1985-88 में आर० ई० पी० लाइसेन्सों के लचीले प्रावधानों के आधार पर कच्चे रेशम के आयातों की अनुमति नहीं हैं ।

हिन्दमहासागर को शांति क्षेत्र मामले के सम्बन्ध में चर्चा

3252. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दमहासागर को शांति क्षेत्र बताए जाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में चर्चा करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में चर्चा करने के लिए उठाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए थे; और

(ग) इस तरह के मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में कब तक चर्चा किए जाने की आशा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां । इस प्रस्ताव

पर विचार-विमर्श करने के लिए संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति के इस वर्ष दो अधिवेशन हुए।

(ख) सरकार इस प्रस्ताव का समर्थन, 1971 के मूल प्रस्ताव 28/32 के समय से करती चली आ रही है, जिसमें हिन्दमहासागर को शांति-क्षेत्र बनाए जाने की अपील की गई थी।

(ग) संयुक्त राष्ट्र महासभा के 41वें में अधिवेशन में विचारार्थ तदर्थ समिति ने अब आम राय से एक प्रारूप प्रस्ताव स्वीकार किया है। इसमें तदर्थ समिति से यह अनुरोध किया गया गया है कि वह सम्मेलन से सम्बद्ध प्रारम्भिक कार्य 1987 में पूरा कर ले ताकि सम्मेलन का आयोजन अधिक-से-अधिक 1988 के अन्त तक किया जा सके।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी के मामले

3253. **श्री गुरुदासकामत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों में शामिल राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का स्वरूप क्या है;

(ग) उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें कार्यवाही की जानी है और इन मामलों में कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(घ) क्या इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त राशि को वसूल कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो वह राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क और ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1984, 1985 और 1986 के वर्षों (31.3.86 तक) में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त बैंक कर्मचारियों की कुल संख्या और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा इस प्रकार है—

	1983	1985	1986 (31.3.86 तक)
(1) धोखाधड़ी के आरोप में दोष सिद्ध कर्मचारियों की संख्या	32	30	5
(2) उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें बड़े/छोटे दण्ड दिए गए	481	686	105

	1984	1985	1986 (31-3-86 तक)
(3) (उपर्युक्त) (2) में से उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें पदच्युत किया गया सेवामुक्त किया गया/हटाया गया	221	236	66
(4) उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध न्यायालय में मामला लंबित है	525	335	345
(5) उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई लंबित है	1318	717	653

(ग से ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से लंबित मामलों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त रकम तथा वसूल की गई रकम के सम्बन्ध में सूचना नहीं मिलती ।

राज्यों के ओवरड्राफ्ट

3254. **श्री मुल्लादुपल्ली रामचन्द्रन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने 31 मार्च, 1986 तक भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट लिए हुए थे;

(ख) उनमें से प्रत्येक की ओर कितनी राशि बकाया है; और

(ग) क्या 30 जून, 1986 को किसी राज्य की ओर भारतीय रिजर्व बैंक का ओवरड्राफ्ट था; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) 31 मार्च, 1986 को किसी भी राज्य द्वारा ओवरड्राफ्ट नहीं था । संघ राज्य क्षेत्रों के लेखे भारत की समेकित निधि का अंग होते हैं और वे भारतीय रिजर्व बैंक में अलग से खाता नहीं रखते ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 30 जून, 1986 को किसी भी राज्य का ओवरड्राफ्ट नहीं था ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

पी-एम्प्लीम पर उत्पादन शुल्क

3255. **श्री जनक राज गुप्त :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत डी०एम०टी० के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली पी-एम्सिलीन को उत्पाद शुल्क और प्रतिकारी उत्पाद शुल्क से मुक्त किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप डी०एम०टी० के मूल्य में कितनी कमी हुई है, और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि स्थानीय निर्माताओं द्वारा डी०एम०टी० के मूल्यों में इसी अनुपात में कमी की जाए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) डी० एम० टी० के निर्माण के के लिए कारखाने में ही प्रयोग की गई पैरक्सोलीन को दिनांक 2.4.86 से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट दे दी गई है । डी० एम० टी० के निर्माण के लिए आयात की गई पैरक्सीलीन को भी दिनांक 16.3.86 से अतिरिक्त सीमाशुल्क (प्रतिसंतुलनकारी शुल्क) से छूट दे दी गई है ।

(ख और ग) उपर्युक्त छूटें मोटे तौर पर पहले ही से उपलब्ध छूट को जारी रखती हैं । इसके अलावा, किसी उत्पाद का मूल्य, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और सीमा-शुल्क के कर भार के अलावा मांग और पूर्ति जैसे अनेक अन्य कारणों पर निर्भर करता है ।

असम में भारतीय पटसन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

3256. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम में भारतीय पटसन निगम का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को भारतीय पटसन निगम की असम यूनिट से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जूट कार्पोरेशन आफ इंडिया, असम इम्प्लाइज यूनियन द्वारा इस आशय का एक अभ्यावेदन असम सरकार को दिया गया था जो केन्द्रीय सरकार को भेज दिया गया है ।

(ग) असम में भारतीय पटसन निगम के तीन क्षेत्रीय कार्यालय गोहाटी, धूब्री और नवगांव में स्थित हैं । जूट एवं मेस्टा उत्पादक राज्यों में भारतीय पटसन निगम का कोई कार्यालय नहीं है, अत: असम में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

राजधानी में काफी हाउसों को हानियां

3257. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में काफी हाउस घाटे में चल रहे हैं यदि हां, तो तत्संबंधी

ब्यौरा क्या है;

(ख) घाटे में चल रहे काफी हाउसों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटे के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का इन काफी हाउसों को अपने हाथ में लेने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क से घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

काफी बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे काफी हाउस काफी संवर्धन तथा साथ ही कीमत नियन्त्रण के लिए आरम्भ किए गए थे न कि वाणिज्यिक उद्यमों के रूप में। देश में विभिन्न काफी हाउसों के सम्बन्ध में 1984-85 में प्राप्तियों की तुलना में खर्च की अधिकत निम्नोक्त प्रकार थी।

क्र० सं०	एकक का नाम	1984-85 में प्राप्तियों की तुलना में निवल खर्च (लाख रु० में)
1.	इण्डिया काफी हाउस, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल	1.13
2.	इण्डिया काफी रूम, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली।	0.75
3.	इण्डिया काफी हाउस, सुपर बाजार, नई दिल्ली ।	0.21
4.	इण्डिया काफी बूफे, पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली।	0.20
5.	इण्डिया काफी रूम, योजना भवन, नई दिल्ली ।	0.11
6.	इण्डिया काफी रूम, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।	0.35
7.	इण्डिया काफी हाउस, गुरूवपुर, केरल ।	6.78
8.	इण्डिया काफी हाउस, पटना, बिहार ।	1.32

क्र० सं०	एकक का नाम	1984-85 में प्राप्तियों की तुलना में निवल खर्च (लाख रु० में)
9.	इण्डिया काफी हाउस, श्रीनगर, जम्मू और काश्मीर।	1.90
10.	इण्डिया काफी हाउस, आंध्र प्रदेश, विधान सभा, हैदराबाद।	0.12
11.	इण्डिया काफी हाउस, तिरुपति, हैदराबाद।	3.53

काफी हाउसों को चलाने के लिए जो बजट प्रावधान है वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित काफी बोर्ड के बजट का भाग होता है। अतः इन एककों के अधिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता।

कपड़ा मशीन निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत की गई राहत योजना

3258. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मशीन निर्माताओं ने उद्योग को रुग्ण होने से बचाने के लिए सरकार को एक पांच सूत्री राहत योजना प्रस्तुत की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) कपड़ा मशीन निर्माता संघ (भारत), बम्बई ने कपड़ा मशीन उद्योग को कई राहतें देने के लिए एक अभ्यावेदन दिया है।

(ख) अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

संयुक्त राज्य अमरीका के सातवें बेड़े का कोचीन बन्दरगाह पर आना

3259. **श्री धर्मवीर सिंह त्यागी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष के आरम्भ में संयुक्त राज्य अमरीका के सातवें बेड़े का एक पोत कोचीन बन्दरगाह पर आया था; और

(ख) यदि हां, तो किसी विदेशी नौसेना के परमाणु पोत को किसी भारतीय बन्दरगाह पर आने की अनुमति न देने के सरकार के घोषित निर्णय के अनुसरण में यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए थे कि उक्त पोत परमाणु ऊर्जा से चालित नहीं था अथवा परमाणु अस्त्र नहीं ले जा रहा था?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

काले धन का पता लगाने के लिए बिहार में छापे

3260. **श्री कुंवर राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 और चालू वर्ष के दौरान आयकर विभाग द्वारा बिहार में कितने मकानों पर छापे मारे गए;

(ख) व्यवसायवार उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके मकानों से कालाधन बरामद किया गया;

(ग) इसमें कितना काला धन अन्तर्ग्रस्त होने का अनुमान लगाया गया है, और

(घ) इस सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) वित्तीय वर्ष 1985-86 में बिहार में ली गई तलाशियों की संख्या 168 थी, जिसके परिणामत: लगभग 2.01 करोड़ रुपए के मूल्य की परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण किया गया । जिन पार्टियों के परिसरों की तलाशियां ली गई थीं उनके व्यवसाय-वार ब्यौरे निम्नलिखित अनुसार हैं—

व्यापारी	141
ठेकेदार	17
विविध व्यवसाय	10

कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है क्योंकि आयकर अधिनियम में तलाशी कार्यवाही के दौरान गिरफ्तारी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ।

[अनुवाद]

भारत को विश्व बैंक से ऋण

3261. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत को वर्ष-वार कितने ऋण उपलब्ध कराए और प्रत्येक ऋण की शर्तें क्या थीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : बैंक के राजकोषीय वर्ष 1984, 1985 और 1986 (पहली जुलाई, 1983 से 30 जून, 1986 तक) के संबंध में उधार/ऋण समेत बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विश्व बैंक सहायता में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आधार तथा अंतर्राष्ट्रीय

विकास संघ ऋण शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ऋणों पर छमाही आधार पर निर्धारित दर से ब्याज लगता है। ब्याज की वर्तमान दर 8.23 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, इन ऋणों पर ऋण के संवितरित न किए गए भाग पर 0.75 प्रतिशत के हिसाब से प्रतिबद्धता प्रभार भी लगता है। इन ऋणों को वापसी अदायगी 5 वर्ष की रियायती अवधि समेत 20 वर्ष में की जाती है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋणों की वापसी अदायगी 10 वर्ष की रियायती अवधि समेत 50 वर्ष में की जाती है। इन ऋणों पर ब्याज नहीं लगता है लेकिन ऋण के संवितरित भाग पर 0.75 प्रतिशत के हिसाब से सेवा प्रभार पड़ता है और असंवितरित भाग पर 0.50 प्रतिशत के हिसाब से वचन-बद्धता शुल्क पड़ता है।

विवरण

विश्व बैंक समूह द्वारा राजकोषीय वर्ष 1984, 1985 और 1986 के सम्बन्ध में भारत को दिए जाने वाले उधारों/ऋणों के सम्बन्ध में अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना का नाम	उधार / ऋण की राशि (मिलियन अमेरिकी डालरों में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
	राजकोषीय वर्ष 1984	अं० पु० नि० और वि० बैंक	अं० वि० संघ
1.	न्हवा शिवा पत्तन परियोजना	250.00	—
2.	दुधिचवा कोयला परियोजना	151.00	—
3.	कैम्बे बेसिन पेट्रोलियम परियोजना	242.5	—
4.	रेल विद्युतीकरण और कार्यशाला आधुनिकीकरण परियोजना	280.7	—
5.	बोधघाट पन बिजली परियोजना	157.4	—
6.	मध्य प्रदेश उर्वरक परियोजना	203.6	—
7.	दूसरी फरक्का तापीय बिजली परियोजना	300.8	—
8.	दूसरी उड़ीसा सिंचाई परियोजना	—	105.0
9.	वर्षा पोषित क्षेत्रों में जल-उद्ग्रहण विकास		

(1)	(2)	(3)	(4)
	संबंधी प्रायोगिक परियोजना	—	31.0
10.	तीसरी जनसंख्या परियोजना	—	70.0
11.	कर्नाटक सामाजिक वनपालन परियोजना	—	27.0
12.	तमिलनाडु जल पूर्ति तथा सफाई परियोजना	—	73.0
13.	दूसरी पेरियाड वैगई सिंचाई परियोजना	—	35.0
14.	बौधघाट पन बिजली परियोजना	—	143.0
15.	अपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना	—	125.0
16.	दूसरी गुजरात मध्यम सिंचाई परियोजना	—	172.0
17.	तीसरी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन० सी० डी० सी०) परियोजना	—	220.0
18.	चौथी ट्राम्बे तापीय बिजली परियोजना	135.4	—
राजकोषीय वर्ष 1985			
1.	झरिया कोयला खान परियोजना	248.0	—
2.	सरदार सरोवर बांध तथा विद्युत परियोजना	200.0	—
3.	महाराष्ट्र पेट्रोरसायन परियोजना	300.0	—
4.	राष्ट्रीय राजपथ परियोजना	200.0	—
5.	चन्द्रपुर तापीय विद्युत संयंत्र परियोजना	300.0	—
6.	सिंगरौली रिहन्द तापीय बिजली संयंत्र परियोजना	250.0	—
7.	केरल पनबिजली परियोजना	176.0	—
8.	केरल सामाजिक वनपालन परियोजना	—	31.8
9.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना	—	39.1
10.	बंबई नगर विकास परियोजना	—	138.0
11.	जल प्रदाय तथा जल निकासी परियोजना	—	150.0
12.	सरदार सरोवर बांध तथा बिजली परियोजना	—	100.0
13.	दूसरी राष्ट्रीय कृषि तथा विस्तार परियोजना	—	49.0

1	2	4	5
14.	राष्ट्रीय सामाजिक वनपालन	—	165.0
	राजकोषीय वर्ष 1986		
1.	जनसंख्या परियोजना-IV	—	51.0
2.	केरल जलपूर्ति	—	41.0
3.	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना	—	99.0
4.	महाराष्ट्र सिंचाई-III परियोजना	—	160.0
5.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना-II	—	72.1
6.	औद्योगिक निर्यात (इंजीनियरी) परियोजना	250.0	—
7.	गुजरात नगर	—	62.0
8.	राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक-I परियोजना	375.0	—
9.	सीमेंट ऊर्जा बचत परियोजना	200.0	—
10.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना	131.0	140.0
11.	संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना	485.0	—
12.	ओनला उर्वरक परियोजना	302.2	—

नामीबिया की स्वतंत्रता के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

3262. **श्री आनन्द सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में राज्य मंत्री नामीबिया को तत्काल स्वतन्त्रता दिए जाने के बारे में 7 से 11 जुलाई तक बियना में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री का संदेश ले गए थे; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में हुई चर्चा का सार क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन ने अपने इस वचन की पुनः पुष्टि की कि नामीबिया को संयुक्त राष्ट्र योजना, खासतौर पर सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव 435 (1978) के आधार पर तत्काल आजाद किया जाए और नामीबिया की स्वतंत्रता और अंगोला में क्यूबा के सैनिकों की मौजूदगी के प्रश्नों को एक दूसरे से

जोड़ने की दक्षिण अफ्रीका की कोशिशों को अस्वीकार किया। सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 10 के अधीन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तत्काल प्रादेशात्मक प्रतिबन्ध लगाने का समर्थन किया और साथ ही सभी राज्यों से अपील की कि वे प्रिटोरिया शासन के खिलाफ अपनी-अपनी ओर से कड़ी कार्यवाही करें तथा नामीबिया की जनता और उनके मुक्ति आंदोलन स्वापो को दी जा रही सहायता को तेज कर दें।

सम्मेलन ने एक घोषणा और कार्य योजना जारी की है, जिसमें नामीबिया की स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर लिए गये निर्णयों और सिफारिशों का उल्लेख है।

सूखे और अकाल के लिए अफ्रीकी एकता संगठन (ओ०ए०यू०) के विशेष कोष में भारत का अंशदान

3263. **श्री टी० बशीर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखे और अकाल के लिए अफ्रीकी एकता संगठन (ओ०ए०यू०) के विशेष कोष में अपने अंशदान के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना अंशदान देने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क और ख) हाल के वर्षों में अनेक अफ्रीकी देश सूखे और अकाल से प्रभावित हुए हैं। नवम्बर, 1984 प्रधान मन्त्री से प्रभावित देशों के लिए 23 करोड़ रुपए के मूल्य का 1,00,000 टन गेहूं उपहार में देने की घोषणा की थी। इस गेहूं की आपूर्ति विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से की गई है और गेहूं प्राप्त करने वाले मुख्य देश ईथोपिया, सूडान, सोमालिया, तन्जानिया और कीनिया हैं। अफ्रीकी एकता संगठन की अपील के प्रत्युत्तर में भारत ने भी 1985 में अफ्रीकी एकता संगठन के 21वें शिखर-सम्मेलन में भारत से खाद्यान्न की खरीद के लिए 12 करोड़ रूपये के अंशदान के लिए वचन दिया था।

कम्पनियों/फर्मों के नाम से पंजीकृत वाहनों का व्यक्ति प्रयोजनों के लिए उपयोग

3264. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या वित्त मंत्री कंपनियों/फर्मों के नाम से पंजीकृत वाहनों को व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए उपयोग के बारे में 25 जुलाई, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1157 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में जांच के दौरान वाहन सुविधा के दुरुपयोग के कितने मामलों का पता चला है; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क और ख) वाहनों का उपयोग करने वाली फर्मों और कम्पनियों द्वारा, वाहनों को चलाने पर होने वाले व्यय का दावा सामान्यतः व्यापार व्यय के रूप में किया जाता है। चूंकि भागीदारों और निदेशकों द्वारा इन वाहनों के व्यक्तिगत

प्रयोग को नकारा नहीं जा सकता है, इसलिए आयकर निर्धारण करते समय व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए प्रयोग की गई सीमा के बारे में हमेशा पूछताछ की जाती है। कर लगने योग्य आय की संगणना करते समय वाहनों को चलाने पर किए गए व्यय की छूट देते समय हमेशा आनुपातिक अथवा एक-मुश्त रकम अस्वीकार की जाती है। ऐसे मामलों की संख्या बहुत अधिक है और सही संख्या का पता लगाना लगभग असम्भव है।

[हिन्दी]

बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पर्यटन केन्द्रों का विकास

3265. **श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान कितने पर्यटक केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) इन राज्यों में कितने पर्यटक केन्द्र निर्माणाधीन हैं;

(ग) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान सरकार का विचार कितने पर्यटक केन्द्र खोलने का है और उन पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है और उनमें प्रमुख पर्यटक केन्द्रों के नाम क्या है; और

(घ) इन पर्यटक केन्द्रों के बन जाने के पश्चात् कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क से ग) 1985-86 और 1986-87 के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सहायता से खोली गई पर्यटक परियोजनाओं की संख्या निम्न प्रकार से है :

	1985-86 में खोली गई	खोले जाने की आशा है 1986-87	1987-88
बिहार	शून्य	2	1
उत्तर प्रदेश	1	शून्य	4
पश्चिम बंगाल	शून्य	2	1

पहले से चली आ रही परियोजनाओं और जिन्हें 1986-87 और 1987-88 में प्रारम्भ किया जाना है के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं—

बिहार	लागत (लाख रुपयों में)
1. बोधगया में पर्यटक कम्पलैक्स	20.00
2. बेतला में वन गृह	46.76
3. राजगीर में अल्पाहार गृह	5.05
उत्तर प्रदेश	
1. फतेहपुर सीकरी में पर्यटक कम्पलैक्स (प्रथम चरण 69.17 लाख रु०)	147.32
2. औली-जोशीमठ में कुटीरों और रेस्तरां का निर्माण	20.90
3. पर्यटक कम्पलैक्स, श्रावस्ती	63.00
4. अयोध्या में मार्गस्थ सुख सुविधाएं और ओपन एयर थियेटर के लिए स्टेज	26.80
पश्चिम बंगाल	
1. अयोध्या पहाड़ियों पर कुटीरों का निर्माण	8.52
2. सुन्दरवन में तैरता आवास	7.00
3. दार्जिलिंग में यात्री निवास	47.39
4. दीघा में कुटीरों का निर्माण	40.17

(घ) उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1980 में पर्यटन क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार सहित, कुल 45 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था। इस अनुमान का राज्यवार और उद्योग-वार विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थानों द्वारा विदर्भ और मराठवाड़ा की चीनी मिलों को सहायता

3266. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों ने यह निर्णय किया है कि जब तक महाराष्ट्र राज्य सरकार उन 24 चीनी मिलों को जिनकी और भारी धनराशि बकाया है 5 करोड़

रुपए उपलब्ध नहीं कराएगी तब तक वे उन निर्माणाधीन चीनी मिलों को जो विदर्भ और मराठवाड़ा के पिछले क्षेत्रों में हैं, ऋण नहीं देंगी;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वित्तीय संस्थान नई मिलों को दी जाने वाली वित्तीय सहायत को अन्य मिलों के बकाया से जोड़ देती हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय संस्थान को यह अनुदेश जारी करने का है कि वे निर्माणाधीन नई मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क और ख) महाराष्ट्र की 24 सहकारी चीनी मिलों के नाम वित्तीय संस्थाओं की काफी राशि बकाया है। इसे देखते हुए वित्तीय संस्थाओं ने यह निर्णय लिया था कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र की 5 नई सहकारी चीनी मिलों के मामले में अग्रणी वित्तीय संस्था है। इन इकाइयों को तब तक संवितरण नहीं करेगा जब यक महाराष्ट्र की वर्तमान सहकारी इकाइयों द्वारा अतिदेय ब्याज अदा नहीं कर दिया जाता और देय मूलधन की रकम चुकाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई संतोषजनक फार्मूला प्राप्त नहीं हो जाता। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने महाराष्ट्र राज्य सरकार से चूककर्ता इकाइयों को ब्याज की बकाया राशि चुकाने के वास्ते 5 करोड़ रुपए देने का अनुरोध किया था। क्योंकि राज्य सरकार इन इकाइयों की प्रमुख प्रवर्तक और वित्तीय संस्थाओं के ऋणों की गारंटी दाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

गोआ जाने वाले पर्यटकों को विशेष रियायतें

3267. **श्री शान्ताराम नायक : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ जाने वाले स्वदेशी और विदेशी दोनों पर्यटकों को विशेष रियायतें दी जाती हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इण्डियन एयर लाइन्स से वर्ष की कतिपय अवधि के दौरान गोआ जाने वाले पर्यटकों को विमान यात्रा रियायत देने के बारे में अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क और ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिक्किम में बुनाई कला को बढ़ावा देना

3269. **श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिक्किम के जनजातीय लोग पारम्परिक डिजाइनों के गलीचे बुनते हैं और इसके लिए राज्य सरकार उन्हें कुछ सीमा तक सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इन जनजातीय लोगों को उनकी पारम्परिक बुनाई कला को बढ़ावा देने के लिए और सहायता देने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य में शिल्पकारों और बुनकरों को सहायता पैकेज देकर गलीचों सहित हस्तशिल्प की वस्तुओं के संवर्धन हेतु एक विपणन एवं सेवा विस्तार केन्द्र पहले से ही कार्य करता रहा है ।

चीन के साथ सीमा विवाद

3270. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** :

श्री कान्ती प्रसाद पांडेय :

डा० बी०एल० शैलेश ।

श्री सुभाष यादव :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री पी० नामग्याल :

श्री अरफराज अहमद :

श्री पी० एस० सईद :

श्री सी० माधव रेड्डी :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री के० बी० शंकर गौडा :

श्री प्रकाश बी० पाटिल :

श्री आर० एस० याने :

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राजवाडियर :

श्री चिंतामणि पाणिग्रही :

श्री मोहन भाई पटेल :

श्री जी० एस० बनातवाला :

श्री मट्टय श्री राम मूर्ति :

श्री उत्तम राठौड :

श्री जंनुत बशर :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1986 में बीजिंग में भारत और चीन के बीच सीमा सम्बन्धी प्रश्न पर सरकारी स्तर पर बातचीत के सातवें दौर का आयोजन किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के निष्कर्ष क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत और चीन के बीच 21 से 23 जुलाई, 1986 तक हुई अधिकारी स्तर की बातचीत के सातवें दौर में भारत-चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र के बारे में तात्विक विचार विमर्श जारी रहा। उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र के बारे में बातचीत शुरु हुई थीं ।

चीनी पक्ष ने इस बात को दोहराया कि पूर्वी क्षेत्र का विवाद "सबसे बड़े विवादों" का क्षेत्र है । इसके उत्तर में भारतीय पक्ष ने अपने इस सर्व विदित दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दोहराया कि पूर्वी क्षेत्र में भारत-चीन सीमा एक पारंपरिक प्रयोग व रेखा है जिसे सन्धि और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार द्वारा अतिरिक्त स्वीकृति प्राप्त है ।

राज्य व्यापार निगम के गोदामों से आयातित खाद्य तेल की चोरी

3271. श्री समर ब्रह्म चौधरी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदामों में तथा पत्तलों से गोदामों तक लाने के दौरान मार्ग में आयातित तेल की बड़े पैमाने पर चोरी होती है जैसा कि 30 मई, 1986 के 'नवभारत टाइम्स' में "करोड़ों की चोरी, किताबों में रफा-दफा" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) उन वनस्पति कारखानों के नाम क्या हैं जिनके गोदामों में राज्य व्यापार निगम ने आयातित तेल रखा था ;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है,

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं,

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(च) सरकार द्वारा खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) गोदामों और वहन में आयातित खाद्य तेल की कोई बड़े पैमाने पर चोरी नहीं होती है तथापि, चोरी के कुछ छुट-पुट मामले सूचित किए गए हैं ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग से च) इन आयातों में राज्य व्यापार निगम द्वारा कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है जिसमें मामले स्थानीय पुलिस को सौंपता तथा गोदामों को किराए से हटाना शामिल है। खामियों को दूर करने के लिए निम्मनोक्त कदम उठाए गए हैं—

(1) सभी टैंक और वैगन के आपरेटिंग वाल्वों को विशेष टैम्पर-प्रूफ प्लास्टिक सीलों से सील किया जाता है।

(2) खाद्य तेलों को लाने ले जाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सभी टैंक वैगनों के उपयुक्त अंशाकंन चार्टों का लिखित प्रमाण रखा जाता है।

(3) परिमाणन के उद्देश्य के लिए लदान और उतराई दोनों स्थानों पर मानक घनत्व वाल्वों का प्रयोग किया जाता है।

(4) रेल के वैगनों को भेजते और प्राप्त करते समय सभी लदान और उतराई प्रचालनों की निरपवाद देख रेख की जाती है।

(5) वनस्पति यूनिटों के भंडारण टैंकों को धीरे-धीरे किराए से हटाना।

विवरण

निम्नलिखित वनस्पति फैक्टरियों से बल्कि खाद्य तेलों के लिए इस समय किराए पर लिए हुए भंडारण टैंक :

1. मै० मोदी वनस्पति कं०, मोदीनगर।
2. मै० हिन्दुस्तान विमेटेबल आयल्स कार्पो०, अमृतसर।
   (भारत सरकार के अधीन)
3. लिबरटी आयल मिल्स, बम्बई।
4. मै० जय हिन्द आयल्स मिल्स, बम्बई।

पहले किराए पर लिए गए लेकिन अब किराए से हटाए गए भंडारन टैंक

1. मै० अमृत वनस्पति कंपनी, गाजियाबाद।
2. मै० जैनशुद्ध वनस्पति कं०, गुलधार, गाजियाबाद।
3. मै० गणेश फ्लोर मिल्स, कानपुर (गवर्नमेंट यूनिट)
4. मै० बालाजी विजेटेबल प्रोडक्ट्स सीतापुर।
5. मै० मोतीलाल पदमपत उद्योग लि०, कानपुर।

6. मैं० बल्लरपुर इंडस्ट्रीज लि०, यमुनानगर।

7. मैं० अमृत वनस्पति कं०, राजपुरा।

8. मैं० रोहतास इंडस्ट्रीज, जयपुर।

9. मैं० प्रीमियर विजेटेबल, जयपुर।

10. मैं० डी०सी०एम केमिकल्स लि०

11. मैं० रोहतास इंडस्ट्रीज, डालमियानगर।

12. मैं० कुसुम प्रोडक्ट्स, कलकत्ता।

13. मैं० रुचि विजेटेबल प्रोडक्ट्स इन्दौर।

14. मैं० इण्डियन विजेटेबल प्रोडक्ट्स, बम्बई।

15. मैं० विजेटेबल एण्ड फूड्स प्रा० लि०, बम्बई।

16. मैं० टाटा आयल मिल्स, बम्बई।

17. मैं० अहमद ऊमरभाई, बम्बई।

18. मैं० ओसवाल आयल्स एण्ड वनस्पति इंडस्ट्रीज, मद्रास।

कनकपुरा (कर्नाटक) में ऋण शिविरों का स्थगित किया जाना

3272. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक में कनकपुरा लोकसभा निर्वाचन-क्षेत्र के छह स्थानों में 11 मई, 1986 को आयोजित ऋण-शिविर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए थे, जैसा कि 20 मई, 1986 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में इन ऋण-शिविरों को स्थगित करना पड़ा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बताया गया है कि मई 1986 में कनकपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले ऋण-शिविर प्रशासनिक कारणों से कुछ समय के लिए स्थगित कर दिए गए थे और बाद में ये शिविर जुलाई 1986 में आयोजित किए गए।

राज्य व्यापार निगम में अध्यक्ष और निदेशकों के रिक्त पद

3273. **श्री एच०एम० पटेल :**

श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :

श्री मुरलीधर माने :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम में पूर्ण कालिक निदेशकों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम नियमित अध्यक्ष के बिना काम कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क और ख) एस०टी०सी० में एक पूर्ण-कालिक चेयरमैन तथा दो पूर्णकालिक निदेशकों के पद कुछ समय से खाली पड़े हैं। सरकार ने इन पदों को भरने के लिए पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

(ग) सरकार द्वारा एस०टी०सी० की कार्यप्रणाली की निर्यात निष्पादन में सुधार करने तथा इसके कार्यों को सरल तथा कारगर बनाने की दृष्टि से निरन्तर समीक्षा की जाती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों के वापस भुगतान को पुनर्निर्धारित करना

3274. **श्री अनिल बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीकृत बैंकों तथा अन्य बैंकों में उपयुक्त मामलों में भुगतान में चूक करने की स्थिति में ऋणों के वापस भुगतान को पुनः निर्धारित करना सामान्य प्रक्रिया है;

(ख) क्या सरकार अथवा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सलाह दिए जाने के बावजूद पश्चिम-बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के वापस भुगतान को पुनर्निर्धारित करने पर सहमत न होने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) ऋणकर्ताओं के नियन्त्रण से बाहर वास्तविक कारणों से चूक के मामलों में बैंक अलग-अलग खातों में वापसी अदायगी का पुनः निर्धारण कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से पात्र उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने और वसूली की स्थिति सुधारने के दोहरे प्रयोजन से चूक करने वाले ऋणकर्ताओं के अलग-अलग मामलों का विश्लेषण करने के लिए कहा है।

इस संबंध में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि अधिकांश बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर अलग-अलग मामलों का विश्लेषण करने का काम अभी शुरू किया जाना है। राष्ट्रीय बैंक ने आगे चलकर बताया है कि वह इस मामले में सभी बैंकों के साथ कार्रवाई कर रहा है ताकि सभी राज्यों में यह काम शीघ्र ही पूरा किया जाना सुनिश्चित हो सके।

ब्रुक बाण्ड इण्डिया लिमिटेड द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

3275. **श्री सुभाष यादव :**

श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन :

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मई, 1986 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में छपे उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि उपभोक्ता वस्तुओं की विनिर्माता कम्पनी मैसर्स ब्रुक बाण्ड इंडिया लि० ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का लल्लंघन किया है और यदि हां तो इस कम्पनी ने इस अधिनियम का किस प्रकार उल्लंघन किया है,

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई और यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा, और

(ग) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त होने का अनुमान है और सरकार द्वारा इस संबंध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) मैसर्स ब्रुक बाण्ड (इंडिया) लि० के खिलाफ जांच-पड़ताल की गई थी तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था जिसका न्याय-निर्णयन हो गया है। कम्पनी को 29,55,427.40 रु० समतुल्य की विदेशी मुद्रा तथा 3,000 कुर्वती दीवारों को अभ्यर्पित न करने के सिलसिले में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 14 का उल्लंघन किए जाने तथा 2,57,905 रु० तथा संयुक्त अरब अमीरात के 25000 दिरहम की रसीद को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही नहीं किए जाने के सिलसिले में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 16 (1) (ख) का उल्लंघन किए जाने के संबंध में दोषी पाया गया है। कम्पनी पर 1,50,000 रु० तथा उसके कार्यकारी अधिकारियों पर 60,000/-रु० का कुल अर्थदंड लगाया गया है। कम्पनी को संयुक्त अरब अमीरात के 13,735.07 दिरहम तथा 7.845.05 अमेरिकी डालरों को भारत वापस लौटाए जाने का आदेश दिया गया था जिसका उसने अनुपालन किया है।

विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज की दर में कटौती

3276. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज की वर्तमान दर में भारी कटौती करने हेतु विकास बैंकों को कहने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विकास बैंकों को आदेश जारी किये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) इन आदेशों के परिणामस्वरूप औद्योगिक एककों को क्या लाभ मिलने की सम्भावना हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) विकास बैंकों द्वारा दिए जाने वाले विदेशी मुद्रा ऋणों के ब्याज की दरे सरकार द्वारा नहीं बल्कि विकास बैंकों द्वारा निर्धारित और तय की जाती हैं, जो इन संस्थाओं की विभिन्न ऋण-लिखतों की धनराशि पर आने वाले लागत पर आधारित होती हैं।

वाणिज्यिको बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित किए गए ऋण

3277. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋणों के रूप में कितनी राशि वितरित की गई है ; और

(ख) वितरित किए गए इन ऋणों का कितना प्रतिशत समाज के कमजोर वर्गों और सीमांत किसानों में वितरित किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, दिसम्बर 1985 के अन्त में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बकाया राशि क्रमश: 51892 करोड़ रुपए और 1407.7 करोड़ रुपए थी।

(ख) दिसम्बर 1985 और मार्च 1986 के अन्त में कुल बकाया अग्रिमों में कमजोर वर्गों और प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

	कुल अग्रिमों में प्रतिशतता	
वर्ष	कमजोर वर्ग	प्रत्यक्ष कृषि
दिसम्बर 1985	10.2	15.3
मार्च 1986	10.3	15.0

वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से सीमान्तिक किसानों के बारे में अलग से सूचना नहीं रखी जाती है।

निगमित क्षेत्र को रियायतें

3279. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगमित क्षेत्र को अनेक प्रोत्साहन तथा रियायतें दी जाती हैं जिसके कारण तथा-कथित "नगण्य" कर (जारी टैक्स) का आभास होता है ;

(ख) क्या इसके का रण अनेक कम्पनियों को करोड़ों रुपए का भारी लाभ होने के बावजूद

कोई निगमित आय-कर नहीं देना पड़ता है ; और

(ग) उन्हें इस प्रकार के प्रोत्साहन देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बहुत सी कम्पनियां अपनी आय के अनुरूप कर अदा करती प्रतीत नहीं होती हैं । वे अपने व्यवसाय को ऐसे तरीके से योजनाबद्ध करके अपनी कर की देनदारी को कम करते हैं जिससे कि आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर प्रोत्साहनों के उपबन्धों का अधिकतम लाभ उठा सकें और अन्ततोगत्वा कर की देनदारी नगण्य या अल्पतम रह जाए । यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि विभिन्न कर रियायतों से कम्पनियों की करादेय आय इस सीमा तक कम न हो जाए कि कर की देनदारी बिल्कुल ही न रहे या कर की देनदारी असंगत रूप से कम कर दी जाए, कानून में समय-समय पर समुचित रूप से संशोधन किए गये हैं ।

मशीन तथा औजार उद्योग का निर्यात सम्बन्धी कार्य-निष्पादन

3280. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीन और औजार उद्योग का निर्यात सम्बन्धी कार्य-निष्पादन इस्पात के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी मूल्य पर उपलब्ध न होने के कारण उच्च स्तर का नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) इंजीनियरिंग उद्योग, जिसमें मशीन तथा औजार उद्योग भी शामिल हैं, को अपनी निर्यात वचनबद्धताएं पूरा करने के लिए इस्पात का शुल्क-मुक्त आयात करने की सुविधा दी जाती है । इसके अतिरिक्त निर्यात उत्पादन के लिए उपयोग किये जाने वाले स्वदेशी इस्पात की अपेक्षाकृत ऊंची लागत की प्रतिपूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत की जाती है ।

(ग) निर्यात उत्पादन आवश्यकताओं के लिए इस्पात की आवश्यकताओं को आबंटन के लिए उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है ।

वर्ष 1985-86 के दौरान लोह अयस्क का निर्यात

3281. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1985-86 में लोह अयस्क के निर्यात में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सातवीं योजना में 3 करोड़ टन लोह अयस्क निर्यात करने का अनुमानित लक्ष्य 1986-87 में स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा ; और

(ग) कर्नाटक में कुद्रेमुख से लोह अयस्क सान्द्र (कान्सेंट्रेट) के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए

स्थानों के पर्यटक यातायात के आंकड़े, स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, देश में विदेशी पर्यटक आगमनों में 1986 के पूर्वार्द्ध के दौरान पिछले वर्ष की तत्संम्बधी अवधि की तुलना में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

राज्यों में अशोक यात्री निवासों स्थापना

3285. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह विचार है कि मध्यम वर्ग के पर्यटकों के लिए अशोक यात्री निवास जैसे होटल शुरू करने का प्रयोग सफल रहा है;

(ख) क्या अशोक यात्री निवास को लाभ हुआ है जैसा कि दिनांक 13 जुलाई, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी राज्यों की राजधानियों तथा प्रमुख पर्यटन केन्द्रों में इस प्रकार के होटल बनाने का है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) (क) और (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने मध्यम वर्ग के पर्यटकों के लिए सभी राज्यों में यात्री निवासों और यात्रिकाओं के रूप में निम्न-बजटीय आवास का निर्माण करने के वास्ते एक स्कीम बनाई है।

(ख) होटल अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली की लाभप्रदता इस प्रकार है :—

वर्ष	(+) शुद्ध लाभ/हानि (—) (लाख रुपयों में)
1982-83	(—) 26.71
1983-84	(—) 14.18
1984-85	(+) 17.28
1985-86	(+) 48.42

चाय का उत्पादन

3286. **श्री अमल दत्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983 से लेकर 1985 तक के विश्व के चाय उत्पादन के आंकड़ों की तुलना में भारत में चाय का उत्पादन कम हुआ है ;

(ख) क्या वर्ष 1984-85 में विश्व के चाय बाजार में भारत का अंश कम हो गया है ; यदि

हां, तो यह कितना कम हुआ है ;

(ग) क्या चाय के उत्पादन और इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई दीर्घावधि नीति तैयार की गई है ;

(घ) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य बातें क्या हैं और इसे किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है अथवा किया जा रहा है ;

(ङ) क्या अधिक पैदावार देने वाले और उत्तम किस्म के चाय के पौधों का उत्पादन करने के लिए बायो टैक्नालॉजी में आधुनिक विकास कार्यों का कोई सरल प्रयोग किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) भारत में उत्पादन वृद्धि 1983 की तुलना में 1985 में 13 ·/. के आस-पास रही जबकि इस अवधि के दौरान विश्व चाय उत्पादन में 11.43 ·/. की वृद्धि हुई। कुल विश्व उत्पादन की तुलना में भारत के चाय के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े निम्नोक्त हैं :—

वर्ष	चाय का उत्पादन (मिलियन कि०ग्राम०)	
	भारत	विश्व
1983	581	2029
1984	640	2155
1985	657	2261

(ख) चाय के विश्व निर्यातों में भारत का अंश 1984 में 23.4 ·/. की तुलना में 1985 के दौरान 22.9 ·/. था ।

(ग) और (घ) चाय उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में निवेशों की आशावादिता जैसे अल्प कालिक उपाय, सिचाई और जल निकास, चाय की झाड़ियों की भराई और नवीकरण करने जैसे मध्य कालिक उपाय तथा विस्तार रोपण और पुनः रोपण करने जैसे दीर्घ कालिक उपाय शामिल हैं, चाय के निर्यात में वृद्धि करने के उपायों में विदेशों में ब्रांड संवर्धन व वेयरहाउसिंग के लिए सहायता देना और मूल्य वर्धित चाय के लिए नकद मुआवजा सहायता देना शामिल है चाय बोर्ड भी विदेशों में अपने कार्यालयों के माध्यम से संवर्धनात्मक अभियान चलाता है ।

(ङ) और (च) रोपण में सुधार लाने के लिए पारम्परिक प्रणालियों के सफलतापूर्वक प्रयोग द्वारा ऐसे अनेक चाय कृन्तकों का विकास किया गया है जो अधिक और बढ़िया स्तर की पैदावार देने में सक्षम हैं, चाय बोर्ड की वित्तीय सहायता से चाय अनुसंधान संघ जीव-प्रौद्योगिक में अनुसंधान

करने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित कर रहा है।

हथकरघा क्षेत्र में आरक्षण

3287. **श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हथकरघा क्षेत्र के अधीन 22 मदों के आरक्षण के परिणामों की जानकारी है ;

(ख) यह आरक्षण नीति कब से लागू की गई है ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हथकरघा क्षेत्र के सहकारी संघ के पदाधिकारियों ने हथकरघा समिति पर एकाधिकार कर लिया है और राज सहायता प्राप्त करने के लिए उत्पादन के फर्जी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) हथकरघा क्षेत्र में पूरी तरह उत्पादन के लिए 22 मदों का आरक्षण 31 मार्च, 1986 से ही प्रभावी हुआ है। चूंकि हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन आरक्षित मदों का उत्पादन बन्द करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है इसलिए इस अवस्था में प्रतिक्रियाओं का जायजा लेना संभव नहीं है।

(ग) भारत सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

अभ्रक के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाना

3288. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अभ्रक उद्योग के बन्द होने के परिणामस्वरूप भारी पैमाने पर बेरोजगारी फैलने का खतरा बना हुआ है जैसा कि दिनांक 14 जुलाई 1986 के "सर्चलाइट" में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि अभ्रक के उत्पादन को बढ़ाने और अभ्रक उद्योग को लाभकर बनाने के अर्थोपाय करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) यद्यपि बिहार में अभ्रक की चालू खानों की संख्या तथा उसके उत्पादन के आंकड़ों में गिरावट की प्रवृत्ति का संकेत मिलता है, तथापि अभ्रक के समग्र निर्यातों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार चालू खानों की संख्या में कमी के कारण बिहार में अभ्रक उद्योग में व्यापक बेरोजगारी की कोई आशंका नहीं है।

(ख) और (ग) हाल में अभ्रक सलाहकार समिति ने खानों के बन्द होने के कारणों का पता

लगाने के लिए अभ्रक की खानों का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता का सुझाव दिया है ।

रेशम का आयात और उसका रेशम उद्योग पर प्रभाव

3289. **श्री एच० एन० नज्जे गौड़ा :**

श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में निर्यातकों द्वारा प्रति पूर्ति योजना और अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत कच्चे रेशम का आयात किए जाने के कारण दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक में रेशम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से रेशम के आयात पर रोक लगाने का अनुरोध किया है ;

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) स्वदेशी रेशम उद्योग को बचाने के लिए इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) कच्ची रेशम के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कर्नाटक सरकार ने अभ्यावेदन किया है । तथापि, इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि ए०एल०एस०/आर०ई०पी० योजनाएं, भारत सरकार की निर्यात संवर्धन योजनाएं हैं और इन योजनाओं के अन्तर्गत रेशम के आयात की अनुमति केवल रेशम मदों के निर्यातों के लिए या के आधार पर दी जाती है, इन योजनाओं के अन्तर्गत आयात पर प्रतिबन्ध लगाना व्यवहार्य नहीं समझा गया है । इस तथ्य से कि देश में रेशम का उत्पादन निरन्तर बढ़ता रहा है तथा रेशम की कीमतें स्थानीय बाजार में निरन्तर लाभकारी स्तरों पर बनी हुई हैं, यह पता चलता है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत कच्ची रेशम के आयात से देशी उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[**हिन्दी**]

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सज्जन कपड़ा मिल, रतलाम का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव

3290. **श्री विलीप सिंह भूरिया** : क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सज्जन कपड़ा मिल, रतलाम का प्रबन्ध अपने साथ में लेने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, हां ।

(ख) 1986-87 के दौरान 30 मिलियन मे० टन से अधिक लोह अयस्क का निर्यात करने की योजना है।

(ग) लोह अयस्क सान्द्रणों के लिए विदेशी निर्यात बाजारों का पता लगाने के गहन प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप इन सान्द्रणों के लिए जापान, चीन तथा कुछ पश्चिम यूरोपीय देश बाजारों के रूप में विकसित हो रहे हैं।

पर्यटन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय समिति

3282. **श्री एच०बी० पाटिल :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

डा० गौरी शंकर राजहंस :

श्री सोमनाथ रथ :

श्री वी० तुलसीराम :

श्री लक्ष्मण मलिक :

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर :

क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पर्यटन के सम्बन्ध में हाल ही में एक 12 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी रचना और इसे क्या मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं तथा इसे अन्य क्या कार्य सौंपे गये हैं; और

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की सम्भावना हैं ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) योजना आयोग ने पर्यटन पर एक राष्ट्रीय समिति स्थापित की है।

(ग) पर्यटन पर राष्ट्रीय समिति की रचना और उसके विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ऐसी सम्भावना है कि समिति जनवरी 1987 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

विवरण

पर्यटन पर राष्ट्रीय समिति की रचना और उसके विचारार्थ विषय दर्शाने वाला विवरण

पर्यटन पर राष्ट्रीय समिति की रचना इस प्रकार है :—

1.	श्री मोहम्मद यूनुस अध्यक्ष; भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण	अध्यक्ष
2.	श्री शशिकान्त मिश्र सचिव, पर्यटन मन्त्रालय	सदस्य
3.	श्रीमती कपिला वात्सायन सचिव, कला विभाग	सदस्य
4.	श्री के० एल० थापर सलाहकार (परिवहन एवं पर्यटन) योजना आयोग	सदस्य
5.	श्री के० बी० लाल भूतपूर्व वाणिज्य सचिव और यूरोपियन आर्थिक समुदाय के राजदूत	सदस्य
6.	श्री बी० वेंकटरामन भूतपूर्व सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय	सदस्य
7.	श्री ए०एन० हक्सर, भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय तम्बाकू कं०	सदस्य
8.	श्री इन्द्र शर्मा अध्यक्ष, सीता वर्ल्ड ट्रेवल्स	सदस्य
9.	श्री गौतम खन्ना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ओबेराय होटल्स और अध्यक्ष मरक्यूरी ट्रेवल्स	सदस्य
10.	श्री राजन जेतली प्रबन्ध निदेशक, भारत पर्यटन विकास निगम	सदस्य

11. श्री ए० बी० कॅरकर — सदस्य
उपाध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक,
ताज ग्रुप आफ होटल्स

12. श्री आर० के० पुरी, — सचिव
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वाणिज्य)
भारत पर्यटन विकास निगम

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

1. भारत के अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी पर्यटन की आर्थिक और सामाजिक प्रासंगिता का मूल्यांकन करना ।

2. पर्यटन उत्पाद, मार्किट सम्बन्धी आवश्यकताओं और मांगों को ध्यान में रखते हुए उसके वर्तमान और भावी परिवर्तन की परिभाषा देना ।

3. एक संतुलित, एकीकृत आधार-संरचना की आवश्यकताओं का निर्धारणा करना और अधिकतम उपभोक्ता संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए उपायों का सरलीकरण करना।

4. वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर तथा एक वास्तविक संचार नीति के माध्यम से मार्किट सम्बन्धी आवश्यकताओं की पहले से चली आ रही प्रतिक्रियाओं के अनुरूप एक नियोजित मार्किट नीति का विकास करना ।

5. पर्यटन के संवर्धन में केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक और प्राइवेट संस्थानों की भूमिका का निर्धारण करना और परिभाषा देना तथा सुस्पष्ट आर्थिक मानदण्ड के अनुसार इन अभिकरणों के कार्य निष्पादन की निगरानी करने के लिए एक क्रियाविधि (मकैनिज्म) का सुझाव देना ।

6. पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए जन-शक्ति की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना और जन-शक्ति विकास के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सिफारिश करना ।

7. एक स्वस्थ, तकनीकी और आर्थिक आधार पर पर्यटन क्षेत्र के लिए सुव्यवस्थित दीर्घ-कालीन योजना हेतु संगठनात्मक और संस्थागत उपायों की सिफारिश करना ।

खनिज और धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

3283. **श्री एन०बी०एन० सोमू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक विभाग ने सरकारी उद्यम ब्यूरों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र एककों को कोई अनुदेश जारी किए हैं कि वे भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में मजदूर संघों के साथ कोई समझौता न करें ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि खनिज और धातु व्यापार था और राज्य व्यपार निगम ने, सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन करके पदोन्नति की नीति के बारे में मजदूर संघों के साथ समझौता किया है, जिसका अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर प्रभाव पड़ता है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार खनिज और धातु व्यपार निगम और राज्य व्यापार निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण बाहल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम ब्यूरो ने जनवरी, 1985 में इस आशय के अनुदेश जारी किए कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधकों द्वारा अपने मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ किए गए करारों को, जो पूर्णतः अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गिर्देशों के अनुसार नहीं हैं, संशोधित किया जाना चाहिए ।

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम ने अपनी मान्यता प्राप्त यूनियनों, जो सामान्य तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, के साथ किए गए करारों के आधार पर क्रमशः । दिसम्बर 1984 और 16 फरवरी, 1985 से समयवद्ध पदोन्नति नीति की शुरूआत की है । इस नीति के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की अर्हता अवधि सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई अर्हता अवधि की तुलना में कम रखी गई है ।

(घ) सरकारी उद्यम ब्यूरों ने उन सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से विस्तृत जानकारी मांगी है जिन्होंने समयवद्ध पदोन्नति योजना आरम्भ की हो और इस जानकारी के प्राप्त होने पर इस विषय के संबंध में नीति तैयार करने के उद्देश्य से उनके द्वारा इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

वाराणसी और भुवनेश्वर आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि

3284. **श्री सोमनाथ रथ :**

श्री नित्यानन्द मिश्र :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी और भुवनेश्वर आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) : देश में विभिन्न

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उक्त मिल कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : जून, 1985 के सरकार ने वस्त्र नीति सम्बन्धी विवरण के अनुसार जहां किसी यूनिट के समुचित समय में अर्थक्षम होने की सम्भावना नहीं होती है वहां उस यूनिट को बन्द करने की अनुमति देने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता है, बशर्ते कि कामगारों के हितों की रक्षा हो। सरकार द्वारा ऐसे रुग्ण यूनिटों को अपने हाथ लेने या उनका राष्ट्रीयकरण करने से रुग्णता की समस्याओं का निवारण नहीं होता है और सरकार सामान्यतः ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार ने ऐसी रुग्ण वस्त्र मिलों के सम्बन्ध में जोकि संभवतः अर्थक्षम है, पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने तथा उनकी व्यवस्था करने के लिए एक नोडल एजेंसी भी स्थापित की है।

[अनुवाद]

सोने की शुद्धता की जांच करना

3291. **श्रीमती वैजयन्ती माला बाली** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आभूषणों के रूप में उपलब्ध सोना 22 केरेट शुद्धता का होता;

(ख) स्वर्ण आभूषणों की दुकानों को लाइसेंस किस आधार पर जारी किए जाते हैं;

(ग) क्या सोने की शुद्धता की जांच करने के लिए कोई उपकरण हैं;

(घ) यदि हां, तो किस स्थान पर है और क्या सरकार का उस पर कोई नियन्त्रण है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सोने की शुद्धता की परख किस प्रकार की जाती है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत यह आवश्यक नही है कि जेवर-जवाहिरात के रूप में उपलब्ध सोने की शुद्धता केवल 22 कैरेट की होनी चाहिए।

(ख) सोने के व्यापारियों को लाइसेंस, स्वर्ण नियन्त्रण (व्यापारियों को लाइसेंस देना) नियमावली 1969 के उपबंधों के अनुसार जारी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) स्वर्णाभूषणों की शुद्धता की जांच आमतौर पर "टच स्टोन पद्धति" से की जाती है। तथापि, सरकार की स्वामित्व वाली बम्बई, कलकत्ता स्थित टकसालों में तथा अहमदाबाद स्थित संग्रहण एवं वितरण केन्द्र में सोने की शुद्धता की जांच अग्नि-परीक्षण पद्धति द्वारा की जाती इस पद्धति के लिए विशेष तौर से निर्मित परीक्षण-भट्टी, प्लेटिनम-ट्रे, माइक्रो सेन्सिटिव तराजू आदि जांच उपकरणों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है।

(ङ) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की आर्थिक सहायता योजना

3292. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने नए उद्यमियों को बाजार अनुसंधान सर्वेक्षण की लागत पूरी करने और मौजूदा लघु एककों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने, जो देश में स्थापित विभिन्न तकनीकी सलाहकार संगठनों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना को उदार बनाना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बाजार अनुसंधान/सर्वेक्षण की लागत पूरा करने के लिए नए उद्यमियों की उदार शर्तों पर आर्थिक सहायता देने की योजना छोटे पैमाने और मध्यम दर्जे के उद्योगों के नए उद्यमियों पर लागू होती है। इस योजना के अंतर्गत छोटे पैमाने की परियोजनाओं के मामले में उद्यमियों द्वारा तकनीकी परामर्शदात्री संगठन को देय बाजार अनुसंधान/सर्वेक्षण की फीस के 75 प्रतिशत तक या 7,500 रुपए तक, इनमें से जो भी कम हो, आर्थिक सहायता दी जाती है। मध्यम दर्जे के उद्योगों के मामले में आर्थिक सहायता की रकम बाजार अनुसंधान की लागत के 75 प्रतिशत तक या 15,000 रुपए तक, इनमें से जो भी कम हो, सीमित होती है।

छोटे पैमाने के उद्योगों को बाजार संबन्धी सहायता के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना का उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र को तकनीकी परामर्शदात्री संगठन द्वारा प्रस्तुत बाजार सम्बन्धी सहायता से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। बाजार सम्बन्धी सहायता में, अन्य बातों के साथ-साथ बाजार सम्बन्धी उपायों की जांच करना, बाजार की सूचना देना, विपणन सम्बन्धी नीति का मूल्यांकन करना आदि शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत तकनीकी परामर्शदात्री संगठन उद्यमियों से किस्तों में रकम प्राप्त करता है और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा संगठन को देय आर्थिक सहायता की राशि संगठन द्वारा ली जाने वाली फीस की अन्तिम किस्त तक सीमित होती है। पर शर्त यह कि यह राशि कुल फीस का 40 प्रतिशत या 7,500 रुपए, इनमें से जो भी कम हो, होनी चाहिए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा आर्थिक सहायता इस शर्त पर दी जाती है कि लाभ प्राप्त करने वाला यूनिट यह प्रमाणित करे कि तकनीकी परामर्शदात्री संगठन द्वारा प्रदान की गयी बाजार सम्बन्धी सहायता पर अमल किया गया है और इससे एकक की बिक्री में काफी वृद्धि हुई है।

हथकरघा क्षेत्र द्वारा हथकरघा वस्त्रों को बेहतर बनाना

3293. **श्री एन० सुन्दरराज** : क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं की पसंद को अधिक ध्यान में रखते हुए बेहतर डिजाइन के हथकरघा वस्त्र तैयार करने हेतु देश में हथकरघा क्षेत्र को पुनरुज्जीवित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मिल तथा विद्युतचालित क्षेत्र की तुलना में उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) केन्द्रीय सरकार ने 23 बुनकर सेवा केन्द्र/उप-केन्द्र और 3 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किए हैं ताकि बेहतर डिजाइनों की व्यवस्था करके और बुनकरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए भी हथकरघा उद्योग की सेवा की जा सके ।

(ख) मिल तथा विद्युतकरघा क्षेत्रों की तुलना में हथकरघों के लागत अन्तर को करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेक वित्तीय रियायतों की अनुमति दी गई हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है—

1. हथकरघा क्षेत्र के पलेन रील हैंक यार्न पर उत्पादन शुल्क की पूर्ण छूट ।

2. राज्य हथकरघा विकास निगमों और कथरघा सरकारी समितियों द्वारा डबल क्रास रील हैंक यार्न पर 50% की रियायत ।

3. हथकरघा पर निर्मित तथा राज्य हथकरघा विकास निगमों और एपैक्स हथकरघा सहकारी समितियों द्वारा स्थापित संसाधक सदनों द्वारा संसाधित सूती, ऊनी और पालियस्टर वस्त्रों के संसाधन पर उत्पादन शुल्क की पूर्ण छूट ।

4. करघों पर निर्मित तथा हथकरघा विकास आयुक्त की सलाह पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतन्त्र संसाधकों द्वारा संसाधित सूती तथा ऊनी वस्त्रों के संसाधन पर रियायती संसाधन शुल्क ।

5. पालियस्टर और कुछ पालियस्टर अंश वाले पालियस्टर ब्लेंडिड यार्न पर राज्य हथकरघा सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा विकास निगमों द्वारा खरीदे जाने पर उत्पादन शुल्क की छूट ।

6. निम्न कीमत के ब्लैंडिड वस्त्रों के उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त पालियस्टर रेशे की सप्लाई ।

(ग) जी, हां । ई०ई०सी० सहायता के अधीन यू०के० से एक डिजाइनर द्वारा दौरा करने पर एवईपीसी ने नवीनतम डिजाइनों तथा रंगों के साथ हथकरघों पर बने शीतकालीन वस्त्रों के विकास के लिए एक प्रस्ताव भेजा है जिसका सरकार ने अनुमोदन कर दिया है । हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् ने अगस्त, 1986 के अन्तिम सप्ताह के दौरान दो स्थानों अर्थात् दिल्ली और मद्रास में यू०के० के विनिर्माताओं के सहयोग से बुनकर डिजाइन प्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए भी मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है परिषद् का भी प्रस्ताव उपर्युक्त बुनाई डिजाइन प्रणाली को खरीदने

का है ताकि उसे निर्यातकों आदि के प्रयोग के लिए किसी एक बुनकर सेवा केन्द्र में संस्थापित किया जा सके।

भूतपूर्व सैनिकों को बैंक ऋण की स्वीकृति

3294. **श्री अजय मुशरान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक ने भूतपूर्व सैनिकों को बैंक ऋणों की स्वीकृति के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं का उचित प्रकार करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को मई और दिसम्बर, 1985 में भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए तैयार करने की विशेष योजना के अंतर्गत उन्हें बैंक ऋण मंजूर करने के बारे में मार्ग-निर्देश जारी किए थे। इस योजना का बुनियादी उद्देश्य गांवों में बसे, रिटायर होने वाले और रिटायर हो चुके रक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है ताकि उन्हें अपने घरों के निकट स्वरोजगार के धंधे शुरू करने में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने में उनकी मदद की जा सके। यह योजना फिलहाल देश में प्रयोग के आधार पर गोबिन्दगढ़, झुनझुन, पटियाला, कांगड़ा, बस्ती और उत्तरी अर्काट के चुने हुए 6 जिलों में चलाई जा रही है। आवश्यकता पर आधारित बैंक ऋण मंजूर करने के अलावा इस योजना में सरकार द्वारा पूंजी संबंधी आर्थिक सहायता और ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) बैंकों ने इस योजना पर सक्रिय रूप से अमल करने के लिए इसे संबद्ध शाखाओं में परिचालित किया है।

भारतीय चाय व्यापार निगम द्वारा आयात आपूरण लाइसेंसों की गुप्त बिक्री

3295. **श्री रामधन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय चाय व्यापार निगम द्वारा मूल्य से कम दर पर आयात आचरण लाइसेंस की कथित गुप्त बिक्री की जांच करने के लिए एक मामला पंजीकृत किया था और उसकी जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) निष्कर्षों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जांच चल रही है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में कर्मचारी

3296. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या **पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में कुल कितने व्यक्ति नियुक्त हैं; और

(ख) इन कर्मचारियों के वेतन निर्धारण चयन और भर्ती के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) 31-3-1986 की स्थिति के अनुसार भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या 6959 है।

कर्मचारियों के चयन और भर्ती के मानदण्ड भारत पर्यटन विकास निगम भर्ती प्रोन्नति वरिष्ठता नियमों में निर्धारित हैं जबकि उनके पारिश्रमिकों को निगम के कर्मचारियों के साथ हुए समझौते विवेक के अनुसार तय किया जाता है।

[हिन्दी]

कैलाश मानसरोवर मार्ग में परिवर्तन

3297. **श्री हरीश रावत**: क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा के पारम्परिक मार्ग टनकपुर चम्पावत पिथौरागढ़ नारायण आश्रम को हाल ही में बदल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परिवर्तन से पहले स्थानीय जनता की भावनाओं और जनता के स्थानीय प्रतिनिधियों की राय को भी ध्यान में रखा गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार संबंधित अधिकारियों को इस तीर्थयात्रा का पारम्परिक मार्ग पुनः अपनाने के निर्देश देगी ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी हां, यह परिवर्तन तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया है क्योंकि पहले के मार्ग में अक्सर भू-स्खलन और मार्ग रुक जाने से बाधाएं उत्पन्न हो जाती थीं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य

3298. **श्री आनन्द गजपति राजू** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुल और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के विजयनगर और श्रीकाकुलम जिलों में पटसन और मेस्टा की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में पटसन का उत्पादन नगण्य है। नई मेस्टा फसल की अवाक (जो एक पछेती फसल है) अगस्त के अन्त सितम्बर, 1986 के शुरू से आरम्भ होने की सम्भावना है। अतः नई मेस्टा फसल के लिए कोई कीमत कोट नहीं की जा रही है। तथापि, सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के मेस्टा बाटम के लिए न्यूनतम सांविधिक कीमत 1986-87 मौसम के लिए 211.00 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की है, जबकि पिछले मौसम के लिए 201/- रु० प्रति क्विंटल कीमत निर्धारित की गई थी।

(ग) पटसन/मेस्टा उपजकर्ताओं के हित में निम्नोक्त कदम उठाए गए हैं।

1. बुआई मौसम से पहले मार्च, 1986 में पहली बार कच्चे पटसन/मेस्टा की न्यूनतम सांविधिक कीमतें घोषित की गई थीं;

2. जे० सी० आई० तथा जे० सी० आई० के एजेन्ट के रूप में कार्य कर रही सहकारी समितियों ने उतने ही खरीद केन्द्र चलाने का निर्णय किया है जितने कि पिछले मौसम में चलाए थे;

3. जे०सी०आई० अपने समर्थन कार्यों के लिए व्यापक प्रचार कर रहा है और उपजकर्ताओं को यह सलाह दे रहा है कि वे न्यूनतम सांविधिक कीमतों से कम पर बिचौलियों को कच्चे पटसन/मेस्टा की कोई आयात बिक्री न करें।

पटसन मिलों का ऋण

3299. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक और बैंक आफ इंडिया ने पटसन मिलों को नए ऋण नहीं दिए हैं और डेल्टा जूट, केलविन जूट, कमारहट्टी जूट मिल्स तथा श्री अम्बिका जूट मिल्स के मामले में उनकी कार्यक्षमता के बारे में संयुक्त अध्ययन करने हेतु भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को भेजे है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बताया गया है कि डेल्टा जूट कम्पनी लिमिटेड, केलविन जूट कम्पनी लिमिटेड तथा कमारहट्टी जूट मिल्स को भारतीय स्टेट बैंक से तथा श्री अम्बिका जूट मिल्स को बैंक आफ इण्डिया से सहायता मिल रही है। इन एककों के मामले सम्बन्धित बैंकों द्वारा भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को, इन एककों की अर्थक्षमता का अध्ययन करने तथा इनके लिए पुनरुद्धार कार्यक्रम तैयार करने हेतु भेजे गए हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक से अभी रिपोर्ट प्राप्त होनी है। श्री अम्बिका जूट मिल्स के मामले में अर्थक्षमता अध्ययन करने के लिए कम्पनी को अभी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा

3300. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व निर्यात में वर्ष 1985-86 में भारत का हिस्सा 0.5 प्रतिशत से भी कम था जैसाकि 13 जुलाई, 1986 के "इकोनामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत विकास में पीछे रह गया है; और

(घ) क्या भारत के निर्यात को कुछ पूर्व एशियाई देशों के निर्यात की भांति इसमें वृद्धि करके कोई विश्वसनीय निर्यात नीति बनाई जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) विश्व निर्यातों के गाट अनुमानों के आधार पर वर्ष, 1985 के दौरान विश्व निर्यातों में भारत का अंश 0.46 प्रतिशत बनता है।

(ख) भारत के विदेश व्यापार को प्राभावित करने वाले तत्वों में शामिल हैं विश्व की कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का धीमा होना, कई विकसित देशों में भारत के निर्यातों के सामने आने वाले संरक्षणवादी अवरोधों, वस्तु बाजारों की मन्दी की हालत, निर्यात मांग के बराबर काल की अपर्याप्त वेशी अथवा सप्लाई, उद्योग का लागत ढांचा तथा अपर्याप्त अवस्थापना।

(ग) 1985 के लिए विश्व निर्यातों के गाट अनुमानों के आधार पर 1984 की तुलना में 1985 के दौरान विश्व निर्यातों में 0.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, 1984 की तुलना में 1985 के दौरान डालर के सन्दर्भ में भारत के निर्यातों में 0.65 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई। गिरावट आंशिक रूप से घरेलू शोधन क्षमता के विकास के कारण अप्रैल, 1985 से कच्चे तेल के निर्यात बन्द होने के कारण आई।

(घ) विगत हाल में हमारे निर्यातों को बढ़ाने की दृष्टि से जोरदार संवर्धनात्मक उपाय किए गए हैं। इनमें शामिल हैं—हमारे उत्पादन आधार में विविधता लाना, हमारे उत्पादक साधन का आधुनिकीकरण संस्थागत सहायताओं का सुदृढ़ीकरण, हमारी औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन और आवधिक संशोधन तथा निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन।

[हिन्दी]

बिरला इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी मेसरा, रांची को आयकर में छूट

3301. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओरिएंट पेपर मिल्ज, बृजराज नगर (उड़ीसा) ओरिएंट पेपर मिल्ज, अम्बालाई (मध्य प्रदेश); हिन्दुस्तान मोटर्स, उत्तर पाड़ा (पश्चिम बंगाल) को अनुसंधान कार्य पर किए जाने वाले व्यय की राशि के सम्बन्ध में आयकर से छूट मिली हुई है;

(ख) क्या बिरला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालोजी मेसरा, रांची को अनुसंधान कार्य करने के नाम पर आय कर में छूट दे दी गई है;

(ग) क्या बिरला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालोजी मेसरा, ने अपने वार्षिक बजट में न तो इस सम्बन्ध में किए जाने वाले व्यय की राशि का उल्लेख किया है और न ही ऐसा कोई अनुसंधान कार्य किया है;

(घ) यदि उपर्युक्त पैरा (क) से (ग) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या सरकार का विचार आय-कर में दी गई छूट के मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने का है और संबंधित अनुसंधान कार्य का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) द बिरला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालोजी मेसरा, ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत की हैं जिनमें ऐसे अनुसंधान कार्य पर व्यय के ब्यौरे भी शामिल हैं।

(घ) और (ङ) भाग (क) से (ग) तक के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए, बिरला इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालोजी मेसरा के मामले में आय-कर से दी गई छूट के मामले की जांच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रुपए का मूल्य और थोक मूल्य सूचकांक

3302. **श्री नारायण चौबे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1971, 1 अप्रैल, 1981 और 1 अप्रैल, 1986 को 1 अप्रैल, 1961 की तुलना में रुपए का मूल्य क्या था;

(ख) 1 अप्रैल, 1961 को आधार मानते हुए उपर्युक्त अवधि में थोक मूल्य सूचकांक क्या था; और

(ग) उपर्युक्त अवधि का अपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) रुपए की क्रय शक्ति जैसाकि अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) के व्युत्क्रम के रूप में मापी जाती है पहली अप्रैल, 1961 को 98.04 पैसे, पहली अप्रैल, 1971 को 54.35 पैसे, पहली अप्रैल, 1981 को 23.81 पैसे और पहली अप्रैल, 1986 को 15.67 पैसे थी।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

अवधि	सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार बदल कर पहली अप्रैल, 1961 कर दिया गया है)	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100)
1 अप्रैल, 61	100.0	102
1 अप्रैल, 71	178.5	184
1 अप्रैल, 81	484.3	420
1 अप्रैल, 86	642.8	638

जीवन बीमा निगम द्वारा केरल स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं को ऋण देने पर रोक लगाया जाना

3303. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने केरल स्थित अधिकांश सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं को सभी प्रकार के ऋण देना बन्द दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का जीवन बीमा निगम को अपने उक्त निर्णय की पुनरीक्षा करने के लिए निर्देश देने का विचार है ताकि इन संस्थाओं को इस संकटपूर्ण स्थिति से बचाया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम, केरल सरकार को तथा केरल अन्य पात्र अभिकरणों को समाजोन्मुखी क्षेत्रों के अधीन ऋण दे रहा है। किन्तु, 1986-87 के दौरान आवंटित धनराशियां गत वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों से संबंधित मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी करने में भारी चूक होने के कारण असंवितरित रह गईं, जिससे जीवन बीमा निगम द्वारा धनराशियों को फिर से निवेश किये जाने में बाधा उत्पन्न हो गई।

24/25 जुलाई, 1986 को त्रिवेन्द्रम में राज्य सरकार तथा जीवन बीमा निगम के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के फलस्वरूप, इस बात पर सहमति हुई थी कि बकाया राशियों को 3 छमाही किस्तों में जो 15.8.86 से आरंभ होंगी, अदायगी कर दी जायगी और जीवन बीमा निगम वर्ष 86-87 संबंध में धनराशियों को बकाया राशियों की पहली किस्त प्राप्ति के बारे में पात्रता मानदण्डों के अधीन जारी करने के प्रश्न पर विचार करेगा।

[हिन्दी]

भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 का प्रारूप

3304. **श्री मनकू राम सोढी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की स्वीकृति के लिए वर्ष 1982 में वित्त और गृह मंत्रालयों को भारतीय स्टाम्प (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 का प्रारूप भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) राज्य सरकार से मांगे गए कुछ स्पष्टीकरण अप्रैल, 1985 में प्राप्त हुए थे। भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय में मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

पान के पत्तों का निर्यात

3305. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पान के पत्तों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) 1985-86 के दौरान पान के पत्तों की कितनी मात्रा निर्यात की गई और चालू वर्ष में अब तक कितनी मात्रा निर्यात की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) निर्यात मुख्य रूप से उन मध्य पूर्व देशों को किए जा रहे हैं जिनमें इस मद का उपभोग करने वाला जाति विशेष का समुदाय है। चूंकि पान के पत्तों की निर्यात संभावना सीमित है, अतः इसके निर्यात बढ़ाने के कोई विशेष प्रस्तावों का विचार नहीं है।

(ख) अनन्तिम अनुमानों के अनुसार 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान पान के पत्तों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं—

वर्ष	मात्रा एम०टी० में	मूल्य लाख रु० में
1985-86	407	61
1986-87 (अप्रैल-जून)	94	17

बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में होटल आवास की आवश्यकता

3306. **श्री एस०जी० घोलप** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों के लिए बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में होटल आवास की अलग-अलग कुल कितनी आवश्यकता है;

(ख) उक्त शहरों में इस समय कितना आवास उपलब्ध है;

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में होटल आवास की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो और अधिक होटलों के निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) सातवीं योजनावधि के अंत तक देश में अनुमोदित सेक्टर के अन्तर्गत होटल आवास की कुल आवश्यकता 59,000 कमरे आंकी गई है। तथापि, इस प्रक्षिप्त आवश्यकता के शहर-वार वितरण का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) इस समय बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में अनुमोदित सेक्टर के अन्तर्गत होटल आवास में क्रमश: 4750, 6806, 1128 और 2254 कमरे उपलब्ध हैं।

(ग) पर्यटक यात्राकाल के दौरान, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता सहित महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों पर होटल आवास की कमी सामान्यत: अनुभव की जाती है।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम कुछ राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के रूप में होटलों का निर्माण कर रहा है। गैर-सरकारी लोगों के मामले में भी उन्हें कुछ कर/वित्तीय राहत; संस्थागत ऋण की सुविधा: एल०पी०जी० (कुकिंग गैस), टेली-फोन और टैलेक्स कनक्शनों जैसी अभावग्रस्त मदों का आबंटन करने के लिए प्राथमिकता से विचार; और आयात तथा विदेशों में विज्ञापन, प्रचार एवं संवर्धन के लिए विदेशी मुद्रा की मंजूरी और होटल परियोजनाओं द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सावधिक ऋणों पर ब्याज के लिए इमदाद देने की एक स्कीम द्वारा और अधिक होटलों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कटरा वैष्णों देवी के न्यास की आस्तियों के कथित दुर्विनियोग के बारे में शिकायत

3308. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें वैष्णों देवी जाने वाले लोगों और तीर्थयात्रियों के लाभ के लिए कटरा वैष्णों देवी के लोगों द्वारा बनाए गए सार्वजनिक न्यास की आस्तियों के कथित दुर्विनियोग और दुरूपयोग के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में वसूल किया गया कर

3309. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 से 1984-85 के दौरान राज्यवार राज्यों से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में कितनी राशि वसूल की गई; और

(ख) केन्द्रीय विभाज्य पूल से राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना यथा-संभव सीमा तक एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी

त्रिपुरा में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

3310. **श्री अजय विश्वास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1986 को त्रिपुरा में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी थे;

(ख) इस तारीख को इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रेणीवार कितने कर्मचारी थे;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जा रहा है और "रोस्टर" रखा जा रहा है;

(घ) क्या आरक्षित कोटे में कोई कमी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई सूचना नीचे दी गई है—

श्रेणी/संवर्ग	कुल कर्मचारी	इनमें से	
		अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी
अधिकारी	94	20	10
क्लर्क	185	50	15
अधीनस्थ कर्मचारी	110	29	12

(ग) से (ङ) बैंक ने सूचित किया है कि सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन किया जा रहा है और बैंक द्वारा आवश्यक रोस्टर रखे जा रहे हैं। बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की बकाया का, जो मुख्यत: उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण हैं, ब्यौरा नीचे दिया गया है—

श्रेणी	बकाया	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
अधिकारी	लागू नहीं होता है क्योंकि पदोन्नतियां अखिल भारतीय आधार पर की जाती हैं।	
क्लर्क	3	19
अधीनस्थ कर्मचारी	—	11

महानगरों में अल्पावधि के लिए ठहरने वाले पर्यटकों को सुविधाएं

3311. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन के क्षेत्र में भारी सफलता प्राप्त करने वाला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस वर्ष 10 लाख विदेशी पर्यटकों का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ग) सरकार द्वारा अल्पावधि के लिए ठहरने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं प्रदान करने के

लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है अथवा उठाए गए हैं जिससे कि उन्हें नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों की पुनः यात्रा करने की प्रेरणा मिलें ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी पर्यटक आगमनों में समग्र रूप से 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वर्ष दस लाख विदेशी पर्यटकों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

1. भारत का न केवल सांस्कृतिक गन्तव्य के रूप में बल्कि अवकाश विहार के रूप में भी संवर्धन किया जा रहा है जिसकी वर्ष में किसी भी समय यात्रा की जा सकती है; यू०के०, यूरोप और जापान में मन्दी अवधि संवर्धन किए गए हैं। यूरोप में "अफोर्डएबल इंडिया" नामोल्लेख के अंतर्गत स्कीम का विपणन किया जा रहा है और जापान में एक ग्रीष्मकाल यात्रा अभियान प्रारम्भ किया गया है।

2. प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने के अलावा उपभोक्ता मार्केट में अधिकार जमाने के लिए टी०वी०, रेडियों, वीडियो आदि जैसे इलैक्ट्रोनिक मीडिया का भी उपयोग किया जा रहा है।

3. उच्च निर्णय लेने वाले स्तर पर संवर्धनात्मक सेमिनारों का आयोजन किया जाता है।

4. भारत के बारे में सूचना देने तथा अभिप्रेरणात्मक उद्देश्यों की दृष्टि से विदेश यात्रा व्यवसाय को परिचय देने के लिए भारत संध्याओं का आयोजन किया जाता है।

5. भारत को समागम/सम्मेलन/प्रदर्शनी गंतव्य के रूप में महत्त्व दिया जा रहा है।

6. विभाग की अतिथ्य स्कीम के अन्तर्ग मीडिया/यात्रा व्यवसाय के लोगों को भारत आने के लिए अधिक निमन्त्रण भेजना।

7. विदेश में पुनराश्वासन अभियान चलाए जाते हैं ताकि आने वाले यात्रियों को यह आश्वासन दिलाया जा सके कि यात्रा की दृष्टि से भारत गड़बड़ी से मुक्त है।

8. अन्तर्राष्ट्रीय मेले और त्यौहारों में भारतीय यात्रा व्यवसाय के साथ संयुक्त भागीदारी।

9. यु०एस०ए० में भारत महोत्सव समारोहों से उत्पन्न अभिरूचि का लाभ उठाते हुए संवर्धनात्मक संध्याओं तथा सेमिनारों का आयोजन किया गया। विभाग "हैव दी फेस्टीवल आफ योअर लाइफ इन इंडिया इट इज वांडरफुल" नामोल्लेख से एक विशेष अभियान चला रहा है।

10. यूरोप से भारत तक पर्यटक चार्टर ट्रैफिक का संवर्धन।

11. राज्य सरकारों के परामर्श और सहयोग से प्रमुख पर्यटक केन्द्रों पर आधार संरचना में सुधार।

12. एअर इण्डिया, इण्डियन एयर लाइन्स और वायुदूत की सेवाएं बढ़ाना और उनमें

सुधार करना तथा उनकी क्षमता में वृद्धि करना।

(ग) पर्यटन विभाग एयर इण्डिया के सहयोग से भारतीय उप-महाद्वीप से परे किसी भी दिशा में किसी गंतव्य की एयर-इण्डिया द्वारा यात्रा कर रहे सभी व्यक्तियों के लिए "इण्डियन आन दी हाउस" नामक एक-एक मुश्त यात्रा की पेशकश कर रहा है। यह स्कीम बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली में कुछ चुनींदा होटलों में सम्मानार्थ रात-भर के आवास की पेशकश करती है। इस विशेष कार्यक्रम में सम्मानार्थ नाश्ता और एक भोजन तथा हवाई-अड्डे से होटल और वापसी तथा साथ-ही-साथ आधे दिन के दृश्यावलोकन के लिए निःशुल्क परिवन शामिल है।

अरणमूला में जल स्टेडियम

3312. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अरणमूला में विश्व बैंक की सहायता से एक जल स्टेडियम का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) पर्यटन विभाग को केरल राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

लघु सीमेंट कारखानों को उत्पादन शुल्क के भुगतान से छूट

3313. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार तथा छोटे उद्यमियों ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि लघु सीमेंट कारखानों को रुग्ण होने से बचाने के लिए उन्हें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के भुगतान से छूट दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राजस्थान के लघु उद्योग सीमेंट कारखानों ने बजट से पूर्व अभ्यावेदन दिए थे जिनमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट दिए जाने के लिए अनुरोध किया गया था। इस वर्ष के बजट में, सामान्य लघु उद्योग छूट को सीमेंट के सम्बन्ध में भी लागू कर दिया गया है। इसके परिणामतः इस सामान्य योजना के तहत लघु उद्योग सीमेंट एकक 15 लाख रु० तक को अपनी निकासियों पर छूट का लाभ उठा सकेंगी।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम द्वारा केरल को विकास कार्यों के लिए ऋण

3314. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जीवन बीमा निगम केरल को विकास कार्यों के लिए ऋण प्रदान नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार जीवन बीमा निगम को केरल को पहले की तरह ऋण देने के अनुदेश देने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम, केरल सरकार को तथा केरल के अन्य पात्र अभिकरणों को समाजोन्मुखी क्षेत्रों के अधीन ऋण दे रहा है। किन्तु, 1986-87 के दौरान आबंटित धनराशियां गत वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों से संबंधित मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी करने में भारी चूक होने के कारण असंवितरित रह गयी, जिससे जीवन बीमा निगम द्वारा धनराशियों को फिर से निवेश किए जाने में बाधा उत्पन्न हो गई। 24/25 जुलाई, 1986 को त्रिवेन्द्रम में राज्य सरकार तथा जीवन बीमा-निगम के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के फलस्वरूप, इस बात पर सहमति हुई थी कि बकाया राशियों को 3 छमाही किस्तों में जो 15.8.86 से आरम्भ होंगी, अदायगी कर दी जाएगी और जीवद बीमा निगम वर्ष 1986-87 के सम्बन्ध में धनराशियों को बकाया राशियों की पहली किश्त की प्राप्ति के बारे में पात्रता मानदण्डों के अधीन जारी करने के प्रश्न पर विचार करेगा।

विश्व-निर्यातों की तुलना में भारत द्वारा किया जाने वाला निर्यात

3315. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व निर्यातों मे भारत के योगदान में लगातार गिरावट आयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) 1980 से आगे विश्व निर्यातों में भारत का प्रतिशत शेयर निम्नोक्त अनुसार है—

कैलेंडर वर्ष	विश्व निर्यातों में प्रतिशत शेयर
1980	0.42
1981	0.42
1982	0.48

कैलेंडर	विश्व निर्यातों में प्रतिशत शेयर
1983	0.48
1984	0.46
1985	0.46

टिप्पणी : प्रतिशत शेयर, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय वर्ष पुस्तक 1979-80, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय मासिक बुलेटिन, मई, 1986 और 1985 के लिए विश्व निर्यातों के गाट प्राक्कलन में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर परिकलित किया गया है ।

(ख) विदेशी व्यापार को प्रभावित करने वाले कारणों में विश्व की कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मन्दा आना, अनेक विकसित देशों में भारत के निर्यातों के सामने आने वाली संरक्षणवादी अवरोध, वस्तु बाजारों की मंदी हालत, निर्यात मांग को पूरा करने वाले माल की अपर्याप्त वेशियां अथवा सप्लाई, उद्योग की लागत संरचना और अवस्थापना अपर्याप्तताएं उल्लेखनीय हैं ।

(ग) हमारे निर्यातों को बढ़ावा देने के विचार से अभी हाल ही में जोरदार संवर्धनात्मक उपाय किए गए हैं इनमें हमारे उत्पादन आधार का विविधीकरण, हमारे उत्पादक साधन का आधुनिकीकरण, संस्थागत सहायता बढ़ाना, हमारी औद्योगिक नीतियों का रूपान्तरण और आवधिक संशोधन तथा निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन देना शामिल है ।

विदेशी चार्टर मत्स्य पोतों की गतिविधियां

3316. **श्री डी०पी० जडेजा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क विभाग ने विदेशी चार्टर मत्स्य पोतों की गतिविधियों पर निगरानी रखी हैं ;

(ख) देश के समुद्री संसाधनों के संरक्षण के लिए निर्धारित की गई वर्तमान व्यवस्था क्या है ;

(ग) क्या सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में किसी उल्लंघन का पता लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सीमाशुल्क प्राधिकारी आमतौर पर अपनी तस्करी निवारण चौकसी के रूप में विदेशी चार्टर्ड मत्स्य जल पोतों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और ऐसे जल पोतों के पत्तनों पर आगमन और प्रस्थान पर तलाशी लेते हैं ।

(ख) विदेशी मत्स्य जलपोतों को, जिन्हें भारत के अनन्य आर्थिक जोन में चलने की अनुमति

प्रदान की जाती है लाइसेंस कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। अनन्य आर्थिक जोन में ऐसे जलपोतों की गतिविधियों को तटीय गार्ड द्वारा मानीटर किया जाता है। ऐसे जल पोतों को 45 दिन में एक बार नजदीक के पत्तन पर रिपोर्ट करनी होती है। उन्हें समुद्री तट से 12 नाविक (नोटीकल) मीलों के अन्दर संचालन की अनुमति नहीं दी जाती है और परिरक्षित जातियों को मछलियों और झोंगियों के पकड़ने से भी मनाई होती है। कृषि मंत्रालय के कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि चार्टर सम्बन्धी शर्तों का पालन हो रहा है उन्हें चार्टर्ड जलपोतों का निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। पांच जलपोतों के ऐसे मामले मद्रास और विशाखापट्टनम स्थित सीमाशुल्क प्राधिकारियों को जानकारी में आए हैं जिन्होंने चार्टर सम्बन्धी शर्तों का उल्लंघन करते हुए सीमाशुल्क निकासी के लिए बेस पत्तन पर रिपोर्ट किए बिना प्रस्थान किया। वर्ष 1984 के दौरान मै० ट्रोपिक्ल शिपिंग कम्पनी प्रा०लि० विशाखापटनम द्वारा भाड़े पर लिए गए दो जलयान लिचंग-I और II तथा मै० कोस्टल ट्रालेरस प्रा०लि० काकीनाडा द्वारा भाड़े पर लिए गए ताईवान के दो अन्य जलपोतों मांटा 11 और 12 इस अपराध में अन्तर्ग्रस्त थे। वर्ष 1986 में, मै० एकामा मरिनर्स लि०, विशाखापटनम द्वारा भाड़े पर लिया गया एक फिशिंग ट्रालर सानशेंग सं० 232 इस अपराध में अंतर्ग्रस्त रहा है। ये घटनाएं कृषि मंत्रालय को जारकारी में ला दी गई हैं।

दिल्ली में सम्राट होटल में पर्यटक के साथ छेड़छाड़ के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

3317. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के उन दो अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में सम्राट होटल में एक सोवियत पर्यटक के साथ कथित छेड़छाड़ की थी; और

(ख) क्या सरकार का विचार अवांछनीय पूर्ववृत्त वाले कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए उक्त निगम के सभी अधिकारियों के पूर्ववृत्त की समय-समय पर जांच करने का है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) इस मामले में अन्तर्ग्रस्त दोनों कर्मचारियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया था और उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया जा चुका है। इन दोनों द्वारा इस्तीफा दे दिए जाने के परिणामस्वरूप दोनों को कार्यमुक्त भी कर दिया गया था।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की, निगम में उनकी नियुक्ति से पहले चरित्र और पूर्ववृत्त की आवश्यक जांच की जाती है।

पर्यटक केन्द्रों पर संचार और अन्य सुविधाएं

3318. **श्री प्रतापभानु शर्मा** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिक संख्या में देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय पार्क में अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर्यटन केन्द्रों के लिए रेल और अन्य परिवहन प्रणाली तथा संचार सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने कान्हा, गिर, काजीरंगा, जल्दापारा, भरतपुर और नन्दनकानन सहित विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में वन गृहों के रूप में पर्यटक आधार-संरचना मुहैया की है । बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यानों/वन्य जीव अभ्यारण्यों में वन्य जीवों को देखने के लिए परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं ।

वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान, विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों/वन्य जीव अभ्यारण्यों में आधार-संरचना का विकास करने के लिए 300.00 लाख रु० का आबंटन किया गया है इस समय बेतला, मानस, सिमलीपाल, रणथम्बौर, बांधवगढ़ और अंचल स्थित राष्ट्रीय उद्यानों/वन्य जीव अभ्यारण्यों में वन गृहों का निर्माण प्रगति पर है ।

मदुमलाई, सुन्दरबन, दुधवा और कारबेट के सम्बन्ध में भी ऐसे प्रस्ताव विचाराधीन हैं । अनेक राष्ट्रीय उद्यानों/वन्य जीव अभ्यारण्यों में वन्य जीवों को देखने के लिए परिवहन सुविधाएं, यथा मिनी बसें और हाथी उपलब्ध कराए जा रहे हैं ।

(ग) जाने-माने अधिकांश राष्ट्रीय उद्यान रेल/सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं । पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग के पास बेहतर नेटवर्क मुहैया करा कर संचार प्रणाली में सुधार करने और साथ ही साथ अनिवार्य सड़कों का निर्माण करने अथवा राष्ट्रीय उद्यानों के अन्दर मौजूदा सड़कों/पुलियों का सुधार करने के लिए एक प्रावधान है ।

ब्याज की विभेदक दर योजना के अन्तर्गत ऋण

3319. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के पंचमहल जिले में (एक) सन्तरामपुर (दो) दारिया (तीन) झलोद (चार) दाहोद और (पांच) लिमखेड़ा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं हैं ;

(ख) इन बैंकों को गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से ब्याज की विभेदक दर योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ग) इस प्रकार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और कितने आवेदन पत्र बैंकों द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं और कितने आवेदन-पत्र अस्वीकार किए गए है तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या निर्धारित गति के अनुसार 1 प्रतिशत ऋण ब्याज की विभेदक दर योजना के अन्तर्गत दिए जाते हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जिन बैंकों ने । प्रतिशत तक ऋण

दिया है, उनका बैंकवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार दिनांक 31 मार्च 1986 को पंचमहल जिले के निम्नलिखित केन्द्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

केन्द्र का नाम	शाखाओं की संख्या
सन्तरामपुर	2
बारिया	शून्य
झलोद	2
दाहोद	5
लिमखेड़ा	1

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 1986 को विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों को राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों के नाम 22.87 लाख ऋण खातों के अधीन 257.12 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

(घ) वर्तमान नीति के सन्दर्भ में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिए गए बैंकों के अग्रिमों की राशि गत वर्ष के अन्त में उनके कुछ अग्रिमों का कम-से-कम एक प्रतिशत होनी चाहिए। दिसम्बर 1985 के अन्त की स्थिति के अनुसार, एकत्रित अनन्तिम आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित बैंकों ने विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया था—

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र

8. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकौर

9. इलाहाबाद बैंक

10. आन्ध्रा बैंक

11. बैंक ऑफ बड़ौदा

12. बैंक ऑफ इंडिया

13. केनरा बैंक

14. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

15. कार्पोरेशन बैंक

16. देना बैंक

17. इंडियन ओवरसीज बैंक

18. न्यू बैंक ऑफ इंडिया

19. पंजाब नेशनल बैंक

20. सिंडीकेट बैंक

21. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

22. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

23. यूको बैंक

24. विजया बैंक

दक्षिण भारत में चाय उद्योग में संकट

3320. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण भारत में चाय उद्योग में व्याप्त संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) (क) और (घ) : दक्षिण भारत में चाय उद्योग से दक्षिण भारतीय नीलामी केन्द्रों में अलाभकारी कीमतों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारतीय नीलामी केन्द्रों में मुख्य रूप से कुछ प्रमुख आयातक देशों द्वारा खरीदारी संचालन धीमे होने तथा साथ ही साथ अन्तराष्ट्रीय चाय कीमतों में गिरावट के कारण मूल्यों में कमी रही। दक्षिण भारत में नीलामी केन्द्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए दक्षिण भारतीय चाय के प्रमुख आयातकों

को राजी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यूरोप में खनिज एवं धातु व्यापार निगम की व्यापार सम्बन्धी व्यवस्था

3321. **श्री श्रीहरि राव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज एवं धातु व्यापार निगम का लगभग 2000 लाख डालर मूल्य का जवाबी व्यापार करने के लिए यूरोप स्थित अनेक अग्रणी व्यापारिक घरानों के साथ समझौते करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन विदेशी व्यापारिक घरानों के नाम क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) (क) और (ख) : खनिज व धातु व्यापार निगम, अपने सामान्य व्यापार क्रिया-कलाप के एक अंश के बतौर विदेशों से माल के आयात और भारतीय माल के निर्यात के लिए विभिन्न अंतराष्ट्रीय व्यापार कम्पनियों के साथ, जिनमें यूरोप की कम्पनियां भी शामिल हैं, निरंतर वार्ताएं करता है तथा सविदाय और करार करता है।

इस सम्बन्ध में ब्यौरा बताना निगम के वाणिज्य हित में नहीं होगा।

पश्चिम जर्मनी से सहायता

3322. **श्री शांताराम पौतवुखे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या पश्चिम जर्मनी भारत को विकास सहायता देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि के लिए सहमति दी है, और

(ग) इस प्रकार सहायता के लिए निर्धारित शर्तें क्या हैं?

वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) : जर्मन संघीय गणराज्य, भारत को वार्षिक आधार पर विकास सहायता देता है। 1986 के लिए 395 मिलियन ड्यूश मार्क-(225 करोड़ रुपये) वित्तीय सहायता (उदार ऋण) के रूप में और 33 मिलियन ड्यूश मार्क (18.75 करोड़ रुपये) तकनीकी सहायता अनुदान के रूप में स्वीकृत किया गया है। वित्तीय सहायता में विशिष्ट परियोजगाओं के लिए 150 मिलियन ड्यूश मार्क शामिल हैं। यह राशि मिश्रित वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत, वाणिज्यक शर्तों पर 1.50 मिलियन ड्यूश मार्क के एक निर्यात ऋण के बराबर की होगी।

(ग) जबकि उदार ऋण पर 0.75 प्रतिशत की दर पर ब्याज लगेगा व इसकी वापसी अदायगी 50 वर्ष में की जायेगी जिसमें 10 वर्षों का अधिस्थगनकाल भी शामिल है; तकनीकी सहायता शत-प्रतिशत सहायक-अनुदान के रूप में दी जाती है।

विस्कोस स्टैपल फाइबर की कमी

3323. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्कोस स्टैपल फाईबर की भारी कमी और इसके अलाभकर मूल्यों के कारण 70 कताई मिलें बंद हो गई हैं;

(ख) क्या यह कमी कुछ एकाधिकार गृहों द्वारा पैदा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो कताई मिलों को उचित मूल्य पर विस्कोस स्टैपल फाईबर की निरन्तर व नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ख) जी नहीं।

मार्च, 1986 में ग्वालियर रेयन्स के नागदा एकक में हड़ताल के कारण विस्कोस स्टेपल फाइबर के उत्पादन में अस्थायी रूप से रुकावट आई। किन्तु यह हड़ताल समाप्त हो गई है और इस एकक ने मई, 1986 से पुनः उत्पादन करना शुरू कर दिया है।

स्वदेशी उत्पादन तथा ओ० जी० एल० के अन्तर्गत आयातों के जरिए रेगुलर विस्कोस स्टेपल फाइबर की उपलब्धता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश) को मंजूरी न देना

3324. **श्री गोपाल कृष्ण थोटा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, काकीनाडा को अब तक मंजूरी नहीं दी है ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, काकीनाडा ने बड़े संयंत्रों और मशीनरी का आयात करने के लिए विदेशी तकनीकी सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बिडों के वास्ते अभी तक सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है।

[हिन्दी]

"अमरीका 141 भारतीयों को वापस भेजेगा" शीर्षक से समाचार

3326. **श्री शांति धारीवाल**

श्री भट्टम श्रीरामूर्ति

श्री धर्मपाल सिंह मलिक

श्री आर० एस० भोये

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1986 के "नवभारत टाइम्स" में "अमरीका 141 भारतीयों को वापस भेजेगा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में अमरीका सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या, और सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार इस बात से अवगत है कि अमरीका की सरकार ऐसे बहुत से भारतीय राष्ट्रिकों को भारत निर्वासित कर सकती है जो अमरीका, कनाडा और कीनिया के कुछ राष्ट्रिकों के साथ मिलकर विदेशियों को चोरी-छिपे गैर कानूनी तौर पर अमरीका से जाने का काम कर रहे थे।

[अनुवाद]

ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत ऋण की राशि बढ़ाना

3327. **श्री ए० वी० वी० महेश्वर राव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत ऋण की राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ये ऋण कब तक दिए जाने की आशा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। संभवतः माननीय सदस्य का आशय शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की योजना से है, जो वर्ष 1983-84 में शुरू की गई थी।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कम मूल्य पर गेहूं का निर्यात

3328. **प्रो सैफुद्दीन सोज** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गेहूं का 1.25 रुपये प्रति किलो के हिसाब में निर्यात कर रहा है जबकि गेहूं का भारत में न्यूनतम मूल्य 2 रुपये प्रति किलो है और भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद मूल्य 1.62 रु० प्रति किलो है; और

(ख) क्या यह भारतीय रुपये का अवमूल्यन है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) (क) : गेहूं का निर्यात प्रचलित अन्तराष्ट्रीय कीमतों पर किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

परिचर्या ग्रहों तथा गैर-सरकारी अस्पतालों के लिए बैंक ऋण

3329. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्याज को विभेदक दर योजना के अन्तर्गत बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए परिचर्या गृहों और गैर-सरकारी अस्पतालों को उद्योगों की सूची में सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) नर्सिंग होम तथा गैर सरकारी अस्पताल विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर बैंक वित्त के पात्र नहीं हैं क्योंकि यह योजना विशेष रूप से समाज के कमजोर से कमजोर वर्गों द्वारा बैंक वित्त सहायता से उत्पादक धन्धे शुरू करने के लिए बनाई गई है।

विदेशों में परामर्श सेवा कार्यालय खोलना

3330. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परामर्श सेवा के निर्यात को प्रोत्साहन देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन देशों में कार्यालय खोले जाएंगे, और

(ग) इससे भारत के निर्यात में कितनी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (ग) परामर्शी सेवाओं के निर्यात को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि :

(1) परामर्शी सेवाओं के निर्यात के सम्बन्ध में सेवा भाग से अर्जित निवल विदेशी मुद्रा आय के 10 प्रतिशत के बराबर परियोजना सहायता दी जाए ;

(2) विदेशी बाजारों के लिए एक क्रमिक मान आधार पर परामर्शी सेवाओं के लिए बोली की लागत की वापसी के लिए बाजार विकास सहायता दी जाए ; और

(3) कार्यालयों के खोलने और संचालन के लिए किए गए अनुमोदित आवर्ती खर्चों पर परामर्शी संगठनों को एक क्रमिक मान आधार पर सहायता की दरों में वृद्धि की जाए।

उपर्युक्त उपाय प्रोत्साहनों के रूप में हैं तथा परामर्श संगठनों को आवश्यक निर्वाधन प्राप्त करने के बाद विदेशों में कार्यालयों को खोलने की स्वतन्त्रता है।

उपर्युक्त उल्लिखित उपायों से परामर्शी सेवाओं के निर्यातों को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। तथापि, यह बताना संभव नहीं है कि उनका प्रभाव कितना होगा।

कपास की गांठों का निर्यात

3331. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितनी कपास की गांठों का निर्यात किया गया है, और उनसे कितना लाभ हुआ ;

(ख) क्या भारतीय कपास निर्यातकों को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई अनुभव होती है ;

(ग) क्या सरकार ऐसे निर्यातकों को नगद प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत रखने पर विचार करेगी ; और

(घ) निर्यातों को बढ़ाने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 18.7.1986 तक निर्यात के लिए 5,25,123 गांठों की मात्रा का पंजीकरण किया गया था जबकि 4,50,721 गांठों की मात्रा का निर्यात किया गया है। इन सौदों में हुए लाभों के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) भारतीय रुई निर्यातकों को विश्व भर में विशेष रूप से पाकिस्तान, चीन और सं० रा० अमरीका में हुई भरपूर फसल के मुख्य कारण से चालू रुई मौसम के दौरान रुई का निर्यात करने में कठिनाई हो रही है।

(ग) रुई के निर्यातों को नकद मुआवजा सहायता के अन्तर्गत लाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सरकार द्वारा लम्बे रेशे की रूई पर न्यूनतम निर्यात कीमत हटा दी गई है तथा रूई के निर्यात के सम्बन्ध में एक दीर्घावधि नीति तैयार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

रुई गोदामों में आग

3332. **श्री सी० अंगा रेड्डी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी, सहकारी समितियों या भारतीय रुई निगम के कितने रुई गोदाम आग में नष्ट हुए; और

(ख) किन स्थानों पर आग लगी तथा इनमें अलग-अलग, कितनी हानि हुई ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारतीय रुई निगम द्वारा किराए पर लिए गए 6 गोदाम, जिनमें से एक सेन्ट्रल वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन का, 4 निजी गोदाम और एक किसी सहकारी समिति का था, आग में नष्ट हुए हैं। सहकारी समितियों और निजी पार्टियों के संबंध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) इन घटनाओं के स्थान तथा प्रत्येक घटना में हुई कुल हानि नीचे दिए गए अनुसार है :

स्थान	अनुमानित हानि (करोड़ रु० में)
1. सेन्ट्रल वेअर हाउसिंग कारपोरेशन गोदाम, गणपावरम (आन्ध्र प्रदेश)	1.48
2. मैसर्स सत्यासाई इन्डस्ट्रीज पेरी चेरला का गोदाम, गुटूर (आन्ध्र प्रदेश)	1.10
3. तुन्गभद्र गिनिंग फैक्टरी, बैल्लारी (कर्नाटक)	1.32
4. मल्लावरपन एण्ड का०, ताड़ीकोण्डा (आन्ध्र प्रदेश)	0.11
5. सेशादरी गिनिंग एण्ड प्रेसिंस फैक्टरी, पुल्लादिगुन्ता (आन्ध्र प्रदेश)	0.77
6. कार्थो मिल्स कार्पो० गिनिंग मिल्स, फुलबाड़ी, मेघालय	0.07
कुल	4.85

उत्पाद शुल्क की बकाया राशि

3333. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनकी ओर 5 करोड़ रुपए से अधिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बकाया है तथा, मार्च, 1984, 1985 और 1986 के अन्त तक प्रत्येक कम्पनी की ओर कितनी-

कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इसकी तुलना में इन कम्पनियों से, प्रतिवर्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को कितनी बकाया राशि वसूल की गई और सम्पूर्ण राशि वसूल न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन कम्पनियों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भुगतान करने में की गई लगातार चूक को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इन फर्मों को काली सूची में दर्ज करने और लाइसेंस जारी करने, शेयर जारी करने, विदेशी मुद्रा में ऋण देने आदि के मामले में प्रतिबन्ध लगाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

जहां तक समस्त देय रकमों को वसूलों के कारणों का सम्बन्ध है, बहुत सी मांगे इसलिए बकाया पड़ी हैं क्योंकि न्यायालय और अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरणों ने स्थान आदेश पारित किए हुए हैं। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को बकाया रकम की वसूली करना एक सतत प्रक्रिया है और शुल्क को बकाया रकमों को वसूली के लिए समय-समय पर जो भी प्रशासनिक, विधिक और अन्य उपाय किए जाने आवश्यक समझे जाते हैं, किए जाते रहते हैं।

(ग) और (घ) कंपनियों के निकासी के प्रस्तावों पर विचार करते समय, सरकार कंपनियों के कर-निष्पादन सहित उनके समग्र निष्पादन को ध्यान में रखती है। शेयरों, विदेशी मुद्रा का आबंटन आदि की दरख्वास्तों पर मंजूरी मौजूदा मार्गनिर्देशों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, दी जाती है।

शिव सागर को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना

3334. **श्री पराग बालिहा** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तरी असम में शिव-सागर के ऐतिहासिक महत्व और इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) असम सरकार ने शिव-सागर में एक धर्मशाला के निर्माण के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग से सहायता मांगी है।

(ग) राज्य सरकार को अभी एक उपयुक्त भू-खंड का अभिनिर्धारण करना है तथा केन्द्रीय

सरकार को इसकी सूचना भिजवानी है।

सिक्कों को गैर-कानूनी तौर पर गलाया जाना

3335. **श्री मुरली देवरा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय प्रचलन में भारी मात्रा में सिक्कों को गैर-कानूनी तौर पर गलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या इस्पात के सिक्के चलाए जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) क्या यह सच है कि 5 और 10 पैसे के सिक्कों को बन्द किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जानार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सिक्कों की जमाखोरी तथा उन्हें गलाने के सम्बन्ध में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने, जिन्हें हाल ही में इस विषय में लिखा गया था, बताया है कि सिक्कों को गलाने के बारे में किसी मामले का पता नहीं लगा है। गलाने की नीयत से सिक्कों की जमाखोरी और उन्हें गलाना, छोटा सिक्का (अपराध) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत एक संज्ञेय अपराध हैं। एक बार फिर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का ध्यान उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों की ओर दिलाया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि जब कभी ऐसे किसी उल्लंघन का पता चले तो उस पर तुरन्त कार्रवाई की जाए।

(ग) जी, हां, 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे मूल्य वर्ग के फैरेटिक स्टेनलैस स्टील के सिक्के जारी करने का निर्णय किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चिट फंड व्यवसाय चलाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों पर प्रतिबन्ध

3336. **श्री पी०ए०एन्टनी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिट फंड संबंधी कारोबार करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों पर कोई प्रतिबन्ध है ;

(ख) क्या सरकार को इस प्रतिबन्ध के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 86 के अनुसार कोई भी बैंक इस अधिनियम के लागू होने के बाद चिट फंड संबन्धी कारोबार न ही शुरु करेगा और न ही उसे चलाएगा। लेकिन इस अधिनियम की धारा 87 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से, राज्य सरकारें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को इस अधिनियम के सभी अथवा किसी उपबन्ध के लागू होने से छूट दे सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक को केरल सरकार से शहरी सहकारी बैंकों को चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 26 की सीमा से छूट देने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले पर विस्तृत विचार किया है और बैंक का मत है कि केवल बैंकों को चिट फंड कारोबार करने के लिए छूट देना बैंकिंग नीति के विपरीत होगा।

तकलियों के प्रयोग का विस्तार

3337. श्री वी०एस० विजयराघवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान कपड़ा एककों से तकलियों के प्रयोग के विस्तार के लिए सरकार को कितने आवेदन प्राप्त हुए ; और

(ख) उन पर क्या निर्णय लिए गए ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बासमती से भिन्न किस्म के चावल का निर्यात

3338. श्री के० कुन्हम्बु : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान बासमती के अलावा दूसरी किस्म का कितना चावल निर्यात किया गया ;

(ख) इस चावल का निर्यात किन-किन देशों को किया गया है इसका कुल कितना मूल्य है; और

(ग) वर्ष 1987-88 के लिए निर्यात की क्या योजना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) 1985 के दौरान गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं दी गई।

(ग) सरकार ने 1986-87 के दौरान गैर-बासमती चावल की सीमित मात्रा का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। 1987-88 के लिए निर्यात नीति, उत्पादन-संभावनाओं और निर्यात के लिए उपबन्ध सम्भावित अधिशेषों के निर्धारण को मद्दे नजर रखते हुए विनिश्चित की जाएगी।

स्टर्लिंग डालर वाले देशों को निर्यात में कमी

3339. श्री परसराम भारद्वाज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्यात होने वाली मदों में वृद्धि होने और भारतीय वस्तुओं के नए बाजारों में जाने के बावजूद स्टर्लिंग और डालर वाले देश को होने वाले निर्यात में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत के विदेशी व्यापार को प्रभावित करने वाले क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) हाल के कुल वर्षों में पश्चिमी यूरोप सं० रा० अमरीका और कनाड़ा को हुए भारतीय निर्यातों में वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भाग के विदेश व्यापार को प्रभावित करने वाले कारणों में शामिल हैं ; विश्व की कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्ताओं में मन्दी, अनेक विकसित देशों में भारतीय निर्यातों के सामने आ रही संरक्षणवादी बाधाएं, वस्तु बाजारों की मन्दी स्थिति, निर्यात मांग के अनुरूप माल की अपर्याप्त बेशियां अथवा सप्लाई, उद्योग का लागत ढांचा और अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की अपर्याप्ता।

मसालों का उत्पादन

3340. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में इलायची, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, मिर्च और केसर जैसे कुछ प्रमुख मसालों का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इन मसालों का, राज्यवार कितना निर्यात हुआ;

(ग) उपर्युक्त छह वस्तुओं के संबन्ध में अनुसंधान और विकास पर राज्यवार कितनी धन राशि खर्च की गई ; और

(घ) इनमें से प्रत्येक वस्तु की उत्पादकता को बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या सुनिश्चित परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) एक विवरण संलग्न है। (**विवरण I**)

(ख) भारत के निर्यातों के राज्यवार आंकड़े संकलित नहीं किये जाते। तथापि, अखिल भारत स्तर पर निर्यात आकड़े संलग्न एक अन्य विवरण में दिए गए हैं। (**विवरण II**)

(ग) अन्य विवरण संलग्न है। (**विवरण III**)

(घ) जबकि अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में बढ़े हुए उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करना संभव नहीं है फिर भी मसालों की उत्पादकता और क्वालिटी में सुधार हुआ है।

विवरण I

उत्पादन हजार मै० टन में

राज्य	1982-83	1983-84	1984-85
इलाइची			
कर्नाटक	1.7	1.8	1.8
केरला	1.9	2.0	2.0
सिक्किम	3.5	4.0	3.8
तमिलनाडू	0.5	0.5	0.5
पश्चिम बंगाल	—	0.6	0.6
आल-इण्डिया	7.6	8.9	8.7
काली मिर्च			
कर्नाटका	0.7	0.7	0.6
केरल	25.7	21.7	19.4
तमिलनाडू	0.2	0.3	0.6
आल-इण्डिया	26.6	22.7	20.6
अदरक			
आंध्र-प्रदेश	4.7	7.9	5.3
हिमाचल प्रदेश	0.5	0.7	1.0
केरल	32.7	36.7	34.4
मध्य प्रदेश	2.4	3.4	3.3
मेघालय	24.1	27.8	28.6
उड़ीसा	5.4	12.7	12.8
राजस्थान	0.2	0.2	0.7
सिक्किम	5.9	8.6	8.7
पश्चिम बंगाल	5.0	5.6	5.9

उत्पादन हजार मै० टन में

राज्य	1982-83	1983-84	1984-85
कर्नाटक	3.1	3.0	3.4
उत्तर प्रदेश	3.8	3.5	4.3
मिजोरम	1.3	5.4	8.0
अन्य	5.1	5.8	6.5
आल-इण्डिया	94.2	121.3	122.9
हल्दी			
आंध्र प्रदेश	71.0	80.1	79.9
असम	5.0	5.3	5.3
महाराष्ट्र	13.2	12.5	12.9
उड़ीसा	22.2	35.4	41.0
तमिलनाडु	35.9	47.6	69.8
पश्चिम बंगाल	—	6.9	7.8
बिहार	7.0	5.3	7.3
कर्नाटक	8.5	8.2	8.9
मध्य प्रदेश	0.4	0.4	0.4
अन्य	9.9	10.8	10.8
आल इण्डिया	173.1	212.5	243.8
मिर्च			
आन्ध्र प्रदेश	191.6	179.4	231.5
आसाम	5.7	5.5	6.7
बिहार	15.4	15.3	12.4
गुजरात	13.1	14.6	14.0
हरियाणा	9.6	9.3	8.2
कर्नाटक	48.4	50.7	45.7

उत्पादन हजार मै० टन में

राज्य	1982-83	1983-84	1984-85
मध्य प्रदेश	15.3	17.0	14.6
महाराष्ट्र	71.9	69.8	70.3
उड़ीसा	38.6	64.0	72.9
पंजाब	10.2	9.9	4.8
राजस्थान	24.0	32.3	30.1
तमिलनाडु	46.0	44.7	42.5
उत्तर प्रदेश	20.8	17.8	16.0
पश्चिम बंगाल	17.8	26.5	28.5
अन्य	10.5	9.7	9.2
आल इण्डिया	538.9	566.5	605.4

केसर

केसर के लिए उत्पादन आंकड़े अलग से संकलित नहीं किए जाते हैं।

विवरण II

मात्रा मै० टन
मूल्य लाख रु०

वस्तुएं	1983-84		1984-85		1985-86 (फरवरी 1986 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
काली मिर्च	25787.3	4134.7	25426.5	6051.4	26093.3	11766.6
इलायची	258.1	544.2	2383.3	6480.5	2871.0	4752.9
मिर्च	10610.5	878.3	8159.7	966.6	934.8	1162.6
हल्दी	10891.9	1105.5	12922.9	1715.7	7103.7	980.1
अदरक	4629.0	1190.2	7328.9	1872.8	5562.6	946.8
केसर	0.6	2.3	0.3	1.2	0.1	0.42

विवरण III

अनुसंधान पर खर्च की गई राशि — रुपयों में

राज्य	फसल	1983-84	1984-85	1985-86	
केरल	इलायची	62,400	1,08,200	11,000	
केरल	काली मिर्च	1,04,900	1,07,900	87,750	
केरल	अदरक और हल्दी	48,300	66,800	58,500	
केरल	सी पी सी आर आई पर सभी मसाले, कालीकट				छठी योजना के लिए 119.39 लाख रु०
कर्नाटक	इलायची	1,44,200	83,900	89,000	(5 वर्ष)
	काली मिर्च	34,000	—	—	
तमिलनाडु	इलायची	40,700	76,600	56,200	
आन्ध्र प्रदेश	काली मिर्च	69,200	57,100	33,000	
हिमाचल प्रदेश	अदरक और हल्दी	65,500	78,000	66,700	
उड़ीसा	अदरक और हल्दी	77,200	1,36,500	15,000	

मिर्चों पर अनुसंधान पर खर्च की राज्यवार सांख्यिकी संकलित नहीं की जाती है ।

अनिवासी भारतीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की समीक्षा

3342. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो कब और उक्त समीक्षा बाद क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश संबंधी योजनाओं के कार्यकरण की सरकार ने हाल ही में समीक्षा की है तथा वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अनिवासी भारतीय निवेश योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई निवेश सुविधाएं पर्याप्त एवं सन्तोषजनक है और अब शीघ्र तथा सुगम स्वीकृति व प्रस्तावों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रक्रियाओं में और सुधार करने की दिशा में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

दिल्ली में इण्डियन ओवरसीज बैंक की शाखाएं

3343. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली क्षेत्र में इंडियन ओवरसीज बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं;

(ख) दिल्ली क्षेत्र में उक्त बैंक में कुल कितने शाखा प्रबन्धक हैं; और

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने शाखा प्रबन्धक हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि दिल्ली क्षेत्र में जिसमें संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली सहित राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्य आते हैं, बैंक की 41 शाखाएं हैं और इस प्रकार इस क्षेत्र में शाखा प्रबन्धकों के 41 पद हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि इस समय दिल्ली क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई शाखा प्रबन्धक नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेश लागू करना

3344. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी की गई "सेवाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी पुस्तिका (ब्रोशर)" में अन्तर्विष्ट सरकार के निर्देश बैंकों में तब तक लागू नहीं किए जाते जब तक कि बैंकिंग विभाग द्वारा इस आशय के विशेष आदेश जारी नही किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पुस्तिका (ब्रोशर) में कोई ऐसे निर्देश हैं जो विशेष रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी नहीं किए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त पुस्तिका (ब्रोशर) को बैंकों पर लागू करने के लिए एक सामान्य आदेश जारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) तत्कालीन गृह मंत्रालय द्वारा जारी ब्रोशर में दिए गए सभी निदेश और उनमें समय-समय पर किए गए संशोधन वास्तविक अर्थ में सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होते हैं। लेकिन ब्रोशर को सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू करने के लिए एक सामान्य आदेश जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि पदों के वर्गीकरण और भर्ती/पदोन्नति आदि के तरीकों में कई भिन्नताएं हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में आरक्षण सम्बन्धी निदेश उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लागू किए जाते हैं।

निर्यातकों द्वारा विदेशी मुद्रा को अपने पास रखना

3345. **डा० बी० एल० शैलेश :**
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाय के रूप में भारतीय निर्यातकों को उनकी विदेशी मुद्रा की आय का कुछ भाग अपने पास रखने की अनुमति देने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की व्यापक रूप रेखा क्या है; और

(ग) रोक कर रखी गई विदेशी मुद्रा को किस प्रकार से उपयोग में लाया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) भारतीय निर्यातकों को अपनी विदेशी मुद्रा का कुछ भाग अपने पास रखने की अनुमति देने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया गया था लेकिन स्वीकार नहीं किया जा सका।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक कम्पनियों की हामीदारी

3346. **डा० बी०एल० शैलेश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनवेस्टमेंट और फाइनान्स कम्पनियों को कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक कम्पनियों की हामीदारी करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव उनके मन्त्रालय के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव में कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, यदि हां, तो वह क्या है; और

(ग) इस पर देश के शेयर बाजारों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने निम्नलिखित सुरक्षापायों (मानदण्डों के अनुसार निवेश) वित्त कम्पनियों को अपने सार्वजनिक पूंजी निर्गमों की हामीदारी करने की अनुमति देने के प्रस्तावों पर स्टाक एक्सचेंजों की राय मांगी है :—

1. ऐसी कम्पनियां किसी एक या एक से अधिक स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होनी चाहिए और उनकी प्रदत्त इक्विटी पूंजी तथा निवल सम्पत्ति क्रमशः 2 करोड़ रुपए और 3 करोड़ रुपए होनी चाहिए।

2. ऐसी कम्पनियां द्वारा उठायी गई हामीदारी कुल मिलाकर कम्पनी के कुल हामीदारी निर्गम के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और किसी कम्पनी द्वारा की गई हामीदारी कम्पनी के कुल हामीदारी निर्गम के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. हामीदारी के कारण कम्पनी का कुल व्यय स्टाक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई व्यय सीमा के भीतर ही होना चाहिए।

4. कम्पनी कम से कम 5 वर्षा से विद्यमान रही हो तथा उसने कम से कम पिछले 3 वर्षों में लाभ कमाया हुआ होना चाहिए।

(ग) देश के सभी स्टाक एक्सचेंजों की राय अभी प्राप्त नहीं हुई है।

खाद्य तेल का आयात

3347. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "औद्योगिक" सूरजमुखी का तेल, पाम कर्नता तेल तथा पाम ऐसिड तेल सहित करोड़ों रुपए मूल्य के खाद्य तेल कांडला पत्तन पर रुके पड़े हैं और इन वस्तुओं के शीघ्र ही पहुंचने की आशा है;

(ख) क्या ये मदें राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मंगाई जाती है और इनका गैर सरकारी व्यापारियों द्वारा आयात नहीं किया जा सकता;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच के आदेश दिए गए थे कि गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा कैसे आयात किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) यदि नहीं तो स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है; और

(च) इसमें कौन-कौन-सी पार्टियां शामिल हैं; उनके आयातों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य क्या है और किस देश से आयात किया गया तथा इसके लिए किस प्रकार धन जुटाया गया?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) जी, हां।

कांडला सीमा शुल्क कार्यालय ने यह सूचित किया है कि कुछ निर्यात सदनों द्वारा अतिरिक्त लाइसेंस पर आयातित औद्योगिक गोंद रहित सोयाबीन तेल (अखाद्य), पांम गिरी आयल और पांम एसिड आयल की क्लीयरेंस रोक दी गई है क्योंकि उपर्युक्त मदों का आयात, आयात और निर्यात नीति, अप्रैल 1985, मार्च 1988 (खण्ड-1) के अन्तर्गत सरणीबद्ध है।

(ग) से (ङ) कांडला सीमा-शुल्क कार्यालय ने इन मामलों में अधि-निर्णय की कार्यवाही शुरू कर दी है।

(च) कांडला सीमा-शुल्क कार्यालय द्वारा सूचित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	पार्टी का नाम	आयात की मद	मात्रा	घोषित सी०आई० एफ० मूल्य
1.	मै० एम०आर० भन्साली एण्ड कं०, बम्बई।	इंडस्ट्रियल डेग्यूम्ड सोयाबीन आयल	125मे०टन	रु० 6,03,715.17
2.	मै० विजय कुमार एण्ड कं०, बम्बई।	— तदैव —	4375 मे०टन	रु० 2,11,300.30
3.	मै० रजनीकान्त ब्रदर्स, बम्बई।	इंडस्ट्रियल क्रूड पाल्म करनेल आयल	999.689 मे०टन	रु० 33,42,613.40
4.	मै० एम०आर० भन्साली एण्ड कं०, बम्बई।	क्रूड पाल्म करनेल आयल	508.793 मे०टन	रु० 15,24,803.82
5.	मै० रजनीकान्त ब्रदर्स, बम्बई।	पाल्म ऐसिड आयल	1757.97 मे०टन	रु० 35,91,579.01
6.	मै० एम०आर० भन्साली एण्ड कं०, बम्बई।	कूड पाल्म स्टेरिन	1946.475	रु० 53,89,864.39
7.	मै० बी० अरुण कुमार एण्ड कं०, बम्बई।	पाल्म पटी एसिड डिस्टाइलेट	46.725 मे०टन	रु० 9,84,222.89
8.	मै० रजनीकान्त ब्रदर्स, बम्बई।	इंडस्ट्रियल पाल्म स्टेरिन	499.617 मे०टन	रु० 14,62,984.20

क्रम सं०	पर्टी का नाम	आयात की मद	मात्रा	घोषित सी०आई० एफ० मूल्य
9.	मै० श्रेनुज एण्ड कं०, बम्बई।	इंडस्ट्रियल पाल्म स्टेरिन	999.215 मे०टन	रु० 29,25,912.70
10.	मै० बी० विजय कुमार एण्ड कं०, बम्बई।	पाल्म एसिड आयल	1994.191 मे०टन	रु० 41,44,099.00

रसायनों और अन्य सम्बन्धित उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य

3348. **श्री एन० डेनिस** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रसायनों और अन्य सम्बन्धित उत्पादों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या गत वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रसायनों और अन्य सम्बन्धित उत्पादों के निर्यात के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य 1003 करोड़ रु० है।

(ख) सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषदों से प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार लक्ष्य के बराबर निर्यात होने की संभावना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रबड़ प्रयोक्ताओं द्वारा रबड़ की मांग को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाना

3349. **श्री के० मोहनदास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि रबड़ प्रयोक्ता सरकार के समक्ष प्रायः रबड़ की बढ़ी हुई मांग रखते हैं और सरकार को इसका अधिक आयात करने के लिए बाध्य करते हैं ताकि देश में प्राकृतिक रबड़ की कीमत कम हो सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास रबड़ की वास्तविक मांग का मूल्यांकन करने के लिए कोई व्यवस्था है;

(ग) रबड़ की अधिक मात्रा की मांग करने वाली कम्पनियों द्वारा रबड़ लेने से इन्कार करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) प्राकृतिक रबड़ के सम्बन्ध में मांग तथा पूर्ति स्थिति की वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा औद्योगिक विकास विभाग, डी० जी० टी० डी०, रबड़ बोर्ड तथा एस०टी०सी० के साथ परामर्श करके समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा उसके अनुसार आयातों की व्यवस्था की जाती है।

(ग) और (घ) आबंटियों द्वारा माल न उठाए जाने के मामले में पेशगी जमा रकम/बैंक गारन्टी को जब्त करने का प्रावधान है। तथापि, आबंटी एस०टी०सी० द्वारा जारी की गई आबंटन की शर्तों के अनुसार रबड़ को आबंटित मात्रा उठा रहे हैं।

समुद्री उत्पादों का उत्पादन तथा निर्यात

3350. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए और बाजारों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) उन अन्य देशों के नाम क्या हैं जो अपने समुद्री उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं; और

(ग) समुद्री उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाएं जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए और बाजारों का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं —बाजार सर्वेक्षण करना, अध्ययन दलों/शिष्टमण्डलों को भेजना और विदेशों में विशिष्ट मेलों में हिस्सा लेना, नये बाजार अथवा नये उत्पादों हेतु एयर फ्रेटिंग नमूनों के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता देना और प्रचार अभियान।

(ख) समुद्री उत्पादों का निर्यात करने वाले अन्य बड़े देश हैं—कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका, नार्वे, डेनमार्क, जापान, कोरिया गणराज्य, थाइलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड, मैक्सिको, चिली, आस्ट्रेलिया, स्पेन, चीन, सो० संघ, ब्रिटेन, जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस और न्यूजीलैंड।

(ग) समुद्री उत्पादों के निर्यात उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल है— कल्चर्ड श्रिम्प्स का उत्पादन करना, आई० क्यू० एफ० जैसी मूल्य-वर्धित मदों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना, प्राउन अंडज उत्पत्ति शालाओं की स्थापना करना और गहरे समुद्र के मात्स्य की स्रोतों की खोज करने के लिए उपाय करना।

उड़ीसा में पर्यटक परियोजनाओं का विकास

3351. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए उड़ीसा में कतिपय परियोजनाओं का विकास करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या यह सच है कि इन परियोजनाओं का विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए राशि आबंटन बहुत कम है;

(ङ) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 के लिए राशि आबंटन का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने छठी योजना और सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय सहायता के देने के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है :—

(लाख रुपयों में)

	वर्ष	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1.	ललितगिरि-उदयगिरि-रत्नगिरि की मास्टर प्लान तैयार कराना	1981-82	4.00	3.20
2.	सिमलीपाल में वन-गृह	1983-84 1985-86	36.76	10.80 16.00
3.	लायन सफारी पार्क, नन्दन कानन	1982-83	21.30	19.23
4.	चिल्का झील के लिए नौकाएं	1983-84	2.00	1.80
5.	चिल्का झील की मास्टर प्लान	1984-85	8.25	2.00
6.	कोणार्क में सूर्य मन्दिर के निकट टायलेट ब्लाक का निर्माण	1983-84	3.49	2.61
7.	खण्डगिरि और उदयगिरि की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	1984-85	8.10	7.29
8.	मेले और त्यौहार, चिल्का नौका दौड़	1983-84	2.14	2.14
9.	चिल्का झील के लिए क्रूज नौका	1985-86	3.94	1.97
10.	नन्दन कानन चिड़ियाघर के लिए फाइबर ग्लास नौकाएं	1985-86	1.50	1.35

(लाख रुपयों में)

	वर्ष	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
11. सिमलीपाल में परिवहन व्यवस्था	1985-86	4.04	3.64
12. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से भुनेश्वर और कोणार्क में टायलेट और पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था	1985-86	3.00	2.00

परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर निगरानी कक्षों की स्थापना की जा रही है।

(घ) से (च) पहले से चली आ रही इन परियोजनाओं को वर्ष 1986-87 के दौरान पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय सेक्टर में निधियों का आबंटन खुल्लमखुल्ला आधार पर नहीं किया जाता बल्कि यह परस्पर प्राथमिकताओं और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विदेशी माल की तस्करी करने वाले गिरोह

3352. **श्री खनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ संगठित तस्कर अपने प्रतिनिधियों को हांगकांग, सिंगापुर और थाइलैंड विदेशी वस्तुएं लाने के लिए भेजते हैं जिन्हें स्थानीय बाजार में बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के संगठित तस्करी गिरोह को प्रभावहीन करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने किसी स्तर पर उन स्रोतों का पता लगाया है जिनके माध्यम से ये तस्कर विदेशों में इन भारी खरीदों के लिए धन प्राप्त करते हैं और भारत पहुंचने पर जब इन्हें पकड़ा जाता है, तो इतना भारी आर्थिक दंड का भुगतान करते हैं ;

(घ) क्या हवाई अड्डे पर स्थित सीमाशुल्क कर्मचारियों तथा इन तस्करों के बीच इस प्रकार के निषिद्ध माल को चोरी-छिपे निकालने के बारे में कोई सांठ-गांठ है ;

(ङ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) क्या सरकार इन तस्करों द्वारा किए गए भारी अर्थदंड के भुगतान के मामलों की जांच के लिए आयकर अधिकारियों के पास भेजने पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों तथा पकड़े गए माल से यह पता चलता है कि हांगकांग, सिंगापुर और थाइलैंड ऐसे देश हैं जहां से भारतीय मूल के पर्यटक विदेशी मूल की उपभोक्ता वस्तुओं को भारत में लाने के लिए खरीदना पसंद करते हैं। कुछ एक ऐसे मामले भी जानकारी में आये हैं जहां पर्यटक तस्करों के लिए माल लाने के लिए वाहक के रूप मे कार्य करते हैं और भारत में स्थानीय बिक्री के लिए व्यापारिक मात्रा में उपभोक्ता वस्तुओं को लाते हैं। व्यापारिक मात्रा में लाई गई उपभोक्ता वस्तुओं को एकदम सरकार जब्त कर लेती है। जिन वस्तुओं के बारे में घोषणा नहीं की जाती है उन्हें भी जब्त कर लिया जाता है और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही तथा अदालत में मुकद्मे चलाकर कठोर कार्यवाही की जाती है।

(ग) और (च) : विदेश से तस्करों की कार्यवाहियों में पैसा लगाने के लिए तस्करों के पास विभिन्न स्रोत हैं। जब भी, किसी ऐसी गैरकानूनी कार्यवाहियों के संबंध में कोई ठोस प्रमाण जानकारी में आता है तो उनके विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की जाती है। जहां तक सोमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए शुल्क/जुर्माने के भुगतान के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले भारी खर्च का संबंध है, 25000/- रु० के तथा इससे अधिक के ऐसे भुगतानों के बारे में आयकर प्राधिकारियों को उचित आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचित कर दिया जाता है।

राजस्व विभाग के आधीन विभिन्न प्रवर्तन अधिकरणों के बीच निकट समन्वय स्थापित करने वाली प्रणाली विद्यमान है। जिसमें आयकर प्राधिकारी भी शामिल हैं ताकि आपसी हित से संबंधित सूचना/आसूचना का नियमित आदान-प्रदान किया जा सके।

(घ) और (ड़) हवाई अड्डों पर तैनात सोमाशुल्क कर्मचारियों तथा तस्करों को कार्यवाहियों में ग्रस्त व्यक्तियों के बीच आमतौर पर कोई सांठ-गांठ नहीं होती है। तथापि, जब भी कोई विशेष मामला जानकारी में आता है तो ऐसी कार्यवाहियों में ग्रस्त अधिकारियों और तस्करों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाती है।

साधारण बीमा निगम और जीवन बीमा निगम में ओम्बर्समैन की नियुक्ति

3353. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यक्तिगत बीमा विवादों में न्यायनिर्णयन के लिए एक ओम्बड्समैन की नियुक्ति का प्रश्न साधारण बीमा निगम के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए भी, जहां बीमा संबंधी दावों को अदायगी का निपटारा करने से पहले अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है एक ओम्बड्समैन नियुक्त करने पर विचार करेगी, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क)से (ग) सरकार को इस मामले की जानकारी है तथा एक बीमा ओम्बड्समैन ब्यूरो की स्थापना करने की सम्भावना अथवा अन्यथा प्रश्न की जांच करने का काम जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को उनके विचार जानने/सम्मति के लिये भेज दिया गया है ।

पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण

3354. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन उद्योग आधुनिकीकरण गुणवता नियत्रण अनुसंधान और विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस जीर्ण हो रहे उद्योग को पुनरूज्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय वामपंथी मजदूर संघों ने बंगाल में पटसन उद्योग को बचाने के उपाय के रूप में सिन्थटिक बोरियों के निर्माण के लिए कच्चे माल के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ग) पटसन उद्योग का आधुनीकरण लागत में कमी करने और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है । यद्यपि पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए एक सुलभ ऋण योजना कई वर्षों से संचालन में रही है, लेकिग पटसन उद्योग की ओर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं रही है । तथापि, इन मिलों में जिन्होंने आधुनीकरण कार्यक्रम का लाभ उठाया था, निष्पादन में यथेष्ट सुधार किया है । भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ जैसी विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करके गुणवता नियंत्रण तथा अनुसंधान और विकास की आवश्यकताओं की भी देखभाल की जाती है ।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न हैं ।

विवरण

सिंथेटिक बैग्स के निर्माण के लिए कच्चे माल के आयात पर प्रतिबन्ध के बारे में हमें अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं । लेकिन यह महसूस किया जाता है कि पटसन और सिंथेटिक बैग क्षेत्रों के विकास के बारे में एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है । यह सत्य है कि पटसन उद्योग सिंथेटिक प्रतिस्थापनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। सरकार समय-समय पर पटसन उद्योग के हितों के सुरक्षा हेतु सुधारात्मक उपाय करती रही है । किए गए उपायों में शामिल हैं—

1. सरकार (डी० जी० एस० एण्ड डी०) द्वारा पटसन उद्योग से लागत जमा आधार पर

पटसन माल की खरीद ;

2. वर्तमान केन्द्रीय बजट में एच० डी० पी० ई०/पी०पी० टेप्स पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है और ग्रेन्यूल्स पर आयात शुल्क भी मामूली बढ़ा दिया गया है ;

3. उर्वरकों की पैकिंग के लिए सिंथेटिक प्रतिस्थापनों के स्थान पर और अधिक पटसन बैग्स के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु अन्य प्रयोकता विभागों को राजी करना और सीमेंट उद्योग द्वारा 100 प्रतिशत नए पटसन बैग्स का अनिवार्य प्रयोग करना ;

4. पटसन माल के निर्यात के लिए उच्चतर नकद प्रतिपूर्ति सहायता का दिया जाना ।

5. कच्चे पटसन की बफर स्टाक योजना शुरू करना जिससे कि पटसन मिलों को उचित कीमतों पर पटसन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके ।

6. अनुसंधान एवं विकास उपायों के माध्यम से सिंथटिक प्रतिस्थापनों की तुलना में पटसन माल की प्रतिस्पर्धा क्षमता को सुधारना।

चाय का निर्यात कम करने से विदेशी मुद्रा की हानि

3355. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिपटन कम्पनी द्वारा ईरान को चाय का निर्यात कम कर देने के परिणामस्वरूप भारत को कुछ करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ;

(ख) क्या ईरान के दल ने किन्हीं अन्य कम्पनियों को चाय के निर्यात का ठेका दिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने चाय कम्पनियों द्वारा ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की काफी हानि हुई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रहावत) : (क) से (घ) चाय बोर्ड के नियन्त्रण पर ईरान के एक प्रतिनिधी मण्डल ने जून-जुलाई, 1986 के दौरान भारत का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान प्रनिनिधि मण्डल ने विभिन्न निर्यातकों से मुलाकात की और उनसे बल्क तथा पैकेट बन्द चाय की खरीद के लिए सीधे बातचीतें की ।

चाय (निर्यात लाइसेंसिंग का विनियमन) आदेश, 1984 के उपबन्धों के अन्तर्गत बल्क चाय की निर्यात संविदाएं ऐसी संविदाओं की तारीख से 11 दिन की अवधि के भीतर चाय बोर्ड में पंजीकृत होनी आवश्यक है। जहां तक पैकेट बन्द चायों का सम्बन्ध है, निर्यातकों को चाय बोर्ड से पोतलदान लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है । लिप्टन इण्डिया लि० से चाय (निर्यात लाइसेंसिंग का विनियमन) आदेश, 1984 के उपबन्धों के अन्तर्गत संविदाओं के पंजीकरण अथवा पैकेट बन्द चाय के निर्यात हेतु पोतलदान लाइसेंस के सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मैसर्स

हिन्दुस्तान टी एक्सपोर्टर्स, अनूप इण्डिया लि०, एम० एम० के० शिरानी एण्ड कम्पनी तथा शाह इन्टरप्राइजेज से ईरान को चाय के निर्यात हेतु अपनी संविदाओं के पंजीकरण के लिए चाय बोर्ड को अनुरोध किया है। कुल अन्तर्गस्त मात्रा 1300 मे० टन है जिसकी औसत कीमत 28.50 रु० प्रति किलोग्राम है।

चाय के निर्यात के लिए इस समय कोई न्यूनतम निर्यात कीमत नहीं है।

[हिन्दी]

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में बैंकों द्वारा स्व-रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत सहायता दिया जाना

3356. **श्री जैनुल बशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर जिले में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को कितने मामले भेजे गए हैं ;

(ख) इन मामलों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने मामलों में बैंकों द्वारा सहायता दी गई है और कितने मामलों में इन बैंकों द्वारा सहायता नहीं दी गई है ; और

(घ) जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सिफारिश किए जाने के बावजूद शेष व्यक्तियों को सहायता न दिए जाने में क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली के प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, उद्योग मन्त्रालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1983-84 के दौरान जिला उद्योग केन्द्र, गाजीपुर द्वारा बैंकों को भेजे गए 751 आवेदन पत्रों में से बैंकों ने 678 आवेदकों को 117.94 लाख रुपए की राशि मंजूर की थी। वर्ष 1984-85 के दौरान जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा भेजे गए 1113 आवेदन पत्रों में से बैंकों ने 733 आवेदकों को 143.94 लाख रुपए की राशि मंजूर की। वर्ष 1985 86 के लिए जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा भेजे गए 588 आवेदन पत्रों में से बैंकों ने 472 आवेदकों को 88.75 लाख रुपए की राशि मंजूर की।

(घ) संशोधित प्रक्रिया के अनुसार जिला उद्योग केन्द्रों से योजना के अन्तर्गत बैंकों के लिए आवेदन मंजूर करने से सम्बद्ध निर्धारित लक्ष्य के 10 प्रतिशत से अधिक आवेदन पत्रों की सिफारिशें न भेजने के लिए कहा गया है। ऋण मंजूर न करने के कारण सामान्यतया योजना के मार्गनिर्देशों के आवेदकों का पात्र न होना, परियोजना का अर्थक्षम न होना, जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा अनुशंसित परियोजना को कार्यरूप देने के लिए ऋणकर्ता का आगे न आना आदि है।

जनता धोती/साड़ी के बुनकरों को वित्तीय सहायता

3357. **श्री जैनुल बशर** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जनता धोती/साड़ियों के निर्माण कार्य में लगे बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान राज्य को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस वित्तीय सहायता की धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया गया है ;

(ग) क्या इस वित्तीय सहायता के अलावा बुनकरों को कोई अन्य सहायता भी उपलब्ध करवाई गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा विकास निगमों के अन्तर्गत आने वाले हथकरघा बुनकरों को विभिन्न योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता दी जाती है । जिसका ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है —

(1) प्रमुख सहकारी समितियों और शीर्ष सहकारी समितियों को शेयर पूंजी सहायता ।

(2) करघों आधुनिकीकरण के लिए सहायता ।

(3) प्रमुख बुनकर सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता ।

(4) राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता ।

चूंकि यह सहायता उन सभी बुनकरों को दी जाती है जिसका प्रबन्ध इन दो क्षेत्रों अर्थात सहकारी समितियों और निगमों के अधीन होता है, अतः जनता धोतियों और साड़ियों के उत्पादन में लगे बुनकरों को दी जा रही निधियों का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । तथापि, राज्य जनता कपड़े के उत्पादन पर 2 रु० प्रति वर्गमीटर की आर्थिक सहायता के हकदार है । गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को दी गई आर्थिक सहायता की राशि नीचे दिए गए अनुसार है—

(करोड़ रु० में)

वर्ष	अनुदान की गई आर्थिक सहायता
1983-84	12.51
1984-85	13.78
1985-86	19.59

(ख) विभिन्न योजनाओं के अधीन दी जाने वाली वित्तीय सहायता का, जिसके बराबर राज्य सरकार द्वारा भी सहायता दी जाती है, उपयोग उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों द्वारा संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है।

(ग) और (घ) वित्तीय सहायता के अलावा बुनकर सेवा केन्द्रों की मार्फत बुनकर को उत्तम डिजाइन और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में हथकरघा बुनकरों को उचित दर पर सूत प्राप्त न होना

3358. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के हथकरघा बुनकरों को तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के बुनकरों की तरह उचित दर पर सूत प्राप्त नहीं हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन का लागत मूल्य बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल के बुनकरों के लिए वस्त्र नीति की तरह किन्हीं प्रभावी उपायों पर विचार किया जाएगा जिससे कि वे भारत में अन्य राज्यों की तरह समान दर पर सूत प्राप्त कर सकें ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पश्चिमी बंगाल धागे के उत्पादन करने मे और हथकरघा बुनकरों को धागे की सप्लाई करने में आत्मनिर्भर नहीं है, उसे मुख्यत: पश्चिमी और दक्षिणी भारत में स्थित मिलों पर निर्भर रहना पड़ता है। अत: पश्चिमी बंगाल में धागे की कीमतें पश्चिमी तथा दक्षिणी राज्यों में प्रचलित कीमतों की तुलना में कुछ अधिक है।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हैंक यार्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने बांकुरा और मिदनापुर में दो नई कताई मिलें स्थापित करने का विनिश्चय किया है। इसके अलावा, पश्चिमी बंगाल सहकारी कताई मिल की क्षमता में काफी वृद्धि कर दी गई है और 100% हैंक यार्न उत्पादन करने के लिए पश्चिम दिनाजपुर में एक नई मिल स्थापित की गई है। हथकरघा बुनकर शीर्ष समिति और राज्य हथकरघा विकास निगम ने हथकरघा बुनकरों को धागे की सप्लाई करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम से धागा प्राप्त करना भी आरम्भ कर दिया हैं।

आयकर आयुक्त (वसूली) द्वारा बकाया राशियों की वसूली

3359. **डा० ए०के० पटेल** :
श्री सी० गंगा रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रण और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1984-85 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में

आयकर आयुक्तों (वसूली) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बकाया राशियों, विशेष रूप से लम्बे समय से चली आ रही बकाया राशियों की वसूली के सम्बन्ध में किए कार्यों की गम्भीर आलोचना की गई है;

(ख) वसूली के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और वास्तव में कितनी वसूली हुई; और

(ग) लेखा-परीक्षा आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वर्ष 1984-85 की रिपोर्ट में वसूली आयुक्तों के कार्य की कुछ आलोचना की गई है। तथापि, यह कहना ठीक नहीं होगा कि निम्नलिखित के सन्दर्भ में वसूली आयुक्तों के कार्य का कोई महत्व नहीं था :—

1. नगद वसूली 1981-82 में 12.28 करोड़ रुपए की थी जो 1984-85 में बढ़कर 34.44 करोड़ रुपए हो गई (150 प्रतिशत वृद्धि)।

2. वसूली प्रमाण पत्रों के निपटान की संख्या 1981-82 में 189807 थी जो 1984-85 में बढ़कर 435791 हो गई। (130 प्रतिशत वृद्धि)।

3. बकाया में लाई गई कमी/की गई वसूली 1981-82 में 222.39 करोड़ रु० की थी जो 1984-85 में बढ़कर 389.14 करोड़ रुपए हो गई (75 प्रतिशत वृद्धि)

4. वसूली प्रमाणपत्र की बकाया 1981-82 के अन्त में 1927143 थी जो 1984-85 के अन्त में कम होकर 1743116 रह गई और उपर्युक्त मामलों में 702.93 करोड़ रुपए की वसूली योग्य रकम इसी अवधि में कम होकर 673.54 करोड़ रुपए रह गई थी।

(ख) और (ग) कर-वसूली अधिकारियों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1986-87 में वसूली के लिए आयोजित लक्ष्य उस प्रमाणित बकाया में 55 प्रतिशत की कमी करना है जो 1-4-1986 की स्थिति के अनुसार कर वसूली अधिकारी के रजिस्टरों में बाकी पड़ी थी, जिसमें से नकद वसूली के लिए निश्चित लक्ष्य बाकी पड़ी बकाया का 15 प्रतिशत है। इस संबंध में की गई वास्तविक प्रगति के बारे में वित्तीय वर्ष के अन्त के बाद ही पता चलेगा। सरकार प्रगति की ध्यान से परिवीक्षा कर रही है और जहां-कहीं आवश्यक होता है वहां वसूली तंत्र के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक अनुदेश/मार्ग दर्शन जारी किए जा रहे हैं।

विदेशी तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने के लिए तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश) का विकास करना

3360. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के विचार से तिरूपति और इसके आस-पास के क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) तिरूपति, पहले ही एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थयात्रा केन्द्र है। पर्यटन विभाग में इसका और विकास करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश सरकार का अमरीका के डिजनी लैंड की रूपरेखा पर तिरूपति में पर्यटक आकर्षणों को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क समाप्त करना

3361. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्र समुदाय से लगातार यह मांग की जा रही है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों तथा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क समाप्त किए जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों अर्थात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों को बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की परीक्षा शुल्क से पहले ही छूट प्राप्त है। भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांगों को भी ऐसे शुल्क छूट प्राप्त है।

समुचित दरों पर ब्याज का न लगाया जाना

3362. **श्री एच०एम० पटेल** : क्या वित्त मन्त्री राष्ट्रीयकृत बैंकों से उधार ली गई राशि पर ब्याज का न लगाया जाना के बारे में 9 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2814 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 और 1985 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की आंतरिक लेखा-परीक्षा और सांविधिक लेखा-परीक्षा के दौरान समुचित दरों पर ब्याज के न लगाए जाने के किन्हीं मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि में उपर्युक्त कारण से कुल कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) क्या इसके लिए किसी बैंक अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है और दण्ड

दिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के बन्धपत्रों पर आयकर में राहत

3363. **श्री के०एस० राव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बन्धपत्रों को आयकर में दी जाने वाली राहत कोयला, खानों जल-संसाधनों, नागर विमानन, वस्त्रों, रसायनों और उर्वरकों आदि के प्रतिष्ठानों को भी देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि सरकारी क्षेत्र के उद्योग अपनी देयताओं को स्वीकार करने में असमर्थ है, तो क्या जनता के धन के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रतिभूति हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) कोयला, खानों, जल-संसाधन नागर विमानन, वस्त्रों, रसायनों और उर्वरकों आदि जैसे क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को "कर मुक्त" सरकारी क्षेत्र के बंध-पत्र जारी करने की सुविधा दिए जाने के प्रस्ताव के बारे में सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में अलग-अलग निर्णय किया जाएगा।

(ख) और (ग) चूंकि बंध-पत्र भारत सरकार के स्वामित्व वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए इन बंध-पत्रों की देयताओं की स्वीकार करने में असमर्थता का सवाल ही पैदा नहीं होता।

ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन

3364. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने कर्नाटक सरकार को ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए जिला और राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने कर्नाटक राज्य सरकार सहित सभी राज्य सरकारो से गांवों क खेती से भिन्न क्षेत्रों का विकास करने के लिए अलग से राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त निर्देशन तथा समन्वय समितियों का गठन करने के लिए कहा है। गांवों में खेती से भिन्न कार्यों के लिए ऋणों के

प्रवाह के सम्बन्ध में राज्य/जिला स्तर पर निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय और निगरानी के लिए उपयुक्त तन्त्र का सृजन करने के वास्ते जिला स्तर पर भी ऐसी समितियां गठित करने की सलाह दी गई है।

विदेशों में गैर-सरकारी क्षेत्र में यूनिट ट्रस्ट स्थापित करना

3366. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसाधन जुटाने की दृष्टि से विदेशों में गैर-सरकारी क्षेत्र में यूनिट ट्रस्ट स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) कुछ अनिवासी भारतीयों ने अनिवासी भारतीयों और अन्य विदेशियों से भारत में निवेश जुटाने के लिए विदेश में "सांझी निधि" स्थापित करने की इच्छा जाहिर की है। विदेश में अनिवासियों द्वारा यूनिट ट्रस्ट/सांझी निधियों की स्थापना करने के लिए भारत सरकार की अनुमति का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि इन ट्रस्टों द्वारा भारत में निवेश केवल हमारी विदेश/अनिवासी भारतीय निवेश नीतियों के "पैरामीटरों" के अन्तर्गत ही अनुज्ञेय होगा।

कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का हटाया जाना

3367. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्पनियों के बोर्डों ने अपने नाम निदेशित निदेशक को यह निदेश देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि वे उन प्रबन्ध निदेशक तथा चेयरमैन की पदच्युति की मांग करें जिनके विरुद्ध आर्थिक अपराध के आरोप जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या मामले में कोई निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में पटसन एककों को वित्तीय सहायता

3368. **श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में कई उद्योगों ने विशेषतः पटसन उद्योग में औद्योगिक एककों के आधुनिकीकरण के लिए बैंकों द्वारा की गई वित्तीय सहायता अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग की है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल की पटसन मिलों ने श्रमिकों का भविष्य निधि में भी अंशदान नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि एक विशेष प्रयोजन के लिए उपलब्ध की गई धनराशि का प्रयोग केवल उसी के लिए किया जाए और इसका अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों सहित अधिकांश बड़े उद्योगों का आधुनिकीकरण तथा पुनरुद्धार करने के लिए सावधि ऐसे ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा मंजूर किए जाते हैं जिनमें वाणिज्यक बैंकों की भागीदारी बड़ी सीमित होती है और उसे इन धनराशियों के उपयोग/दुरुपयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार बैंकों से वित्त-पोषित परियोजनाओं के संबन्ध में पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई के जरिए धनराशियों का उचित अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तपोषित एककों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने के अलावा आधुनिकीकरण अथवा पुनरुद्धार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में आवधिक रिपोर्टें भी प्राप्त करता है। बैंकों से ऋणकर्ताओं द्वारा धनराशियों का स्वीकृत प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जाने पर चौकसी रखने के लिए भी कहा गया है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे ऋण प्रलेखों में एक उपयुक्त धारा भी जोड़ दें, जिसमें उस स्थिति में बैंको द्वारा दी गई अग्रिमों को विशेष रूप से वापस लेने के अधिकार की व्यवस्था हो, जब ऋणकर्ता द्वारा स्वीकृत प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण का इस्तेमाल करने का स्पष्ट कारण मौजूद हो। श्रम मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1986 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल की 31 पटसन मिलों ने कर्मचारी भविष्य निधि में अपना अंशदान अदा करने में चूक दी थी।

भारतीय पटसन निगम द्वारा सम्पूर्ण कच्चा पटसन खरीदने से इन्कार करना

3369. **डा० सुधीर राय** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने बाजार में उपलब्ध संपूर्ण कच्चा पटसन खरीदने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने कलकत्ता में हुई एक बैठक में यह आश्वासन दिया था कि भारतीय पटसन निगम द्वारा बाजार में उपलब्ध सम्पूर्ण कच्चे पटसन की खरीद की जाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय पटसन निगम द्वारा यह रुख अपनाए जाने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारतीय पटसन निगम, पटसन उपजकर्ताओं द्वारा कच्चे पटसन की जितनी भी मात्रा उसे आफर की जाएगी उसे सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांविधिक कीमत पर खरीद लेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर अपवंचन करने वाली कम्पनियां

3370. **डा० डी०एन० रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अनेक कम्पनियों के शेयरों के बाजार मूल्य उनके अंकित मूल्य से कम हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनमें से अधिकांश निर्माण न करने वाली कम्पनियां हैं;

(ग) क्या इन कम्पनियों के संस्थापकों द्वारा वास्तविक व्यापार करने के बजाय इनका कर अपवंचन के लिए प्रयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बम्बई स्टाक एक्सचेंज, जिसमें देश में सभी सूचीबद्ध कम्पनियों की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का लगभग 66 प्रतिशत भाग दर्ज है, द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उस एक्सचेंज में 30.6.1986 को सूचीबद्ध कुल 1748 कम्पनियों में से 655 कम्पनियों के शेयर सममूल्य से नीचे कोट किए गए थे। इन 655 कम्पनियों में से 375 कम्पनियों गैर-विनिर्माण कम्पनियां हैं।

(ग) और (घ) जब कभी कर-आयोजना और कर-अपवंचन की ऐसी घटनाएं सरकार के ध्यान में आती हैं तो प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की जाती है।

वियतनाम के साथ औद्योगिक सहयोग

3371. **श्री के०वी० शंकर गौडा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम ने भारत के साथ अपना औद्योगिक सम्बन्ध में बढ़ाने में गहरी रुचि दिखाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यापक कार्यक्रम पर सहमति हुई है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई करार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग के ढांचे के तहत आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। संयुक्त आयोग ने 23 से 26

नवम्बर, 1985 तक हलोई में हुए अपने दूसरे अधिवेशन में दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में सहमति हुई।

(घ) अन्य क्षेत्रों के अलावा, दोनों देशों ने लघु उद्योगों के क्षेत्र में अनुभव तथा विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में सहयोग करने का फैसला किया है। भारत वियतनाम के इस अनुरोध पर भी विचार करने के लिए सहमत हुआ कि वह उसे सूत काटने की अर्ध-यांत्रिक मशीनें, अल्प मात्रा में तेल निकालने में काम आने वाली मशीनें, अल्प मूल्य हीरों को काटने के विकास तथा पोलिश करने वाले उपकरणों में सहायता दे। वियतनाम ने कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण, टिन, ग्रेफाईट और बॉक्साइट खानों के विकास तथा वियतनाम में स्पंज लौह संयन्त्र लगाने में सहायता की भी मांग की है। इस बात पर भी आपस में फैसला किया गया कि बाद में कभी भारतीय इंजीनियरी उत्पादों तथा औद्योगिक प्रौद्योगिकी की एक प्रदर्शनी वियतनाम में आयोजित की जाएगी।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा लौह-अयस्क का निर्यात

3373. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज और धातु व्यापार निगम ने वर्ष 1985-86 में बेल्लारी क्षेत्र से कितना लौह-अयस्क खरीदा;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा खनिज और धातु व्यापार निगम को और अधिक लौह-अयस्क खरीदने के निदेश दिए गए हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा बेल्लारी होसपेट क्षेत्र के खनिजों की दीर्घकालिक खरीद ठेके प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) खनिज व धातु व्यापार निगम ने वर्ष 1985-86 में बेल्लारी क्षेत्र से 50.04 लाख मे०टन लौह-अयस्क प्राप्त किया।

(ख) जी, नहीं। सरकार ने खनिज व धातु व्यापार निगम को लौह-अयस्क के लिए अपने निर्यात लक्ष्य को पूरा करने के निदेश दिए हैं। खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा अपनी निर्यात बचनबद्धता को पूरा करने के लिए लौह-अयस्क की खरीद की गई है।

(ग) खनिज व धातु व्यापार निगम ने 5 वर्षों की दीर्घावधि खरीद संविदाओं को अन्तिम रूप देने के लिए बेल्लारी होस्पेट क्षेत्र के खान मालिकों से पेशकश की है। प्रतिवर्ष खरीद कीमतों का निर्धारण सम्बन्धी फार्मूला बनाने के लिए खान मालिकों के प्रतिनिधियों और खनिज व धातु व्यापार निगम के अधिकारियों की एक समिति गठित की जा रही है और इसके बाद लौह-अयस्क की खरीद के लिए दीर्घावधि संविदाएं करने का विचार है।

[हिन्दी]

अखिल भारत ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ द्वारा आन्दोलन

3374. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारत ग्रामीण कर्मचारी संघ अपनी मांग के समर्थन में देश-व्यापी आन्दोलन चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के महामंत्री ने अपनी निम्नलिखित दो मांगें मनवाने के लिए बोट क्लब, नई दिल्ली में दिनांक 29 जुलाई, 1986 को प्रातः 9 बजे शांतिपूर्ण धरना देने के अपने इरादे के बारे में सरकार को सूचित कर दिया था—

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उनके प्रायोजक बैंकों के साथ समामेलन।

(2) सभी राज्यों में ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को समान वेतन।

जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजक बैंकों के साथ समामेलन करने का सम्बन्ध है, सरकार ने इन बैंकों का समामेलन न करने और ग्रामीण बैंकों को एक अलग अस्तित्व के रूप में काम करते रहने का निर्णय लिया है। जहां तक अलग-अलग राज्यों में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वेतनमानों में समानता का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17 (1) के दूसरे परन्तुक के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों की परिलब्धियां सम्बद्ध राज्य सरकार के कर्मचारियों और स्थानीय प्राधिकरणों के समकक्ष और दर्जे के वेतन ढांचे को ध्यान में रखकर निर्धारित की जानी होती है। चूंकि अलग-अलग राज्यों में समान पद के लिए वेतनमान अलग-अलग हैं, अतः अनेक राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतनमानों में अन्तर होना स्वाभाविक ही है।

इजराइल के साथ व्यापारिक संपर्क रखने के कारण भारतीय कंपनियों पर प्रतिबन्ध

3375. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतार में स्थित तीन भारतीय कम्पनियों अर्थात् कार पोच लिमिटेड, केमवेल प्राइवेट लिमिटेड और गौरी फाइन केमिकल्स पर इजराइल के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखने के आरोप में प्रतिबन्ध लगाया गया है और उनके नाम काली सूची में रखे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कम्पनियों के नाम काली सूची से निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) मैसर्स केमवेल प्राइवेट लिमिटेड और गौरी फाइन कैमिकल्स का नाम अरब बायकाट सूची में दर्ज है। उन पर यह आरोप है कि उनके इजरायल के साथ व्यापारिक सम्बन्ध हैं।

(ख) और (ग) जिस फर्म का नाम आज अरब बायकाट सूची में दर्ज हो जाता है, उसे बायकाट सूची से अपना नाम कटवाने के लिए दमिश्क में स्थित अरब बायकाट आफ इजराइल के केन्द्रीय कार्यालय को निम्नलिखित दस्तावेज भेजने होते हैं—

(1) इस बात का वचन कि वह इजराइल से कच्चे माल का आयात नहीं करेगा;

(2) इस आशय की घोषणा कि अब उसके स्टाक में इजराइली कच्ची सामग्री से निर्मित कोई माल नहीं है;

(3) इस आशय की घोषणा कि अब उसके स्टाक में कोई इजराइली कच्ची सामग्री नहीं है।

ये दस्तावेज वाणिज्य मण्डल द्वारा सत्यापित तथा भारत में स्थित किसी अरब दूतावास अथवा उनके कौंसलाबास द्वारा साधांकित होने चाहिएं।

हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि उक्त फर्मों ने अरब बायकाट सूची से अपना नाम कटवाने के लिए दमिश्क में स्थित अरब बायकाट आफ इजराइल के केन्द्रीय कार्यालय से सम्पर्क किया है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय सहयोग सम्बन्धी दक्षिण एशियाई संघ की बैठक

3376. **श्री पी०एम० सईद** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए जून, 1986 में ढाका में हुई क्षेत्रीय सहयोग सम्बन्धी दक्षिण एशियाई संघ की बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस संकट का अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर मुकाबला करने के लिए उठाए जाने वाले कानूनी कदमों के बारे में सुझाव देने के लिए क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में आयासी योजना क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन दल ने निम्नलिखित कानूनी उपायों की सिफारिश की थी—

(1) सदस्य देशों को अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों में भागीदार बनाने पर विचार करना चाहिए ; और

(2) आतंकवाद से संबन्धित स्वदेशी कानूनों को एक दूसरे देशों के साथ और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के साथ संगतपूर्ण बनाया जाए।

(ग) अध्ययन दल की सिफारिशों पर 11-13 अगस्त, 1986 को ढाका में होने वाली "आर्क" स्थायी समिति की और मंत्री-परिषद् की बैठकों में विचार किया जाएगा।

कर्नाटक हस्तशिल्प निगम की लम्बित पड़ी परियोजनाएं

3378. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक हस्तशिल्प निगम की कितनी परियोजनाएं केन्द्रीय हस्तशिल्प विकास निगम के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) क्या हस्तशिल्पियों की सहायता करने हेतु मैसूर में एक अगरबत्ती कारखाना स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) 1986 के दौरान हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक हस्तशिल्प विकास निगम को कितनी सहायता दी है।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, चार।

(ख) जी, नहीं। प्रस्ताव 22 जुलाई, 1986 को ही प्राप्त हुआ है।

(ग) कर्नाटक हस्तशिल्प की वस्तुओं सम्बन्धी एक विस्तृत सूची की छपाई की कुल लागत 75 प्रतिशत अर्थात् 2,43,750/-रु० मंजूर कर दिया है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को विदेशी सम्पत्ति के अंश में कमी करना

3379. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत में बहुराष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियों की विदेशी सम्पत्ति में कम-से कम 25 प्रतिशत और कमी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है :

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

वास्तविक नियन्त्रण वित्तीय नियन्त्रण में परिवर्तन का प्रस्ताव

3380. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वास्तविक नियन्त्रण से वित्तीय नियन्त्रण में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मामले में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वास्तविक नियन्त्रणों से वित्तीय नियन्त्रणों में परिवर्तन सम्बन्धी नरसिंहम् समिति और व्यापार नीतियों पर आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने टैरिफ के साथ आयात लाइसेंसिंग को संगत बनाने से संबंधित मुद्दों पर सम्बद्ध मंत्रालयों के बीच नियमित रूप से विचार विमर्श के लिए एक उच्चस्तरीय

अन्तर-मंत्रालयीय समिति गठित की है। समिति की सहायता एक विशेषज्ञ दल कर रहा है, जिसके अध्यक्ष, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के प्रमुख है, जो समिति द्वारा जैसा आवश्यक होगा मुद्दों और समस्याओं का विश्लेषण करेगा।

सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को युक्ति संगत बना दिया है और तीन वर्ष के लिए आयात-निर्यात नीति की घोषणा की है। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में राजकोषीय उपायों भावी निर्देशों को व्यापक रूप से निर्दिष्ट किया गया है, और इसे संसद में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

अपरिष्कृत रेशम का आयात

3381. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार ने विभिन्न देशों से कितने टन अपरिष्कृत रेशम का आयात किया है;

(ख) क्या सरकार कच्चे अपरिष्कृत रेशम का आयात कम करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1983-84 के दौरान कच्चे रेशम की कुल 1573 एम०टन (अनन्तिम) मात्रा का आयात किया गया। बाद के वर्षों के आयात आंकड़े डी० जी० सी० आई एंड एस०, कलकत्ता द्वारा अभी संकलित किए जाने हैं।

(ख) से (घ) निर्यातकों द्वारा रेशम के आयात की अनुमति केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा एक सरणीकृत मद के रूप में केवल निर्यात शुल्क के लिए अथवा के आधार पर तथा स्वदेशी खपत के लिए ए० एल० एस०/आर० ई० पी० योजना के अन्तर्गत दी गई है। ए० एल० एस०/आर० ई० पी० योजनाओं के अन्तर्गत आयात हकदारियां कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि ये निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं हैं। तथापि, लोचशीलता प्रावधानों के अन्तर्गत आर० ई० पी० लाइसेंसों पर कच्चे रेशम के आयात की, जिसकी पहले अनुमति थी, अब वर्तमान आयात निर्यात नीति, 1985-88 के अन्तर्गत अनुमति नहीं है। केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा भी सामान्य रूप से तब तक आयात नहीं किए जाते, जब तक ऐसा करना नितान्त आवश्यक न हो।

अपरिष्कृत रेशम के आयात के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श

3382. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपरिष्कृत रेशम का आयात करने की आवश्यकता के बारे में

निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रेशम का उत्पादन करने वाले विभिन्न राज्यों में क्या विचार व्यक्त किए हैं; और

(ग) सरकार ने अपरिष्कृत रेशम का आयात करने की आवश्यकता के बारे में क्या अंतिम निर्णय लिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) निर्यातकों द्वारा रेशम के आयात की अनुमति केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से अग्रिम लाइसेंसिंग/आर० ई० पी० योजना के अन्तर्गत केवल निर्यात के लिए अथवा इसके आधार पर और केवल स्वदेशी खपत के लिए एक सरणीबद्ध मद के रूप में है। भारत सरकार द्वारा रेशम की आयात नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा इस सम्बन्ध में रेशम उत्पादक राज्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समुचित ध्यान रखा जाता है। तथापि, इस तथ्य को देखते हुए कि अग्रिम लाइसेंसिंग/आर०ई०पी० निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं हैं, इन योजनाओं के अन्तर्गत रेशम का आयात जारी रखा गया है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा भी सामान्य रूप से तब तक आयात नहीं किए जाते जब तक कि ऐसा करना नितान्त आवश्यक न हो।

विदेशी पर्यटकों की यात्रा से विदेशी मुद्रा की आय

3383. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने विदेशी पर्यटकों ने भारत का भ्रमण किया ;

(ख) कौन-कौन से देश भारत में प्रतिवर्ष भारी संख्या में पर्यटक भेजते हैं और उनका देशवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) पर्यटकों की भारत यात्रा से भारत को कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या पाकिस्तान और बंगला देश के राष्ट्रिकों को छोड़कर इस प्रकार है :—

	संख्या
1983	884,731
1984	835,503
1985	836,908

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत को अधिकांश पर्यटक भेजने वाले पहले बारह देशों के नाम, आगमन के आंकड़ों सहित (पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को छोड़कर) इस प्रकार हैं :—

	1983	1984	1985
1. ब्रिटेन	136,823	124,205	119,544
2. अमरीका	95,847	95,651	95,920
3. श्रीलंका	81,716	75,449	69,063
4. संघीय जर्मन गणराज्य	51,087	47,913	44,790
5. फ्रांस	50,158	47,148	44,091
6. जापान	26,662	29,566	30,573
7. कनाडा	29,857	25,135	29,022
8. ईरान	11,374	15,302	23,305
9. मलेशिया	25,796	22,993	23,965
10. इटली	27,947	23,570	23,187
11. आस्ट्रेलिया	22,436	24,546	22,047
12. संयुक्त अरब अमीरात	17,114	14,583	20,784

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त पर्यटन आय के अद्यतन अनन्तिम अनुमान वर्ष 1984-85 के सम्बन्ध में है और अनुमान 1300 करोड़ रुपए है ।

विदेशी ऋण

3384. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर भारत पर कितना विदेशी ऋण था;

(ख) आगामी पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार, मूलधन तथा ऋण सेवा प्रभारों की अदायगी के लिए क्या उपाय सोचे गये हैं;

(ग) क्या इन उपायों से भारत के भुगतान सन्तुलन की स्थिति पर पर्याप्त दबाव पड़ने की सम्भावना है; और

(घ) भविष्य में इस कारण कठिनाई से बचने के लिए क्या एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्त में सरकारी ऋण के बारे में भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति निम्नलिखित है :—

	(करोड़ रुपए)
1. पहली पंचवर्षीय योजना	111.07
2. दूसरी " "	1242.19
3. तीसरी " "	3709.19
4. चौथी " "	6684.37
5. पांचवीं " "	11657.38
6. छठी " "	24004.39

(ख) सरकारी ऋण के सम्बन्ध में भारत की ऋण अदायगी देनदारी और ब्याज अदायगी का वर्तमान अनुमान निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपए)

	मूलधन की अदायगी	ब्याज की अदायगी
1986-87	861.64	581.63
1987-88	854.02	590.27
1988-89	874.09	612.76
1989-90	885.69	595.02
1990-91	901.41	569.39

(ग) और (घ) ऋण की वापसी अदायगी मुख्य रूप से देश के निर्यात और अदृश्य आय द्वारा की जाती है। सरकार विदेशी उधारों के सम्बन्ध में सतर्कता की नीति अपना रही है। विदेशी ऋण की कुल मिला कर स्थिति इस समय विवेकपूर्ण सीमा में है। देश की ऋणग्रस्तता के स्तर और ऋण

सेवा के सम्भावित बोझ पर सतत निगाह रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन्हें नियन्त्रणीय सीमा में रखा जाता रहे।

विदेशी ऋणों पर निर्भरता को कम करने, अपने निर्यात में तेजी लाने और आयात के प्रभावी विकल्प को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा चीनी का आयात

3385. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने ब्राजील से चीनी का आयात किया था जिसमें लौह चूर्ण मिला हुआ था और यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त था;

(ख) यदि हां, तो आयातित चीनी की मात्रा और उसके मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस चीनी का निपटान सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में बम्बई सीमाशुल्क विभाग के साथ विवाद चल रहा है; और

(ङ) राज्य व्यापार निगम द्वारा चीनी का एक साथ आयात और निर्यात करने का औचित्य क्या है और गत दो वर्षों के दौरान आयात की गई और निर्यात की गई चीनी का ब्यौरा क्या है तथा हर बार कितना मूल्य लिया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (ग) ब्राजील उद्भव की चीनी की लगभग 14,700 मे०टन की कुल मात्रा जिसका मूल्य लगभग 3.72 करोड़ रुपए था पाफोस जहाज में प्राप्त हुई थी। पहले 8500 मे०टन चीनी विजाग पत्तन पर उतारी गयी तथा चीनी की लगभग 6200 मे०टन की शेष मात्रा कलकत्ता में उतारी गई। हालांकि कलकत्ता की खेप पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निर्बाधित कर दी गई थी किन्तु विभाग पत्तन की चीनी की खेप को पत्तन स्वास्थ्य अधिकारियों से निर्बाधित नहीं किया क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत कम प्रतिशतता लौहचूर्ण की पाई गई। खाद्य विभाग सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके इस मामले में विचार कर रहा है। सैम्पल लेने के लिए इस चीनी को सुविधाजनक भागों में अलग-अलग करने तथा प्रत्येक भाग में लौहचूण की प्रतिशत निर्धारित करने के लिए तथा उसका विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल को प्रतिनियुक्त किया गया है।

(घ) क्योंकि यह खेप विभाग पत्तन पर पहुंची थी इसलिए इस सम्बन्ध में बम्बई सीमाशुल्क के साथ कोई विवाद नहीं है।

(ङ) हालांकि सरकार द्वारा आयातों की अनुमति अनेक बातों जैसे घरेलू उत्पादन, स्टाकों की उपलब्धता, घरेलू आवश्यकताओं आदि पर विचार करने के बाद दी जाती है फिर भी चीनी की एक थोड़ी मात्रा को निर्यात करने की अनुमति दी जाती है ताकि ई०ई०सी० और सं०रा० अमरीका के साथ भारत के कोटा दायित्वों को पूरा किया जा सके और नेपाल तथा मालदीव जैसे पड़ोसी देशों

की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। गत दो वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा किए गए चीनी के आयातों और निर्यातों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

मात्रा लाख मे०टन
मूल्य करोड़ रु० में

वर्ष	आयात		निर्यात	
	मात्रा	सी० आई० एफ० मूल्य	मात्रा	एफ०ओ०बी० मूल्य
1984-85	4.96	113.62	1·55	36.04
1985-86 (अनन्तिम)	20.33	449.28	0.41	19.37

विदेशों में भारत विरोधी गतिविधियां

3386. **श्री मूलचन्द डागा :**
श्री बालासाहेब विखे पाटिल :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन-से देश हैं जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-विरोधी गतिविधियां देखने को मिली हैं, और ये गतिविधियां किस प्रकार की हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा तथा उस देश की सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन गतिविधियों का प्रतिकार करने के लिए विदेशों को शिष्टमंडल तथा व्यक्तियों को भेजने पर कितना व्यय किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होने पर सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान पर्यटन विभाग को पर्यटन संवर्द्धन के लिए केन्द्रीय सहायता

3387. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में आने वाले कितने प्रतिशत विदेशी पर्यटक राजस्थान आते हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान पर्यटन विभाग को प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या के आधार पर सहायता देती है या इस प्रयोजनार्थ सहायता देने का कोई अन्य मानदण्ड अपनाया जाता है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने पर्यटन संवर्द्धन देने के लिए राज्यों को, विशेषकर राजस्थान को गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) विदेशी पर्यटक आगमन के आंकड़ों का संकलन अवरोहण कार्डों से अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। तथापि 1982-83 के विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों में से लगभग 15.33 प्रतिशत ने राजस्थान में कम-से-कम एक रात बिताई।

(ख) केन्द्रीय सरकार विभिन्न पर्यटन विकास परियोजनाओं को सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों, परस्पर प्राथमिकताओं और निधियों की उपलब्धता के आधार पर सहायता प्रदान करती है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों और राजस्थान को पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रदान की गई सहायता की राशि इस प्रकार है :—

(लाख रुपए)

	सभी राज्य	राजस्थान
1983-84	227.59	14.28
1984-85	194.88	23.17
1985-86	584.73	21.09

[अनुवाद]

भारत की प्रति व्यक्ति आय

3388. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक विकास रिपोर्ट, 1986 में भारत को प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में न केवल चीन से बल्कि पाकिस्तान और श्रीलंका से भी नीचे रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विश्व विकास रिपोर्ट,

1986 के अनुसार 1984 में भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका की अपेक्षा कम था। तथापि, यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद की परस्पर देशों के बीच विश्वसनीय तुलना करना बहुत कठिन है क्योंकि उनकी राष्ट्रीय लेखा प्रणाली तथा शामिल किए गए देशों में भिन्नताएं हैं और सकल राष्ट्रीय उत्पाद को किसी एक सामान्य करेंसी में परिवर्तित करना, इस मामले में अमरीकी डालर, एक समस्या वाली बात है।

पटसन का निर्यात

3389. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार का विचार पटसन का निर्यात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो 1986 के लिए निर्यात लक्ष्य क्या है तथा आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है परन्तु कच्चा पटसन निर्यात करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। कच्चे पटसन का हमारा निर्यात मुख्यतः सोवियत संघ, पोलैंड, रूमानिया आदि जैसे रुपया भुगतान देशों को किया जाता है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंक ऋण

3390. **श्री अमर राय प्रधान** :

श्री सोमनाथ रथ :

कुमारी पुष्पा देवी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों को यह अनुदेश दिया है कि वे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण लेने वालों को किसी विशेष व्यापारी से अथवा विशेष ब्रांड की परिसम्पत्ति खरीदने के लिए बाध्य न करें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों को यह अनुदेश भी दिया है कि वे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण सहायता के लिए अपने पास लम्बित पड़े सभी आवेदनपत्रों का 15 दिन के भीतर निपटान कर दें; और

(घ) यदि हां, तो ऋण सहायता के बारे में कितने आवेदन पत्र अभी तक लम्बित पड़े हैं

और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 1984 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम अनुदेश जारी किए थे कि बैंक अधिकारी किसी ऋणकर्ता को कोई विशिष्ट उत्पाद किसी विशेष व्यापारी से खरीदने के लिए बाध्य न करे। अनुदेशों में यह भी कहा गया था कि यदि किसी उत्पाद की क्वालिटी तथा उपयुक्तता के बारे में कुछ शिकायतें हों तो इन मामलों को जिला परामर्शदात्री समितियों जैसे मंचों में भी उठाया जाए और इसके अलावा बैंकों को अपने विचार सीधे जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को भेज देने चाहिए।

(ग) और (घ) बैंकों से कहा गया है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त ऋण आवेदन पत्र जब कभी ये आवेदन पत्र सभी तरह से ठीक पाए गए हों, एक पखवाड़े के अन्दर-अन्दर निपटा दिए जाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्ष के अन्त में बहुत अधिक संख्या में आवेदन पत्र इकट्ठे न हो जाएं जिससे बैंकों में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लम्बित न रह जाएं, सरकार ने इस सम्बन्ध में तिमाही लक्ष्य निधारित किए हैं। बैंकों से यह भी कहा गया है कि अपनी शाखाओं में लम्बित पड़े आवेदन पत्रों पर बारीकी से नजर रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के भीतर निपटाएं जाएं।

बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियां

3391. **श्री के०डी० सुल्तानपुरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1986 को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंक-वार तथा श्रेणी-वार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का बकाया कितना था;

(ख) श्रेणी एक और श्रेणी दो के पदों में विशेषरूप से इस प्रकार के बकाए के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बकाया को यथाशीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जानार्दन पुजारी) : (क) पहली जनवरी, 1986 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बारे में बैंक-वार/श्रेणी-वार आरक्षित रिक्तियों की बकाया की उपलब्ध सूचना को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) बकाया रिक्तियों का मुख्य कारण उपयुक्त उम्मीदवारों का न मिलना है।

(ग) बैंकों से समय-समय पर यह कहा गया है कि वे स्तर में ढील देकर और भर्ती-पूर्व तथा पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करके संबंधित बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के जरिए अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से विशेष भर्ती परीक्षाएं आयोजित करके बकाया आरक्षित रिक्तियां भरें।

विवरण

1-1-1986 को 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भर्ती में बकाया पदों को दर्शाने वाला विवरण

आंकड़े अनन्तिम

क्रम सं०	बैंक का नाम	अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जनजातियां		
		अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी
1.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	8	13	—	15	218	149
2.	बैंक ऑफ इण्डिया	25	368	78	24	518	186
3.	पंजाब नेशनल बैंक	24	293	79	45	367	122
4.	बैंक ऑफ बड़ौदा	163	122	33	153	283	84
5.	यूको बैंक	36	222	1	28	247	92
6.	केनरा बैंक	76	406	75	45	280	161
7.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	20	120	144	11	164	116
8.	देना बैंक	47	8	7	39	219	28
9.	सिंडिकेट बैंक	शून्य	56	14	78	189	37
10.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	24	35	13	23	97	113
11.	इलाहाबाद बैंक	21	106	51	45	114	81
12.	इण्डियन बैंक	—	214	6	12	90	35
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	34	133	—	8	11	12
14.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	5	84	18	10	107	45
15.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	2	15	30	शून्य	58	39
16.	कारपोरेशन बैंक	15	53	3	28	117	22
17.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	4	10	—	6	74	7
18.	विजया बैंक	8	77	11	14	82	22
19.	न्यू बैंक ऑफ इण्डिया	7	67	9	8	59	53
20.	आन्ध्रा बैंक	25	—	—	17	5	—
	जोड़ :	543	2402	572	609	3299	1404

[हिन्दी]

भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के बारे में विचार गोष्ठी

3392. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों पर चर्चा करने के लिए 14 मार्च से 16 मार्च, 1986 तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरीका में एक विचार-गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें आमंत्रित विशेष अतिथि कौन-कौन थे;

(ग) उनके चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया था; और

(घ) सरकार ने उस पर कुल कितना व्यय किया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

मुद्रा-स्फीति की दर

3393. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार 1974-84 के दशक के दौरान भारत मे मुद्रा-स्फीति की दर एशिया में सबसे अधिक थी;

(ख) इन दस वर्षों के दौरान मुद्रा-स्फीति की दर किस देश में सबसे कम थी;

(ग) क्या गत दस वर्षों के दौरान भारत खाद्यान्नों के मूल्य स्थिर रखने में सफल रहा; और

(घ) यदि हां, तो इस दशक में मुद्रा-स्फीति की दर अधिकतम होने के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वार्षिक पुस्तक श्रम सांख्यकीय 1985, में विभिन्न देशों में उपभोक्ता मूल्यों के सामान्य सूचक अंकों से सम्बन्धित आंकड़े दिए गए हैं। आकलनों के अनुसार, भारत के सम्बन्ध में संयुक्त मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर 6.7 प्रतिशत बैठती है जो उस दस्तावेज में सूचीबद्ध एशिया के देशों में सबसे कम है, जिसमें जबकि फिलिपीन्स में यह दर 15.6 प्रतिशत, दक्षिणी कोरिया में 13.2 प्रतिशत और श्रीलका 12.1 प्रतिशत है।

(ख) इसी (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) स्रोत के अनुसार सबसे कम मुद्रा-स्फीति की दर वाला देश चीन है जहां मुद्रा-स्फीति की दर 2.2 प्रतिशत थी ।

(ग) जी, हां। इस अवधि के दौरान खाद्य समूह के उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में छापे

3394. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में आयकर और अन्य कर अधिकारियों द्वारा छापों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उनमें कितनी सफलता मिली है और पकड़ी गई ऐसी आस्तियों का ब्यौरा क्या है जिनका कोई लेखा-जोखा नहीं है;

(ग) क्या उच्चतम स्तर के कुछ कर अधिकारी भी कर अपवचन में शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे अधिकारियों के नाम काली सूची में दर्ज करने का है ताकि आम जनता में विश्वास पैदा हो ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना यथा-सम्भव सीमा तक एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

व्यापार असंतुलन

3395. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :**
श्री एस० जयपाल रेड्डी :
श्री ई० अय्यपू रेड्डी :
डा० चिंता मोहन :
श्री सत्यगोपाल मिश्र :
प्रो० मधु दण्डवते :
श्री के० वी० शंकर गौडा :
श्री टी० बशीर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के वर्षों में व्यापार असन्तुलन बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में वर्ष 1985-86 की अवधि के क्या आंकड़े हैं;

(ग) क्या बढ़ते हुए व्यापार असन्तुलन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सोवियत मशीनों और उपकरणों का अधिकाधिक आयात करने तथा रुपए में भुगतान वाले अन्य देशों से आयात करने

के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो आयात को कम करने के अलावा भुगतान शेष की समस्या का हल ढूढ़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) गत तीन तीन वर्षों के दौरान व्यापार शेष की स्थिति निम्नोक्त अनुसार है :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	व्यापार शेष
1983-84 (सं)	(—) 5,890.85
1984-85 (सं)	(—) 5,318.10
1985-86 (अ)	(—) 7,950.91

स्रोत—वाणिज्यिकी आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशक, कलकत्ता

(अ) अस्थायी

(सं) संशोधित

(ग) रुपए में भुगतान करने वाले देशों से अधिकाधिक आयात करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) हमारे निर्यातों को बढ़ावा देने के विचार से अभी हाल ही में जोरदार संवर्धनात्मक उपाय किए गए हैं, इनमें हमारे उत्पादन आधार का विविधीकरण, हमारे उत्पादक साधन का आधुनिकीकरण, संस्थागत सहायता बढ़ाना, हमारी औद्योगिक नीतियों का रूपान्तरण और आवधिक संशोधन तथा निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन देना शामिल है।

बंगलौर शहर में सेफ डिपोजिट लॉकरों का उपलब्ध न होना

3396. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर में राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेफ डिपोजिट लॉकर जनता के लिए उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों को अधिक सेफ डिपोजिट लॉकरों की व्यवस्था करने के लिए अनुदेश जारी करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक

के सूचित किया है कि उसे बंगलौर शहर में राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेफ डिपोजिट लॉकरों के उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

बैंकों से, लॉकरों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, शाखायें खोलते समय पर्याप्त संख्या में लॉकर उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाने के वास्ते कहा गया है ।

आव्रजन नियमों का उल्लंघन करने के लिए विदेशी जेलों में भारतीय राष्ट्रिक

3397. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आव्रजन नियमों का उल्लंघन करने के कारण कितने भारतीय राष्ट्रिक सिंगापुर, अमरीका, ब्रिटेन और अन्य देशों की जेलों में हैं;

(ख) उसमें से कितने लोगों को सामाजिक यात्राओं के दौरान पकड़ा गया था; और

(ग) आव्रजन सम्बन्धी कानूनों को कठोर बनाने, पर्यटक वीसों पर रोजगार प्राप्त करने के लिए विदेश जाने वाले लोगो को पासपोर्ट और वीसा जारी करने पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे यथाशीघ्र सभापटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत जारी किए जाते हैं और इसके अनुसार किसी भी आवेदक का पासपोर्ट अस्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक आवेदक के विरुद्ध अधिनियम में उल्लिखित ऐसा कोई आधार न हो जिसकी वजह से उसे पासपोर्ट देने से मना किया जा सके ।

जहां तक भारतीयों द्वारा विदेश में रोजगार के लिए देश को छोड़कर जाने का सवाल है, भारत सरकार इसकी कोशिश करती है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को देश छोड़ने की अनुमति दी जाए जिन्होंने आप्रवासन अधिनियम, 1983 के तहत समुचित स्वीकृति प्राप्त कर ली है । पर्यटक वीजा पर किसी देश में पहुँचने के बाद उस देश में रोजगार लेने का मामला सम्बंधित देश का होता है क्योंकि उन पर उस देश के अपने कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी होती है ।

लाभांश ब्याज सम्बन्धी वारंटों पर सेवा प्रभार

3398. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक लाभांश ब्याज वारंटों पर बहुत अधिक सेवा प्रभार लेते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि 40 रुपये की पेंशन बहुत कम राशि पर भी पेंशन भोगी को 2 रुपये सेवा प्रभार के रूप में देने पड़ते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार कम राशि के पेंशन पाने वालों को राहत देने और 500 रुपये तक के लाभांश वारंटों पर सेवा प्रभार समाप्त करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के व्यय को कुछ हद तक पूरा करने के उद्देश्य से अपने सेवा प्रभारों में वृद्धि की है। संशोधित सेवा प्रभार लाभांश अधिपत्रों सहित विशिष्ट सेवाओं के लिए बैंकों की लागत से सम्बन्धित है। बैंक पेंशन भोगियों सहित अपने सभी ग्राहकों से एक समान सेवा प्रभार ले रहे हैं।

(ग) संशोधित सेवा प्रभारों में अब स्थिरता आ रही है। फिलहाल, इन सेवा प्रभारों में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

लघु एककों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की योजनायें

3399. श्री के. राममूर्ति :

प्रो. नारायण चन्द्र पराशर :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा (एक) समेकित सावधि ऋण योजना, (दो) उपकरण पुनर्वित्त योजना और (तीन) दो नए बीज पूंजी योजनाओं जैसी लघुतर और लघु एककों के लाभ के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गांवों और लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए वर्ष 1986-87 के बजट के बाद औद्योगिक विकास बैंक द्वारा क्या तरीके आरम्भ किए गए; और

(ग) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अति लघु और लघु एककों के लिए तैयार की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ग्रामीण तथा लघु उद्योगों को ऋणों के प्रवाह को तेज करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) उपस्कर पुनर्वित्त योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वित्त मंजूर करने की प्रत्यायोजित शक्तियां काफी बढ़ा दी गई हैं। अब क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा 50 लाख रुपये तक की पुनर्वित्त सहायता मंजूर की जा रही है।

(2) विलम्ब में कमी करने के प्रयोजन से, राज्य वित्त निगमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों से कहा गया है कि वे उपस्कर पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत मंजूरी देने की शक्तियां अपने प्रबन्ध निदेशकों को प्रत्यायोजित कर दें।

(3) विशेष पूंजी योजना के अन्तर्गत उद्यमी की पात्रता का मानदंड उदार बना दिया गया है है ताकि इसमें उन्हें भी शामिल कर लिया जाये तो तकनीकी अथवा व्यावसायिक दृष्टि से अर्हता प्राप्त

नहीं हैं लेकिन जिनमें उद्यमवृत्ति अवश्य है ।

(4) संयुक्त ऋण योजना के अंतर्गत ग्रामीण/कुटीर तथा अतिलघु एककों को दी जाने वाली सहायता, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को दिए जाने वाले ऋणों की सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। कारीगरों के अलावा, ग्रामीण/कुटीर, अति लघु एककों पर लागू जनसंख्या की सीमा 50,000 हजार से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों को दिए जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में प्रवर्तक के 5 प्रतिशत के न्यूनतम अंशदान की शर्त हटा दी गई है ।

(5) राज्य वित्तीय निगमों की विशेष पूंजी योजना के अंतर्गत प्रति ऋणकर्ता सहायता की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी गई है।

(6) स्वतः पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दी गई है।

(ग) जून 1986 के अंत में उक्त योजनाओं के अंतर्गत लघु तथा अति लघु एककों के लाभ के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर की गई कुल पुनर्वित्त सहायता की रकम 83.2 करोड़ रुपये (अनन्तिम) बैठती है ।

विवरण

लघु उद्योग एककों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा

(I) **समन्वित सावधि ऋण योजना** : यह योजना राज्य वित्तीय निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों के माध्यम से चलाई जाती है। इस योजना का उद्देश्य नए लघु उद्योग एककों को एक ही स्थान से एक लाख रुपये तक के सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी प्रदान करना है, क्योंकि ऐसे एककों के पास एक से अधिक संस्थाओं के साथ व्यवहार करने की संगठनात्मक शक्ति सीमित होती है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि 2-3 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के बाद, यदि इससे पहले नहीं तो, यह एकक वाणिज्यिक बैंकों से कार्यशील पूंजी सीमाएं प्राप्त कर लेंगे और समन्वित ऋण के कार्यशील पूंजी के हिस्से को चुका सकेंगे । इस ऋण पर 12.5 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर पर ब्याज लिया जाता है और पुनर्वित्त पर ब्याज की दर 9 प्रतिशत वार्षिक है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ऐसे ऋणों के बदले शतप्रतिशत पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है । इस योजना के अंतर्गत कोई बचनबद्धता प्रभार नहीं लिया जाता है । वापसी अदायगी की शर्तें उदार रखी गई हैं । सावधि ऋण के हिस्से के लिए यह अवधि 10 वर्ष और कार्यशील पूंजी हिस्से के लिए 5 वर्ष तक है ।

(2) **उपस्कार पुनर्वित्त योजना** : यह योजना राज्य वित्तीय निगमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों के माध्यम से चलाई जाती है। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को आधुनिकीकरण/विस्तार/संतुलन/प्रतिस्थापन के लिए देशी और आयातित पूंजीगत सामान और उपस्कर खरीदने के लिए, चाहे उसका किसी विशिष्ट परियोजना से सम्बन्ध न हो, तुरन्त सहायता

उपलब्ध कराना है । इन उद्योगों का रिकार्ड अच्छा होना चाहिए, विशेषकर उनकी स्थापना हुए चार वर्ष से अधिक का समय बीत चुका हो, उन्हें लाभ हुआ हो और/अथवा गत दो वर्षों के दौरान उन्होंने लाभांश घोषित किया हो और उन्होंने किसी वित्तीय संस्था को चुकौती करने मे कोई चूक नहीं की हो। ऋण के 75 प्रतिशत तक पुनर्वित्त की व्यवस्था लगभग स्वत: आधार पर कर दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत किसी कम्पनी को दी जाने वाली सहायता की रकम अधिक से अधिक 100 लाख रुपये है । ऋणकर्ता को उपस्करों की लागत का 20 प्रतिशत पूरा करना होता है। ऋण पर 14 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है। भारती औद्योगिक विकास बैंक पुनर्वित्त पर 11 प्रतिशत की दर से ब्याज लेता है। इस योजना के अंतर्गत सहायता मंजूर करने और सहायता की रकम का संवितरण करने के लिए सरल प्रक्रिया अपनाई जाती है ।

(3) **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बीज पूंजी योजना** : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अपनी बीज पूंजी योजना राज्य वित्तीय निगमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों के माध्यम से चलाता है। इस योजना का उद्देश्य उन उद्यमियों को उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनमें अपेक्षित योग्यता और उद्यमवृत्ति तो है, लेकिन जिनके पास औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए मुद्रा संबंधी साधनों का अभाव है। इस योजना के अंतर्गत सहायता एक प्रतिशत सेवा प्रभार वाले उदार ऋणो के रूप में या इक्विटी शेयरों या एक प्रतिशत संचयी प्रतिदेय अधिमान्य शेयरों में अंशदान के रूप में दी जाती है। सहायता की राशि की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये है। यह राशि अपेक्षित इक्विटी और प्रवर्तकों के निर्धारित न्यूनतम अंशदान में कमी,यदि कोई हो, के अन्तर के आधार पर आंकी जाती है ।

(4) **राज्य वित्तीय निगमों की विशेष पूंजी योजना** : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इस योजना के अंतर्गत राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1985 की धारा 4 (क) के उपबंधों के अधीन राज्य वित्तीय निगमों के विशेष वर्ग के शेयरों में संबद्ध राज्य सरकारों के अंशदान के बराबर रकम का अंशदान करता है। विशेष पूंजी का उपयोग भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बीज पूंजी योजना की भांति चलाई जाने वाली योजना के अंतर्गत इक्विटी/प्रवर्तक अंशदान के अंतर को पूरा करने के लिए प्रति ऋणकर्ता 4 लाख रुपये तक की (पहले यह राशि 2 लाख रुपये थी,) सहायता देने के लिए किया जाता है ।

मुद्रा प्रणाली के बारे में चक्रवर्ती समिति का प्रतिवेदन

3400. **श्री के० राममूर्ति :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चक्रवर्ती समिति द्वारा अप्रैल, 1985 में मुद्रा प्रणाली के कार्याकरण के पुनरीक्षण के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत प्रतिवेदन में समाविष्ट मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) सिफारिशों पर अभी तक क्या कार्यवाई, की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) : भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 1982 में प्रोफेसर एस० चक्रवर्ती की अध्यक्षता में मौद्रिक प्रणाली के कार्य चालन की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी जिसका मुख्य उद्देश्य आयोजनागत विकास के आधारभूत उद्देश्यों के संदर्भ में मौद्रिक प्रणाली के ढांचे और कार्य प्रचालन की पुनरीक्षा करना था। समिति ने अप्रैल, 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बहुत से मन्तव्य और सिफारिशें की हैं। समिति की मुख्य सिफारिशें अन्य बातों के साथ-साथ, मौद्रिक नीति के उद्देश्य तय करना, बजटीय घाटे की परिभाषा में परिवर्तन करना, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के बीच समन्वय स्थापित करना, सरकारी प्रतिभूतियों पर होने वाली प्राप्तियों में संशोधन करना, मुद्रा उपलब्धि का विनियमन करना और ऋण के सही उपयोग करने से सम्बन्धित हैं।

(ख) सरकार ने 1986-87 के बजट में बजटीय घाटे की धारणा में परिवर्तन करने और समग्र मौद्रिक लक्ष्य निर्धारित करने जिनका अनुवीक्षण किया जा सके और जिनसे राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के बीच बेहतर समन्वय करने में मदद मिलेगी, के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशों को, सिद्धान्त रूप से स्वीकार करने की घोषणा की थी। परीक्षणात्मक आधार पर प्रचालनात्मक सार्थक लक्ष्य विकसित करने के लिए एक प्रक्रिया आरम्भ की गई है। इसके अतिरिक्त, समिति की इन शिफारिशों के अनुसार कि सरकारी प्रतिभूतियों पर होने वाली प्राप्तियों में उर्ध्वगामी संशोधन होना चाहिए तथा परिपक्वता अवधि कम की जानी चाहिए, सरकार ने चालू वर्ष में जारी की जाने वाली, 5 से 20 वर्ष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी तथा सरकार द्वारा गारन्टी प्राप्त प्रतिभूतियों की कूपन दरों में वृद्धि की है।

विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के सदस्य

3401. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों विशेष रूप से इंडियन ओवरसीज बैंक में विभागीय पदोन्नति समिति चयन बोर्डों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को गैर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को पदोन्नति/चयन की प्रक्रिया में शामिल किए जाने की अनुमति नहीं दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि बैंक आम उम्मीदवारों के साक्षात्कार के समय विभिन्न साक्षात्कार समितियों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को हटा लेता था, लेकिन बैंक ने अब स्थिति में सुधार कर लिया है और अब अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का सदस्य अंतिम उम्मीदवार के साक्षात्कार तक शामिल रहता है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अपनी विभागीय पदोन्नति समितियों/चयन बोर्डों में अनिवार्य रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का एक सदस्य शामिल करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि यह सदस्य अनुसूचित

जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भिन्न उम्मीदवारों सहित सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार पूरा हो जाने तक चयन बोर्डो/विभागीय पदोन्नति समितियों की कार्रवाई में शामिल रहना चाहिए ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ बैंकों द्वारा बनाई गई योजनाएं

3402. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सरकारी योजनाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों ने स्वयं कौन-कौन सी योजनाएं बनाई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा केवल कृषि संबंधी क्रियाकलापों के लिए यूनिट लागत मानकीकरण किया गया है तथा गैर-कृषि क्रियाकलापों और ग्राम स्तर से बाहर किए जाने वाले क्रियाकलापों के लिए ऐसा नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का यूनिट लागत मानकीकरण प्रायः वास्तविकता से परे और पुराना होता है जिसके परिणामस्वरूप ऋण लेने वाले निर्धन व्यक्तियों को बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण तथा बाजार मूल्य के बीच अंतर की राशि अपने पास से जुटानी पड़ती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार उधार लेने वाले निर्धन व्यक्तियों की सहायता करने हेतु यूनिट लागत को अधिक वास्तविक बनाने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने बताया है कि उसने गैर-कृषि क्षेत्र के लिए भी, जहां कहीं व्यवहार्य समझा गया है, यूनिट लागत के मानक निर्धारित कर दिए हैं । इस दृष्टिकोण में कुछ प्रकार की एकरूपता लाने के लिए राष्ट्रीय बैंक ने अग्रणी बैंकों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य सरकारों के विभागों, खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड आदि के स्थानीय कार्यालयों की सहायता से विशिष्ट खण्डों में मुख्य रूप से चल रही गतिविधियों के परियोजनावृत तयार करने का काम अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंप दिया है ।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा गठित राज्य यूनिट लागत समितियों की वर्ष में दो बार अर्थात् जनवरी और जुलाई में बैठकें होती हैं जिनमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निवेश की विभिन्न मदों की यूनिट लागत में संशोधन करने पर विचार किया जाता है । ये समितियां तकनीकी आयामों और वर्तमान बाजार भावों के आधार पर वास्तविक लागत अनुमान तैयार करने के बाद

यूनिट लागत निकालती है। अतिरिक्त उपाय के रूप में, क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने स्तर लागत में संशोधन करने की शक्तियां भी दी गई हैं बशर्ते कि लागत वृद्धि पूर्व अनुमोदित यूनिट लागत के 20 प्रतिशत के अन्दर-अन्दर हो।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों के बारे में शिकायतें

3403. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय नागरिक भारतीय राजनयिक मिशनों से किस किस्म की सहायता की अपेक्षा कर सकते हैं ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अनुदेश जारी किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों में अमरीका, इंग्लैंड और खाड़ी के देशों में स्थित हमारे मिशनों के भारतीय नागरिकों के लिए सहायक न होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों की वजह समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) विदेशों में स्थित हमारे राजनयिक मिशन भारतीय नागरिकों की विभिन्न प्रकार की सहायता करते हैं, जो ज्यादातर कौंसली किस्म की सेवाएं होती हैं जैसे पासपोर्ट सम्बन्धी कार्य, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, विवाह सम्पन्न कराना, बेसहारा भारतीय राष्ट्रिकों का देश प्रत्यावर्तन, लापता भारतीय राष्ट्रिकों का पता लगाना, शवों को भारत लाना, मृत्यु-प्रतिपूर्ति और अन्य प्रभारों की वसूली, श्रम विवादों का समाधान, कानूनी मसलों पर सलाह देना, आदि। इसके अतिरिक्त हमारे ये मिशन सांस्कृतिक और वाणिज्यिक मामलों में भी भारतीय समुदाय के लोगों की सहायता करते हैं।

(ख) और (ग) मिशनों के तत्काल सन्दर्भ के लिए कौंसली मामलों से सम्बद्ध विस्तृत अनुदेश मैनुअल में संकलित हैं। मिशनों को समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश भेजे जाते रहते हैं। मिशनों को इस आशय के सामान्य आदेश दिए गए हैं कि वे भारतीय नागरिकों की यथासंभव सहायता करें।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय नागरिकों से कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ङ) जब कभी कोई शिकायत मिलती है तो सम्बन्धित मिशन को कहा जाता है कि वह मामले की शीघ्र जांच करे तथा उस सम्बन्ध में उपचारी कार्यवाही के लिए अपनी सिफारिशों सहित मंत्रालय को एक विस्तृत रिपोर्ट दे। मन्त्रालय में रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मामले की जांच की जाती है और उस सम्बन्ध में उपचारी कार्यवाही की जाती है ताकि ऐसी शिकायतें फिर नहीं होने पाएं।

कलकत्ता में अशोक यात्री निवास और पांच सितारा होटल का निर्माण

3404. **श्री अमल दत्त** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत पर्यटन विकास निगम की दिल्ली में बने अशोक यात्री निवास की तरह कलकत्ता में एक यात्री निवास बनाने की कोई योजना या प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार भारत पर्यटन विकास निगम का कलकत्ता या पश्चिम बंगाल में किसी अन्य स्थान में कोई पर्यटक सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव/योजना है;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम को कलकत्ता में एक पांच सितारा होटल बनाने की योजना थी;

(घ) क्या अब उक्त योजना को त्याग दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग, पश्चिम बंगाल में पर्यटन का विकास करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों पर कार्यवाही कर रहा है—

(1) रंगीत और तीस्ता नदियों में रिवर-रैफ्टिंग प्रारम्भ करने के लिए नौकाओं/उपकरणों की व्यवस्था और शरणस्थानों (शेल्टरों) का निर्माण ।

(2) सुन्दरबन में तैरता आवास ।

(3) गंगासागर में यात्रिका ।

(4) दार्जिलिंग में 47.39 लाख रुपयों की लागत से यात्री निवास अनुमोदित किया गया है । 10 लाख रुपयों की अग्रिम राशि पहले ही रिलीज कर दी गई है ।

(ग) से (ङ) जी, हां । परन्तु संसाधनों पर प्रतिबन्ध के कारण, भारत पर्यटन विकास निगम निगम की सातवीं योजना में कलकत्ता में एक नए होटल के निर्माण के लिए कोई आबंटन शामिल नहीं है ।

कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना

3405. **श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर स्थित केन्द्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को क्या सुविधाएं दी गई; और

(ग) क्या प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान ऊनी धागे मुफ्त दिए जाते हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही

है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान करघे, ऊनी व सूती यार्न और 100 रु० प्रति माह की वृत्तिका दी जाती है ।

(ग) जी, हां ।

गलीचा बुनाई केन्द्रों के लिए ऊनी धागों की खरीद

3406. **श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गलीचा बुनाई केन्द्रों को देने के लिए प्रति वर्ष खरीदे गए ऊनी धागों का मुल्य कितना है;

(ख) आपूर्ति कर्ताओं के क्या नाम हैं;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि ऊनी धागों की खरीद में निजी स्वार्थ निहित है ; और

(घ) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलमखां) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रों को दिए जाने के लिए ऊनी यार्न की वार्षिक खरीद की राशि निम्नोक्त प्रकार थी—

वर्ष	राशि (लाख रु० में)
1983-84	10,99,305.50
1984-85	23.01,198.69
1985-86	36,75,033.22

(ख) 1. मैसर्स राजस्थान वूलन इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि० (राजस्थान सरकार का उपक्रम) ।

2. मैसर्स गवर्नमेंट वूलन मिल्स, बबीना, श्री नगर (जम्मू और कश्मीर सरकार का मिल) ।

3. मैसर्स लघु उद्योग विकास निगम लि०, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर सरकार का उपक्रम) ।

4. मैसर्स भदोही वूलन लि०, भदोही, उ०प्र० (उ०प्र० सरकार का उपक्रम) ।

5. मैसर्स लावण्य इन्टरप्राइसेज, एलूस (आ०प्र०) ।

6. मैसर्स वैशाली वुलन एण्ड टैक्सटाइल मिल्स लि०, पटना ।

(एक संयुक्त क्षेत्र एकक)

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जापानी छात्रों की प्रस्तावित भारत यात्रा

3408. **श्री नित्यानन्द मिश्र :**
श्री सोमनाथ रथ :

क्या **पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान में "किकी निप्पोन" नामक एक संगठन ने जापानी छात्रों का एक दल गरीबी देखने के लिए कलकत्ता भेजने के बारे में जापानी समाचारपत्रों में विज्ञापन दिया है;

(ख) क्या जापान में भारतीय निवासियों ने इसका कड़ा विरोध किया है; और

(ग) क्या जापानी अधिकारियों ने इस बारे में मंत्रालय से अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या अनुमति दे दी गई है और यदि हां, तो किस आधार पर ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) "किकी निप्पोन" नामक एक जापानी यात्री अभिकरण ने प्रारम्भ में भारत के लिए युवा/छात्र यात्रा का संवर्धन करने के बारे में एक पुस्तिका (ब्रोशर) निकाली थी । जहाँ इसमें भारतवर्ष का अहिंसा, बुद्ध की भूमि, और स्नेही लोग, अद्भुत वन्य-जीवन, पुरातत्व की भव्य सम्पदा और सुन्दर हिमालय के देश के रूप में वर्णन किया गया था वहां कलकत्ता का एक गंदा, निर्धन तथा कोलाहलपूर्ण स्थान के रूप में उल्लेख भी किया गया था । जैसे ही भारत सरकार पर्यटक कार्यालय, टोकियो को इस मामले की सूचना मिली, भारतीय महाकांसुल के परामर्श से इस मामले को सम्बन्धित यात्रा अभिकरण के साथ उठाया था । पुस्तिका को "किकी निप्पोन" द्वारा वापिस ले लिया गया था और नष्ट कर दिया गया था । इसके स्थान पर एक संशोधित पुस्तिका निकाली गई जिसे भारतीय महाकांसुल को एक क्षमायाचना पत्र सहित प्रस्तुत किया गया था । इस प्रकार यह मामला सुलझा दिया गया था ।

(ग) और (घ) भारत सरकार पर्यटक कार्यालय ने इस यात्रा को प्रायोजित नहीं किया था । जापानी प्राधिकारियों ने इस बारे में न ही विदेश मन्त्रालय से सम्पर्क किया था और न ही उन्हें कोई अनुमति दी गई थी । तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि विदेश स्थित भारतीय मिशन पोस्ट को पर्यटन के लिए वीसा देने का सामान्य अधिकार प्राप्त है ।

अर्थव्यवस्था में चलन में आने वाली पूंजी के समन्वय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पैनल का गठन

3409. **श्री पी०एम० सईद :**

श्री मुरलीधर भाने :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार अर्थव्यवस्था के विकास में प्रगति के लिए चलन में आने वाली पूंजी के समन्वय के लिए एक पैनल का गठन किया है,

(ख) पैनल के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) पैनल के कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और उससे क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रिजर्व बैंक ने हाल ही में गवर्नर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय वित्त और ऋण परिषद् की नियुक्ति की है। जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

(1) उद्योग कृषि और व्यापार के लिए—

1. अल्पावधिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के वित्त और ऋण के लिए, प्रवाह की समग्र रूप से समीक्षा करना ;

2. अल्पावधिक और दीर्घकालिक ऋण के प्रवाह से संबन्धित नीतियों का समन्वय करना ; और

3. पूंजी और मुद्रा बाजारों के घटनाचक्रों पर विचार करना ताकि उनकी भूमिका और कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके।

(2) परिषद् के निम्नलिखित सदस्य हैं—

1. रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर ;

2. वित्त सचिव, भारत सरकार ;

3. सचिव. बैंकिंग प्रभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार ;

4. अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ;

5. अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ;

6. अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ;

7. अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम ;

8. अध्यक्ष, भारतीय साधारण बीमा निगम ;

9. अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ;

10. अध्यक्ष, भारतीय निर्यात-आयात बैंक;

11. अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ;

12. अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक ;

13. अध्यक्ष, भारतीय बैंकों का संघ ; और

14. दो वर्षों में एक बार आवर्तन द्वारा दो अन्य वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष ।

इसके अतिरिक्त, शेयर बाजारों, सहकारी संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों, अधिकारियों, वित्तीय विशेषज्ञ और राज्य-स्तर की वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को, विशेष निमन्त्रण द्वारा, परिषद् की किसी बैठक में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जा सकता है ।

इक्विटी शेयरों के माध्यम से धन जुटाने सम्बन्धी समिति की स्थापना

3410. **श्री पी०एम० सईद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इक्विटी शेयरों के माध्यम से धन जुटाने सम्बन्धी सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की गई है ;

(ख) समिति की रचना क्या है,

(ग) समिति के निदेश पद और उद्देश्य क्या है, और

(घ) समिति द्वारा क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं और क्या यह एक तदर्थ समिति होगी अथवा एक स्थाई निकाय होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

ऊनी सामान के निर्यात में गिरावट

3411. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान ऊनी वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) 1984-85 के दौरान ऊनी माल के निर्यात 88.20 करोड़ रु० मूल्य के हुए जबकि इसकी अपेक्षा 1985-86 के दौरान ये 85.75 करोड़ रु० मूल्य के हुए । इस प्रकार इसमें मामूली गिरावट आई है । इस मामूली

गिरावट का कारण कुछ बाजारों का अनुकूल न होना और कुछ उत्पादन केन्द्रों में असामान्य स्थिति का होना है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

ऊनी माल का निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

ऊनी माल का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—

1. परिधान एवं होजरी उत्पादन हेतु आवश्यक 114 मशीनें ओ०जी०एल० के अन्तर्गत रखी गई हैं जिनमें से 97 मशीनों पर आयात व निर्यात नीति 1985-88 के परिशिष्ट। भाग (ख) के अन्तर्गत रियायती आयात शुल्क का लाभ उपलब्ध है।

2. पैकिंग-ऋण के लिए दिनों की संख्या 90 से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है ब्याज की दर में भी 2.5% तक की कमी कर दी गई है।

3. ऊनी माल के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता उपलब्ध है।

4. आयात न निर्यात नीति 1985-88 के परिशिष्ट 17, 19 तथा 21 के अधीन निर्यात प्रयोजन के लिए ऊनी माल के उत्पादन सम्बन्धी आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों का आयात उपलब्ध हैं।

5. निर्यातों के लिए उत्पादन को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विनिर्माता-निर्यातकों के लिए एक नई आयात-निर्यात पास-बुक योजना आरम्भ की गई है।

6. आयात व निर्यात नीति 1985-88 के परिशिष्ट 24 के अनुसार नए बाजारों की ऊनी माल के निर्यात हेतु अतिरिक्त सहायता की अनुमति दी गई है।

7. 100% निर्यात अभिमुख और मुक्त व्यापार जोन योजना के अधीन पूंजी माल तथा कच्चे माल के मुक्त आयात के लिए सुविधाओं के साथ-साथ कई अन्य रियायतों की घोषणा की गई है, जिन पर आवश्यक नियति दायित्व लगाया गया है।

8. फैशन डिजाइन विशेष रूप से परिधान व्यापार सम्बन्धी क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में एक फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कदम उठाए गए हैं।

9. सरकार विभिन्न सम्वर्धनात्मक क्रिया-कलापों जिनमें प्रदर्शनियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, विदेशों में प्रचार करना, क्रेता-विक्रेता बैठकें, बिक्री-सह-अध्ययन दल आदि शामिल है के प्रायोजन और वित्त पोषण के लिए उदार सहायता प्रदान करती रही हैं।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में कमी

3412. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :
श्री वाई०एस० महाजन :

क्या वित्त मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985-86 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश की अर्थ व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सोने तथा विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर, पहली अप्रैल, 1985 को 6817 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा भण्डार के मुकाबले 31 मार्च, 1986 को यह राशि 7384 करोड़ रुपए थी ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नही उठते ।

नियंत्रित कपड़े के कोटे के आबंटन में वृद्धि करने के लिए कर्नाटक सरकार का अनुरोध

3413. **श्री एच०एन० नन्जे गौडा :**
श्री जी०एस० बसवराजू :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने नियन्त्रित कपड़े के कोटे के आबंटन को 14.136 मिलियन वर्ग मीटर से बढ़ाकर 34.136 मिलियन वर्ग मीटर करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, हां । तथापि, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका कि कर्नाटक सरकार योजना के अनुसार उन्हें आबंटित नियन्त्रित कपड़े की समग्र मात्रा नहीं उठा सकी ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कर्नाटक में सहकारी कताई मिलों को ऋण

3414. **श्री एच०एन० नन्जे गौडा :**
श्री जी०एस० बसवराजू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को कर्नाटक की कुछ सहकारी कताई मिलों को ऋण प्रदान करने की सलाह देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले की ओर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का ध्यान दिलाया है, और

(ग) सरकार द्वारा कर्नाटक की सहकारी कताई मिलों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से कर्नाटक के कुछ सहकारी कताई मिलों को ऋण प्रदान करने के सम्बन्ध में सन्दर्भ प्राप्त हुए थे। इस मामले को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ उठाया गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि वस्त्र कताई उद्योग में पहले से ही निर्मित अधिक क्षमता को देखते हुए और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि संस्थाओं से सहायता प्राप्त कुछ ऐसे एक.क मांग में लम्बे अर्से से चली आ रही मंदी की वजह से ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, वित्तीय संस्थाओं ने फिलहाल निम्नतम स्तर पर नई कताई परियोजनाओं पर विचार न करने का निर्णय लिया है।

परियोजना और परामर्शदात्री सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना

3415. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में परियोजनाओं और परामर्शदात्री सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उपायों की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) परियोजना निर्यातों और परामर्शी सेवाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि—

(1) औद्योगिक टर्नकी और सिविल निर्माण परियोजनाओं और साथ ही परमर्शी सेवाओं के निर्यात के सम्बन्ध में संविदाओं के सेवा भाग से अर्जित निवल विदेशी मुद्रा आय के 10 प्रतिशत के बराबर परियोजना सहायता दी जाए;

(2) विभिन्न विदेशी बाजारों के लिए एक क्रमिक मान आधार पर टर्नकी/निर्माण परियोजनाओं और परामर्शी सेवाओं के लिए बोली की लागत की वापसी के लिए बाजार विकास सहायता दी जाए; और

(3) कार्यालयों के खोलने और संचालन के लिए किए गए अनुमोदित आवर्ती खर्चों पर परामर्शी संगठनों को एक क्रमिक मान आधार पर सहायता की दरों में वृद्धि की जाए।

बैंक कर्मचारियों को पुरस्कार

3416. **श्री बी० तुलसीराम** : या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून 1986 तक कितने मामलों में डकैतों का प्रतिरोध करने के लिए बैंक कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया है ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी धनराशि दी गई है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार सम्बद्ध अवधि के दौरान दो मामलों में पुरस्कार के रूप में 2.70 लाख रुपए की रकम दी गई है।

जादवपुर में ऋण शिविर

3417. **श्री बसुदेव आचार्य** :
श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :
श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 जून से 6 जून, 1986 तक जादवपुर, कलकत्ता में आयोजित ऋण शिविर में जैसा कि दिनांक 19 जून, 1986 के "आजकल" में प्रकाशित हुआ है, ऋण उन व्यक्तियों को दिया गया जिन्होंने कभी ऐसे ऋणों के लिए आवेदन नहीं किया और बहुत से ऐसे व्यक्तियों को दिया गया जिन्हें ऐसे ऋणों की आवश्यकता नही थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल की राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने बताया है कि यह बात सही नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों को ऋण दिए गए थे जिन्होंने ऋणों के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया था। अलबत्ता, यह बताया गया है कि एक मामले में ऋण आवेदक के गारंटीकर्ता को भूल से ऋण शिविर में भाग लेने के लिए कहा गया था। यह एक वास्तविक गलती थी जो बाद में सम्बन्धित बैंक द्वारा ठीक कर ली गई थी।

भारतीय स्टेट बैंक की चांदनी चौक, दिल्ली शाखा में अनियमितताएं

3418. **श्री नारायण चौबे** :
श्री मानिक साग्याल :
प्रो० मधु दण्डवते :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की चांदनी चौक, दिल्ली शाखा में अनियमितताएं बरते जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ प्राइवेट फर्मों के फेल हो जाने के कारण उक्त शाखा को लगभग 1.50 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा

क्या है ; और

(घ) इस मामले में शामिल पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने एक प्राइवेट फर्म के खिलाफ 1.53 करोड़ रुपए की वसूली का मुकदमा दायर किया है। बैंक ने बताया है कि चूंकि मामला अभी न्यायाधीन है, इसलिए बैंक को अन्तोगत्वा होने वाली हानि का इस समय मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अलबत्ता, अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर के माध्यम से वसूली की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है और 6.18 लाख रुपए की रकम पहले ही वसूल की जा चुकी है ।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने बताया है कि बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में की गई आन्तरिक जांच से फर्म के खाते में ऋण मजूर करने और उसके परिचालन में किसी प्रकार की बेईमानी का पता नहीं चला है।

अनिवासी भारतियों द्वारा भारतीय कम्पनियों का प्रबन्ध ग्रहण करने का प्रयास

3419. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनिवासी भारतीयों द्वारा भारतीय कम्पनियों का प्रबन्ध ग्रहण करने हेतु किये जाने वाले प्रयासों के विरुद्ध भारतीय कम्पनियों के हित की सुरक्षा के लिए कोई उपाय करने के बारे में विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या अनिवासी भारतीय किसी कम्पनी में पांच प्रतिशत स्वामित्व तक पूंजी निवेश पर प्रतिबंध हटाने के लिए जोर डाल रहे हैं,

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ङ) सरकार ने अनिवासी भारतियों के पूंजी निवेश से काला धन की उत्पत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं,

(च) क्या अनिवासी भारतियों और विदेशी पूंजी निवेश के क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले सरकार की जानकारी में लाये गये हैं, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) : अनिवासी भारतियों द्वारा भारतीय कम्पनियों के सम्भावित अधिग्रहण की कोशिशों से उनके हितों के संरक्षण के प्रयोजन से सरकार ने कुल मिलाकर 5 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की है। पोर्टफोलियो निवेश योजना के अन्तर्गत अनिवासी भारतीय किसी भारतीय कम्पनी के इक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय ऋण-पत्रों की प्रत्येक शृंखला

में इसी सीमा तक निवेश कर सकते हैं।

(ग) और (घ) कुछ अनिवासी भारतियों ने पोर्टफोलियो निवेश पर 5 प्रतिशत की इस सीमा को हटाने के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया है। किन्तु सरकार इस बारे में वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत नहीं है।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए विनियम बनाये गए हैं कि अनिवासी भारत भारतीय निवेश में किसी प्रकार का काला-धन पैदा न हो। तथापि, जहां कहीं अनिवासी भारतीयों द्वारा उनके भारत में निवेशों के बारे में कराधान कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाती है।

(च) और (छ) अनिवासी भारतीय व्यापारियों के ऐसे थोड़े से मामले हैं जिन्होंने शायद विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया हो। लोकहित में इन मामलों का विस्तृत ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता। फिर भी सरकार कानून के उपबन्धों के अंतर्गत उचित कार्यवाही करेगी।

सिक्कों का आयात

3420. **श्री रामधन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सिक्कों का आयात इस लिए कर रही है क्योंकि भारत में सिक्कों की ढलाई पर अधिक लागत आती है, और

(ख) यदि हां, तो लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार ने, देश में विद्यमान सिक्कों की कमी को देखते हुए, घरेलू उत्पादन की प्रतिपूर्ति करने के लिए सिक्कों को आयात किया है।

(ख) टकसालों में प्रत्येक स्तर पर लागतों पर पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद स्थित विद्यमान टकसालों में काम के घण्टों की संख्या में वृद्धि करके, अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना आरम्भ करके तथा पुरानी सिक्का निर्माण प्रेसों को प्रतिस्थापित करके तथा नई सिक्का निर्माण प्रेसों को लगाकर उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। इसके अतिरिक्त, नोएडा, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 200 करोड़ अदद सिक्कों की क्षमता वाली एक नई टकसाल स्थापित की जा रही है जो 1988 तक अपना कार्य आरम्भ कर देगी।

मंत्रियों द्वारा आयकर और सम्पत्तिकर का न दिया जाना

3421. **श्री रामधन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्यों में मंत्रिगण अपनी आयकर विवरणियां नियमित रूप से [illegible]

करते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने मन्त्रियों ने अपनी विवरणियां दाखिल नहीं की और 31-3-1986 को आयकर और सम्पत्ति कर की कितनी राशि उनकी ओर बकाया थी ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय और राज्य मन्त्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए, सूचना देश भर में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र करनी पड़ेगी जिसमें पर्याप्त समय और श्रम लगेगा। तथापि, यदि सूचना किसी केन्द्रीय या राज्य मन्त्री विशेष के सम्बन्ध में चाहते हैं, तो वह एकत्र करके प्रस्तुत की जा सकती है।

हिन्दमहासागर क्षेत्र के देशों का सम्मेलन

3422. **श्री टी० बशीर** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाये रखने के बारे में हिन्द महासागर क्षेत्र के देशों का सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ;

(ख) ऐसा सम्मेलन आयोजित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सम्मेलन के आयोजित करने के लिए सम्बन्धित देशों को सहमत कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) हिन्दमहासागर सम्बन्धी तदर्थ समिति के हाल ही में सम्पन्न अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 41वें अधिवेशन के विचारार्थ एक संकल्प के प्रारूप को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। इनमें तदर्थ समिति से यह अनुरोध किया गया है कि वह हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र घोषित करने सम्बन्धी सम्मेलन का तैयारी कार्य 1987 में पूरा कर दे ताकि सम्मेलन को अधिक से-अधिक 1988 के अंत तक आयोजित किया जा सके।

(ख) और (ग) तदर्थ समिति में कुछ देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सम्मेलन में ऐसे मसलों को उठाया जाए जो सम्मेलन के मुख्य मुद्दे यानी हिन्द महासागर के क्षेत्र में बड़ी ताकतों के सैन्यीकरण और उनकी उपस्थिति के मसले से भिन्न हैं। इन तथा अन्य संगत मतभेदों का इस्तेमाल सम्मेलन को बार-बार स्थगित करने के औचित्य के रूप में किया गया है। तथापि, भारत इस प्रस्ताव का बराबर समर्थन कर रहा है और उसने बराबर 1971 के मूल प्रस्ताव 28/32 के पक्ष में मत दिया है जिसमें हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने की अपील की गई है।

जनसाधारण से जमाराशि जुटाने के लिए मानदण्ड

3423. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों और गैर-सरकारी कम्पनियों के लिए जनता से जमा राशि जुटाने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा जमा राशियों पर ब्याज की दर में एकरूपता लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए है ;

(ग) अप्रैल, 1985 से 31, मार्च, 1986 तक की अवधि के लिए जमाराशियों पर आय के स्रोत से कितनी धनराशि का आय कर वसूल किया गया ; और

(घ) क्या आय के स्रोत से वसूल किए गए आयकर और ब्याज को केन्द्रीय सरकार के खाते में तत्काल जमा कर दिया जाता है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार ने आय के स्रोत पर वसूल किए गए आयकर का तत्काल भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गैर-बैंकिंग तथा गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा धनराशियां जुटाने के सम्बन्ध में कम्पनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 1975 तथा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58क के अन्तर्गत मानदंडों को निर्धारित कर दिया गया है।

(ख) कम्पनी (जमा की स्वीकृति) नियमों के नियम 3 (1) (ग) के अनुसार गैर-बैंकिंग तथा गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा जमा के रूप में राशि स्वीकार करने के लिए केवल ब्याज की 15 प्रतिशत अधिकतम दर निर्धारित की गई है । अतः सरकारी कम्पनियों तथा निजी कम्पनियों द्वारा प्राप्त जमा राशियों पर ब्याज की दर में एक रूपता लाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) स्रोत पर काटी गई आयकर की कुल राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से है—

	0.20 निगम			02.1 आयकर		
	सी०सी०ए० सी०बी०डी टी० खाते के अनुसार आंकड़े	सामान्य टी०डी० एस०	जोड़	सी०सी०ए० सी०बी०डी० टी० खाते के अनुसार आंकड़े	सामान्य टी०डी० एस०	जोड़
	1	2	3	4	5	6
1. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 193 के अधीन प्रतिभूतियों पर ब्याज की कटोती	34.55	23.55 (3/86 तक)	58.10	77.67	216.70 (3/86 तक)	294.37

	1	2	3	4	5	6
2. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 191 के अधीन प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा ब्याज के भुगतान पर कटौती।	122.93	—	122.93	117.15	0.03	117.18

ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(घ) इस बात की स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती कि स्रोत पर ब्याज में से काटे गए आयकर को केन्द्रीय सरकार के खाते में तत्काल जमा करा दिया जाता है या नहीं क्योंकि यह कर काटने वाले व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह उस रकम को निर्धारित समय के अन्दर केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करा दे।

(ङ) राजस्व के हित की सुरक्षा के उद्देश्य से आयकर अधिनियम की धारा 201 में प्रावधान है कि यदि प्रधान अधिकारी अथवा कम्पनी जिसका वह प्रधान अधिकारी है, कर काटे जाने के पश्चात उसे सरकार के खाते में जमा नहीं कराता तो वह उक्त करके सम्बन्ध में दोषी कर दाता माना जाएगा। उक्त धारा में यह भी प्रावधान है कि उक्त व्यक्ति उस कर की रकम पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर के हिसाब से साधारण ब्याज का देनदार होगा। इस प्रकार काटे गए कर तथा उस पर देय ब्याज को, उस व्यक्ति की अथवा कम्पनी की, जैसा भी मामला हो, सभी परिसम्पत्तियों पर प्रभारित किया जाएगा। धारा 221 के अनुसार यदि कोई करदाता दोषी है अथवा जिसे दोषी समझा गया हो उसे बकाया रकम की राशि और उस पर देय ब्याज के अतिरिक्त जुर्माना भी अदा करना होगा। इन प्रावधानों की सहायता से केन्द्रीय सरकार को शुल्कों की तुरन्त अदायगी सुनिश्चित हो सकेगी।

विस्कोस फाइबर के उत्पादन के लिए लाइसेंस

3424. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विस्कोस फाइबर के उत्पादन के लिए और लाइसेंस प्रदान किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका मूल्यों और कताई मिलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) देश में विस्कोस के कितने निर्माता हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विस्कोस फाइबर का उत्पादन करने के लिए शीघ्र नई

क्षमता स्थापित करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) इस समय विस्कोस स्टेपल फाइबर के उत्पादन के लिए लाइसेंस शुदा क्षमता वाले 7 एकक हैं। कताई मिलों की परियोजित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फाइबर की उपयुक्त कीमतों पर उपलब्धता वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने समय-समय पर नई क्षमता के लिए आशय पत्र जारी किए हैं।

उत्तर कोरिया को गेहूं का निर्यात

3426. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कोरिया का भारत से गेहूं का आयात करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कितने गेहूं के निर्यात करने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए उत्तर कोरिया और भारत के बीच किसी समझोते पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(घ) गेहूं का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (ग) भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा, डी०वी०आर० कोरिया को 100,000 मे० टन गेहूं का निर्यात करने के लिए, समझोतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड तथा भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम लिमिटेड, विशेष व्यापार प्रबन्धों के एक भाग के रूप में निर्यात सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं।

बैंक आफ इण्डिया द्वारा विकास शिविरों का आयोजन

3427. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ इंडिया विभिन्न राज्यों में विकास शिविर आयोजित करता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो बैंक आफ इंडिया द्वारा उड़ीसा में कितने विकास शिविर आयोजित किए गए ;

(ग) इन शिविरों के आयोजन का प्रयोजन क्या है ; और

(घ) इन शिविरों के बारे में क्या प्रतिक्रिया रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि वह देश के विभिन्न राज्यों में ऋण शिविर आयोजित करता रहा है। उड़ीसा राज्य में इन शिविरों को विकास शिविरों के नाम से भी जाना जाता है। बैंक पहले ही एक ऐसा

शिविर 3 जून, 1986 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बारीपद के निकट बाइजोर गांव में आयोजित कर चुका है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण शिविरों का आयोजन कमजोर वर्गों को अधिक ऋण देने और पात्र लाभ ग्रहियों को बैंक की वित्तीय सहायता से छोटे उत्पादक धन्धे शुरु करने के लिए प्रेरित करने के समग्र उपायों के एक के रूप अंग मे किया जाता है।

[हिन्दी]

कैलाश मानसरोवर मार्ग

3428. **श्री हरीश रावत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर मार्ग के पुन: खोले जाने से अब तक इस मार्ग पर सुविधा बढ़ाने के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि यह मार्ग अब भी अत्याधिक दुर्गम और असुविधाजनक है ;

(ग) यदि हां, तो इस मार्ग को अधिक सुविधाजनक तथा सुगम बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) अपेक्षित सूचना विभिन्न अधिकरणों में एकत्रित की जा रही है और इसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) स्पष्टत: कुछ कठिनाईयां अभी तो है हीं, लेकिन सरकार इस यात्रा को यथासंभव सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव उपाय कर रही है।

(ग) सरकार इस बात के लिए कदम उठा रही है कि यात्रियों को रास्ते में रहने की और अन्य बेहतर सुविधाएं मिल सकें। यात्रा पर जाते समय यात्रियों को वायरलैस, चिकित्सा और सुरक्षा प्रदान की जाती है, इसके अतिरिक्त इस बात की भी व्यवस्था रहती है कि यदि कोई यात्री गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसे विमान द्वारा वहां से वापिस लाया जाए।

पिथौरागढ़ जिले में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोलना

3429. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक ने पिथौरागढ़ जिले के किन-किन स्थानों पर अपनी शाखाएं खोलने के लिए सर्वेक्षण किया है और इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप किन-किन स्थानों पर बैंक की शाखाएं खोलने का विचार है ;

(ख) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान इन प्रस्तावित स्थानों में से किसी स्थान पर बैंक की शाखा खोली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और शेष किन स्थानों पर बैंक की शाखाएं खोले जाने की संभावना है और वे कब तक खोली जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1985-90 के चालू शाखा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत पिथौरागढ़ जिले में शाखाएं खोलने के लिए अग्रणी बैंक समूह द्वारा पता लगाए गए और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्तिम रूप से चयनित केन्द्र ये हैं—

1. बलुवाकोट, 2. तवाघाट, 3. बरम, 4. गुर्ना, 5. जखपुरान, 6. पलेटा, 7. मदमानले, 8. चाहज (दूनी), 9. सेरघाट, 10. वणकोट, 11. जौरासी, 12. चौमेल, 13. बर्दखान, 14. क्विटी, 15. मदकोट, 16. वणसवगध, 17. पंसू, 18. चौदमान्या, 19. धुनाघाट, 20. भिग्रादा, 21. पीपली, 22. मोदानी, 23. भागीचौरा, 24. नारायण नगर, 25. डिगलीचौद, 26. चल्ठी, 27. अमोड़ी और 28. सुखीढांग ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को पात्र केन्द्रों का आबंटन चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा। अत: इस समय उन स्थानों के नाम बताना सम्भव नहीं जहां पर बैंक शाखाएं खोलने की सम्भावना है और न ही इस प्रकार की शाखाएं खोलने की सम्भावित तारीख बताना सम्भव है।

[अनुवाद]

प्रशासित मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति देने हेतु कार्यकुशलता मानदण्डों का निर्धारण

3430. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रशासित मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति देने के लिए कार्यकुशलता मानदण्डों के निर्धारण का कार्य किस उपयुक्त सरकारी एजेन्सी को सौंपने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस सम्बन्ध में बनाई गई नई नीति से सरकारी क्षेत्र में अकुशलताओं पर विचार करने के लिए कुछ नए उपचारात्मक उपाय किए जाने की सम्भावना है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) प्रशासित मूल्य नीति पर एक विवेचनात्मक पत्र 4-8-1986 को संसद के दोनों सदनों के सभा-पटल पर रखा गया था ।

विदेशी सहयोगियों को रायल्टी

3431. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी सहयोगियों को दी जाने वाली रायल्टी अथवा

एक मुश्त भुगतान की अधिकतम सीमा सम्बन्धी मानदण्डों में छूट दी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मानदण्डों में ऐसी कोई रियायत नहीं दी गई है। तथापि प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर अधिक अदायगियों के बारे में विचार किया जाता है।

"मोडवेट" के अन्तर्गत एकत्रित राशि

3432. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय के अधिकारियों ने "मोडवेट" योजना के कार्यपालन के बारे में निर्माताओं के साथ कई कार्यशालाएं आयोजित की हैं और अन्य प्रकार की चर्चा की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या मोडवेट योजना के अन्तर्गत किए गए संग्रह, पिछली उत्पाद शुल्क योजनाओं जिनके स्थान पर इसे आरम्भ किया गया है से बेहतर हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस वर्ष के बजट में मोडवाट के लागू किए जाने से, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क के अधिकारियों ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ओर सीमशुल्क के समाहर्ताओं तथा उद्योग द्वारा इस विषय पर आयोजित कई कार्यशालाओं में भाग लिया है और योजना के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया है।

(ग) और (घ) मोडवाट योजना के अन्तर्गत, कई अन्तिम उत्पादों में इस्तेमाल की गई बहुत सी किस्मों की निर्विष्टियों पर प्रदत्त शुल्क के खाता-जमा की अनुमति है, जबकि खाता जमा को पूर्ववर्ती योजना के तहत, लाभ केवल थोड़ी सी जिन्सों तक ही सीमित था। मोडवाट योजना के तहत आने वाले अन्तिम उत्पादों पर लागू उत्पादन शुल्क की दरों को इस प्रकार संशोधित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजस्व पर मोडवाट का प्रभाव, कुल मिलाकर तटस्थ रहे।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय तथा अतिथि गृहों के नवीनीकरण पर व्यय की गई राशि

3434. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय तथा इससे सम्बद्ध अन्य गृहों के नवीनीकरण तथा आन्तरिक साज-सज्जा पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितना व्यय किया गया है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) किया गया कुल खर्च 24,45,395/- रु० था।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है—

(1) एम०जी० रोड पर बोर्ड के कार्यालय की आन्तरिक साज-सज्जा	1,65,257.00 रु०
(2) मैसूर कामर्शियल कम्पेलैक्स, जे.सी. रोड पर बोर्ड के कार्यालय की आन्तरिक साज-सज्जा।	13,02,805.00 रु०
(3) जे०सी० रोड कार्यालय में इलैक्ट्रिकल फिटिंग्स।	2,85,811.00 रु०
(4) उपरोक्त कार्यालय के लिए फर्नीचर।	3,82,522.00 रु०
(5) इन्दिरा नगर, बंगलौर में बोर्ड के गैस्ट हाउस पर खर्च के ब्यौरे—	
(क) फर्नीचर और उपकरण	2,12,000.00 रु०
(ख) एयर कण्डीशनर्स, रेफ्रीजरेटर आदि जैसी इलैक्ट्रिकल मदें,	68,000.00 रु०
(ग) रसोई का सामान	29,000.00 रु०

कर्नाटक में उझी मक्खी के प्रयोग से शहतूत के पौधों को नुकसान

3435. **श्रीमती वसवराजेश्वरी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 से 1985 तक कर्नाटक राज्य में शहतूत के पौधों को उझी मक्खी के प्रकोप से कुल कितनी अनुमानित हानि हुई है ;

(ख) प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में कितनी (प्रतिशत) गिरावट आई है; और

(ग) उझी मक्खी के प्रकोप को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) उझी मक्खी के रेशम कीटों/कायों को प्रभावित करती है, शहतुत प्लान्टेशन को नहीं। 1981-82 में 1985-86 के दौरान उझी मक्खी के पर्याक्रमण से कोयों के उत्पादन में प्रति हेक्टेअर तथा उसकी प्रतिशतता में

गिरावट निम्नोक्त प्रकार थी—

वर्ष	प्रति हेक्टेयर उत्पादन मे गिरावट (कि.ग्रा.)	उत्पादन में प्रतिशत गिरावट
1981-82	56	20
1982-83	55	18
1983-84	32	10
1984-85	16	5
1985-86	7	2

(ग) उक्त पर्यावरण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(1) रेशम उत्पादकों को वायरमेश तथा एच०डी०पी०ई० जालों की सप्लाई।

(2) प्रमुख-कोया-बाजारों में गर्म-वायु शुष्ककों की व्यवस्था।

(3) रेशम कीट के शरीर पर माउन्टिंग से पहले चूर्ण की हुई चीनी मिट्टी का उपयोग।

(4) डिमिलिन, बेन्जोइक अम्ल आदि जैसे रसायनों के उपयोग के लिए परीक्षण/फील्ड ट्रायल करना।

(5) रेशम उत्पादकों को ऊझी मक्खी प्रकोप के नियन्त्रण की विधियों के बारे में शिक्षित करना।

काफी का उत्पादन

3436. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काफी का कुल कितना उत्पादन होता है ;

(ख) कर्नाटक द्वारा उत्पादित काफी की प्रतिशतता कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही के वर्षों में काफी के उत्पादन में कमी हुई है ; और

(घ) यदि हो, तो उनके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान काफी का कुल उत्पादन और उसमें कर्नाटक का हिस्सा निम्न प्रकार था—

मौसम (जुलाई-जून)	कुल उत्पादन	कर्नाटक के हिस्से की प्रतिशतता
1981-82	1,50,000	67.9%
1982-83	1,29,952	77.8%
1983-84	1,05,000	75.6%
1984-85*	1,95,800	72.6%
1985-86*	1,20,000	68.6%

* अनन्तिम

(ग) और (घ) काफी की फसल चक्रीय स्वरूप की है। इसलिए, वर्ष दर वर्ष उत्पादन में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त, मानसून का व्यवहार भी उत्पादन को प्रभावित करता है।

केरल में "नैय्यर डेम" का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

3437. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में "नैय्यर डैम" का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) पर्यटन मन्त्रालय कोपलम्बी कुलम वन्य-जीव अभ्यारण्य और नैयर डैम क्षेत्र में प्रयोग के लिए मिनी बसें खरीदने के वास्ते केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार को कुछ ब्यौरे भिजवाने के लिए कहा गया है। जिनकी अभी प्रतीक्षा है।

पुणे में बैंकों में "इलेक्ट्रानिक टाइम लाक" प्रणाली का प्रयोग

3438. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुणे में बैंकों में एक ऐसी नई "इलेक्ट्रानिक टाइम लॉक" प्रणाली का प्रयोग करने का निर्णय किया है, जिसमें एक बटन दबाने से बैंकों में स्ट्रांग रूम को कोई भी व्यक्ति एक घण्टे तक नहीं खोल सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने बैंकों में सुरक्षा उपायों की जांच करने और बैंकों में सुरक्षा उपायों को और मजबुत बनाने के लिए सुझाव देने के वास्ते एक उच्च शक्ति प्राप्त कार्यकारी दल का गठन किया था। कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों द्वारा समयानुसार खुलने वाले ऐसे ताले लगाने की सिफारिश की जो केवल पूर्व निर्धारित समय पर ही खुलते हों। कार्यकारी दल की रिपोर्ट की सिफारिशें अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को भेज दी गई हैं। सरकार द्वारा केवल पुणे स्थित बैंकों में "इलेक्ट्रानिक टाइम लॉक प्रणाली" लगाने के वास्ते अलग से कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उड़ीसा में बैंकों की शाखाएं खोलना

3439. श्री लक्ष्मण मलिक :
श्री अनन्त प्रसाद सेठी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखायें खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत बैंकिंत सुविधाएं प्रदान करने के वास्ते सम्भावित विकास केन्द्रों का पता लगाने का काम अग्रणी बैंकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित समूहों को सौंपा गया है। उसके बाद, पता लगाए गए केन्द्रों की सूची को राज्य सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना होता है और फिर शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार बैंक कार्यालय खोलने के वास्ते लाइसेंस जारी करने के लिए यह सूची भारतीय रिजर्व बैंक के विचारार्थ भेजी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उड़ीसा के विभिन्न जिलों में शाखाएं खोलने के लिए पता लगाए गए केन्द्रों की सूची फरवरी 1986 और मई 1986 में दो किस्तों में प्राप्त हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि फरवरी 1986 में प्राप्त सूची में शामिल 15 केन्द्र पहले ही आबंटित कर दिए गए हैं और मई 1986 में प्राप्त सूची में शामिल केन्द्रों की पात्रता की जांच की जा रही है और ये केन्द्र चालू शाखा लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर आबंटित किए जायेंगे।

सरकार का लोक ऋण

3440. श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :
श्री ई० अय्यपू रेड्डी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1985 के अन्त में केन्द्रीय सरकार के लोक ऋणों की धनराशि कितनी थी और मार्च 1987 तक इसके कितनी हो जाने का अनुमान है;

(ख) (एक) वर्ष 1951; (दो) वर्ष 1978 और (तीन) वर्ष 1984-85 में राष्ट्रीय आय और लोक ऋण का अनुपात कितना था; और

(ग) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान व्यर्थ और अनुत्पादक व्यय को रोकने की दशा में क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) मार्च, 1985 के अन्त में लोक ऋण का खाता मूल्य 75,174 करोड़ रुपए था, जबकि मार्च, 1987 के अन्त में इसके 1,01,592 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है।

(ख) लेखाओं के अनुसार वर्ष 1951-52, 1978-79 और 1984-85 में राष्ट्रीय आय की तुलना में लोक ऋण इस प्रकार था—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	वर्ष के दौरान लोक ऋण में वृद्धि	राष्ट्रीय आय	प्रतिशतता
1951-52	—9	9,500	..
1978-79	1243	@87,058	1.4
1984-85	9812	*1,88,459	5.2

@ अनन्तिम

* त्वरित अनुमान

(ग) आयोजना-भिन्न व्यय की सभी मदों की कड़ी जांच की जाती है और केवल आवश्यक तथा अपरिहार्य व्यय करने की अनुमति दी जाती है। व्यय को सीमित करने के प्रयत्नों के जो परिणाम निकले हैं, उनका पता पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों और चालू वर्ष के बजट अनुमानों से लगता है।

उच्च प्रौद्योगिकी के अन्तरण के सम्बन्ध में भारत और फ्रांस के बीच समझौता

3441. श्री बी० तुलसी राम : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस सरकार भारत को उच्च प्रौद्योगिकी का अन्तारण करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उच्च प्रौद्योगिकी का किस क्षेत्र में उपयोग किया जायेगा और इसे कब तक उपलब्ध

कराया जाएगा; और

(घ) फ्रांस से उच्च प्रौद्योगिकी प्राप्त करने से भारत की प्रौद्योगिकी में किस सीमा तक और सुधार होगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय राष्ट्रिकों का दक्षिण अफ्रीका से उत्प्रवास

3342. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रिक दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर अन्य देशों को जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक कितने भारतीय राष्ट्रिक उत्प्रवास कर चुके हैं; और

(घ) उन्होंने किन देशों को उत्प्रवास किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ) सरकार ने समाचार-पत्रों में इस तरह की खबरें देखी हैं कि दक्षिण अफ्रीका से भारतीय मूल के लोग और अन्य अश्वेत परिवार आस्ट्रेलिया जैसे देशों में जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ चूंकि भारत का किसी भी प्रकार सम्पर्क नहीं है इसलिए इस बात का पक्का पता लगाना मुश्किल है कि ऐसे कितने परिवार हैं और उनके उत्प्रवासन के ठीक-ठीक क्या कारण हैं। फिर भी यह मंत्रालय दक्षिण अफ्रीका के निकटवर्ती देशों में स्थित अपने मिशनों से वास्तविक स्थिति का पक्का पता लगाने के लिए सम्पर्क बनाए हुए है।

रिलायंस टैक्सटाइल द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

3443. **श्री एन० वेंकट रत्नम :**
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :
श्री नरसिंह सूर्यवंशी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिलायंस टैक्सटाइल कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किए जाने के कितने मामले हुए हैं और उनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ख) इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) प्रवर्त्तन निदेशालय (फेरा) ने

रिलायेंस टैक्सटाइल कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किए जाने से सम्बन्धित किसी भी मामले पर जांच-पड़ ताल नहीं की है।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंक कर्मचारियों में असन्तोष

3444. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंक कर्मचारियों द्वारा पूरे देश में बन्द का आयोजन करने के प्रस्ताव सहित उनमें फैले असन्तोष की जानकारी है;

(ख) उदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और बैंक कर्मचारियों की क्या मांगें हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय संसद सदस्य के मन में कौन से विशेष असन्तोष की बात है। ऐसी स्थिति में, इस प्रश्न की पुष्टि करना या उससे इनकार करना सम्भव नहीं है। अलबत्ता, कर्मचारी संघों सहित सभी क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाता है और गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।

रानीखेत में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

3445. **श्री हरीश रावत :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में रानीखेत और मुआली के समान ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद रानीखेत में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता है जबकि मुआली में काम करने वाले कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार को रानीखेत में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता केवल उन नगरों में स्वीकार्य है, जिन्हें उनकी जनसंख्या के आधार पर, इस प्रयोजन के लिए वर्गीकृत किया गया है। तथापि, मुआली सहित कुछ पर्वतीय स्थानों में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष आदेशों के अन्तर्गत पूर्णतः तदर्थ आधार पर मकान किराया भत्ता अदा किया जा रहा है। रानीखेत सहित कुछ अन्य पर्वतीय स्थानों में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की मंजूरी के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका, क्योंकि इसी बीच चौथे केन्द्रीय वेतन

आयोग की स्थापना की घोषणा कर दी गई। चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार को अब प्राप्त हो गई हैं। चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ अवर्गीकृत स्थानों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी मकान किराया भत्ते की अदायगी की सिफारिश की है। रानीखेत इन सिफारिशों के अन्तर्गत आता है। चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार अभी विचार कर रही है।

समुद्रीय उत्पादों का उत्पादन और उसका निर्यात

3446. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों का उत्पादन तथा उनका निर्यात करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित केन्द्रीय योजना और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा तथा उनका परिव्यय क्या है; और

(ग) क्या देश में समुद्री और अन्तःदेशीय मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है; और यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य की तुलना में छठी योजना अवधि के दौरान वार्षिक उत्पादन दर क्या थी?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लिए समुद्री-उत्पादों के उत्पादन और निर्यातों के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—

उत्पादन

(लाख मे०टनों में)

वर्ष	समुद्री	स्वदेशी	योग
1983-84	17.13	11.80	28.93
1984-85	17.50	12.09	29.55
1985-86	19.00	11.00	30.00

निर्यात

वर्ष	मात्रा (मे०टनों में)	मूल्य (करोड़ रु०)
1983-84	85000	360.00
1984-85	93800	400.00
1985-86	86550	402.68

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के परिव्यय सहित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मछली उत्पादन में 3.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है।

विवरण

मत्स्यकी क्षेत्र के सम्बन्ध में केन्द्र एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना का योजनावार ब्यौरा

(लाख रु० में)

क्रम सं०	योजना का नाम	संशोधित अनुमोदित सातवीं योजना परिव्यय 1985-90
I.	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजना**	
1.	भारतीय मत्स्यकी सर्वेक्षण।	2425.00
2.	एकीकृत मत्स्यकी परियोजना।	700.00
3.	सेन्ट्रल इन्स्टीटयूट आफ फिशरीज नाटीकल एण्ड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग	700.00
4.	सेन्ट्रल इंस्टीटयूट आफ कोस्टल इंजीनियरिंग फार फिशरीज	75.00
5.	(क) जलपोत विकास निधि	9400.00
	(ख) लकड़ी का हल जलपोत बनाना	30.00
6.	(क) परियोजना बनाना तथा सर्वेक्षण, जांच एवं संरक्षण के सर्वेक्षण के लिए केन्द्र के तकनीकी की स्कन्ध और राज्यों तथा संघ-शासित क्षेत्रों के तकनीकी स्कन्ध को सुदृढ़बनाना	160.00
	(ख) प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला आदि	50.00
7.	(क) प्रमुख पत्तनों पर मछली पकड़ने की बन्दरगाह सुविधाएं (ख) शुष्क गोदी (सी० एस०) का निर्माण। (ग) बोटेनिकल गार्डन का विकास (सी० एस०)।	1700.00
8.	भारतीय तटवर्ती क्षेत्र अधिनियम का प्रवर्तन।	शून्य
9.	अन्तर्राज्यीय मत्स्यकी अंक संकलन का विकास।	80.00

(लाख रु० में)

क्रम सं०	योजना का नाम	संशोधित अनुमोदित सातवीं योजना परिव्यय 1985-90
10.	राष्ट्रीय मत्स्य निगम (नेशनल फिशरीज डेवलेपमेंट बोर्ड)	500.00
11.	मत्स्यकी विकास के लिए लागत फसल सहायता।	शून्य
	योग (केन्द्रीय क्षेत्र की योजना)	15820.00
II.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	
12.	फिश सीड उत्पादन हेतु अवस्थापना का विकास	550.00
13.	(क) एक्वाकल्चर का विकास (एफ०एफ०डी०ए०—1) (ख) विश्व बैंक की सहायता से अन्तर्राज्यीय मत्स्यकी परियोजना (एफ०एफ०डी०ए०—II)	1550.00
14.	जलाशय मत्स्यकी का विकास।	400.00
15.	परित्यकत जल निकायों का विकास और एकताकल्चर हेतु कार्बनिक-अपशिष्ट का उपयोग।	165.00
16.	(क) छोटे पत्तनों पर मछली पालन बन्दरगाह सुविधाएं। (ख) औद्योगिक एस्टेट की स्थापना।	1900.00
17.	लवण-जल एक्वाकल्चर।	500.00
18.	बीच लैंडिंग क्राफ्ट का प्रवेश और लघु यन्त्रीकृत क्षेत्र का विकास	300.00
	मछुआरों के लिए कल्याण योजनाएं	
19.	राष्ट्रीय मछुआरा समाज कल्याण निधि।	400.00
20.	सक्रिय मछुआरा समूह दुर्घटना बीमा योजना।	150.00
		5915.00
	कुल योग (केन्द्रीय एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं)	21735.00

सी०एस०-केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना।

सोवियत संघ द्वारा भारत से गेहूं के आयात के लिए समझौता

3447. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ भारत से गेहूं का आयात करने पर सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा मूल्य आदि के संबंध में हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य देशों से गेहूं के निर्यात के लिए इसी प्रकार के आदेश प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम और एक्सपोर्टख्लेब मास्को के बीच सोवियत संघ को 5 लाख मे०टन गेहूं का निर्यात करने के लिए 9-4-85 को कंए संविदा की गयी थी । यह संविदा उस समय प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर सम्पन्न की गयी थी । अब तक इस संविदा के आधार पर निर्यात की गयी कुल मात्रा 2.07 लाख मे०टन है ।

(ग) और (घ) विएतनाम को वस्तु-ऋण के रूप में निर्यात के लिए 1,00,000 मे० टन गेहूं और नेपाल को 30,000 मेन्टन, जोर्डन को 50,000 टन और कोरिया लोकतंत्रीय गणराज्य को 1,00,000 मे.टन गेहूं की बिक्री के लिए करार किये गये हैं । आगे बात चीत चल रही है ।

विदेशों में थियेटर समारोह

3448. **श्री बालासाहेब बिखे पाटिल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान थियेटर समारोहों में भाग लेने के लिए कितने थियेटरों को विदेशों में भेजा गया है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है, और

(ग) क्या सरकार को इस प्रथा को जारी रखने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान सात थियेटर दल विदेश भेजे गए ।

(ख) 12,49,140/-रुपये ।

(ग) जी, हाँ ।

बाढ़ और सूखा राहत कार्यों के लिये आबंटित धनराशि को अन्य कार्यों पर व्यय किया जाना

3449. **श्री बृजमोहन महन्ती :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गत चार वर्षों के दौरान बाढ़ और सूखा राहत कार्यों के लिए आबंटित धनराशि का बड़े पैमाने पर अन्य कार्यों पर व्यय किये जाने

की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने कुछ अनियमितताएं पकड़ी हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मानदण्डों का उल्लंघन किए जाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) भारत सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान बाढ़ और सूखा राहत के लिए आबंटित की गई निधियों का बड़ी मात्रा में अन्तरण किया गया है।

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने अभी तक अपनी किसी भी रिपोर्ट में 1982-86 के दौरान बाढ़ और सूखा राहत के लिए आबंटित की गई निधियों को बड़ी मात्रा में अन्तरित किए जाने के बारे में रिपोर्ट नहीं की है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में सहकारी कताई मिलों को वित्तीय सहायता

3450. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में विभिन्न सहकारी कताई मिलों को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) किन-किन मिलों की सहायता दी गई तथा उनमे से प्रत्येक को दी गई राशि सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने लाभप्रदत्त एवं उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए मिलों के लिए मार्ग निर्देश निर्धारित किये हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केरल में रूग्ण सहकारी कताई मिलों को फिर से चलाने के लिए सरकार ने क्या उपाय उपाय किये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सहायता प्राप्त सहकारी कताई मिलों के कार्य की समीक्षा करने और उनके निष्पादन में सुधार के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल्स परिसंघ लि० और वित्तीय संस्थानों जैसे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अधिकारियों द्वारा नियमित मोनीटरिंग दौरे किए जाते हैं।

(लाख रुपए में)

एकक का नाम	1983-84		1984-85		1985-86	
	शेयर पूंजी	ऋण	शेयर पूंजी	ऋण	शेयर पूंजी	ऋण
1. कन्ननोर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि०,	7.16	शून्य	20.0	30.0	शून्य	शून्य
2. मालापुरम को-आप० स्पिनिंग मिल्स लि०,	39.31	25.0	3.0	7.0	1.0	21.0
3. क्विलोन को-आप० स्पिनिंग मिल्स लि०,	36.0	शून्य	7.0	10.19	शून्य	शून्य
4. मिचूर को-आप० स्पिनिंग मिल्स लि०,	25.0	5.0	50.0	70.0	1.0	1.0
5. अलिपे को-आप० स्पिनिंग मिल्स लि०,	शून्य	शून्य	20.0	30.0	1.0	1.0

लघु बचत योजनाओं का सरलीकरण

3450. (क) **श्री के०वी० शंकर गौडा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग द्वारा संचालित लघु बचत योजनाओं को प्रशासनिक सुधार विभाग की सिफारिशों के अनुसरण में बहुत सरल बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना को सरल बनाने के लिए उसमें क्या मुख्य परिवर्तन किए गए हैं; और

(ग) इन उपायों से डाक विभाग में लघु बचत योजनाओं के अन्तर्गत अधिक खाते खोलने हेतु लोगों को किस सीमा तक प्रोत्साहन मिलेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) अल्प बचत योजनाओं को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन किए गए हैं :—

(1) यदि अल्प बचत योजनाओं के किसी जमाकर्ता का देहान्त कोई नामांकन किए बिना हो जाए, तो उत्तराधिकार का कानूनी प्रमाण प्रस्तुत किए बिना दावे के निपटान के लिए 5000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है ।

(2) पांचवर्षीय आवर्ती जमा के जमाकर्त्ता खाता खोलने के एक वर्ष के पश्चात अपने खातों को उनके परिपक्व होने से पहले बिना कोई कारण बताए बन्द कर सकते हैं ।

(3) डाक घर सावधि जमा के जमाकर्त्ता को खाता खोलने के छः महीने के बाद बिना कोई कारण बताए समय-पूर्व निकासी करने की अनुमति दी जाएगी ।

(4) डाकघर संचयी सावधि जमा के ऐसे खातों को जिनमें 10,000 रुपये तक की राशि जमा होगी, परिपक्वता से पूर्व बन्द किए जाने पर डाकघर अधिकारियों द्वारा फील्ड में जाकर जांच करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है ।

(ग) इन सरल प्रक्रियाओं से लोगों को अधिक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए । परन्तु यह बताना सम्भव नहीं है कि इन परिवर्तनों के प्रभाव की मात्रा क्या होगी ।

गेहूं का निर्यात

3450. (ख) **श्री वीरेन्द्र सिंह :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात किए जाने वाले भारतीय गेहूं में कम प्रोटीन जैसी कुछ कमियां हैं; और

(ख) क्या देश में गेहूं का भंडार फालतू होने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ओमान देशों को गेहूं के निर्यात के लिए कोई नया करार किया है; यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और प्रत्येक देश को गेहूं की कितनी मात्रा निर्यात की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) निर्यात किये जाने वाले भारतीय गेहूं में कोई कमी नहीं होती है। हमारे गेहूं में प्रोटीन की मात्रा, अन्तर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार्य मानकों के अनुसार होती है।

(ख) नेपाल को 30,000 मे०टन, जोर्डन को 50,000 मे०टन और कोरिया लोकतन्त्रीय जनवादी गणराज्य को 1,10,000 मे०टन गेहूं की बिक्री के लिए करार किये गये हैं।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैंने श्री के० के० तिवारी के विरुद्ध गलत जानकारी देने के लिए विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर ध्यान दूंगा।...मैं इसे देखूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने नियम 115 के अधीन उसी मामले अर्थात् श्री तिवारी के विरुद्ध गलत ब्यान के कारण सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही इसे सौंप दिया है।

(व्यवधान)

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : यह पंजाब की समस्या के बारे में है। आज के समाचार पत्रों में मशीनरी के दुरुपयोग के बारे में एक गम्भीर और प्रमुख घटना का उदाहरण दिया गया है। यदि आप दो मिनट का समय मुझे दे तो मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाऊं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास दो मिनट नहीं है। व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री आर०एस० स्पैरो : मैं श्री हरचरण सिंह हीरो के पुत्र की गिरफ्तारी का मामला उठाना चाहता हूं जो राजनीतिक बदले की भावना से की गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। राज्य सरकार इसका ध्यान रखेगी जैसा कि कल मैं श्री रेड्डी को बता चुका हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : यह स्टेट का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट का है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैडम, मैं कुछ नहीं कर सकता है।

[अनुवाद]

श्री आर० एस० स्पैरो : मैं गृह मन्त्री सहोदय से वक्तव्य देने के लिए आग्रह करता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आप कृपया गृह मन्त्री का ध्यान आकर्षित करायें।

अध्यक्ष महोदय : यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह राज्य सरकार का मामला है। कल जब श्री रेड्डी ने किसी पार्टी के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रश्न उठाया, तब मैंने कहा था कि मेरा पार्टियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। हर व्यक्ति भारतीय है तथा दण्ड संहिता के अनुसार यदि वह दोषी है तो उसे गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। गृह मन्त्री का इससे सम्बन्ध नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, आप जानते है कि पंजाब पुलिस कैसा व्यवहार करती रही है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : अध्यक्ष महोदय ने वचन दिया था कि वह देश में कई कम्पनियों द्वारा अनियमितताएं किए जाने के बारे चर्चा कराने की व्यवस्था करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसे लिया जायेगा। आप इसे दोहराते क्यों हैं? मैं सही कह रहा हूं। आप इस बारे में सन्देह क्या करते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : समय कम रह गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह 13 तारीख को रखा गया है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोरबन्दर) : बाबरी मस्जिद के विवाद को शीघ्र हल किया जाना बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : मामला न्यायालय के विचाराधीन है, अतः अनुमति नहीं है।

श्री जी० एस० बनातवाला : इस बारे में गम्भीर आरोप है।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : आज सुबह राज्य सभा के एक मेम्बर को बार्डर पर रोक लिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उस मामले को हम इस सभा में नहीं उठा सकते। आप मुझे नोटिस दे दें, यदि हमारा विषय होगा तो मैं इस पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

अगर राज्य-सभा का है तो राज्य सभा को भेज देंगे।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : एम्ब्रेस किया गया है, एक घण्टे के लिए।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : असम सरकार ने अपने अधिकारियों को अनुदेश दिए हैं कि वे पर्यटन मन्त्री श्री सन्तोष मोहन देव का पूर्व अनुमति लिए बिना न मिलें । यह भारत के संविधान के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। असंवैधानिक मामलों पर कार्यवाही करने के लिए राज्यपाल वहां पर हैं ।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैंने कालिंग अटैंशन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : कालिंग अटैंशन तो रोज आ रहे हैं, सारे तो यहां नहीं आ सकते ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : कई लोगों ने बाबरी मस्जिद के बारे में कहा है, उस पर कोई बहस नहीं हुई है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मामला न्यायालय के विचाराधीन है, अत: मैं उसे नहीं ले सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मिश्र जी व्यवधान मत डालें ।

[हिन्दी]

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : दिल्ली पुलिस कमिश्नर का आर्डर है यह । उन्होंने हमारे मेम्बर पार्लियामेंट (राज्य सभा) को श्री गुरचरन सिंह तोहरा को दिल्ली में एक महीने के लिए आने से वंचित कर दिया है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है । राज्य सभा को इसका ध्यान रखना है । हमारा इससे सम्बन्ध नहीं है । यह राज्य सभा के लिए है ।

[हिन्दी]

श्री शमिन्दर सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सिटिंग एम० पी० को दिल्ली आने से रोका गया है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चाहे वह सदस्य हों या न हों कानून सभी पर लागू है ।

12.05 म०प०

(तत्पश्चात श्री शमिन्दर सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।)

श्रीमती सुखबंस कौर (गुरदासपुर) : महोदय, माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित है। आप उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहिये···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे नहीं कह सकता। यह उन्हीं की इच्छा पर है। मैं उनसे नहीं कह सकता।

श्रीमती सुखबंस कौर : हम राज्य सरकार की दया पर नहीं रह सकते। आप गृहमन्त्री जी को कहिए कि वह वक्तव्य दें···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कह सकता। महोदया, यह मेरे अधिकार में नहीं है।

श्री आर० एस० स्पैरो : गृहमन्त्री को वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अगर वह इच्छुक है, तो वह दे सकते हैं। मैं उनसे नहीं कहूंगा। मैं न तो उन्हें ऐसा करने के लिए ही कहूंगा और न ही ऐसा कहूंगा कि वह हस न दें।

(व्यवधान)

12.06 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों

को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2889/86]

रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झांसी का 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन आदि तथा विभिन्न ग्रामीण बैंकों के प्रतिवेदन

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झांसी के 31 दिसम्बर, 1984 की समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2890/86]

(2) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नागार्जुन ग्रामीण बैंक, खम्माम का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2891/86]

(दो) रयालसीमा ग्रामीण बैंक, कड्डपा का 31 दिसम्बर, 1985 की समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2892/86]

(तीन) विशाखा ग्रामीण बैंक, श्रीकाकुलम का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2893/86]

(चार) श्री अनाथ ग्रामीण बैंक, अनन्तपुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2894/86]

(पांच) संगमेश्वर ग्रामीण बैंक, महबूबनगर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2895/86]

(छः) मंजीरा ग्रामीण बैंक, संगारेड्डी का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2896/86]

(सात) पिनाकिनी ग्रामीण बैंक, नैल्लोर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2897/86]

(आठ) कछातिया ग्रामीण बैंक, बैरांगल का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2898/86]

(नौ) चैतन्य ग्रामीण बैंक, तेनाली का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2899/86]

(दस) गोलकंडा ग्रामीण बैंक, हैदराबाद का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2900/86]

(ग्यारह) श्रीराम ग्रामीण बैंक, निजामाबाद का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक की प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2901/86]

(बारह) लंगप्पी देहांगो ग्रामीण बैंक, उत्तर लखीमपुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2902/86]

(तेरह) भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा का 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2903/86]

(चौदह) चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2904/86]

(पन्द्रह) मगध ग्रामीण बैंक, गया का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2905/86]

(सोलह) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेख तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2906/86]

(सत्रह) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2907/86]

(अठारह) नालंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार शरीफ का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2908/86]

(उन्नीस) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2909/86]

(बीस) पालामउ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डाल्टन गंज का 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2910/86]

(इक्कीस) रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची का 31 दिसम्बर, 1895 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी 2911/86]

(बाईस) सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा का 31 दिसम्बर, 1895 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2912/86]

(तेईस) गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गिरिडीह का 31 दिसम्बर, 3985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2913/86]

(चौबीस) हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हजारीबाग का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2914/86]

(पच्चीस) जामनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जामनगर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2915/86]

(छब्बीस) कच्छ ग्रामीण बैंक, भुज का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का

प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 2916/86]

(सत्ताईस) बनसकंठा महसाना ग्रामीण बैंक, पाटन का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 2917/86]

(अठाईस) पंचमहल ग्रामीण बैंक, गोधरा का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 2918/86]

(उनतीस) सुरेन्द्रनगर-भावनगर ग्रामीण बैंक, सुरेन्द्रनगर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी 2919/86]

(तीस) बलसाड़-डांगा ग्रामीण बैंक, बलसाड़ का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 2920/86]

(इकतीस) सूरत-भड़ोच ग्रामीण बैंक, भड़ोच का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए का का प्रतिवेदन, लेखें तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 2921/86]

(बत्तीस) साबरकांठा-गांधीनगर ग्रामीण बैंक, हिम्मतनगर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 2922/86]

(तैंतीस) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 2923/86]

(चौंतीस) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 2924/86]

(पैंतीस) हिसार-सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिसार का 31 दिसम्बर, 1985 को

समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2925/86]

(छत्तीस) अम्बाला-कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक, हिसार का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2926/86]

(सैंतीस) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मण्डी का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2927/86]

(अड़तीस) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चंबा का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2928/86]

(उनतालीस) जम्मू ग्रामीण बैंक, जम्मू का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2929/86]

(चालीस) मालप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड़ का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2930/86]

(इकतालीस) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2931/86]

(बयालीस) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्ग का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2932/86]

(तैंतालीस) कोलार ग्रामीण बैंक, कोलार का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2933/86]

(चवालीस) बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष

का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2934/86]

(पैंतालीस) चिकमंगलूर-कोडागू ग्रामीण बैंक, चिकमंगलूर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2935/86]

(छियालीस) सह्याद्री ग्रामीण बैंक, शिमोगा का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2936/86]

(सैंतालीस) नेत्रवती ग्रामीण बैंक, मंगलौर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2937/86]

(अड़तालीस) वर्दा ग्रामीण बैंक, कुम्टा का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2938/86]

(उनचास) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, मांडिया का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2939/86]

(पचास) दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक, मल्लापुरम का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2940/86]

(इक्यावन) उत्तरी मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नानौर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2941/86]

(बावन) बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2942/86]

(तिरेपन) रीवा-सिधी ग्रामीण बैंक, रेवा का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2943/86]

(चव्वन) बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़ का 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2944/86]

(पचपन) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2945/86]

(छप्पन) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदलपुर का 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2946/86]

(सत्तावन) दुर्ग-राजनंद गांव ग्रामीण बैंक, राजनन्द गांव का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी 2947/86]

(अठावन) झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ का 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2948/86]

(उनसठ) शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिवपुरी का 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2949/86]

(साठ) दमोह-पन्ना-सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दमोह का 31 दिसम्बर, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2950/86]

(इकसठ) देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवास का 31 दिसम्बर, 1985 को

समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2951/86]

(बासठ) निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खारगोन का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2952/86]

(तरेसठ) मांडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बायोरा का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2853/86]

(चौसठ) राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बियोरा का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2954/86]

(पैंसठ) शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहडोल का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2955/86]

(छियासठ) रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2956/86]

(सड़सठ) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2957/86]

(अड़सठ) महाकोशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नरसिंहपुर, का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2958/86]

(उनहत्तर) इन्दौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उज्जैन का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2959/86]

(सत्तर) ग्वालियर-दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दतिया का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2960/86]

(इकहत्तर) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नानदेड़ का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2961/86]

(बहत्तर) चन्द्रपुर, मडचिरोली ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2962/86]

(तिहत्तर) अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला, का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2963/86]

(चौहत्तर) रत्नगिरि सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरि का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2964/86]

(पिचहत्तर) शोलापुर ग्रामीण बैंक, शोलापुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2965/86]

(छिहत्तर) भंडारा ग्रामीण बैंक, भंडारा का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2966/86]

(सतहत्तर) यवतमाल ग्रामीण बैंक, यवतमाल का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2967/86]

(अट्ठहत्तर) बुलदाना ग्रामीण बैंक, बुलदाना का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 2968/86]

(उनासी) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 2969/86]

(अस्सी) नोंक्यंडोंगरी खासी जैन्तिया, ग्रामीण बैंक, शिलौंग का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 2970/86]

(इक्कासी) कटक ग्रामीण बैंक, कटक का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 2971/86]

(बयासी) बालासोर ग्रामीण बैंक, बालासोर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 2972/86]

(तिरासी) धनकनाल ग्रामीण बैंक, धनकानाल का 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2973/86]

(चौरासी) शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशियारपुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2974,86]

(पिचासी) कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपूरथला का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2975/86]

(छियासी) जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2976/86]

(सतासी) मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2977/86]

(अठासी) शेखावती ग्रामीण बैंक, सीकर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष

का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2978/86]

(नवासी) मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरू का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2979/86]

(नब्बे) अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्राम्य बैंक, भरतपुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2980/86]

(इक्यानवे) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सवाई माधोपुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2981/86]

(बयानवे) हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2982/86]

(तिरानवे) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2983/86]

(चौरानवे) सुबांसिरी-गांवलिया बैंक, उत्तर लखीमपुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2984/86]

(पिचानवे) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2985/86]

(छियानवे) बूंदी-चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बूंदी का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2986/86]

(सतानवे) भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डूंगरपुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2987/86]

(अठानवे) श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्रीगंगानगर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 8988/86]

(निन्यानवे) डूंगरपुर बांसवाडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डूंगरपुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2989/86]

(सौ) पांडयां ग्राम बैंक, सत्तूर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2990/86]

(एक सौ एक) सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़, का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2991/86]

(एक सौ दो) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी, का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2992/86]

(एक सौ तीन) फरुखाबाद ग्रामीण बैंक, फरुखाबाद, का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल ०टी० 2993/86]

(एक सौ चार) हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक, लखनऊ, का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2994/86]

(एक सौ पांच) खानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खानपुर, का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2995/86]

(एक सौ छः) श्रावस्थी ग्रामीण बैंक, बहराइच का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2996/86]

(एक सौ सात) काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी का 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2997/86]

(एक सौ आठ) फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2998/86]

(एक सौ नौ) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2999/86]

(एक सौ दस) देवीपत्तन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोंडा का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3000/86]

(एक सौ ग्यारह) तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3001/86]

(एक सौ बारह) एटा ग्रामीण बैंक, एटा का 31 दिसम्बर, 1985 की समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3002/86]

(एक सौ तेरह) गोमती ग्रामीण बैंक, गोमती का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3003/86]

(एक सौ चौदह) छत्रसाल ग्रामीण बैंक, उरई का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3004/86]

(एक सौ पन्द्रह) शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहांपुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3005/86]

(एक सौ सोलह) विन्ध्यवासिनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3006/86]

(एक सौ सतरह) सरयू ग्रामीण बैंक, लखीमपुर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुऐ वर्ष का

प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3007/86]

(एक सौ अठारह) जमुना ग्रामीण बैंक, आगरा का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3008/86]

(एक सौ उन्नीस) मुज्जफरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुज्जफरनगर का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3009/86]

(एक सौ बीस) गंगा यमुना ग्रामीण बैंक, देहरादून का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3010/86]

(एक सौ इक्कीस) गौड ग्रामीण बैंक, मालदा का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3011/86]

(एक सौ बाईस) मालभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3012/86]

(एक सौ तेईस) मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, सूरी का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या० एल०टी० 3013/86]

(एक सौ चौबीस) उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार का 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3014/86]

(एक सौ पच्चीस) वर्दवान ग्रामीण बैंक, वर्दवान का 31 दिसम्बर, 1985 को ससाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3015/86]

(एक सौ छब्बीस) मुर्शीदाबाद ग्रामीण बैंक, ब्रहामपुर का 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3016/86]

12.06 म० प०

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986—कार्यवाही कार्यक्रम'

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति, 1986 कार्यवाही कार्यक्रम (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[सन्यासन में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3017/86]

12.07 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे अनुसंधान और विकास उपकर विधेयक, 1986 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 28 जुलाई, 1986 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसरण में 7 अगस्त, 1986 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 अगस्त, 1986 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए संविधान (53वां संशोधन) विधेयक, 1986 को बिना किसी संशोधन के पारित किया।

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 7 अगस्त, 1986 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 5 अगस्त, 1986 को पारित किए गए मिजोरम राज्य विधेयक, 1986 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

12.08 म० प०

अरुणाचल प्रदेश की समदोरोंगचु घाटी में चीनियों द्वारा अतिक्रमण के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : सदन को याद होगा कि अरुणाचल प्रदेश की समदोरोंगचु घाटी में चीनी घुसपैठ के बारे में लोक सभा में 1 अगस्त, 1986 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में विदेश मन्त्री ने कहा था कि "जहां तक इस क्षेत्र में चीनियों द्वारा निर्मित हैलीपैड के अस्तित्व का सवाल है हमारी सूचना के अनुसार आज तक वहां कोई ऐसा हैलीपैड नहीं है। फिर भी सरकार घटनाचक्र पर निकट से निगाह रख रही है।"

4 अगस्त, 1986 को सरकार के ध्यान में यह बात आई कि घुसपैठी चीनी कार्मिकों ने समदोरोंगचु घाटी में वांगडंग में एक काम चलाऊ हैलीपैड बनाया था और एक चीनी हैलीकाप्टर वास्तव में वहां पर उतरा था। मानवीय सदस्यो को ज्ञात होगा कि चीनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की ओर से तिब्बत से इस क्षेत्र में आ-जा सकते हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र इस प्रकार का है कि एक अस्थाई हैलीपैड बनाने के लिए यहां की भूमि को साफ करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। यह भी देखा गया है कि चीनी इस क्षेत्र में टैंट लगा रहे हैं और झोपड़ियां बना रहे हैं।

ये घटनाएं भारत सरकार के लिए गहरी चिंता का विषय है। जैसा कि सदन को मालूम होगा, हमने इस घुसपैठ के मसले को राजनयिक स्तर पर चीनी प्राधिकारियों के साथ नई दिल्ली और बीजिंग में भी उठाया था साथ ही अधिकारिक स्तर की बीजिंग में हाल ही में हुई बातचीत के सातवें दौर में भी इस मसले को व्यापक रूप से उठाया गया था।

हमने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि दोनों पक्षों की सीमा पर शान्ति तथा स्थिरता बनाए रखनी चाहिए और इस दिशा से यदि कोई भी समस्या उत्पन्न हो तो उसे बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। चीन जन गणराज्य की सरकार ने भी इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। भारत सरकार की मंशा यह है कि चीन के साथ सीमा के सवाल का शांतिपूर्ण और बातचीत के माध्यम से हल ढूंढने और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार करने की अपनी नीति के अनुरूप घुसपैठ की इस अद्यतन घटना को भी परामर्श और बातचीत के जरिए तय किया जाए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : हाल ही में विदेश मन्त्री श्री शिवशंकर जी बोले थे। कुछ सदस्यों का कहना था कि एक हेलीपद बनाया गया था। परन्तु मन्त्री जी का यह वक्तव्य सिर्फ कमी को पूरा करने का एक प्रयास है। ···(व्यवधान)

श्री पी० रामय्यल (लद्दाख) : हमें नियम 193 के अन्तर्गत इस पर पूरी तरह से चर्चा करनी चाहिए। महोदय, इस पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दो, मैं देख लूंगा ।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने प्रेस को वक्तव्य दिया है कि···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी नहीं। कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जाएगी ।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने इसकी अनुमति दी है। इसीलिए मैंने चर्चा करने के लिए पहले भी अनुमति दी थी। हम इसकी जांच कर सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह सही है। (व्यवधान) परन्तु महोदय, सदन की परवाह नहीं की गयी।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आपको समझना चाहिए कि कुछ नियम है और नियमों के तहत आप किसी भी अन्य चर्चा के लिए किसी भी समय कह सकते हैं। परन्तु इस समय मैं इसे नहीं कर सकता। आप इस पर क्यों जोर दे रहे हैं जबकि मैं ऐसा इस समय नहीं कर सकता ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह एक सीमावर्ती राज्य है तथा देश की सुरक्षा से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : आप सूचना दे सकते हैं। मैं उस पर विचार कर सकता हूं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मन्त्री जी यहां पर बैठे हैं···

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री का इससे क्या सम्बन्ध है ? जब समय आना है तो वह आएगा। कितनी आसान सी बात है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : चीनी बिना सूचना के वहां आये हैं। उन्होंने भारत को कोई सूचना नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आपके जोर से बोलने से मैं हिलने वाला नहीं हूं। मैं नियम के

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुसार ही काम करूंगा तथा नियम के मुताबिक आपको सूचना देना है। सिर्फ इतना ही मुझे कहना है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप चाहते है कि मैं आपको सूचना दूं परन्तु चीनवासियों ने तो कोई सूचना नहीं दी अपने आने की।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है, परन्तु मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यह उतना ही आसान है।

श्रीमती सुखबन्स कौर (गुरदासपुर) : पंजाब की घटना एक गम्भीर मसला है···

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए हो सकती है। परन्तु मैं कुछ नहीं कर सकता। कितनी आसान है यहां अब आप अपने स्थान पर बैठिए।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : न सिर्फ भारत-चीन सीमा पर ही हालत खराब है अपितु भारत-पाक सीमा की स्थिति भी गम्भीर है।

अध्यक्ष महोदय : आप अगर चाहे तो एक और सूचना दे सकते हैं। आप पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आप नोटिस दे सकते हैं। इसके लिए आपका स्वागत है। अब श्री एच० के० एल० भगत बोलेंगे।

———

12.11 म०प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्यमन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सत्र के शेष अवधि के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना :—

(क) संविधान (चौवनवां संशोधन) विधेयक, 1986

(ख) उच्च न्यायालय और उच्चत्तम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1986

(2) आज की कार्यसूची से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार।

(3) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना :—

(क) राष्ट्रीय सुरक्षक विधेयक, 1986

(ख) तमिलनाडु विधान परिषद (उत्पादन) विधेयक, 1986

(4) नियम 193 के अधीन श्रीलंका में स्थिति पर चर्चा ।

[हिन्दी]

श्री के०एन० प्रधान (भोपाल) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाय :

हर वर्ष देश के विभिन्न भागों में भयंकर बाढ़ें आती हैं. तबाही मचाती हैं। इस वर्ष वर्षा ऋतु की शुरूआत में ही बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा दी है।

मध्य प्रदेश में भी बाढ़ से हजारों एकड़ भूमि की फसलें नष्ट हो गई हैं। कई जानें भी गई हैं। भोपाल नगर में गैस पीड़ितों के लिए यह बाढ़ कोढ़ में खाज साबित हुई है, क्योंकि यह क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ पीडित भी हो गया। मकान और झुग्गियां नष्ट हो गई है। बीमारियों ने जोर पकड़ लिया है और विशेषकर आंखों की बीमारियां बढ़ गई हैं।

शहर भोपाल न केवल भोपाल के नागरिकों के लिए बल्कि भोपाल, रायसेन और विदिशा जिलों के लिए भी खतरनाक हो गया है।

भोपाल के बड़े तालाब की गहराई आधी भी नहीं रह गई है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी पानी रखने की क्षमता कम हो गई है और इसलिए बड़े तालाब से निकलने वाली नदी कलिया सोत में तालाब का पानी अचानक भारी मात्रा में छोड़ना पड़ता है, जिससे कलिया सोत और बेतवा नदियों में भयंकर बाढ़ आ जाती है जिससे भोपाल, रायसेन तथा विदिशा आदि जिलों में प्रलय की स्थिति निर्मित हो जाती है।

इसी प्रकार भोपाल के छोटे तालाब का राजा भोज के जमाने का निर्मित पुल पुखत जहां से पातरा नदी निकलती है अब ऐसी अवस्था में पहुंच चुका है कि कमी भी यदि वह टूट गया तो निश्चित ही, न केवल भोपाल नगर बल्कि पचासों गांव पानी में बह जाएंगे।

इसलिए केन्द्र सरकार भोपाल में पर्यावरण सुधार, गैस से अधिक पीड़ित लोगों के लिए मकान, बड़े तालाब को गहरा करने और छोटे तालाब पर दूसरा पुल बनाने के लिए तत्काल मध्य प्रदेश सरकार को सहायता दे।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलन्दइवेलू (गोविपेट्टिपालयम्) : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, अगर आपका नाम है तो में आपको बुलाऊंगा···हां, आपका नाम है। अब श्री सैयद शाहबुद्दीन।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, अगले सप्ताह 11 अगस्त 1986 को होने वाली कार्यवाही में निम्न मदें शामिल की जायें।

स्वर्गीय प्रधानमन्त्री द्वारा बनाए गए और उनके बाद के प्रधानमन्त्री द्वारा अनुमोदित तथा मई 1983 में घोषित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन को प्रगति के बारे में संसद को अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है, अल्पसंख्यक इसके प्रभाव को जानने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए कल्याणमन्त्री को सदन को इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। जिस पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए।

जून, 1982 में गोपाल सिंह पेनल की अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसे अभी तक सदन के सभापटल पर नहीं रखा गया है। पिछले चार वर्षों से यह रिपोर्ट विचाराधीन है। सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों पर बिना विचार किए इसे सभापटल पर रखा जाना चाहिए और इस पर चर्चा की जानी चाहिए जैसे कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में किया गया था, जिससे इस पर राष्ट्रव्यापी चर्चा हो सके और एक सर्वसम्मत समाधान निकाला जा सके। इसलिए इस मद को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किए जाने की प्रार्थना की जाती है।

श्री शान्ताराम नायक (पणाजी) : मैं अगले सप्ताह के लिए सदन की कार्यवाही में निम्न मदों को शामिल करने का सुझाव देता हूं—

1. इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश में चल रही आर्थिक स्थिति पर सदन में समय-समय पर चर्चा होती है। यद्यपि चर्चा उपयोगी लगती है लेकिन यह बहुत सामान्य हो जाती है। इस समय देश में 22 राज्य और 9 केन्द्र शासित राज्य हैं। इन राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक स्थिति के भिन्न पहलू है, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की समस्याएं भी अलग हैं।

   इसलिए मैं सदन से प्रत्येक राज्य व प्रत्येक संघ राज्य की आर्थिक स्थिति पर अकारादिक्रम से चर्चा करने का सुझाव देता हूं और आर्थिक स्थिति पर विचार असाम और आन्ध्र प्रदेश से शुरू किया जाना चाहिए।

2. कुछ समय पूर्व विधि मन्त्री ने सदन में समान नागरिक संहिता विधेयक पर विचार करने के विषय में उल्लेख किया था। यह एक बहुत जाना माना तथ्य नहीं है कि इस देश के कम से कम एक हिस्से में अर्थात् गोआ दमन और द्वीप के संघ राज्य क्षेत्र में, वहां पहले ही पिछली कई शताब्दियों से समान नागरिक संहिता को पूर्तगाली सरकार ने लागू कर दिया था। इस क्षेत्र में लोगों को चाहे वे हिन्दू, ईसाई या मुस्लिम हो, को एक सामान्य संहिता द्वारा संचालित किया जाता है।

   इस संहिता के अधिकतर प्रावधान विशेषतया जो पुरुष व स्त्री को सामान दर्जा देते हैं एक आदर्श है, मैं सुझाव देता हूं कि गोआ में लागू संहिता के प्रकाश में सदन में समान नागरिक संहिता के विषय पर चर्चा की जाए।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निम्नलिखित विषय

आगामी सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाये।

मैं भारत सरकार से बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आवश्यक कानूनी संशोधन की मांग करूंगी। शारदा एक्ट से बाल विवाह जैसी कुप्रथा समाज में नहीं रुक पाई है। आज भी हजारों बाल विवाह सम्पन्न होते हैं। विशेषकर राजस्थान में अक्षय तृतीया के दिन गांवों में ऐसे विवाह सम्पन्न होते हैं, जहां दुधमुहे बच्चे इस बन्धन में बांध दिए जाते हैं। इससे समाज को दो तरफा नुकसान होता है।

1. स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव तथा जनसंख्या का बढ़ाना।

2. आवश्यक शिक्षा ग्रहण करने में रुकावट पैदा होना।

अत: सरकार तुरन्त इस बात पर ध्यान दे। शारदा ऐक्ट में आवश्यक संशोधन लाए या फिर इसी संसद सत्र मे विशेष कानून पेश किया जाए जिससे इस बुराई को रोका जा सके तथा समाज के स्वस्थ विकास की तरफ हम 21वीं शताब्दी में सही ढंग से बढ़ सकें, इसकी व्यवस्था की जाये।

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि जैना (बालासौर) : अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्न मामलों को शामिल किया जाए—

(1) जैसा कि योजना आयोग ने बताया है कि साधनों के अभाव के कारण संचार मंत्रालय जन-संचार नेटवर्क की उचित मांग को जो बहुत आवश्यक है प्रदान कराने में अपंग हो गई है, वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार दूरदराज के क्षेत्रों, पहाड़ी और अगम्य क्षेत्रों में जहां गरीब जनजाति और अनुसूचित जनजाति के साधारण लोग रहते है, आदिवासी क्षेत्रों को दूर-संचार नेटवर्क के अन्तर्गत लाने में रुचि रखती है। लेकिन संसाधनों की कमी के कारण यह पवित्र इरादा क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है क्योंकि नए पी०टी०सी०ओ० या एक्सचेंज को नहीं खोला जा सकता। ऐसे दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए ओपन वायर कैरियर प्रणाली के स्थान पर बहुचैनल 'यू०एच०एफ० या वी०एच०एफ०' प्रणाली प्रदान करानी चाहिए जिससे इस प्रणाली द्वारा कम खर्च से अधिक क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है और यह प्रणाली प्राकृतिक विपत्ति द्वारा प्राभावित क्षेत्रों में अधिक सुरक्षित भी होगी।

इस महत्वपूर्ण विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाना चाहिए विशेष रूप से जब मानसून शुरू हो गई है और इन क्षेत्रों में बाढ़, तुफान जैसे संकटों की आशा है।

(2) अन्तर्राज्यीय सुवर्ण रेखा बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना को विश्व बैंक द्वारा दी गई निधि से 1986-87 में पूरा करना था। लेकिन सभी तीन राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा द्वारा अपेक्षित प्रयासों की कमी के कारण इसके कार्य की प्रगति बहुत

कम है और मुझे भय है कि यह परियोजना 2000 शताब्दी से पहले पूरी नहीं हो सकती और दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई वृद्धि जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सम्पत्ति का न केवल दुरुपयोग होता है बल्कि इन तीन राज्यों के दस लाख लोगों को सुवर्ण रेखा में भयंकर बाढ़ के दौरान सूखे से प्रभावित भूमि को सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अगले सप्ताह की कार्यवाही में इस महत्वपूर्ण विषय को शामिल किया जाना चाहिए।

डा० चिन्ता मोहन (तिरूपति) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को शामिल किया जाये।

(1) त्रिन्कोमाली अड्डे में विदेशी जहाज उतरने के कारण, श्रीलंका में तनाव और दक्षिणी अड्डे के कमजोर होने के कारण, सुलूरपेट के तटीय क्षेत्र में एक तट रक्षक एकादमी या नौ सेना सुरक्षा इकाई का शुरू किया जाना बहुत आवश्यक है।

(2) आधुनिकीकरण और विद्युतकरघों के प्रचलन के कारण हमारे देश में हथकरघा बुनकरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

ये लोग एक दिन के खाने के लिए 10 रुपए भी नहीं कमा पा रहे है मेरे निर्वाचन क्षेत्र सत्यवेदू मंडल की मदनामबेहू में लोग फिलेरिया से प्रभावित हो रही हैं और बुढ़ापे में कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से हथकरघा बुनकरों को उनके काम की सेवा निवृत्ति के बाद 100 रुपए महीना पेन्शन देने का अनुरोध करता हूं।

श्री श्रीहरिराव (राजामुंद्री) : मैं अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्न मामलों को शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

(1) आन्ध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी द्राक्षाराम जिले का श्री भीमेश्वर स्वामी मन्दिर पौराणिक ऐतिहासिक और पुरातत्वीय महत्व का है। यह राजामुंद्री से 50 मि०मी० और काकीनाड़ा से 28 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह मन्दिर आठवीं शताब्दी में बनाया गया था जो दक्षिण भारत में एक मुरक तीर्थस्थल है और यहां पूरे वर्ष तीर्थयात्री बहुत दूर-दूर से यात्रा करने आते हैं। इस मन्दिर को राष्ट्रीय महत्व दिया गया जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा 22.7.1964 को प्राचीन स्मारक और 1958 की शताब्दी के अवशेषों के अधीन प्राचीन संरक्षित स्मारकों के अधीन रखा गया है। मरम्मत और नवीकरण के सम्बन्ध में इस मंदिर की उपेक्षा की गई है। तालाब में, जिसमे भक्त स्नान करते हैं, गंद जम गया है। इसकी पुनः मरम्मत, पीने के पानी, भक्तों के कपड़े बदलने के स्थान आदि की कुछ सुख सुविधाएं प्रदान करने हेतू राज्य सरकार ने कुछ धन प्रदान किया है। मैं पुरातत्वीय विभाग से इसकी पुनःमरम्मत के लिए राज्य सरकार को अनुमति देने का अनुरोध करता हूं।

(2) डा० कर्नल राजू ने जो उस समय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राजामुंद्री में एक क्षेत्रीय

फाइलेरिया प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया था इस अनुसंधान केन्द्र के लिए अभी तक कोई भवन का निर्माण नहीं हुआ है और केन्द्र में कोई स्थायी डाक्टर नहीं है इसलिए मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आजकल राजमुंद्री में हर महीने एक डाक्टर नियुक्त किया जाता है। कोई भी डाक्टर राजमुंद्री आने में रुचि नहीं रखता क्योंकि उन्हें दिल्ली में अधिक सुविधाएं और उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं।

अत: मैं राजामुंद्री में नियमित रूप से एक डाक्टर नियुक्त करने और क्षेत्रीय फाइलेरिया प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र के लिए एक स्थान का चयन करने और उस पर शीघ्र एक भवन का निर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

प्रो० पी०जे० कुरियन (इदुक्की) : लोक सभा में अगले सप्ताह के लिए कार्य सूची में निम्नलिखित विषय भी शामिल किया जाना चाहिए :

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले, जिसमें ट्रावनकोर इसाई उत्तराधिकार अधिनियम को, निरस्त किया गया है, के दूरगामी परिणाम निकलेंगे। इस निर्णय से इसाई परिवारों में भाई तथा बहिन, पिता तथा पुत्री के बीच हजारों मुकदमेंबाजियां शुरु हो जाएंगी। इससे इन परिवारों की स्थिरता को क्षति पहुंचेगी तथा सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगी। जबकि सर्वोच्चन्यायालय का पुत्र एवं पुत्री को समान अधिकार प्रदान करने का निर्णय स्वागत योग्य है, परन्तु यदि इसे पहले से लागू किया जाता है तो इसके बहुत दुष्कर परिणाम निकलते हैं।

इसलिए, सरकार को शीघ्र समस्त समस्या का अध्ययन करना चाहिए तथा स्त्री तथा पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करने तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण उत्पन्न पूर्ण प्रभाविता को भी रद्द करने के लिए एक नया कानून आगे लाना चाहिए। इस विषय पर सभा में अगले सप्ताह चर्चा की जानी चाहिए और इसलिए इसे कार्यसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोविचेट्टिपालयम) : निम्नलिखित मद को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए :

तमिलनाडु के पेरियार जिले में भवानी नामक स्थान एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। यह स्थान दक्षिण प्रयाग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इलाहाबाद की तरह यह भी दो नदियों कावेरी तथा भवानी के संगम पर स्थित है। भगवान संगमेश्वर का प्रसिद्ध मन्दिर जो एक हजार वर्ष पुराना है वेदगिरी, पद्मागिरी नागगिरी तथा मंगलगिरी नामक छोटी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। क्योंकि यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है इसे सन्थागिरी मध्यप्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसका धार्मिक पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थान के रूप में विकास किया जाना आवश्यक है। इरोड रेल जंक्शन 12 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग न० 47 इस पर्यटन स्थल के बहुत निकट है। पहाड़ियों, नदियों के संगम तथा धान के खेतों से घिरा यह स्थान प्राकृतिक रूप से बहुत आकर्षक है। डाक विभाग पहले ही 25.8.77 को एक विशेष डाक टिकट जारी कर चुका है जिस पर खूबसूरत संगम "कुदुथुराई" का चित्र है, पृष्ठ भूमि में संगमेश्वर का स्तम्भ है तथा विशाल

पहाड़ी उराचीकोट्टाई है। पर्यटन मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे तमिलनाडु में भवानी जिले में "कुदुथुराई" को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र घोषित किया जाए।

श्री एच०के०एल० भगत : माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए विभिन्न वक्तव्यों से उनके द्वारा सभा की कार्यवाही में दिखाई गई रुचि स्पष्ट होती है। मैं इन सब बातों की ओर बी०ए०सी० का ध्यान दिलाऊंगा।

12.26 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

26वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्यमन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 7 अगस्त, 1986 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मन्त्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 7 अगस्त, 1986 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्यमन्त्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.26 1/2 म० प०

संविधान (54वां संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं

---

* दिनांक 8 अगस्त, 1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एच०आर० भारद्वाज@ : महोदय, मैं विधेयक को पुन:स्थापित करता हूं।

13.27 म०प०

तमिलनाडु विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक*

[अनुवाद]

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि तमिलनाडू राज्य की विधान परिषद् के उत्सादन का तथा उसके अनुपूरक-आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तमिलनाडू राज्य की विधान परिषद् के उत्सादन का तथा उसके अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एच०आर० भारद्वाज : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

12.27 1/2 म० प०

राष्ट्रीय सुरक्षक विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (सरदार बूटासिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आन्तरिक अशान्ति से राज्य की

@ राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

* दिनांक 8 अगस्त, 1986 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

संरक्षा करने की दृष्टि से आतंकवादियों के क्रिया-कलापों का मुकाबला करने के लिए संघ के सशस्त्र बल के गठन और विनियमन का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अन्तरिक अशान्ति से राज्य की संरक्षा करने की दृष्टि से आतंकवादियों के क्रिया-कलापों का मुकाबला करने के लिए संघ के सशस्त्र बल के गठन और विनियमन का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सरदार बूटासिंह : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

12.28 म०प०

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक*

विधि और न्यायमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर०भारद्वाज) : मैं श्री ए०के० सेन की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि उच्चन्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक का पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चन्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एच०आर० भारद्वाज@ : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 8 अगस्त, 1986 के भारत के असाधारण राजपत्रभाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

@ राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

12.29 म० प०

हाल की रेल दुर्घटनाओं के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : 6 अगस्त को जब सभा ने हिरोशिमा में शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजली अर्पित की थी, दुर्भाग्यवश उसी दिन हमें बिहार में पालामऊ के निकट दुर्घटना की भयकर खबर मिली थी जहां पुल पर अमृतसर टाटानगर एक्सप्रैस कुछ माल डिब्बों के साथ टकरा गई थी। तथा जिसके परिणामस्वरूप वहां जान-माल का भारी नुकसान हुआ तथा कई लोग घायल हो गए थे। अभी तक भी हमें नहीं मालूम कि कितने लोग मरे हैं। केवल मृतक तथा भगवान ही जानते हैं कि कितने लोग मरे हैं। परन्तु मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में समस्त विवरण मिल जाएगा।

दो वर्ष तक रेलवे में काम करने से मेरा रेलवे से हमेशा के लिए एक भावनात्मक लगाव हो गया है और इसलिए जब कभी मैं भयंकर रेल दुर्घटना के बारे में सुनता हूं तो मुझे हमेशा यही लगता कि मेरा अपना घर हिल गया है। तथा इस भावना के साथ आज मैं हाल ही में हुई रेल दुर्घटना पर चर्चा शुरु करता हूं।

विभिन्न रेल दुर्घटनाओं, जो हाल ही में हुई हैं का भौतिक विश्लेषण करते हुए इसके साथ-साथ ही मैं इस सभा को कुछ सकारात्मक एवं ठोस सुझाव भी दूंगा, जिनके द्वारा भविष्य में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है तथा कम-से-कम ऐसी विपत्तियों को कम किया जा सकता है। उन विपत्तियों को पूर्णरूपेण दूर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए सामान्य सकारण यह है कि हमारी रेल व्यवस्था बहुत विस्तृत है जिसकी लम्बाई 61000 फुट किलोमीटर है जिस पर प्रतिदिन 10,000 गाडियां लगभग 7000 स्टेशनों को तय करती हैं, प्रतिदिन एक करोड़ व्यक्ति उपनगरीय तथा गैर-उपनगरीय गाड़ियों से यात्रा करते हैं तथा इन लाईनों पर कई मालगाड़ियां भी चलती हैं। अतः इतनी अधिक लागत से दुर्घटनाएं पूर्णरूप से नहीं रोकी जा सकती, परन्तु हमें इस रेल व्यवस्था की जितनी हो सके उतनी क्षति को रोकना चाहिए ताकि हम रेलवे की उचित सुरक्षा कर सकें।

यदि आप पिछले कई वर्षों के दौरान हुई दुर्घटनाओं का विश्लेषण करें तो आप पायेंगे कि दुर्घटनाओं की विभिन्न श्रेणियां हैं तथा उन पर कुछ अलग ढंग से विचार करना होगा। ये दुर्घटनाएं मानव कमियों के कारण होती हैं ये दुर्घटनाएं उपकरणों में दोषों के कारण होती हैं ये दुर्घटनाएं गाड़ियों की भिड़न्त के कारण होते हैं जैसाकि इस विशेष मामलों में हुआ है, ये दुर्घटनाएं टूटी फूटी पटरियों जिन पर कि गाड़ियां चलती हैं, पर से गाड़ियों के उतर जाने के कारण होती हैं, फिर कभी-कभी ये दुर्घटनाएं रेल पटरी पर कोहरा होने के कारण अदृश्यता की वजह से होती हैं। रेल दुर्घटनाएं और वे भी कुछ एक नहीं,—रेल लाईनों पर कर्मी दल रहित रेल फाटकों के कारण भी होती हैं। रेल की पटरियों के अपर्याप्त निरीक्षण तथा गाड़ी की संरचना के कारण भी रेल दुर्घटनाएं होती हैं और अन्त मे कुछ दुर्घटनाएं देश में आतंकवादियों द्वारा या असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ के कारण तथा जोड़-पट्टियों के हटा देने के कारण होती

हैं, हमें दुर्घटना के इन सभी प्रकारों पर ध्यान देना चाहिए तथा आवश्यक सुरक्षा उपाय ढूंढ़ने चाहिएं।

जहां तक पालामऊ के निकट हाल ही में हुई दुर्घटना का सम्बन्ध है, यह दुर्घटना वास्तव में एक भिड़न्त है तथा मैं माननीय परिवहन मन्त्री जी से निवेदन करता हूं, मैं उनकी कृपा का अभिलाषी हूं, कि मेरे द्वारा सुझाये गए कुछ उपायों के जिनकी अवहेलना कर दी गई थी, यदि दुबारा लागू किया जाता है तो शायद भिडन्त से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।

अतः हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भिड़न्त से दुर्घटनाएं कैसे होती हैं। यदि गाड़ी चालक थका मांदा है या अन्यमनस्क है तो यद्यपि वह देखता है कि खतरे का संकेत है क्योंकि स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है या उस संकेत के परे गाड़ी का डिब्बा है पर कभी-कभी वह उस लाल संकेत की ओर ध्यान नहीं देता तथा पूरी गाड़ी स्टेशन पर खड़ी गाड़ी में घुस जाती है तथा उसके परिणामस्वरूप भिड़न्त की दुर्घटना हो जाती है।

मुझे बहुत गर्व है कि भारतीय रेल कर्मियों ने कुछ यन्त्रों का आविष्कार किया है जिनका नाम स्वचालित चेतावनी प्रणाली है। आर०डी०ए०ओ० लखनऊ में कार्यरत सभी वैज्ञानिक सम्मान के पात्र हैं। उन्होंने एक बहुत ही रोचक यन्त्र का आविष्कार किया है जिसका नाम स्वचालित चेतावनी प्रणाली है तथा यह मुख्यरूप से भिड़न्त द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए है। इन यन्त्रों के पहले बहुत सघनता वाले मार्गों जैसे गया, मुगलसराय तथा हावड़ा बर्दवान पर लगाये गए थे क्योंकि वे बहुत ही सघनता वाले मार्ग थे। इस उपकरण की कार्यप्रणाली बहुत ही रोचक है। इस विशेष यन्त्र की विलक्षणता की बात मैं इस सभा को तथा महोदय आपको भी बताना चाहता हूं। कभी-कभी चालक लाल संकेत को देखकर भी अनदेखा कर देता है और वह ब्रेक नहीं लगाता है। अब हमारे रेल वैज्ञानिकों ने एक नए यन्त्र का आविष्कार किया है जिसका नाम स्वचालित चेतावनी प्रणाली है जिसे रेल इंजन के प्रकोष्ठ के नीचे लगा दिया जाता है तथा सिगनल से केवल आधा किलोमीटर दूर एक पटरी चुम्बक भी लगा दिया जाता है। समस्त यन्त्र विद्युत-चुम्बकत्व के आधार तथा सिद्धान्त पर कार्य करता है। पटरी चुम्बक पटरी के साथ लगा दिया जाता है तथा जब इञ्जन ठीक पटरी चुम्बक के ऊपर आता है तो दोनों चुम्बक एक दूसरे के ठीक ऊपर होते हैं तथा सिगनल द्वारा विद्युतचक्र पूरा हो जाता है। लाल सिगनल मिलते ही वह करट चुम्बकीय पथ से होकर गुजरने लगता है। वास्तव में यह चुम्बक युक्त होता है। जैसे ही प्रकोष्ठ इससे ऊपर आता है वैसे ही विद्युत चुम्बकीय करंट प्रकोष्ठ चुम्बक में उत्पन्न होने लगता है और किसी उपकरण के द्वारा सीटी की आवाज होने लगती है। इसलिए लाल सिगनल से एक या आधे किलोमीटर पर यदि उसने ब्रेक उपकरण का उपयोग नहीं किया हो तो सीटी की आवाज सुनाई देने लगती है। उदाहरण के तौर पर चालक प्रोफेसर के समान भुलक्कड़ है और वह सीटी की आवाज नहीं सुनता है तथा ब्रेक उपकरण का प्रयोग नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भी इस यन्त्र की विशेषता यह है कि एक निश्चित सीमा अवधि के अन्तर्गत यदि वह ब्रेक उपकरण का प्रयोग नहीं करता है तो भी ब्रेक उपकरण स्वतः ही कार्य करने लगता है जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना होने से बच सकती है। जब अधिक यातायात वाले इन दो मार्गों पर यह स्वचालित चेतावनी प्रणाली लागू की गई थी···

अध्यक्ष महोदय : किन्तु अलग से रेलपथ पर खड़े हुए डिब्बों के बारे में क्या है ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, इसकी कोई बात नहीं है। यदि सिगनल चिह्न से परे कुछ भी खड़ा होता है, तो लाल सिगनल हमेशा ही दिया जाता है। चाहे वह गाड़ी हो अथवा कोई अलग किया हुआ डिब्बा, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता।

अध्यक्ष महोदय : वह पटरी पर नहीं था अपितु उससे दूर था।

श्री मधु दण्डवते : निश्चय ही यदि पास में कोई सिगनल उपकरण नहीं होगा, तो यह काम नहीं करेगा। सिगनल उपकरण के क्षेत्र में होने पर ही इसका उपयोग हो सकेगा। (व्यवधान) प्राय: संवेदनशील पुलों पर, उनसे कुछ दूरी पर सिगनल उपकरण लगाया जाता है जो उपयोगी होता है। वास्तव में सभी पुलों के पास ऐसा प्रबन्ध नहीं है। किन्तु कुछ उपयोगी पुल है और उनके पास किसी-न-किसी प्रकार के सिगनल उपकरण लगाए गए हैं। जब से अधिक यातायात वाले मार्गों पर यह स्वचालित चेतावनी प्रणाली लागू की गई है, इन दोनों मार्गों पर जिनका उल्लेख मैं कर चुका हूं। वहां एक भी दुर्घटना नहीं हुई है। इससे हमें यह सबक लेना चाहिए कि उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए अपितु अधिक यातायात वाले सभी मार्गों पर स्वचालित चेतावनी प्रणाली लागू करनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए और इसे लागू किया जाए।

रेल पथ के नवीकरण की समस्या है। मुझे खेद है कि वित्त मन्त्री यहां उपस्थित में नहीं हैं। पूरी सभा की ओर से वित्त मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में परिवहन मन्त्री की सहायता करने में अनुरोध करना चाहूंगा। 6,000 से 10,000 किलोमीटर के रेल पथ की प्रारम्भिक नवीकरण का मामला कुछ समय से लम्बित पड़ा है और इसके कारण खतरनाक स्थिति की आशंका बनी हुई है। जिस प्रकार कई जगह से हड्डी टूट जाती है, उसी प्रकार रेलपथों के अधिक इस्तेमाल से कई जगह टूट-फूट हो जाने की संभावना बनी रहती है। भाग्यवश हमारे रेल विभाग के पास पराध्वनिक यन्त्र हैं जिन्हें ट्राली पर रखा जाता है और रेल पथ पर चलाया जाता है। किसी भी स्थान पर यदि रेलपथ में कहीं भी टूट-फूट होती है तो उसका संकेत पराध्वनिक यन्त्र पर तत्काल अंकित हो जाता है। इससे केवल इस बात का ही पता नहीं चलता कि टूट-फूट कहां है अपितु इस बात का भी पता चल जाता है कि टूट-फूट कितनी अधिक है। इस बात का पता तो गेलीब्रेट किए गए पराध्वनिक यन्त्र से भी चल सकता है इसकी सहायता से यह पता चला था कि 6,000 से 10,000 कि० मी० रेल पथ का प्रारम्भिक नवीकरण करने की आवश्यकता है। इसलिए जब कभी भी भारी गाड़ियां चलेंगी, तभी जगह-जगह पर टूट-फूट होगी। अत: आपके माध्यम से मैं वित्त मन्त्री से, जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, अनुरोध करता हूं कि प्रारम्भिक रेल पथों का नवीकरण करने के लिए निधियां देने के मामले में रेलवे को प्राथमिकता दी जाए ताकि जो रेल लाइनें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और टूटने वाली हैं, उन्हें बदला सके।

देश के विभिन्त भागों में उग्रवादियों की गतिविधियों के कारण हाल में तोड़-फोड़ की

घटनाएं हो रहीं है। कभी-कभी तोड़-फोड़ के कारण फिश प्लेटों के उखाड़े जाने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। किन्तु इसके लिए एक बहुत बढ़ियां यन्त्र है। माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि उसका लाभ उठाया जाए। यदि तोड़-फोड़ करने वाले फिश प्लेटें उखाड़ना चाहते हैं तो उनके लिए यह काम करने का अवसर ही न छोड़ा जाये। फिश प्लेटें स्वयं ही हटा दी जाएं। मैं उन्हें यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि वह स्वयं ही तोड़-फोड़ आरम्भ कर दें। अपितु मेरा यह सुझाव है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिसके द्वारा फिश प्लेट के स्थान पर वैल्ड की हुई छोटी या बड़ी रेल लाइन को रखा जा सकता हैं। इससे रेल लाइनें जुड़ जाती है और फिश प्लेटों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। छोटी और लम्बी रेल लाइनों को बैल्ड करने से फिश प्लेटें बिल्कुल ही हटाई जा सकती है। यदि इस प्रणाली को बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है और फिश प्लेटों को पूर्णतया हटाया जाता है तो तोड़-फोड़ से होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सकता है।

महोदय, जहां तक रेल पक्ष का सम्बन्ध है, उसके लिए सुरक्षा यन्त्र का प्रयोग करना सुनिश्चित होना चाहिए। रेल पथ के लिए अनेक लाभकारी यन्त्र हैं और वे हैं स्वचालित सिगनल प्रणाली और एम्सल काउन्टर प्रणाली। जैसा कि अभी-अभी आपने कहा था, कभी-कभी ऐसा होता है कि गाड़ी चल रही होती है और रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है, कभी-कभी दो डिब्बों के बीच का कप्लर टूट जाता है और जिसके कारण कुछ वैगन या कुछ बोगियां अलग होती है। वे कब किसी विशेष स्टेशन या किसी विशेष रेल से होकर गुजरती हैं, किसी को पता नहीं चल पाता है। महोदय एक प्रणाली है, जिसे एम्सल काउन्टर कहा जाता है। इस यन्त्र से यह गिना जा सकता है कि किसी विशेष स्थान से कितनी दुरियां और कितने पहिए गुजर चुके है और उदाहरण के तौर, कल्पना कीजिए कि एक बोगी में चार पहिए और दो धुरियां होती है। ऐसी स्थिति में रिकार्ड तो होगा ही और एम्सल काउन्टर की सहायता से यदि पता चलता है कि कितनी कम है तो इस बात का पता भी लगाया जा सकता है कि पूरी जुड़ी हुई गाड़ी के अनुसार उनकी गिनती कितनी होनी चाहिए थी, तो उस बात का तत्काल पता चल सकता है कि कुछ वैगन अलग हो गये हैं। मैं परिवहन मन्त्री पर बहुत अधिक जोर डालकर यह अनुरोध करना चाहूंगा कि एम्सल काउन्टर प्रणाली ढंग से लागू की जाये जिससे कि गिनती की जा सके। इस प्रकार यदि एक गिनती आती है तो उसका मतलब दो पहिए अतिरिक्त चार गिनती का अर्थ है दो चौ पहिए अतिरिक्त। जब किसी वैज्ञानिक से एम्सल काउन्टर के सिद्धांत के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि आगे बढ़ती हुई टांगों की जिस प्रकार गिनती की जाती है, उसी प्रकार एम्सल काउन्टर के सिद्धांत से काउन्टरों की संख्या भी गिनी जाती हैं। इसलिए एक काउन्टर का मतलब है चार टांगें, जैसे कि एक बोगी में जितनी एम्सल होते है। यदि यही विशेष सूत्र हैं तो निरापद रूप से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि पूरी गाड़ी पहुंच गई है अथवा कुछ डिब्बे अलग हो गये हैं और उस स्थान का पता चलाया जा सकता है जहां वैगन अथवा बोगियां अलग हो गई है।

रेलों पथों को स्वचालित सिगनल प्रणाली से युक्त किया जा रहा है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के उपनगरीय क्षेत्रों में, जो स्वचालित सिगनलिंग प्रणाली प्रचलित है, वह बहुत पुरानी है और

इसलिए इस प्रणाली को उपयुक्त बनाना तथा उसकी पूरी मरम्मत करना आवश्यक है। महोदय, ब्रेक शक्तिशाली होने चाहिए। हम लोग वैक्यूम ब्रेक का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रेक शक्ति बढ़ानी होगी। वास्तव में प्राय: विपरीत स्थिति में, यदि चालक के पास पर्याप्त शक्ति शाली ब्रेक उपलब्ध होगे और वह पूरी गाड़ी को रोकने की स्थिति में होगा, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक गाड़ी में ब्रेक शक्ति बढ़ाने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि ब्रेक शक्ति के बढ़ जाने से गाड़ी की सुरक्षा पहले से बेहतर हो जाएगी। इसलिए उस पर भी ध्यान देना चाहिए।

महोदय, कुछ नियमों तथा पद्धतियों का अनुपालन न करने से भी कुछ दुर्घटनाएं घटी थीं। लगभग '10 घण्टे' के कार्य का अनुबन्ध किया गया था। किन्तु इसके बाद उसे कारगर ढग से हर जगह नहीं लागू किया गया है। माननीय मन्त्री महोदय वाष्प इंजिन के बारे में मैं जो कुछ कह रहा हूं, उस पर ध्यान देने की कृपा करें। वाष्प इंजिन पर चालक के साथ काम करने वाले फायरमैनों को प्राय: आपातकालीन समय में गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर कभी-कभी उग्रवादी या आतंकवादी इंजिन चालक पर हमला करते है और चालक को मार दें, तो ऐसी स्थिति में गाड़ी कैसे चलेगी? इसीलिए इंजिन मे कार्यरत फायरमैन को इंजिन चलाने का आपात प्रशिक्षण दिया जाता है। किन्तु इसका लाभ उठाते हुए, भारतीय रेल विभाग के कुछ क्षेत्रों में हमारे कुछ अधिकारी फायरमैनों को दिए गए आपात प्रशिक्षण का नाजायज लाभ उठाते हुए फायरमैनों को नियमित रूप से इंजिन चालकों के रूप में कार्य करने को विवश कर रहे हैं। किन्तु कभी-कभी आपात स्थिति का बहुत ही नाजायज लाभ उठाया जाता है। जैसे कि इसका राजनैतिक दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका प्रशासनिक दुरुपयोग भी किया जा सकता है और यह उसका एक उदाहरण मात्र है, इसलिए इस विधि को सर्वथा किया जाना चाहिए। कभी-कभी मालगाड़ियों को बिना गार्ड के ही चलाया जाता है। इसलिए इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

12.44 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, दक्षिण में कुछ मालगाड़ियां बिना गार्ड के ही चलती हैं। इससे समस्या खड़ी हो गई है। इसके अलावा गाड़ी बनाने के मध्यवर्ती निरीक्षण की भी कभी-कभी उपेक्षा कर दी जाती है। आप इसकी जांच आरम्भ में कर ले और अन्त में कर लें। किन्तु मध्यवर्ती निरीक्षण आवश्यक है और इसे किया जाना चाहिए।

कभी-कभी कुहांसा होने के कारण भी दुर्घटनायें होती हैं। ऐसी स्थिति में लाइनों पर डेटोनेररों का प्रयोग किया जा सकता है और कालान्तर में आप यह देखेंगे कि इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। सबसे अधिक खतरनाक स्थिति उन फाटकों पर है जिनकी देखभाल के लिए कोई कर्मचारी नहीं होता है। यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो देश में उपलब्ध 40,000 फाटकों में से लगभग 15,000 फाटक ऐसे है जिन पर कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है।

इस काम के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं है। भारत के 40 हजार रेल फाटकों में से लगभग 15 हजार ऐसे फाटक हैं जहां कोई चौकीदार नहीं है। अब क्या कठिनाई है? कानून के अनुसार यदि

बिना चौकीदार के रेल फाटक को चौकीदार सहित फाटक में बदलना हो तो उसकी जिम्मेदारी स्थानीय निकाय जैसे पंचायत अथवा नगर पालिका द्वारा ले ली जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत बिना चौकीदार का फाटक आता है। बिना किसी चौकीदार के फाटक को चौकीदार सहित फाटक में बदलने के लिए ही नहीं किन्तु बिना चौकीदार वाले फाटक के निरन्तर खर्च के लिए भी उनको ही खर्च करना है। इसीलिए हमारा यह अनुभव है कि अधिकतर स्थानीय निकाय वह राशि खर्च नहीं कर रहे हैं। अत: मैं इस बात का सुझाव देता हूं कि रेलवे ऐसे दुर्घटना की सम्भावना वाले फाटकों का सर्वेक्षण करें जहां कोई चौकीदार नहीं है—दूसरों को छोड़कर—जिन्हें दुर्घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर बिना चौकीदार के फाटक प्रमाणित किया गया है, और इनको भारतीय रेल के खर्चे से चौकीदार वाले फाटकों में बदल दिया जाए। केवल ऐसा करने से ही यह ऐसे फाटकों में बदल दिए जा सकते हैं जहां चौकीदार हो।

दुर्घटनाओं की पूछताछ के सम्बन्ध मे कई वैध कारणों से एक अच्छी प्रणाली निकाली है कि यदि पलामू में कोई दुर्घटना होती है, तो रेलवे अधिकारियों द्वारा जांच नहीं की जाएगी क्योंकि वे अपने आपको बचाना चाहेंगे। अत: रेलवे सुरक्षा आयोग रेल मन्त्रालय के अन्तर्गत नहीं अपितु नागर विमानन और पर्यटन के अन्तर्गत आता है। निस्सन्देह, मैं नहीं जानता कि क्या इस समय नागर विमानन इकट्ठे है अथवा अलग-अलग। आजकल हर दो महीने में मन्त्रालयों में इतना फेर बदल हो रहा है कि न तो हमें मन्त्रालय याद हैं और न ही यह कि कौन मंत्री किस मंत्रालय से सम्बद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे कोई भी हो फिर भी मन्त्रीमण्डल की जिम्मेवारी है और वहीं इसकी ओर ध्यान देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : अत: मैंने एक बार सुझाव दिया कि यहां एक बोर्ड लगा दीजिए, जिसमें मंत्रियों और उनके विभागों की नवीनतम स्थिति दर्शित करें। जब भी हम उन्हें लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्थिति क्या है।

जल-भूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पाइलट) : एक बोर्ड विपक्ष की नवीनतम स्थिति के लिए भी होना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : चलिए, यह तो मजाक की बात है। किन्तु यह बात आपके अधिकार में नहीं है। इस बात का निर्णय तो प्रधानमन्त्री के अधिकार में है।

एक बात और। रेलवे सुरक्षा आयोग जो नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के अन्तर्गत है एक काम करता है। तत्पश्चात् मुआवजा दिया जाता है। इसके लिए दावों से सम्बन्धित आयुक्त है। इस प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जब निकट संबंधियों की मृत्यु हो जाए तो जो जीवित बच जाते हैं उनके मृत्यु से पूर्व उन्हे कुछ दिया जाना चाहिए। अत: दावों से संबंधित आयुक्त की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। ऐसे गम्भीर मामलों के सम्बन्ध में जहां न्यायिक पूछताछ भी आवश्यक है मैं बाद में बात करूंगा।

रेल सुरक्षा तथा दुर्घटना से सम्बन्धित समस्याओं की जांच के लिए विभिन्न समितियां तथा

आयोग नियुक्त किए गए। बहुत अच्छे रिपोर्ट तैयार किए गए हैं और मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा। कि वह फिर एक बार यह रिपोर्ट पढ़ ले और सिफारिशें जितनी सम्भव हों उन्हें लागू करें। रेलवे सुरक्षा के सम्बन्ध में, मजदूर संघ संगठनों की सहायता तथा सहयोग से पूरी सहायता लीजिए। विश्व भर में ऐसा किया जाता है। जापान रेल सुरक्षा के लिए मजदूर संघ संगठनों से पूरा सहयोग प्राप्त करने में सबसे आगे है। ऐसा किया जाना चाहिए।

मैं रेलों के "कप्लर" के सम्बन्ध में एक सुझाव देता हूं। कप्लर दो डिब्बों को जोड़ता है। दुर्भाग्य से हमारे देश में अभी भी "स्क्रिव कप्लर" (पेचदार योजक) की पुरानी प्रणाली थी। विश्व के बहुत से देशों ने पहले ही "स्क्रिव कपलर्स" से "सेन्टर बफर कपलर्स" अपनाए हैं जो अधिक ढुलाई से प्रभावित नहीं होते तथा अधिक सुरक्षित हैं। अत: मेरा विचार है कि कपलर प्रणाली को वर्तमान स्क्रिव प्रणाली से सेन्टर बफर कपलर प्रणाली में बदल देना चाहिए।

इन्टेग्रल कोच फैक्ट्री के बारे में एक और सुझाव है। महोदय, आप तमिलनाडु से आये हैं और आपको इस बात का गर्व होगा कि पेरम्बूर में हमारी इन्टेग्रल कोच फैक्ट्री है, जहां सबसे अच्छे डिब्बे बनाए जाते हैं जिनके लिए विश्व के विभिन्न भागों के लिए निर्यात के आर्डर मिलते हैं। डिब्बे का पूरा ढांचा बनाने का उनका एक विशेष ढंग है। उनके पास धातु का एक खोल है और शेष सामग्री इसके ऊपर लगाई जाती है। इतना ही नहीं। दो यात्री डिब्बों तथा माल डिब्बों के बीच ट्यूब होते थे जो इस प्रकार के माल से बनाए जाते थे कि जब कभी टक्कर होती थी तो वह झटका सहन कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप एक डिब्बे में यदि कोई खराबी हो तो वह दूसरे डिब्बे तक नहीं पहुंच पाती है। मेरा विचार है कि आइ० सी० एफ० प्रकार की बोगियां (डिब्बे) हमारी रेलवे सुरक्षा के लिए उचित हैं और इन्हें शक्तिशाली बनाया जाए जिससे धक्कों को सहन किया जाए।

रेल लाइनों पर गश्त लगाना अत्यन्त आवश्यक है। जब कभी गड़बड़ी होती तो सबसे पहले रेलवे पर ही आक्रमण किया जाता है। क्योंकि जो केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध रोष प्रकट करना चाहते हैं वे समझते हैं कि इससे उत्तेजित किया जा सकता है। जब कभी आरक्षण समर्थक तथा आरक्षण विरोधी दंगे हुए; तो बिहार में रेलवे पर सदा आक्रमण किया गया। अत: मैंने बिहार में हड़ताल करने वाले कुछ लोगों से पूछा, "आप रेलवे पर आक्रमण क्यों करते हैं?" उन्होंने कहा, "केन्द्रीय सरकार का एकमात्र प्रतिनिधि जो हमें बहुत समीप से उपलब्ध है वह है चलती फिरती रेलें। अत: हम इस पर आक्रमण करते हैं। एक बार मुझसे यह प्रश्न पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है कि दंगों के दौरान आरक्षण समर्थक तथा आरक्षण विरोधी रेल गाड़ियों पर ही आक्रमण करते हैं?" और मैंने हास्यपूर्ण ढंग से कहा, "हमारी गाड़ियों में आरक्षित तथा अनारक्षित डिब्बे उपलब्ध हैं। अत: आरक्षण समर्थक तथा आरक्षण विरोधी दोनों जो सरकार के विरुद्ध रोष प्रकट करना चाहते हैं इन पर आक्रमण करते रहते हैं।" नागरिक उत्तेजना की इन परिस्थितियों में, मैं माननीय मन्त्री को यह सुझाव देता हूं कि यदि 20 से 25 हजार व्यक्ति सम्भावित दंगे वाले क्षेत्रों के रेल मार्गों पर गश्त लगाने के लिए रखे जाएं, जब आप देखेंगे कि गश्त हो रही है तो दंगा करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा सकती है। आप रेलवे पुलिस बल, गैंगमैन और यदि आप गश्त लगाने के लिए पर्याप्त व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे, निस्सन्देह इस पर बहुत पैसा खर्च होगा, किन्तु मैं माननीय मन्त्री को यह उत्तर

दूंगा कि लोगों को मरने देने और एक मृतक को एक लाख रुपए देने से गश्त पर पैसा लगाना और मुआवजे पर पैसा खर्च करने से अच्छा है। यह देखना अच्छा है कि परहेज इलाज से अच्छा है। मैं निवारक नजरबन्दी के पक्ष में नहीं हूं, किन्तु निवारण इलाज़ से अच्छा है। यही सामान्य कानून होना चाहिए। यदि इसका पालन किया जाए तो गश्त सफल रहेगी।

अन्त में मुझे एक सुझाव देना है। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं, जो दुर्घटना होते ही मन्त्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की मांग करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसी विशाल प्रणाली में, दुर्घटनाएं होती रहेगी, किन्तु फिर भी मैं मन्त्री के यह कहने से संतुष्ट नहीं हूं···(**व्यवधान**) महोदय, क्या उनमें से कुछ त्यागपत्र देने की मांग करते हैं?

मैं यह कह रहा था 61 हजार किलोमीटर की इस विशाल प्रणाली में विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहेंगी किन्तु यह गम्भीर प्रकार की हो सकती है। मैं रेलवे के प्रभारी मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि यह विशेष दुर्घटना इतनी गम्भीर है और जनता को ऐसी गलतफहमियां है कि नागर विमानन और पर्यटन के अन्तर्गत रेल सुरक्षा के लायुक्त बिहार की जनता तथा देश की जनता को संतुष्ट नहीं करेंगे। अत: मैं पूरे बल से इस बात की मांग करता हूं कि इस दुर्घटना की न्यायिक जांच करायी जानी चाहिए। केवल न्यायिक जांच से न केवल बिहार की जनता संतुष्ट होगी अपितु शेष देश की जनता भी सन्तुष्ट हो जाएगी।

अत: अन्त में मैं यह कहूंगा कि जो मर गए सो मर गए। किन्तु ऐसी आपदाएं बार-बार नहीं होनी चाहिएं। जिस प्रकार एक हिरोशिमा विश्व की अन्तरात्मा जगाने के लिए पर्याप्त था उसी प्रकार हम इस बात की प्रतिज्ञा करेंगे कि हम एक और हिरोशिमा नहीं होने देंगे। यहां हम एक प्रतिज्ञा करते हैं कि एक पलाभाव काफी है ओर हम पुन: ऐसा नहीं होने देंगे और निर्दोष व्यक्तियों को मरने नहीं देंगे। इस प्रकार का आश्वासन दिया जाना चाहिए, और ऐसा केवल इस विशेष दुर्घटना की न्यायिक जांच द्वारा ही किया जा सकता है। केवल ऐसा करने से जनता में यह विश्वास बढ़ जाएगा कि रेलवे दुर्घटना की जांच करने में किसी प्रकार की नौकरशाही प्रवृत्तियां आदि आती हैं। अत: केवल न्यायिक जांच से ही संतुष्टि होगी।

मैंने न केवल आलोचनात्मक समीक्षा ही की है किन्तु रेलवे सुरक्षा निश्चित करने के लिए ठोस उपायों का सुझाव भी दिया है। मुझे आशा और विश्वास है कि उत्तर के दौरान माननीय मंत्री दिए गए ठोस उपायों की ओर ध्यान देंगे और हमें केवल इतना ही नहीं कहेंगे कि 'मामला विचाराधीन है' अथवा यदि इस पर अधिक दबाव डाला जाए, तो 'मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है, और अधिक जोर देने पर कहेंगे कि "मामले पर आगे विचार किया जा रहा है।"

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसकी ओर ध्यान देंगे।

प्रो० मधु दंडवते : उन्हें चाहिए कि वह बताये कि समय-बद्ध ढंग से और ठोस तरीके से क्या उपाय रेल प्रशासन द्वारा लागू किए जाने वाले हैं, जिससे रेलवे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

[**हिन्दी**]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, रेल दुर्घटनाएं हमारे हृदय को झकझोर देती है । आज के वैज्ञानिक युग में जब कि सारा देश आगे बढ़ रहा है, ये दुर्घटनाएं हमारे लिए शर्म की बात है । अभी हाल ही में कुछ सप्ताह के बीच बड़ी भयंकर रेल दुर्घटनाएं हुई । उन सब के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहती । मैं तो यही निवेदन करना चाहती हूं कि 6 अगस्त को पलामू के पास जो रेल-दुर्घटना हुई वह बहुत ही हृदय-विदारक है ।

उसमें कई माताओं को अपने बेटों से हाथ धोना पड़ा, कई बहनों को अपने सुहाग से और कई बच्चे अपने माता-पिता से बिछुड़ गए हैं । इस प्रकार की दुर्घटनाएं हमारे देश के लिए ठीक नहीं हैं । इस दुर्घटना में आपका रिकार्ड बताता है कि 44 व्यक्ति मरे हैं जबकि गैर-सरकारी रिकार्ड बताता है कि सौ से भी अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है । कई लाशें तो आपने निकाल ली हैं परन्तु कई लाशें अभी भी मलबे में दबी हुई हैं ।

इस प्रकार की जो यह दुर्घटना हुई है उसके पीछे क्या कारण है ? किस वजह से यह दुर्घटना हुई है ? इसके दो कारण हो सकते हैं--एक तो तकनीकी कारण हो सकता है और दूसरा मानवीय कारण हो सकता है । परन्तु यह जो दुर्घटना हुई है वह पूरी तरह मानवीय कारण से हुई है । क्योंकि एक मालगाड़ी के डिब्बे छूट जायें, उसका चालक तथा गार्ड जो हैं वे किसी प्रकार की सूचना न दें, न ही किसी प्रकार का खतरे का निशान सामने लाया जाये ऐसी स्थिति में लगता है कि यह दुर्घटना मानव-कृत है, उनकी लापरवाही की वजह से हुई है । इसी प्रकार की दुर्घटनाएं पिछले सप्ताह हुई थीं हावड़ा से 288 किलोमीटर दूर गौरी एक्सप्रेस की, उसमें भी करीब दस व्यक्ति मरे थे । इसी प्रकार से रांची के निकट बाम्बे हावड़ा मेल से एक दुर्घटना हुई थी । इन तीनों ही दुर्घटनाओं में एक समान बात दिखाई देती है कि मालगाड़ी से टकराने से ही दुर्घटनाएं हुई । तो इस प्रकार से लापरवाही के कारण जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसके कारण सामान्य नागरिक यह महसूस करने लगे हैं कि अब रेल में यात्रा करना असुरक्षित है । इसके बारे में रेल मन्त्रालय को सोचना है कि यदि इस प्रकार से असुरक्षा की भावना सामान्य जनों में पैदा हो जाएगी तो किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकेंगे ।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि आज आपने रेल दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के लिए मुआवजा दे दिया परन्तु मुआवजा दे देना ही सब कुछ नहीं है, इससे ही आप क्षतिपूर्ति नहीं कर सकेंगे । जिन बीस व्यक्तियों के शव पहचान लिए गए हैं उनके लिए आपने मुआवजा दे दिया है, लेकिन जो मृत व्यक्ति पहचाने नहीं जाएंगे, जिनके शरीर क्षत-विक्षत हो गए हैं, उनके सम्बन्ध में आपने क्या रास्ता ढूंढा है – यह मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगी । इसके साथ-ही-साथ आप जो मुआवजा देते हैं उसकी राशि भी बहुत कम है । आपने 5 हजार रुपया एक मृत व्यक्ति के पीछे दिया है । यदि हवाई जहाज की दुर्घटना हो जाती है तो आप प्रति व्यक्ति एक लाख रुपए देते हैं । मृत्यु तो दोनों जगह ही हुई है (व्यवधान) इसमें कई प्रकार की विसंगतियां हैं । अभी मृत व्यक्ति पीछे 5 हजार रुपए ही दिए गए हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : कम्पेन्सेशन एक लाख ही है ।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : वह है तो उपयुक्त है लेकिन मैंने जहां भी पता किया कई

दुर्घटनाओं में अभी तक लोगों को यह पैसा मिल नहीं पाया है। पीड़ित व्यक्तियों के परिवार भटक रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि यहां पर भी सुनिश्चित व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं एक निवेदन यह भी करना चाहूंगी कि सिग्नल कन्ट्रोल प्रणाली में निश्चित तौर से वैज्ञानिक तरीके से उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, उसको विकसित करने की कोशिश की गई है जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं परन्तु सुरक्षा के लिए रेलवे तन्त्र को यन्त्रवत नहीं किया जा सकता, इसमें मानव का कार्य निश्चित तौर पर रहेगा और दुर्घटनाएं अधिक न हों उसके लिए आपको कोई विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब भी आप नई भर्ती करें, जो कम-से-कम इस बात का ख्याल जरूर रखें कि जो भी नियुक्ति हो, उसमें उनकी योग्यता और कुशलता का ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि आप योग्यता और कुशलता का ध्यान नहीं रखेंगे तो इसी प्रकार के एक्सीडेंट्स होते रहेंगे।

1.00 म० प०

दूसरा निवेदन मैं गाड़ियों के बारे में करना चाहती हूं। समय-समय पर इनकी डाक्टरी परीक्षा बहुत जरूरी है। सामान्यतया यह देखने में आया है कि बहुत से चालक नशे से धुत होकर गाड़ी चलाते हैं या माल गाड़ियों को चलाते हैं। यदि इस प्रकार वे सवारी गाड़ी और मालगाड़ी को चलायेंगे तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक ही है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि अचानक उनकी मैडिकल जांच होनी चाहिए। एक निवेदन यह भी है कि चालक की आयु सीमा भी निश्चित तौर पर कम की जानी चाहिए। बहुत से चालक ऐसे हैं, शारीरिक दृष्टि से इस काबिल भी नहीं है कि वे गाड़ी को ठीक से चला सकें। उनकी आखें जवाब दे चुकी हैं। इस प्रकार चालकों के बारे में आपको विचार करना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है कि उनकी आयु सीमा कम की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके काम के घण्टे भी तय किए जाने चाहिएं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि उनके काम के घण्टे कम किए जाने चाहिए। अत्यधिक थकावट भी एक्सीडेंट को जन्म देती है। इसलिए आप ऐसी व्यवस्था करें कि उनके काम करने के घण्टे कुछ कम हों।

इसके अलावा एक मुख्य कारण यह है, जैसा कि दण्डवते जी ने भी कहा है, कि टैक्स का पूरा न होना। इसके अलावा टैक्स काफी पुराने हो गए हैं। उनके परिवर्तन लाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। खास तौर से मैं राजस्थान के बारे में आपसे निवेदन करना चाहती हूं। दिल्ली से उदयपुर तक का जो ट्रैक है, वाया जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तोड़गढ़ होकर जाती है, वह बहुत ही पुराना ट्रैक है। जब हम सफर करते हैं, तो सुनने को मिलता है कि गाड़ी 13-13, 14-14 घण्टे लेट हो गई है। चेतक एक्सप्रेस, जिसको आप कहते हैं, चेतक एक्सप्रेस, जो कि 13 घण्टे लेट हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है ···(व्यवधान)··· खच्चर भी कह सकते हैं ···(व्यवधान) ···कई बार आपके डिपार्टमेंट से यह प्रश्न किया कि क्यों नहीं इसकी गति बढ़ाई जाती है। बार-बार यही जवाब आता है कि ट्रैक बहुत पुराना है। छः साल हो गए, काफी मंत्री बदल गए। इस जवाब में एक शब्द का भी फर्क नहीं हुआ है। इस वजह से वहां पर डीजल इंजन नहीं लगाया जा सकता है। आपका डिपार्टमेंट इस बात को मंजूर कर रहा है कि ट्रैक खराब है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि यदि आप इस प्रकार के ट्रैक को नहीं सुधारेंगे, तो दुर्घटनाएं होंगी। यदि अभी दुर्घटनाएं

नहीं होंगी तो आगे आने वाले समय में हो सकती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहती हूं कि कम-से-कम यह अजमेर और जोधपुर को जो ट्रैक बहुत पुराना हो गया है, उसकी जांच कराएं और उसको ठीक करवाएं, अन्यथा बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो सकते हैं। अंग्रेजी एक कहावत है—पिवेंशन-इज-बैटर-दैन-क्योर। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इधर ध्यान दें।

मेरा एक निवेदन यह भी है कि आतंकवादियों की वजह से भी कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। इस ओर हमें विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। फिश-प्लेट निकालने से भी दुर्घटनाएं होती है। इसलिए ट्रैक की देखरेख की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। रेलवे क्रोसिंग पर आपके आदमी नहीं है, यदि हैं भी, तो वे ठीक से काम नहीं करते हैं। परिणाम यह होता है कि वहां पर भी अधिक एक्सीडेंट होते हैं। इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जहां पर आपके आदमी लगे हुए हैं, गाड़ी के पास न होने पर भी फाटक बन्द हो जाता है, इसकी वजह से गांव वालों को जो आसपास जाने वाले हैं, उनको बहुत अधिक परेशान होती है।

सुबह को बन्द होता है तो सारे दिन बन्द रहेगा और उसके बाद शाम को वह खुलता है। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, तो वह जा नहीं सकता है। परिणाम यह होता है कि फाटक को बांध कर जाने की वह कोशिश करता है और इस वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसलिए इस चीज को आपको देखना चाहिए और इस प्रकार के एक्सीडेंट्स की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और मानव के जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। मैं आशा करती हूं कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगी कि जो तकनीकी कारणों से या मानव की भूलचूक की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, बेन हों और जो अक्षम अधिकारी हैं, जो ध्यान से काम नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। पलामू के पास जो एक्सीडेंट हुआ है, उससे बिल्कुल साबित हो गया है, सिद्ध हो गया है कि वह लापरवाही के कारण हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को बक्शा नहीं जाना चाहिए।

इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[अनुवाद

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, माननीय मन्त्री 2.30 म० प० के आस-पास वाद-विवाद का उत्तर देने वाले हैं। अतः हमारे पास केवल 1.30 घण्टा बचा है। बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि प्रत्येक सदस्य 5-6 मिनट ले ले ताकि हम सभी सदस्यों को अवसर दे सकें। मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि संक्षिप्त में अपने विचार प्रकट करें और केवल सुझाव दे दें।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम (नगरकूरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, 6 तारीख को बिहार में जो ट्रेन की दुर्घटना हुई है, उस पर आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं। पेपर की रिपोर्ट के हिसाब से 52 आदमी मरे हैं

और सैकड़ों घायल हुए हैं। हमारे जंगा रेड्डी साहब कह रहे हैं कि हजारों घायल हुए हैं। शायद उनके पास ऐसी रिपोर्ट होगी। कल भी मैं जीरो आवर में इसके बारे में बोल रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब होता है कि प्लेन की दुर्घटना में जो आदमी मरते हैं, तो उसके लिए एक लाख या इससे ऊपर कम्पेसेशन दिया जाता है जबकि ट्रेन की दुर्घटना में जो आदमी मरते हैं, उसके लिए बहुत कम कम्पेंसेशन दिया जाता है। क्या आप समझते हैं कि वह इन्सान नहीं है। ट्रेन की दुर्घटना में जो मरता है, क्या वह आदमी नहीं है। यह क्या बात है। जो प्लेन में उड़ते हैं उन्हीं को क्या आप आदमी समझते हैं और जो ट्रेन में चलते हैं उनको आदमी नहीं समझते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी ट्रेनों में सफर करते हैं और जब वे दुर्घटना में मर जाते हैं, तो उनको बहुत कम कम्पेंसेशन दिया जाता है। मैंने पेपर में पढ़ा है कि उनको 5 हजार रुपए ही दिए गए और किसी एक को भी एक लाख रुपए नहीं दिए गए। यह कौन सा न्याय है। आप यह बताइए कि किसी ट्रेन एक्सीडेंट में मरने वाले को एक लाख रुपए कहीं दिए हैं। यह केवल कागजों में ही अमल कर रहा होगा। इसका एक भी उदाहरण आप हमें बता दें। अगर कहीं दिए हैं, तो हमें संतोष होगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि ट्रेन में दुर्घटना होने पर जो लोग मरते हैं, उनको उचित कम्पेंसेशन आपको देना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं। ट्रेन में जहां कहीं भी एक्सीडेंट होते हैं, यह समझ में नहीं आया कि मालगाड़ी जो खड़ी होती है, उसके पीछे से या आगे आकर टक्कर मार देते हैं। यह क्या चीज है। आप अपना पिछला रिकार्ड देख लीजिए यही रिजल्ट मिलेगा। मालगाड़ी खड़ी होती है और उसके पीछे से या आगे से दूसरी ट्रेन टक्कर मार देती है और एक्सीडेंट हो जाता है। जब मालगाड़ी स्टेशन पर खड़ी होती है, तो पीछे से आने वाली गाड़ी को बदल कर दूसरा रास्ता देना चाहिए। वह बदल कर नहीं दिया जाता है और इससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। उस गाड़ी को सीधे जाना चाहिए, सीधे जाने के बजाय वह उस लाईन में चली जाती है जहां मालगाड़ी खड़ी होती है। क्या इसमें पीछे से गाड़ी को छोड़ने वाले की गल्ती है, या बीच में कोई गड़बड़ी करता है?

इसके बारे में जो इंक्वायरी होती है, उसमें जब यह पता लगता है कि किसने गल्ती की, गाड़ी को छोड़ने वाले ने गल्ती की या गाड़ी को चलाने वाले ने गल्ती की, तो कितने ऐसे केसिज हैं जिनमें की सजा दी गयी? जो आफिसर गल्ती करता है अगर उसको आप सजा नहीं देते तो इंक्वायरी का क्या मतलब? आप क्या क्या इंक्वायरी कराएंगे? अगर इंक्वायरी के बाद आप किसी को सजा नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक सजा नहीं होगी तब तक उनमें डर नहीं होगा। वे क्यों ट्रेन को सही जगह पर रोकेंगे, क्यों ठीक काम करेंगे? अगर आप उनको सजा नहीं देते हैं तो कम-से-कम मन्त्री जी को रिजाईन करना चाहिए कि हमने गल्ती की है, हमारी व्यवस्था में गल्ती हुई है। आप पीछे के रिकार्ड देखिए। मंत्रियों ने यह कुबूल किया है कि हम लोग इसके काबिल नहीं हैं इसलिए हम लोग शासन से रिजाईन करते हैं। यह कहकर रिजाईन किया है कि हम लोग शासन चलाने के काबिल नहीं है न तो आप किसी को सजा देते हैं और न रिजाईन करते हैं।

देखिए, अगर यही व्यवस्था हमारे मुख्य मन्त्री रामाराव के हाथों में दे दी जाए, तो वे करके

दिखाएंगे कि कैसे व्यवस्था होती है। आप काम करने के लिए, आप शासन चलाने के लिए यहां बैठे हैं। (व्यवधान) मैं यह नहीं कहता कि आप लोगों में सभी लोग ठीक नहीं हैं या सारे अफसर लोग ठीक काम नहीं कर रहे हैं। सारे लोग ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। काम तो कर रहे हैं लेकिन कुछ मन्त्री लोग और कुछ अफसर लोग काम कर रहे हैं। मगर कितना ठीक से चल रहा है और कितने लोग ठीक से काम कर रहे हैं प्रश्न यह है। (व्यवधान)

देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। अगर कोई ठीक से काम करता है हमारे राजीव गांधी जी, हमारे नौजवान प्रधान मन्त्री ठीक से काम चलाते हैं, ठीक से सरकार चलाते है, गरीब आदमी के लिए, सबके लिए वह ठीक से काम करते हैं तो हम अपोजिशन वाले सारे उनके साथ रहेंगे, बराबर उनका साथ देंगे। अगर देश पर कोई आपत्ति आती है तो सब अपोजिशन वाले उनका साथ देंगे। यह मैंने पहले भी कहा है।

लेकिन आप देखिए जनवरी से लेकर जून तक 300 एक्सीडेंट हुए हैं। मैं आपको जो नलवाईज बताता हूं—

सेन्ट्रल में 35, ईस्टर्न में 33, नार्दर्न में 48, नार्थ ईस्टर्न में 19, नार्थ ईस्ट फ्रन्टियर में 49, सदर्न में 19, साऊथ सेन्ट्रल में 27, साऊथ ईस्टर्न में 39 और वेस्टर्न में 31।

इस तरह से 300 एक्सीडेंट्स हुए हैं और ये 300 एक्सीडेंट्स 6 महीने के अन्दर हुए हैं। इनके लिए आप लोगों ने क्या किया ? इसका मतलब है आप सब लोग सो रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट सो रही है, आपकी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। इसके लिए आपको काम करना चाहिए, आपको दिलचस्पी लेनी चाहिए। आगे कोई एक्सीडेंट न होने के लिए आपको चौकन्ना होना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों को चौकन्ना करता हूं।

श्री डी०पी० यादव (मुंगेर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो दुर्घटना हुई, इसका हम सब को दुख है और हम उन परिवारों के प्रति अपनी समवेदना प्रकट करते हैं, जिनकी मौत इस दुर्घटना में हुई है। दुर्घटना, कहीं भी हो, उससे किसी-न-किसी रूप में संसद-सदस्य भी प्रभावित होते हैं। अभी हाल ही में हुई एक दुर्घटना में हमारे एक संसद सदस्य श्री राम जी के परिवार के 5 सदस्य मारे गए। इसका मतलब यह होता है कि इस तरह की दुर्घटनाएं किसी-न-किसी रूप से प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः हमको भी प्रभावित करती हैं।

रेल दुर्घटनाओं पर कई बार चर्चा हुई है और अनेकों सुझाव आए हैं। कोई नया सुझाव आ सकेगा या मैं कोई नया सुझाव दे सकूंगा, ऐसी बात नहीं है। पुराने सुझाव जितने आए हैं, उनका व्यवस्थित रूप में विश्लेषण कर लिया जाए और एक्शन प्लान बनाया जाए तो रेल दुर्घटनाओं में कुछ कमी हो सकती है और इसकी कार्यप्रणाली में परिवर्तन आ सकता है।

1980 में मैं जापान गया था तो मेरी जिज्ञास हुई कि रेल सम्बन्धी कुछ चर्चा करूं। मैं गाइड से पूछा कि यहां रेल व्यवस्था कैसी है तो गाइड ने एक गाड़ी के बारे में बताया कि पिछले 20 साल

से यह गाड़ी करीब 250 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से चल रही है और कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई है और किसी भी स्टेशन पर यह गाड़ी एक सेकण्ड भी आगे या पीछे नहीं पहुंची है। यह कार्यदक्षता का एक नमूना है, जो एक साधारण गाइड ने हमको बताया। (व्यवधान)

यह कार्यदक्षता है। इसलिए मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि वे रेल मन्त्रालय में मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की ओर ध्यान दें। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां हिन्दुस्तान का सबसे पहला रेल कारखाना लगा था। उस रेल कारखाने की हालत आज देखता हूं, आज से बीस साल पहले, 30 साल पहले जो थी, उसके स्तर में आज गिरावट आई है, कार्यप्रणाली में गिरावट आई है। जब एक कारखाने के स्तर में गिरावट आ सकती है तो पूरी रेल व्यवस्था में निश्चित रूप से गिरावट आएगी। पहले कुशल कारीगरों की संख्या ज्यादा थी, आज कल एडीशनल सी०एम०ई०, सी०एम०ई०, डिप्टी सी०एम०ई०, स्पेशल सी०एम०ई० की संख्या ज्यादा हो गई है, अफसरों संख्या बढ़ गई है और काम करने वाले लोगों की संख्या घटती जा रही है और अगर इसी अनुपात में 'मैनेजमेंट सिस्टम' चलता रहा तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं बढ़ती जाएंगी।

दूसरी बात मैंने यह देखी है कि आप वर्कलोड और मैनेजमेंट प्रोग्राम में तालमेल अभी तक नहीं बिठा पाए हैं। किस कारखाने में कितना वर्कलोड है, इसमें किस प्रकार का तालमेल होना चाहिए, कारखानों की संख्या बढ़ती चली गई लेकिन कापलर बनाने में एक भी कारखाना सक्षम नहीं है। इससे आप अंदाज लगा लीजिए, घूमने वाला कापलर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ढलाई का काम है, कारखाने आपके पास हैं, लिलुआ, जमालपुर, कोयंबतूर, इनमें कहीं भी आप 'प्लानिंग कर दीजिए और इसको कार्यान्वित कराइए, आपको 'इक्विपमेंट्स' अच्छे मिलेंगे।

तिनसुखिया मेल बड़ी लंबी गाड़ी है, लेकिन बीच में एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने के लिए डोर प्लेट नीचे से कटी हुई है। राजेश जी आप विश्वास कीजिए कि कोई आदमी या बच्चा वहां से निकलेगा तो वह गिर सकता है और दुर्घटना हो सकती है फर्स्ट क्लास के डिब्बों की हालत देखिए, एक भी डिब्बा ठीक नहीं है। आप जांच करा लीजिए। तिनसुखिया जिस ट्रैक से चलती है, उसमें कई कारखाने हैं जहां से दस-बारह दिनों में एक डिब्बा 'रिन्यू होकर आ सकता है।

कहीं-न-कहीं, कुछ-न-कुछ मैनेजमेंट में खराबी है जिसके कारण आप वह नहीं कर पा रहे हैं जो अपेक्षित हैं। मेरा निवेदन है कि 'कोचेज' की स्थिति को ठीक कीजिए। नियुक्ति की जो पद्धति है, निश्चित रूप से नयी बहाली में गड़बड़ी होती है। वहां योग्यता या कार्यदक्षता का आधार नहीं है। एफीशियेन्ट, मजबूत और एलर्ट आदमी बहाल होने चाहिए। जैसा मैटीरियल, अपाइन्टमेंट में लगायेंगे, जैसे लोगों की भर्ती की जाएगी, वैसा ही आपको फल मिलेगा। साइन्टीफिक मैनेजमेंट, कंट्रोल सिस्टम, एलर्टनैस, फिटनैस आफ दी माइन्ड, इम तमाम चीजों को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, आज की यह सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई है। सिगनल इक्वीपमेंट के बारे में तो हमारे साथियों ने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन मैं ट्रैक के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। अभी तो दो-चार आदमियों का सामूहिक गलती से या असावधानी से ये दुर्घटनाएं होती है। जो आफिशियल पालिसी मेकर है, अगर वे सावधान नहीं रहे, आप सावधान नहीं रहीं और ट्रैक रिनीवल का काम रिपीटेडली नहीं हुआ तो

बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है जिसका अन्दाज हमें और आपको नहीं है। कुछ समन्वय राज्य सरकार के साथ आपको करना होगा। कभी-कभी रेल मन्त्रालय यह कह देता है कि हमारे पास फण्ड की कमी है। मैं मानता हूं, लेकिन आप राज्य सरकार को कहिए कि आर०एल०इ०जी०पी० और एन०आर० इ०पी० स्कीम्स में से राशि का कुछ हिस्सा रेल मन्त्रालय को मिल जाए तो···(व्यवधान)

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : गांवों का क्या होगा ···(व्यवधान)

श्री डी०पी० यादव : आपके विचार इस तरह के हो सकते हैं। गांव और देश अलग नहीं है। गांवों से ही रेल पास करती है। गांव वाले ही ज्यादा दुर्घटनाओं में मरते हैं। इसलिए कुछ समन्वय राज्य सरकारों की स्कीम्स के साथ होना चाहिए···

(व्यवधान)

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : बिहार के लोग अगर टिकट खरीदकर चढ़ें तो उसी से रुपया आ जाएगा। आपके इलाके का तो कोई भी आदमी टिकट खरीदता ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री डी०पी० यादव: मैनेजमेंट सिस्टम को किसी तरह से दुरुस्त कीजिए तो शायद दुर्घटनाएं कम होंगी। यही मेरे सुझाव थे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल रेल यात्रा असुरक्षित हो गई है। इस वर्ष 1986 में अभी तक आठ गम्भीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें दो सौ से अधिक यात्री मारे गए हैं। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं मशीनों में खराबी के कारण हुई हैं। एक वर्ष पहले मशीनी में खराबी के कारण दुर्घटनाओं की संख्या कम थी परन्तु अब मशीनी खराबी तथा रेल के डिब्बों में खराबी के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही है। जब छठी पंचवर्षीय योजना शुरु की गई थी तो हमें इस सदन में बताया गया था कि हमें नई रेल लाइनों की मांग नहीं करनी चाहिए। हमें नई रेलगाड़ियों के बारे में नहीं कहना चाहिए। छठी पंचवर्षीय योजना के 'पुनर्वास योजना' कहा जाता था। जब छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई जिसे पुनर्वास योजना कहा जाता था उस समय 14 हजार किलोमीटर रेल पटरी पुरानी या खराब हो गई थी। उसे तुरन्त बदलने की आवश्यकता थी। इस पुनर्वास योजना के 5 वर्षों बाद खराब पटरियों की यह संख्या 14,000 से 22,000 किलोमीटर बढ़ गई। 61,000 किलोमीटर में से 22,000 किलोमीटर खराब हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय रेल की कुल पटरी की 1/4 खराब है। उसे तुरन्त बदलने की आवश्यकता है। जब यह पुनर्वास योजना शुरु की गई थी तो उस समय रेल की पटरी टूटने के मामलों की संख्या 2500 थी। इस पुनर्वास योजना के 5 वर्ष बाद रेल की पटरी टूटने के मामलों की संख्या 2500 से बढ़कर 4500 हो गई है पुराने इंजिनों की संख्या भी बढ़ गई है। ये पुराने इंजिन या खराब इंजिन विशेषरूप से भाप से चलने वाले इंजिनों का उपयोग किया जा रहा है। इस समय रेलवे ने इस शताब्दी के अन्त तक भाप से चलने वाले सभी इंजिनों को धीरे-धीरे हटाने की नीति अपनाई है। 21वीं शताब्दी मे भाप से चलाने वाले

इंजिनों को रेल की पटरियों पर नहीं देखा जाएगा। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से 1973 से एक भी भाप का इंजिन नहीं आया है। परन्तु योजना कहां है ? उन्हें किस प्रकार से बदला जाना है ? भाप से चलने वाले इंजिनों को बदलने के लिए बिजली से चलने वाले इंजिनों का उत्पादन नहीं बढ़ाया गया है। यही स्थिति डीजल इंजिनों की है। महोदय, पुराने यात्री डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। आप प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि इसका उत्पादन कम हो गया है, और 22000 किलोमीटर खराब पटरियों के कारण दुर्घनाएं होती है।

हमें बार-बार सदन में आश्वासन दिया जाता है कि वह इस प्रकार के कुछ कदम उठा रहे हैं—

(1) आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों का शुरु करना। जैसे पटरियों का पराध्वनिक परीक्षण।

(2) चल स्टाक में कार्यक्रमवार सुधार;

(3) धीरे-धीरे कर्मीदल रहित रेल फाटकों में चौकीदार की नियुक्ति,

(4) इश्तहार और अन्य प्रचार माध्यमों से शिक्षाप्रद प्रचार;

(5) रेल की पटरी के टूटने के मामलों का पता लगाने के लिए पटरियों पर गश्त लगाना और तोड़-फोड़ विरोधी उपाय करना;

(6) विभिन्न स्तरों पर गहराई से क्षेत्र निरीक्षण के उद्देश्य से 10 सूत्री कार्य-योजना।

(7) विस्तृत निरीक्षण करने के लिए चार उच्च स्तरीय विविध प्रकार के सुरक्षा कार्य-बल दल की स्थापना; और

(8) पता लगाए गए दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों में सुरक्षा को सुधारने के लिए विभिष्ट उपायों का सुझाव देने के लिए क्षेत्रीय रेलवे में उच्चस्तरीय सुरक्षा दलों की स्थापना।

कुंजरू समिति की तरह अनेक समितियां बनाई गई थी। हाल ही में सीकरी समिति ने अपना प्रतिवेदन 1978 में प्रस्तुत किया और इस समिति ने भी बताया है कि पिछली दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया था और सुरक्षा के नियमों का उल्लघंन किया गया था। मैंने कई बार सदन में बताया है कि किस प्रकार से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जाता है। अब 300 किलोमीटर चलने के बाद रेलगाड़ियों की जांच नहीं की जाती है जोकि पहले किया जाता था। अब 1000 किलोमीटर चलने के बाद रेलगाड़ी की जांच की जाती है। यह आवश्यक है कि रेलगाड़ी चलाने से पहले रेलगाड़ी को चलाने के लिए एक 'वैक्यूम' प्रमाणपत्र दिया जाता था। अब इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब इस प्रमाणपत्र के बिना रेलगाड़ी के आने की बत्ती के बिना भी चलने की अनुमति मिलती है। 3 या 4 वर्ष से पहले हैदराबाद में एक गम्भीर दुर्घटना हुई थी जिसमें रेलगाड़ी द्वारा 20 तीर्थयात्री मारे गए थे, उस रेलगाड़ी की बिना आने की बत्ती के चलने की अनुमति दी गई थी। पिछली बत्ती भी बहुत आवश्यक है। परन्तु रेलगाड़ी की पिछली बत्ती के बिना चलने की

अनुमति दी गई है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं जहां एक रेल कर्मचारी की जिसने सुरक्षा नियमों पर जोर दिया था, किस प्रकार से सेवा से हटाया गया था। दक्षिण मध्य रेलवे के अन्तर्गत अनाश के श्री एम०एल०एन० मूर्ति ने रेलगाड़ी को इसलिए चलाने से मना कर दिया था, क्योंकि मालगाड़ी में पिछली बत्ती नहीं थी। उसे आरोप-पत्र दिया गया था, तब उसे निलम्बित किया गया और नौकरी से हटाया गया था, क्योंकि उसने पिछली बत्ती के लिए दबाव डाला था जोकि बहुत आवश्यक है। अतः आप रेलकर्मियों की बात सुनें। हमेशा रेलकर्मियों को दोष न दे। लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने अभ्यावेदन दिया है कि सुरक्षा नियमों का किस प्रकार से उल्लंघन किया जाता है और किस प्रकार से अब 'वैक्यूम' प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। 3 वर्ष पहले हावड़ा स्टेशन के समीप एक गंभीर दुर्घटना हुई थी। रेलगाड़ी की मोटरवेन में केवल एक ही ड्राइवर था। उस समय श्री गनी खां चौधरी रेल मन्त्री थे। उस समय उन्होंने तुरन्त आदेश दिया कि सहायक मोटरमैन भी होना चाहिए और कुछ महीनों तक इसका पालन किया गया था। अब इसे समाप्त कर दिया गया है। अब श्री चौधरी जी चले गए है और उनके साथ दूसरा मोटरमैन के रखने की प्रणाली भी समाप्त कर दी गई है। इस तरह सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया है। दूसरी बात 'रनिंग' कर्मचारियों के कार्य घण्टों के बारे में है। लोको रनिंग स्टाफ एसोसियशन के साथ 1973 में एक समझौता किया गया था कि ड्राइवर और सहायक ड्राइवर को 10 घण्टे से अधिक कार्य नहीं करने दिया जाएगा। आई०एल० ओ० कन्वेंसन भी है। हमारी सरकार ने इसका समर्थन किया है तथा इस सदन में भी इसका जिक्र किया गया था परन्तु अभी तक इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। ड्राइवरों को 10 घन्टे से अधिक यहां तक कि 20 घन्टे से भी अधिक समय तक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। गोमो स्टेशन के नजदीक मौर्य एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई थी, क्योंकि उस रेलगाड़ी के ड्राइवर को 10 घन्टों से अधिक समय तक कार्य करना पड़ा था। कुछ ड्राइवरों को 10 घन्टों से भी अधिक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। यदि उनकी इच्छा नहीं होती जो लोग मना करते हैं उन्हें आरोप पत्र दिए जाते हैं, इन्हें निलम्बित किया जाता है तथा उन्हें सेवा से निकाल दिया जाता हैं। इसलिए नीति में परिवर्तन करना होगा। सभी पुरानी रेल लाइनों को बदलना होगा। आपके इस कार्य के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। आपको उन सभी पुराने रेल इंजिनों को बदलना होगा जिनका अब प्रयोग किया जा रहा है। तथा आपको सभी पुराने यात्री डिब्बों को बदलना चाहिए तथा डिब्बों और इंजनों का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए।

महोदय, आपने एक रेलवे विधेयक परिचालित किया है। मैं नहीं जानता कि क्या इस विधेयक पर इस सत्र में चर्चा की जाएगी, क्या इसे इस सत्र में या अगले सत्र में पारित किया जाएगा। परन्तु आपने इसे पिछले सत्र में पुरस्थापित किया है। मैंने सुरक्षा परिषद और सुरक्षा आयोग के गठन तथा इन चीजों के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं।

1.35 म० प०

(श्री सोमनाथरथ पीठासीन हुए)

मेरा यह अनुरोध है कि आप इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजें। इस विधेयक को पास कराने के लिए जल्दी मत कीजिए। क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम मांग कर रहे हैं और

रेल दुर्घटना समिति में उन्होंने सिफारिश की है कि एक महा संघ होना चाहिए तथा उसका निर्णय गुप्त मतदान द्वारा किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री वसुदेव आचार्य : अतः आप इस विधेयक को जल्दी पास कराने के लिए जल्दी मत कीजिए। आप इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेज दें। इसे पारित होने से पहले हम इस पर पूरी तरह से चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि आप मौजूदा रेलवे अधिनियम को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : मान्यवर, मुझे बड़े दुःख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि भारतीय रेलों में आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में बिहार के पलामू जिले में गढ़वा के पास होने वाली दुर्घटना हृदय को दहलाने वाली है। इस प्रकार की दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, जितनी सावधानी बरती जानी चाहिए, उतनी सावधानी क्यों नहीं बरती जाती है। इसका कारण खोजा जाना चाहिए। यदि दुर्घटना का कारण रेलवे ट्रैक का पुराना होना है, तो उसको ठीक करवाया जाना चाहिए। चाहे इसके लिए आप को बजट में अतिरिक्त प्रावधान ही क्यों न करना पड़े। यदि कर्मचारियों की लापरवाही से दुर्घटना हुई है, तो ऐसे कर्मचारियों को तुरन्त हटा देवें और आगे के लिए भर्ती तथा प्रमोशन में कर्मचारियों की कुशलता तथा योग्यता का ध्यान रखा करें।

मान्यवर, जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिनकी शिनाख्त हो चुकी है, उनके रिश्तेदारों को आपने मुआवजे की घोषणा की है। लेकिन अभी तक कई लाशें मलबे में दबी पड़ी हैं, उन्हें भी निकालकर उनके रिश्तेदारों को सौंपा जाए। मुआवजा भी लोगों को समय पर नहीं मिलता है और लोग भटकते रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुआवजा समय पर दिया जाए। धन्यवाद।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, स्वाभाविक है कि आज यह सदन मर्माहत है क्योंकि रेलवे में एक हृदय विदारक घटना घटी है और सबसे अधिक दुःख मुझे इसलिए है कि अधिकांश लोग इस घटना में मेरी कांस्ट्रट्यूएंसी के मरे हैं सबसे ज्यादा सवारी मेरे क्षेत्र में रेनुकूट स्टेशन से चढ़ती हैं और वहीं उतरती हैं। इस घटना से मुझे बहुत दुःख हो रहा है। साथ ही साथ मुझे थोड़ी तसल्ली इस बात की भी है कि हमारी आदरणीया रेल मंत्री महोदया वहां गई थी और लोगों को सहानुभूति उन्होंने दिखाई थी। यह सब हम कल टी०वी० पर देख रहे थे। यही नहीं वे अस्पताल भी गई थीं और वहां की व्यवस्था को भी ठीक करवाया था। जब वे गढ़वा रोड़ अस्पताल में गई तो उन्होंने पाया कि वहां की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इसलिए उन्होंने रेलवे विभाग से तुरन्त पचास हजार रुपए की सहायता दी और कलकत्ता से इन्स्ट्रूमेंट्स वहां भेजे।

मान्यवर, चोपन से लेकर गढ़वा और धनबाद की जो रेल व्यवस्था है, उसके बारे में विभिन्न

अवसरों पर मैं यहां बोलता रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है इस ट्रेन पर रेल-विभाग का कोई कंट्रोल नहीं है, हालांकि आपने चोपन मे एक ए०डी०एम० भी बैठा दिया है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा है और इस ट्रेन से यात्रा करने वाले आदिवासियों का बहुत शोषण हो रहा है। उनको टिकिट देते ही नहीं हैं और पैसा ले लेते हैं। इसलिए मान्यवर मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप इस में स्पेशल स्क्वैड लगाकर कम से कम गढ़वा से धनबाद तक आप जरूर देखें, तब आपको इस ट्रेन की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाएगा।

मान्यवर, रेलवे इन्स्ट्रूमेण्टल की जो स्थिति है, वह बहुत खराब है। स्टेशन छोटे-छोटे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जैसा बताया गया कि गढ़वा अस्पताल में दवा-दारू की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी और वहां पर दुर्घटनाग्रत मरीजों को इलाज की सुविधा देने के लिए मंत्री महोदया को विशेष व्यवस्था करने के निर्देश देने पड़े थे। यह बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि वहां अस्पताल में पर्याप्त दवा-दारू की व्यवस्था नहीं है। चुनार से गढ़वा के बीच में कोई अस्पताल नहीं है। या तो चुनार में है या फिर गढ़वा में है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बीच में आप वहां के लिए दवा इत्यादि की व्यवस्था जरूर करवाएं। रेलवे इन्स्ट्रूमेंटल की स्थिति के बारे में भी आप जरूर ध्यान दें। वहां स्टेशन बड़े-बड़े होने चाहिए क्योंकि आदिवासियों का क्षेत्र है और पहाड़ी एरिया में से वह निकलती है। अब तो इस ट्रेक पर दो मैन गाड़ियां एक तो चण्डीगढ़ एक्सप्रेस और दूसरी टाटा एक्सप्रेस भी चलने लग गई है।

मैं यह चाहता हूं कि आज जो वहां व्यवस्था है, उसमें आप सबसे पहले उच्च अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लें। वहां के ए० डी० आर० एम० और आर० एम० को अविलम्ब स्थानान्तरित करें।

कहां क्या दुर्गति हो रही है, यह मैं बताता हूं। आप आश्चर्य करेंगे कि रेनुकूट स्टेशन का टेलीफोन कट गया, इसलिए कि रेलवे ने पैसा नहीं दिया। दो साल तक पैसा नहीं दिया। जब मैंने यहां रेलवे मंत्री को कहा तब जाकर कहीं किसी तरह साल भर के बाद वह टेलीफोन लगा। यह मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि कैसी व्यवस्था है।

यह बात सही है, हमें जो वास्तविकता है, उसको मानना चाहिए। पिछले सालों में रेलवे डिपार्टमैंट में सेफ्टी मेजर्स में 10 प्वाइन्ट एक्शन लिए गए थे, लेकिन इस साल शायद बन्द कर दिए गए हैं।

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : अभी है।

श्री राम प्यारे पनिका : मैं माननीय मंत्री महोदया से चाहता हूं कि वह इस एक्शन प्लान को शक्ति से लागू करें।

जहां तक ट्रेक रिन्यूअल का प्रश्न है अभी भी 19 हजार किलोमीटर बाकी है। अभी साढ़े 3 हजार किलोमीटर लिया गया है। मैं चाहता कि आप कहीं से भी पैसा कटौती कर के प्लानिंग कमीशन से, वित्त मंत्रालय से, जो भी करना हो करें और इसके लिए पैसा लावें।

एक मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर रेलवे सर्विस कमीशन की बड़ी दयनीय हालत है।

इसलिए यदि आप रेल दुर्घटनाओं की समस्या को रोकना चाहते हैं तो कृपया इन अधिकारियों से आप अपने कक्ष में बात करके वास्तविकता का पता लगायें तथा प्राथमिकता के आधार पर कोई कार्यक्रम निर्धारित करें। अन्यथा आपको एक या दो सप्ताह के अन्दर किसी और दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। पिछले एक माह से हमें हर सप्ताह किसी न किसी एक बड़ी दुर्घटना की खबर मिलती हैं। कृपया इस स्थिति को समाप्त करे। हमें यह उत्तर न दें कि यह किया जा रहा है या इस मामले की जांच की जा रही है। इसलिए यदि आप रेल दुर्घटनाओं की समस्या को हल करना चाहते हैं, तो रेल कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करें।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : भारतीय रेलवे प्रणाली एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है तथा एक ही प्रशासन द्वारा चलाई जाती हैं। इसके लिए बहुत ही संगठनात्मक कुशलता की आवश्यकता है। यह स्वयं ही प्रशासनिक रूप से वित्तीय रूप से एक बहुत विशालकाय संगठन है। भारतीय रेलवे के इस वर्ष के बजट के साथ सुरक्षा कार्यों के निष्पादन सम्बन्धी सर्वेक्षण में कहा गया है कि कतिपय ट्रैकों तथा अन्य चल स्टाकों के रख-रखाव और बदलाव के बारे में धन की कमी के कारण कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

सुरक्षा उपायों के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लिए काफी निवेश की आवश्यकता है। यह उपाय इसके बिना नहीं किए जा सकते हैं तथा संसाधनों की कमी के कारण अवश्य ही स्थगित करने पड़ेंगे। यह एक बहुत गम्भीर मसला है। रेल दुर्घटनाओं के दो पहलू हैं एक तो यह मानवीय कारणों से होती हैं। दूसरे इस कारण से होती है कि रेलों में बहुत पुराना चल स्टाक इस्तेमाल किया जा रहा है तथा उपयोग किए जाने वाले रेल ट्रेक पुराने पड़ चुके हैं।

यह जो दुर्घटना हुई है, इससे इस क्षेत्र के सभी लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। यह असुरक्षा की भावना न केवल इसी क्षेत्र के लोगों में है अपितु सारे देश के लोगों में हैं, क्योंकि वे भी सारी रेलवे का इस्तेमाल कर रहे हैं।

इससे सारे देश के लोगों में मनोवैज्ञानिक असुरक्षा की भावना पैदा होती है। इसे रोका जाना चाहिए। इस मनोवैज्ञानिक असुरक्षा की भावना को समाप्त किया जाना चाहिए। एक पहलू जिस पर मैं यहां जोर देना चाहूंगा वह दण्डात्मक पहलू के सम्बन्ध में है। रेलवे सुरक्षा आयोग ने जांच की है। उनके कार्य निरीक्षण, विनियमन तथा जांच भी हैं। हम मन्त्री महोदय से जानना चाहेंगे कि जब जांच पूरी हो जाती है तो उसके बाद क्या दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1984-85 में केवल 51 अधिकारियों को हटाया गया है क्या यह काफी है? अन्य 908 कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के दण्ड दिए गए। चूंकि इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि उन्हें केवल हटाया गया है या जुर्माना भी किया गया है। हम समझते हैं कि उन्हें बहुत साधारण दण्ड दिया गया है। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्घटनाएं जान-बूझकर नहीं की जाती हैं। रिपोर्ट के पहले ही वाक्य में "दण्डात्मक कार्यवाही" शीर्षक के अन्तर्गत कहा गया है कि दुर्घटनाएं जान-बूझ कर नहीं की जाती हैं। अधिकारियों के इसी रवैये के कारण या गलत रवैये के कारण दुर्घटना की जांच करते समय दोषी अधिकारियों तथा तकनीशनों अथवा चालकों को कुछ रियायत दे दी जाती है, वास्तव में जांच इस बात कि की जानी चाहिए कि दुर्घटना मानवीय असावधानी के

कारण हुई है अथवा किसी और वजह से। यदि यह पाया जाता है कि कर्मचारी अपना कार्य ठीक तरह से करने में असफल रहे हैं तो खाली नौकरी से निकाल भर देना पर्याप्त नहीं है, उनको कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। केवल तभी हम इस मानवीय गलती को दूर करने में सफल हो सकेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहूंगा कि रेलवे सुरक्षा आयोग को और ज्यादा गम्भीरता का परिचय देना चाहिए क्योंकि फिलहाल ऐसा लगता है कि इसका कोई ज्यादा प्रभाव रेलवे की सुरक्षा पर नहीं पड़ा है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि धन सम्बन्धी कठिनाई को दूर किया जाना चाहिए और रेलवे सुरक्षा आयोग को मजबूत बनाया जाना चाहिए तथा दण्ड कड़े किए जाने चाहिए, ताकि सारे देश में दुर्घटना सम्बन्धी स्थिति में सुधार हो।

महोदय इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : सभापति महोदय, अभी पिछली 6 तारीख को और कुछ हफ्ते पहले भी हमारे बिहार राज्य के कई हिस्सों में भयंकर रेल दुर्घटना हुई।...

एक माननीय सदस्य : बिहार में तो होती ही रहती हैं।

श्री शिव प्रसाद साहू : मार्च एक्सप्रेस की गोमोह के पास, हावड़ा बाम्बे एक्सप्रेस की सिकन्दरपुर के पास और अभी अभी 6 तारीख को टाटा एक्सप्रेस की जो गडवा रोड़ के पास भयंकर दुर्घटना हुई वह आप तमाम लोगों को मालूम है। जो मृतक लोग हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुर्घटनाएं बिहार में सभी एक तरह की ही हैं। रेलगाड़ी जा रही है आगे लाइन पर डिब्बे खड़े हैं, उनसे जाकर टक्कर हो जाती है। (व्यवधान) यही सिकंदरपुर के पास हुआ, यही गड़वा रोड़ में हुआ और यही गोमोह के पास हुआ। ऐसा लग रहा है कि मालगाड़ी जाती है, वह तीन चार डिब्बे छोड़ देती है, ड्राइवर को पता नहीं लगता कि डिब्बे छूट गए है, कभी वैकुअम फेल हो जाता है तो इसकी जानकारी करने के लिए कोई मशीन ईजाद होनी चाहिए कि चार डिब्बे छूट गए हैं। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि डिब्बे यदि किसी कारण से खुल जाए तो तुरन्त सिग्नल हो और मालूम हो जाये कि कुछ गड़बड़ी है। इस सम्बन्ध में कुछ होना चाहिए।

इसके अलावा इस बात की भी जानकारी मिली है कि गड़वा के पास जिस लाइन पर यह दुर्घटना हुई है उस लाइन का बरसों से नवीनकरण नहीं हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि इस बात की जांच करवाई जाए तथा ट्रैक का नवीकरण किया जाये। हमें इस बात को भी देखना होगा कि आये दिन किसकी गलती से हर हफ्ते इस तरह की दुर्घटनायें हो रही है जो कि हमारे इस विभाग के लिए शर्म की बात है। उन लोगों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी गड़बड़ियां रेल विभाग के उच्चाधिकारियों की लापरवाही की वजह से होती हैं।

वहां किस तरह से चुनाव हो रहा है ? जिसके पास पैसा है, वह भर्ती होता है, जिसके पास पैसा नहीं है, वह भर्ती नहीं होता है । आप सशक्त मंत्री बनिए, आप रेलवे सर्विस कमीशन को सशक्त कीजिए ।

जो यूनियन बाजी रेलवे में है, हमारे अधिकारी गंदे कर्मचारियों का ट्रान्सफर नहीं कर पाते । अगर कहीं किसी का ट्रान्सफर होना होता है तो तुरन्त यूनियन का पदाधिकारी बीच में आ जाता है । यह मैं नीति की बात कह रहा हूं, आप रेलवे बोर्ड को कहिए कि जो उन्होंने यूनियन से समझौता किया है कि रेलवे कर्मचारियों के ट्रांस्फर नहीं होंगे, यह ठीक नहीं है । रेलवे के कुछ अधिकारी 10, 12 साल से लगातार ट्रांस्फर रुकवा रहे हैं और गंदे कर्मचारी वहीं बने रहते हैं । आप इस मामले पर पुनर्विचार करिए ।

एक जरूरी बात यह है कि हमारा जो चैकिंग स्टाफ है, वह क्या करता है ? जब पीछे डिब्बे छूट गए, पीछे ही आमतौर से गार्ड होता है तो उस वक्त वह कहां चले गए थे ? फिर जब वहां से जानकारी आ गई, मुझे वहां की लोकल जानकारी है, तो फिर वहां पर वह ट्रेन मूव नहीं करनी चाहिए थी तो उस ट्रेन को मूव क्यों कर दिया गया ? आज जो मानवीय कारणों से रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए आपको ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी पड़े और चुनाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी और ट्रांस्फर वगैरह में जो यूनियन बाजी है, उसको कम करना पड़ेगा । साथ ही साथ रोलिंग स्टाक के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए आपको प्लानिंग कमीशन से 19 हजार किलोमीटर ट्रैक के रिन्यूअल के रिन्यूअल के लिए पैसा लेना पड़ेगा, नहीं तो आये दिन यह दुर्घटनाएं हुआ करेंगी । धन्यवाद ।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : बहुत दुःख के साथ मैं इस वाद-विवाद में भाग ले रहा हूं । भारतीय रेलों में दुर्घटनाएं तो आम घटनाएं बन गई है । केवल हाल ही में एक महीने के भीतर खड़गपुर डिवीजन में उत्कल एक्सप्रेस सुवर्ण रेखा नदी में गिर गई होती । बिलासपुर डिवीजन में एक दुर्घटना हुई थी । चक्रधरपुर डिवीजन में एक दुर्घटना हुई थी बम्बई मेल की मालगाड़ी के साथ टक्कर हो गई थी । गोमो में मालगाड़ी की एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी के साथ भिड़न्त हो गई थी । डालटनगंज में एक दुर्घटना हुई थी जहां एक्सप्रेस रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पर खड़े कुछडिब्बों के साथ टकराई । आज भी फिर आन्ध्र प्रदेश में दुर्घटना हुई है । केवल कुछ दुर्घटनाओं की सूचना दी जाती है परन्तु भारतीय रेल में रोज अनगिनत दुर्घटनाएं होती हैं और उन्हें समाचार पत्रों में नहीं छापा जाता है । इससे केवल यह पता चलता है कि भारतीय रेलों की स्थिति बहुत खराब है और सिन्धिया की स्वास्थ्य बहुत अच्छी है वह आमोद यात्रा के लिए मैक्सिको गए हैं । मुझे खुशी है कि श्रीमती किदवई वहां जा चुकी है । परन्तु हमारे राज्य रेल मंत्री अभी नहीं हैं । वह अभी गायब हुए है । आपको महसूस करना चाहिए कि भारतीय रेल की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है । हमने कहा है कि यदि आप अभी उपाय नहीं करते तो दुर्घटनाएं बढ़ती जाएंगी । रेल अधिकारी जानते है कि यदि अभी से उपाय नहीं किए जाते तो दुर्घटनाएं होती रहेंगी ।

दुर्घटनाएं मुख्य रूप से लापरवाही से होती है । यह इस मंत्री या उस अधिकारी का दोष नहीं है । इन सभी दुर्घटनाओं के लिए रेलवे को काफी समय से की जा रही लापरवाही ही जिम्मेदार है ।

यदि आप कदम नहीं उठाते तो दुर्घटनाएं और होगी। तब क्या होगा कि जांच की जाएगी, घटना के बाद छानबीन की जाएगी, सजा दी जाएगी। हम एक मिनट के लिए चुप खड़े होंगे तथा दूसरी दुर्घटना होगी।

ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि इन दिनों भारतीय रेलवे ने सुरक्षा नियमों को भुला दिया है। उन्हें क्यों छोड़ दिया गया है? क्योंकि इन सुरक्षा नियमों के लिए रेलवे के पास न तो आदमी है और न ही सामान। यदि आप उस पढ़े यदि आप उसे समझने की कोशिश करें तो आपको वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। ये अधिकारी जब कभी ससद में आएगी तो वे इसकी अच्छी स्थिति ही बतायेंगे। जब हम उनसे उनके कार्यालय के कक्ष में मिलते हैं तो वे हमें वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हैं।

'गोमो' में दुर्घटना कैसे हुई? यह ब्रेक फेल होने के कारण हुई। जब मालगाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी तो मालगाड़ी के चालक ने एक किलोमीटर पहले सीटी दी थी, परन्तु इससे कुछ भी फायदा नही हुआ और यह दूसरी गाड़ी से टकरा गई। ये दुर्घटनायें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सुरक्षा नियमों को ताक पर रख दिया गया है। आप अधिकारियो से पूछ सकते है। रेलवे के पास सामान नही है तथा लोको शेड और वैगन डिपो पर तैनात करने के लिए आदमी नही हैं। यहां ट्रैक गायब हैं तथा आपको इसका पता भी नहीं है। आपके लोको उचित ढंग से नहीं चलाये जा रहे हैं। फिर ये दुर्घटनायें कैसे रोकी जा सकती हैं? ये तो दिनों-दिन बढ़ती जाएगी।

अधिकारी कभी-कभी इस बारे में बहुत अच्छे आंकड़े तथा लेखाचित्र देते हैं कि कार्य ठीक प्रकार से चल रहा है। लेकिन अधिकांशतः ये झूठे होते हैं। कभी-कभी वे झूठी रिपोर्ट देते हैं तथा आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? आपके यहां 'रूट रिले' प्रणाली है। 'रूट रिले' प्रणाली के संचालकों को सिकन्दराबाद महाविद्यालय में 90 दिन का प्रशिक्षण पूरा करना होता है। उन्हें डी० ओ० तथा डी० एस० टी० ई० से प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता है। परन्तु मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी रेलवे में एक भी 'आपरेटर' ऐसा नही है जिसने 'रूट रिले' कोर्स पास किया हो। रेलवे में अप्रशिक्षित आदमी भर्ती कर लिए जाते हैं जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। रेलवे में भर्ती बन्द कर दी गई है और कहीं-कहीं सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है। कई सहायक स्टेशन मास्टर तथा स्टेशन मास्टर, जो कि 58 वर्ष की उम्र के पश्चात सेवा निवृत्त हो चुके हैं, को 44 रुपये या 45 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दुबारा नियुक्त कर लिया जाता है। रेलवे की कोई भर्ती नीति नहीं हैं।

रेलवे कर्मचारियों का मनोबल गिर गया है। परन्तु उनका मनोबल कैसे बना रह सकता है, जबकि आपने रेलवे में तीन वर्षों से भर्ती ही रोक दी है? रेलवे कर्मचारियों के लड़के चाहते हैं कि उनके पिता ड्यूटी करते हुए मर जाएं। वह महादेव पर पानी चढ़ाने के लिए श्रावण मेले में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके पिता ड्यूटी करते हुए अपनी इहलीला समाप्त करें ताकि उन्हें आगे नौकरी मिल जाए। अन्यथा उनके लिए रोजगार का कोई अवसर नहीं है। रेलवे कर्मचारी कर्ज में डूबे हुए हैं। उनको क्वार्टर नहीं मिलते है और उनका हौसला पस्त हो गया है। परन्तु अधिकारियों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

लोग यहां पधारे हैं और उन्होंने जो बयान किया है, उसके अनुसार पांच-छः डिब्बे इस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए हैं, इस प्रकार से चकनाचूर हुए हैं कि जिसका वर्णन करना शायद मेरे लिए संभव नहीं है। आप खुद ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितने हताहत हुए होंगे और कितने लोग घायल हुए होंगे।

मैं कुछ और बटु बातों की ओर माननीय मंत्री महोदया का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने पूर्व में ही निवेदन किया है कि जहां तक मंत्री महोदय का सवाल है, यह निर्विवाद बात है कि इन्होंने अच्छा काम किया है लेकिन ब्रांच लाइन पर आप एक नजर डालते हैं, तो पाएंगे कि यदि ट्रेन को कहीं रुकवाना चाहते हैं, तो केवल दो भुट्टे या दो रुपए का नोट दिखाकर ही ट्रेन को रुकवा सकते हैं।

मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि शिव प्रसाद नगर स्टेशन बने हुए लगभग दो वर्ष हो गए हैं लेकिन वहां पर गाड़ी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरे बार-बार कहने के बावजूद भी वहां पर गाड़ी नहीं रुकती है और वह स्टेशन बेकार पड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से हमारे इलाके में बहुत बड़ी मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है और आप जानते ही हैं कि कोयला ऐसी कोमोडिटी है, जो सहज में उपलब्ध नहीं होती लेकिन यदि आप रेल के ड्राइवर से सम्पर्क कर लें, तो देश के किसी भी कोने में जहां रेल लाइन जाती है, आप जितना कोयला चाहें, आपको उतना कोयला उपलब्ध हो सकता है।

बिना टिकट ट्रवलिंग की बात मैंने पूर्व में कई अवसरों पर कही है बुकिंग विन्डो पर टिकट देने से रोका जाता है और सीट एलोटमेंट में बगैर टिकट वालों को प्राथमिकता दी जाती है और इस प्रकार से दूसरी अनियमितताएं बरती जाती हैं। पैसा कमाने पर अधिक तथा सुरक्षा और अन्य नियमों पर कम ध्यान दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे भविष्य में इन चीजों पर ध्यान दें और कड़ाई बरतें ताकि रेल व्यवस्था सुचारु रूप से चले।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, आज इस सदन में एक काफी गम्भीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। 6 अगस्त को बिहार में पलामू जिले के गरवा रोड और टोलरा स्टेशनों के बीच एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। हम इस सदन के माध्यम से मृतकों के परिवारों को सांत्वना देना चाहते हैं। मैं मन्त्री महोदया से निवेदन के तौर पर कहना चाहूंगा कि रेल की दुर्घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं।

17 जुलाई के क्वेश्चन के जवाब में आपने कहा है कि जनवरी से जून 86 तक 300 ट्रेन एक्सीडेंट्सहुए—18 गाड़ियों में टक्कर, 234 डीरेलमेंट, 29 एक्सीडेंट्स लेवल क्रासिंग पर हुए और 19 गाड़ियों में फायर हुई। हम देख रहे हैं कि वर्ष 1985 के मुकाबले में इस वर्ष कम एक्सीडेंट हुए। इससे पता लगता है कि ट्रेन एक्सीडेंट्स न हो इसके लिए आप कितने सजग हैं। आप कितना चाहते हैं कि ट्रेनों को ठीक से चलाएं। लेकिन जितना आप चाहते हैं उतना ही आपके एक्सीडेंट्स

की संख्या बढ़ती जा रही है।

यह दुर्भाग्य है कि एक महीने के अन्दर बिहार में दो बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई—एक गोमोह में और दूसरी गढ़वा में। इसकी एक खास वजह यह है कि जितने भी हमारे ट्रैक्स है वे अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं। रेलवे में जब हमारे पांडेय जी रेल मन्त्री थे तब जब रेल एक्सीडेंट्स की घटनाएं बढ़ रही थीं तो उन्होंने कहा था कि हमारे ट्रैक्स बहुत पुराने हो गए हैं; इनके मोडरेनाइजेशन की जरूरत है और हम इनका मोडरेनाइजेशन करेंगे। लेकिन पता नहीं उनके सुझाव और आपके जो सेफ्टी कमिशनर्स के सुझाव आते हैं उन सुझावों को कौने में क्यों रख दिया जाता है? उन पर अमल क्यों नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

पलामू रेल दुर्घटना एक बार फिर इस बात की पुष्टि करती है कि रेलों में सुरक्षा व्यवस्था में कमी है तथा ट्रैक बदलने, दल स्टाक का रखरखाव, सिगनल प्रणाली, मार्गों का तय करना, और समस्त संचालन प्रणाली ठीक नहीं रही है।

[हिन्दी]

रेलवेज जिनमें एक करोड़ यात्री प्रति दिन सफर करते हैं अगर हम उनको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न बनेगा। गढ़वा में जो रेल एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में मालूम हुआ है कि माल गाड़ी के ड्राईवर को जिस मालगाड़ी के 6 डिब्बे पीछे रह गए थे यह पता ही नहीं था कि उसकी गाड़ी के 6 डिब्बे पीछे रह गए हैं। इसे मैं डीरेलमेंट मानता हूं ट्रेक की बात नहीं मानता। जब कोई डीरेलमेंट होता है तो जितने भी बड़े रिस्पांसिबल अफसर है, जैसे कि जनरल मैनेजर या डिप्टी जनरल मैनेजर उन्हें भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

रेलवे में जितने भी एक्सीडेंट प्रशासन की वजह से हो रहे है इनको आप दूर कीजिए और अच्छे आदमी वहां पर लगाइये।

एक मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्रेन के एक्सीडेंट में जब आदमी मरता है तो उसको बहुत थोड़ा कम्पेनसेशन मिलता है और प्लेन में सफर करने वाले को एक लाख रुपए कम्पेनसेशन मिलता है। चाहे कोई प्लेन पर चले या रेल पर चले, जान सबकी बराबर होती है। इसलिए में सरकार से निवेदन करूंगा कि कोई भी जो रेल एक्सीडेंट में मरता है उसके परिवार वालों को एक लाख रुपए कम्पेनसेशन मिलना चाहिए और मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। तभी मैं समझता हूं कि मृतकों के परिवारों को कुछ राहत मिलेगी। यह बहुत स्वाभाविक बात है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए।

भविष्य में एक्सीडेंट न हों इस बात को भी आपको देखना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो दवा आप कर रहे हैं—"ज्यों-ज्यों दवा की त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया"—आपके यहां एक्सीडेंट्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है।

मैं आपको सावधान कर दूं कि हमारे यहां छोटी लाईन पर छोटा नागपुर में रांची से लोहरदगा तक 1911 के इंजन चलाए जा रहे हैं। रांची से चलकर जहां तीन घन्टे में पहुंचना होता वहां पर 8-10 घन्टे में पहुंचते हैं और कभी कभी तो रास्ते में ही अगर इंजन रुक गया तो दो दिन तक वहां रुका रहता है। जब रांची से लोग आते हैं तब वह ठीक होता है। आपकी नीयत साफ होते हुए भी जब तक आप इसमें सुधार नहीं लाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। आज कम से कम आदमी के जीवन की रक्षा करने का हर सम्भव प्रयास होना चाहिए। 21वीं सदी में जाने के लिए नयी-नयी टेक्नालॉजी ईजाद करने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी चिन्तित हैं। हमारे रेल विभाग को भी इस दिशा मे चुस्त-दुरुस्त करना होगा तथा इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमें युद्धस्तर पर कार्य करना होगा। इस कार्य में हम जितने भी लोग हैं—चाहे इधर के या विरोध पक्ष के, सभी अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

श्री काली प्रसाद पांडे (गोपालगंज) : सभापति महोदय, 6-8-1986 को अमृतसर टाटा नगर एक्सप्रेस की दुर्घटना गढ़वा में हुई और आज यहां चर्चा का मूल विषय यह है कि हम दुर्घटनाओं पर काबू कैसे पाएं। इस सदन में जब जब रेल दुर्घटनाओं पर चर्चा हुई है तो कौन-सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं में कमी आने के बजाए वह बढ़ती ही जा रही है ? मैं स्वयं कल रांची और गढ़वा गया था और वहां से मैं लौटा हूं, वह बड़ी हृदयविदारक दुर्घटना थी। ट्रेन एक्सीडेन्ट्स के अलावा अन्य जगह लोग मरते हैं तो लाख, डेढ़ लाख की अनुदान राशि दी जाती है। इस दुर्घटना में मरने वाले अधिकतर मजदूर ही थे जो कि रोटी के लिए मोताज होकर नौकरी करने के लिए जा रहे थे। मैं जानना चाहूंगा जिस प्रकार से अन्य जगहों पर इंश्योरेंश की योजना लागू है क्या यहां रेलवे में भी 5 या 10 पैसा बढ़ाकर इंश्योरेंश की योजना को लागू नहीं किया जा सकता है ताकि यदि दुर्भाग्यवश कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो मृतक परिवारजनों को कुछ क्षतिपूर्ति की जा सके ?

2.00 म० प०

चन्द रोज पहले धनबाद में एक्सीडेंट हुआ। हमारे माननीय सांसद, श्री राम बहादुर सिंह के भाई और अनेक लोग मारे गए, लेकिन दुर्घटनाओं के मूल कारण की जांच के लिए तुरन्त कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। एक नहीं इस तरह की अनेक घटनाएं होती हैं, हम कोई कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। चन्द रोज पहले मौर्य एक्सप्रैस से वैशाली ट्रेन को धक्का मारा, कोई कार्यवाही नहीं हुई। चन्द रोज के बाद फिर मौर्य एक्सप्रेस से वैशाली ट्रेन को धक्का दोबारा मारा, तो भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तीसरी बार धनबाद रेलवे स्टेशन पर माननीय सांसद के परिवार के लोग और अन्य लोग मारे गए, तो परिस्थिति सामने आई। मैं अभी बैठा-बैठा माननीय सदस्य की बात सुन रहा था, वे कह रहे थे कि लोग विद्आउट चलते हैं। यह आपकी व्यवस्था है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया है ? अभी कन्सलटेटिव कमेटी में मैं जोरों से मांग कर रहा था कि एक और वैशाली ट्रेन चालाएं। कारण यह कि 1100 लोगों की कैपेसिटी है और 2200 लोग चढ़कर जाते हैं। जब ट्रेन ओवर-लोडेड होगी तो एक्सीडेंट होंगे हीं। लोग चिन्तित रहते हैं कि किसी तरह से पहुंच जाएं। लेकिन ट्रेनों की कमी दुर्घटनाओं का मूल कारण है। यदि दुर्घटनाओं पर

निश्चित रूप से काबू पाना है तो गाड़ियों की स्थिति के बारे में आपको गम्भीर रूप से विचार करना होगा।

एक निवेदन यह भी है, क्रासिंग पर रेलवे का गार्ड ड्यूटी पर होने के बावजूद भी ढाला खुला रहता है। रात को गार्ड सोते रहते हैं। मैं गोपालगंज से आता हूं। हजारों गाड़ियां प्रतिदिन हार्ड्-वे से गुजरती हैं। वहां पर नौ बार एक्सीडेंट हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया? आपके मंत्रालय ने क्या दिया? एक बार जब दुर्घटना हो जाती है, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए। गड़वा में दुर्घटना हुई और आपने कर्मचारी को निलम्बित कर दिया, यह कोई समस्या का समाधान नहीं है। आपको इस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे कि कोई दुर्घटना नहीं होगी। यदि होती है, तो मेरा सुझाव है कि 302 धारा के तहत आप मुकदमा चलाएं। ससपेंड कोई पनिशमेंट नहीं है। तीन-चार सौ लोग मारे जाते हैं, आपको सख्त-से-सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मोहसिना किदवई जी परिवहन मंत्री के रूप में यहां सदन में बैठी हुई हैं, यदि हम कोई सुझाव दें, तो उसको नजर अन्दाज नहीं किया जाना चाहिए, उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाए। कल आपने टी०वी० के प्रोग्राम में कहा है, मैं सुन रहा था, मृतकों की जानें तो मैं वापिस नहीं ला सकती हूं, लेकिन और क्षतिपूर्ति मैं करूंगी। मैं जाना चाहता हूं कि क्षतिपूर्ति सिर्फ वह 5000 रु० है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप तत्काल मृतकों के परिवारों को 50,000 रु० देने की व्यवस्था करें, ताकि गरीब मजदूर को इस विकट परिस्थिति से निकाला जा सके। इति

श्री लाल विजय प्रताप सिंह (सरगुजा) : सभापति महोदय, यदि हम सरकारी आंकड़ों को देखें, तो 1985-86 में 717 एक्सीडेंट्स हुए और करीब दो सौ व्यक्तियों की जानें गयीं। मैं केवल कुछ उन सौ व्यक्तियों की जान जाने तथा कुछ करोड़ रुपए के नुकसान होने की बात नहीं करता हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि रेल विभाग की एक विचित्र-सी स्थिति बना जाती है, यह सभी को अवगत है। 61 हजार किलोमीटर हमारे देश में रेल का जाल बिछा हुआ है और हजारों की संख्या में रेल गाड़ियां चलती हैं। यह एक अच्छी बात है। यह बात भी अपने आप में ठीक है कि जहां-जहां रेल का विस्तार हुआ है, वहां विकास भी पहले हुआ है।

यह कहना भी उचित होगा कि रेल मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है और प्रशासन में चुस्ती आई है लेकिन यह कहने का पूरा-पूरा मौका भी मुझे मिलता है कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर ऐसा महसूस होता है कि कोई प्रशासन है ही नहीं या फिर पूरे तौर पर इसे उपेक्षित रखा गया है। मैं पिछले महीने की 28 तारीख की बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भयंकर रेल दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 12 आदमी मारे गए और सैंकड़ों घायल हो गए। विश्रामपुर और अनूपपुर के बीच में यह ब्रांच लाइन पर भयंकरतम दुर्घटना हुई है जिसकी पूरी सूचना शायद सरकार को नहीं है क्योंकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल 9 व्यक्तियों की जानें गयीं हैं तथा कुछ घायल हुए हैं लेकिन यह हकीकत से बहुत परे है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के बहुत से

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवपड़ा) : माननीय सभापति, महोदय, ये जो रेल एक्सीडेंट हुआ पलामू में, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। सभापति महोदय, आपको याद होगा कि पहले जमाने में हमारे रेल विभाग की बहुत इज्जत थी और एक रेल एक्सीडेंट होने पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब वे रेल मंत्री थे तो स्तीफा दे दिया था। मैं कोई इनसे रिजिगनेशन नहीं मांगता हूं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उसकी वजह से रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को भी तब्दील कर दिया गया था और सारे एडमिनिस्ट्रेशन को बदला गया था। आज रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, न मिनिस्टर बदलता है, न रेलवे बोर्ड के अधिकारी, न एडमिनिस्ट्रेशन बदला जाता है, इस तरीके की हालत हो गई है। सभापति महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि रेल के जो अधिकारी रेलवे बोर्ड के, ट्रैफिक के जो मेम्बर हैं, उनके खिलाफ तो कम से कम कार्यवाही कीजिए, ताकि वे लोग इस तरीके से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको रोकें। इस प्रकार की व्यवस्था करने की नितांत आवश्यकता है, इस व्यवस्था को माकूल तरीके से करिए। इसी तरह से रेलवे की जो आवश्यकताएं हैं, उनको भी पूरा करिए। जैसे ट्रेक रिन्यूअल तुरन्त करने की आवश्यकता है, इसको जल्दी से जल्दी करिए, ताकि एक्सीडेंट्स न हों। मेरी कांस्टीट्वेंसी में मांडेल में 4-5 दफा मालगाड़ी का डीरेलमेंट हो गया है। एक बार मैं दिल्ली से अहमदाबाद मेल से सफर कर रहा था तो मेरी बोगी में ही आग लग गई। इस तरह की घटिया बोगी क्यों लगाई जाती है। इन सारी अव्यवस्थाओं के चलते दुर्घटनाएं कम नहीं हो सकतीं। आप क्यों हमारी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग रेल से सफर करते हैं लेकिन आपके बड़े-बड़े अधिकारी बम्बई, कलकत्ता हवाई जहाज से जाते हैं, उनको भी कहिए कि रेल से ट्रेवल करें, ताकि उनको पता चल सके कि किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार की गड़बड़ियां हैं, असुविधाएं हैं, इन सारी चीजों को निश्चित तरीके से जानने की आवश्यकता है। रेल ऐसी चीज है जिससे देश का डेवलपमेंट हो सकता है। रेल बहुत तेजी से देश का विकास कर सकती है। इसलिए इस अव्यवस्था को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, टाप से लेकर बाटम तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको जब तब ठीक नहीं करेंगे, जब तक व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चलेगी तब तक रात-दिन इसी तरीके से एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। इनको रोकने के लिए सारे एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसके लिए तुरन्त कदम उठाइए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : माननीय सभापति महोदय, बिहार में पलामू, गढ़वा के पास पलामू जिले में जो रेल एक्सीडेंट हुआ है, उसके प्रति हम सब द्रवित हैं और वैसे तो रेल दुर्घटनाएं आमतौर पर होती रहती हैं, लेकिन बिहार में हुई रेल दुर्घटना पर सदन खासतौर से जागरुक है, इसलिए मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। रेल ट्रैक्स के रिन्यूअल के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। बिहार में रेल ट्रेक के रिन्यूअल में जितना खर्चा होना चाहिए था, उतना नहीं हो रहा है। यह बात सही है कि रेल मंत्रालय को प्लानिंग कमीशन से पैसा नहीं मिलता है, मात्र साढ़े 1.6 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि रेल ट्रैक रिन्यूअल के लिए, रोलिंग स्टाक के रिन्यूअल के करीब साढ़े 5 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

2.19 म० प्र०

यह बात बार-बार यहां पर उठाई जाती है, मैं आपके माध्यम से माननीय फाइनांस मिनिस्टर जी से, जो कि यहां पर नहीं है, निवेदन करना चाहता हूं और प्लानिंग कमीशन से निवेदन करना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय को इतना पैसा दिया जाए जिससे रोलिंगस्टाक रिन्यूअल का काम एक बार में समाप्त किया जा सके, तभी हम रेल दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं। हमारे ट्रैक अच्छे हों और सारी सुविधाएं सही रूप में प्रदान की जाएं, जब तक हम यह नहीं कर सकते तब तक रेल दुर्घटनाओं में कैसे कमी कर सकते हैं। मानवीय आधार पर भी दुर्घटनाएं होती हैं, ह्यूमन एरर से दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन जब तक ट्रैक और रोलिंगस्टाक रिन्यूअल का काम नहीं होगा, तब तक दुर्घटनाओं में कमी नहीं हो सकती। एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाकर हम इस कार्य को पूरा करें। ट्रैक रिनीवल का काम और जो रोलिंग स्टाक के रिनीवल का काम है, उसको दो साल में या टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बनाकर पूरा करें। जब तक यह नहीं होता है तब तक यह दुर्घटनाएं होती रहेंगी। ब्रान्च लाईन की हालत तो और भी खराब है। ब्रान्च लाईन में दुर्घटनाएं नहीं होती ; तो ईश्वर की मर्जी से नहीं हो रही है जबकि वहां पर तो सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होनी चाहिए। आज के जो ट्रैक हैं, वे बाबा आदम के समय के ट्रैक हैं। उन पर भगवान के भरोसे ही गाड़ियां चल रही हैं। उसमें जो डिब्बे आप दे रहे हैं, वे भी बाबा आदम के समय के हैं। इस समय रेल दुर्घनाओं में कमी का आधार एक ही हो सकता है कि प्लानिंग कमीशन रोलिंग स्टाक को जल्दी से बदलने के लिए एक-मुश्त पैसा रेल मंत्रालय को दे और रेल मंत्रालय पर जिम्मेदारी फिक्स करे कि यह काम जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। इसके बाद अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो तब कहा जाए। इस तरह सुविधाओं की बड़ी कमी है। पैसेन्जर्स के प्रति जो हमारा रुख है, वह भी बदलना होगा। यह रुख बड़ा खराब है। आपके मंत्रालय से सम्बन्धित जितने छोटे से छोटे पदाधिकारी हैं, उनका पैसेन्जर्स के प्रति रुख अच्छा नहीं है। इस तरह से हमारी सुविधाओं में जो कमी है, उसको दूर करना चाहिए तभी हम रेल की दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। इसका मुख्य कारण यही है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ आस्का : दुर्घटना त्रासदी आदि का मुझे खेद है। कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कई अन्य घायल हुए। इस वर्ष हुई दुर्घटनाओं में इसका स्थान आठवां था और मृतकों की संख्या 100 से ऊपर हो गई है। मेरे प्रश्न स० 1060 के उत्तर में रेल राज्य मंत्री ने 24-7-86 को कहा था—"1984-85 और 1985-86 के दौरान भारतीय रेलवे में रेल दुर्घटनाओं की संख्या 612 और 717 थी। यह महत्वपूर्ण है कि—इनमें से 611 और 540 दुर्घटनाएं रेलवे कर्मचारियों और गैर रेलवे कर्मचारियों की मानव गलतियों की वजह से हुई।"

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) इसमें भूतपूर्व रेलमंत्री शामिल नहीं थे।

श्री सोमनाथ रथ : अतः इस उत्तर से मानव-गलतियों की वजह से हुई दुर्घटनाओं की भारी संख्या का पता चलता है। औसतन दुर्घटनाएं भी अधिक हैं – ये 1980 के दशक के दौरान 1.5 प्रति मिलियन रेल कि०मी० है; अतः मानवीय गलतियों के लिए सख्त सजा दी जानी चाहिए। इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते ने न्यायिक जांच की मांग की है। यह महत्वपूर्ण बात नहीं है कि किसी दुर्घटना की न्यायिक जांच हुई है या नहीं। अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी ही दुर्घटना की कोई जांच हुई है या नहीं, बल्कि महत्त्वपूर्ण यह है कि जांच अधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है या नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : न्यायिक जांच का लाभ यह है कि किसी भी किस्म की चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाता।

डॉ० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : यह एक गम्भीर मामला है। एक ही माह में दो दुर्घटनाएं हुई हैं।

श्री सोमनाथ रथ : जब हम सदस्य रेल मंत्रालय से कुछ रेल लाइनों के विस्तार या नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण करने के लिए अनुरोध करते हैं, तो यह कहा जाता है कि पैसे की कमी है। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि धन के अभाव का तर्क रेल यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में नहीं दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि यात्रियों के सुरक्षा प्रबन्ध और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैंने जापान का दौरा किया है और वहां रेलवे के कार्यकरण का अध्ययन किया है। वहां रेलें भूमि पर, भूमि के नीचे और भूमि के ऊपर चलती हैं। वहां बहुत कम दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि वहां दुर्घटनाएं होती ही नहीं है, बल्कि बहुत कम होती हैं।

अतः, इन परिस्थितियों में, ऐसे कदम शीघ्र उठाने चाहिए, जिससे दुर्घटनाएं कम से कम हों। मैं माननीय मंत्री महोदया, श्रीमती मोहसिना किदवई का आभारी हूं जिन्होंने स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का निरीक्षण किया और घायलों को अस्पताल में देखा। उन्होंने घायलों के इलाज के लिए 50,000 सं० के अनुदान की घोषणा भी की है और घायल व्यक्तियों के रिश्तेदारों को अस्पताल तक और वापसी यात्रा की मुफ्त व्यवस्था भी रेल मंत्रालय को करने के आदेश दिये।

श्रीनारायण चौबे : श्री सिन्धिया भी वहां गये थे।

श्री सोमनाथ रथ : हां, वह भी गये थे।

मैं मांग करता हूं कि अधिनियम के अन्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त मृत्य लोगों को एक लाख रू० का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही ऐसे कार्य किये जाने चाहिए कि भविष्य में रेल दुर्घटनाएं न हों।

मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में उठाये जाने वाले उपायों का ब्यौरा देंगे।

श्री अताउर्रहमान (बारापेट) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे में दुर्घटनाओं की दर में वृद्धि चिन्ता का विषय है। मैं इस विषय में विस्तार से नहीं जानना चाहता, क्योंकि समय की कमी के कारण एक भी मुद्दे पर विस्तार से बोल पाना सम्भव नहीं है। लेकिन एक बात अवश्य है हमारी रेलवे, जो कि एक सार्वजनिक उपक्रमों में अग्रणी है, की व्यवस्था खराब है।

यह दुःख की बात है कि विश्व में दुर्घटनाओं की संख्या में भारतीय रेलवे सबसे आगे है। 60 प्रतिशत से अधिक दुर्घटनाएं मानवीय गलतियों की वजह से होती है।

ऐसा क्यों होता है? सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि रेलवे दुर्घटनाएं रोकने के लिए कार्यवाही कर रही है। लेकिन विभिन्न सदस्यों और विधानों द्वारा दिये गये सुझावों के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। मैं आशा करता हूं कि प्रो० मधु दण्डवते द्वारा इस बार दिये गये सुझावों पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा। एक भूतपूर्व रेलमन्त्री होने के नाते उन्होंने काफी अच्छे सुझाव दिये हैं।

बिहार और अन्य पूर्वी राज्यों के लोग काफी चिन्तित हैं। क्योंकि रेलवे के आकड़ों के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि भारत में सबसे अधिक दुर्घटनायें पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में ही होती हैं। इसके बाद उत्तरी रेलवे का स्थान आता है। इसका अर्थ है कि पूर्वोत्तर और उत्तरी रेलवे जो देश के पूर्वोत्तर और उत्तरी भाग में कार्यरत है, की हालात संतोषजनक नहीं है। मैं मांग करता हूं कि रेलवे को एक विशेष अध्ययन दल नियुक्त करना चाहिए, जो यह पता लगाये कि भारत में अधिक दुर्घटनाएं होने का क्या कारण है; और प्रति सप्ताह ही दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं?

प्रो० मधु दण्डवते : ये दुर्घटनाएं उत्तर में ही हो रही हैं।

श्री अताउर्रहमान : हालांकि पूर्वोत्तर रेलवे का रिकार्ड इतना खराब नहीं है। वहां केवल 19 ही दुर्घटनाएं हुई, जबकि उत्तरी सीमांत रेलवे में 49 दुर्घटनाएं हुई।

दुर्घटनाओं के जिम्मेदार दो मुख्य कारण हैं—मानवीय कारण और मशीनीकरण। अगर रेलवे के प्रभारी कर्मचारी सावधानी से कार्य करें तो मानवीय कारणों से होनी वाली दुर्घटनाओं पर काफी सीमा तक रोक लगाई जा सकती हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यूनियनबाजी भी इसका एक कारण है। अगर रेलवे अधिकारियों और यूनियन के पदाधिकारियों को इंजन के बाद वाले डिब्बे में यात्रा करने के लिए कहा जाए तो दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी।

हम इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के क्षेत्र में काफी प्रगति कर रहे हैं। अगर रेलवे में भी इन कमियों को दूर करने के लिए इलेक्ट्रोनिक्स का प्रयोग किया जाए तो बेहतर होगा।

मेरे साथ बैठे माननीय सदस्य ने जैसा कहा है कि हमें रेल यात्रियों के लिए अनिवार्य बीमे की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत अधिक रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, और हवाई यात्रा की तरह यह यात्रा भी जोखिम पूर्ण हो रही है। आजकल जल्द-जल्द रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं और सप्ताह में दो या तीन दफा भी ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह निश्चित रूप से एक गम्भीर मामला है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सरफराज अहमद (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं उन व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धांजली अर्पित करता हूं, जिनकी पिछली 6 तारीख को रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गयी । वास्तव में वह सारे देश के लिए बहुत दुःखद घटना थी और आपने देखा होगा कि उसके तुरन्त बाद सारे देश में चारों तरफ शोक की अजीब सी लहर दौड़ गयी। सभी लोग चिन्तित हो गए कि यह क्या हुआ। इससे कुछ दिन पहले मौर्य एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी तथा उससे पहले एक अन्य ट्रेन ऐसे ही एक्सीडैंट का शिकार हुयी थी। हमें इस बात पर गहराई से चिन्तन करना चाहिए कि ये एक्सीडैंट क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे क्या वजह है, किस की गलती है, किस का दोष है और उसको पकड़ा जाना चाहिए। दुर्घटना के बाद कम्पेन्सेशन का एनाउंसमेंट होता है, कुछ केन्द्रीय सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से भी, लेकिन मैं समझता हूं कि उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि पैसा चाहे हम कितना ही कम्पैन्सेशन में दे दें, लेकिन एक बार गया हुआ व्यक्ति दोबारा वापस लौट कर नहीं आ सकता। उसकी जान की कीमत पैसों में नहीं आंकी जा सकती। हमें इस चीज की खोज करनी चाहिए कि हमारे देश में रेल दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं—शायद लोगों की लापरवाही ही इसका मुख्य कारण है। हमारे कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से क्यों नहीं निबाह रहे हैं। कम्पेन्सेशन का एनाउंसमेंट होने के बाद सारा ध्यान उस तरफ चला जाता है कि किनको मिले, किनको न मिले, उसके लिए फार्म भरो, यह करो, वह करो। परन्तु हमारा पिन-प्वाइंट यह होना चाहिए, हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम यह होना चाहिए कि आखिर ये रेल दुर्घटनाए होती क्यों हैं ? उसकी तरफ से हमारा ध्यान हट जाता है।

मैं आपका ध्यान इसलिए इस ओर दिखाना चाहता हूं क्यों कि मैं रेलों में अधिकतर सफर करता हूं।...(**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे : कभी मत चलो ट्रेन में।

श्री सरफराज अहमद : हम तो भैया ट्रेन में ही चलने वाले हैं।

कम्पेनसेशन में भी बहुत गड़बड़ियां होती हैं। वहां पर भी जो धंधा है, वह शुरू हो जाता है। मैं ज्यादा विस्तार में तो नहीं जाता हूं, लेकिन मैं अपने साथ घटी एक घटना आपको अवश्य बताना चाहता हूं। मैं ट्रेन की बोगी में बैठा था। यह बोगी जिसमें मैं बैठा था वह इंजन के साथ लगी हुई थी। जब ट्रेन कानपुर स्टेशन खुली, बड़ी तेजी से खुली तो मैंने देखा कि क्या बात है, बड़ी तेजी से ट्रेन दौड़ी, तो मैंने देखा कि इंजन और हमारी बोगी ही पटरी पर आगे दौड़े थे, बाकी शेष ट्रेन प्लेटफार्म पर ही खड़ी रही। तो ये चीजें जो होती हैं ये क्यों होती हैं, इनकी खोज की जानी चाहिए। यही बात मैंने पिछले रेलवे बजट पर भी कही थी और अब फिर कहना चाहता हूं कि बिहार का छोटा नागपुर संथाल परगना बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके लिए भी कुछ स्पेशल अलॉटमेंट होनी चाहिए। ट्रैक जो पुराने और खराब हो गए हैं, उनको बदलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बामोदर पांडे (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस दुर्घटना की चर्चा हम सब कर रहे हैं, इसमें अधिकतर मेरी कांस्टीट्यूऐंसी के ही लोग मरे हैं। स्वाभाविक है कि मैं उनकी तरफ से और उनके परिवार की तरफ से कुछ अपेक्षा सरकार से रखता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें राहत देने

के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। ये कुछ दुर्घटनाएं जिनका जिक्र अभी हुआ उनमें से हमने इस एक दुर्घटना को यहां पर विचार का विषय बनाया, लेकिन बहुत सी दुर्घटनाएं उस इलाके में ऐसी हुई हैं जिनकी चर्चा न तो यहां, न अखबारों में और न कहीं और ही होती है। उस ब्रांच लाइन से मैं अधिकतर सफर करता हूं। इसलिए मुझे मालूम है कि वहां पर कितनी खराब स्थिति है। जहां पर भी आप जाइए, उस रेल ट्रेक के किनारे किनारे गुड्स ट्रेन की बोगियां बिछी हुई हैं। बोमो से गया के बीच इतनी दुर्घटनाएं होती हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। हर दुर्घटना के बाद हमें सुनने को मिलता है कि रेलवे का इंटरनल सिक्योरिटी आर्गेनाइजेशन इन्क्वायरी कर रहा है। उस इन्क्वायरी के बाद कभी सिगनल मैन को और कभी कैबिन मैन को सस्पेण्ड कर दिया जाता है। इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सतही जांच करते हैं। हम लोग उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं आए दिन हो रही हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इन घटनाओं की पूरी और गहराई से जांच कराई जाए। यह जांच रेलवे के आर्गेनाइजेशन द्वारा न कराई जाकर, बाहर के किसी स्वतंत्र आर्गेनाइजेशन द्वारा कराई जाए या पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा कराई जाए या ज्यूडिशियल इन्क्वायरी कराई जाए, लेकिन यह जो सतही जांच है, इससे लोगों को संतोष होने वाला नहीं है। लोग असुरक्षित महसूस करते हैं।

मान्यवर, एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि धनबाद डिवीजन में ही क्यों सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। इस सब के आंकड़े आपके पास हैं, आप इनको दिखवा लीजिए। यह मेरे कहने की बात नहीं है, यह सब रिकॉर्ड आपके पास हैं। रिकार्ड से आपको पता लग जाएगा कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गुड्स इस ट्रेक से ढोया जाता है और मात्र गुड्स ही नहीं, बल्कि पैसेंजर भी इसी लाइन पर सबसे ज्यादा जाते हैं और सबसे ज्यादा अर्निंग आपको इससे होती है। इसमें सबसे ज्यादा इकनौमी इन्वाल्व है। इतनी महत्वपूर्ण लाइन जिस पर हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गुड्स और पैसेंजर ट्रेन मूव होती है और सबसे ज्यादा मुनाफा आप वहां से कमाते हैं, फिर क्यों उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वहां जो अधिकारी हैं वे दस-बीस साल से मौजूद हैं। तो उनकी इन्क्वायरी के आधार पर तो काम अच्छा होना चाहिए।

लेकिन बात बिल्कुल उल्टी हो रही है। क्या इनकी वजह से ही ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई वैस्टेड इन्ट्रेस्ट ग्रो कर गया हो जिसकी वजह से सही चीज पर ध्यान नहीं रहता और अनावश्यक चीजों पर समय बिताते हैं? हम किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहते, लेकिन चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच हो और उसमें कोई व्यक्ति दोषी पाया जाये तो उस पर उचित कदम उठाने की व्यवस्था की जाये यह महसूस करें कि कोई ऐसी बात हो गई है, सिस्टम में कोई लापरवाही बरती गई है, एडमिनिस्ट्रेशन में, खरीद-फरोख्त में कोई लापरवाही बरती गई है तो उसे देखें। यह अजीब बात लगती है कि कोपलर टूट जाता है। क्या कभी हमने महसूस किया कि उसकी देखभाल करने और टैस्ट करने की कोई व्यवस्था है, उसके पर्चेज के बारे में कोई व्यवस्था है? अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो आये दिन एक्सीडेंट्स होंगे ही, कोपलर टूटेंगे ब्रेक फेल करेगा। सामान का फेल्योर जो है वह सिगनल मैन या ब्रेकमैन का फेल्योर नहीं है यह हाइएस्ट मैनेजमैंट का फेल्योर हो सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसकी थोड़ी जांच हो और इसकी विस्तृत जाच होने के बाद ही मंत्री महोदया इस पर विचार करें कि आगे के लिये क्या कदम उठाये जा सकते हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं। इसी सभा में 17-7-86 को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रेलवे मंत्री ने बताया था कि पिछले 6 महीने में 300 रेलवे एक्सीडैंट्स हुए हैं। उसमें यह भी बताया गया था कि फेल्योर आफ रेलवे स्टाफ की वजह से 119 एक्सीडैंट हुए, फेल्योर आफ अदर दैन रेलवे स्टाफ की वजह से 33 और फेल्योर आफ इक्विपमैंट से 93 एक्सीडैंट्स हुए। इससे पता चलता है कि एक-तिहाई रेलवे स्टाफ की वजह से हुए और एक-तिहाई रेलवे इक्विपमैंट और रेलवे मैकेनिज्म की वजह से हुए। बाकी जो हुए हैं, इंसीडैंटल 6 हैं और छोटे-छोटे हैं। हम इतना जानते हैं कि जितने भी एक्सीडैंट्स हुए हैं, उसमें 66 परसैंट डिपार्टमैंटल हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मिनिस्टर के लिये कोई कोटा नहीं है ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : इसमें रेलवे सम्पत्ति का कम-से-कम 4 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें कहीं नहीं बताया कि कम्पैंसेशन कितना पे किया है। आपने बताया कि 5 हजार रुपया दिया है, 5 हजार से कुछ होने वाला नहीं है।

आप जितने भी सेफ्टी मेजर्स लेने जा रहे हैं, एक्सीडैंट्स के कारणों की जो अब तक जांच की है, उसके कारणों के निर्मूलन के लिये, उनको निकालने के लिये आपने क्या कदम उठाये हैं, यह बताया जाये। मंत्री महोदया तो बातें कर रही हैं, बगैर हमारी बात सुने ही उनका रिप्लाई आ चुका है। हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनने के बाद जो हम बताते हैं, उनको ध्यान में रखकर रेलवे डिपार्टमैंट हमें उत्तर भेजें। आपने बताया है कि कितने कदम उठाये और इसके बावजूद भी रेलवे एक्सीडैंट क्यों हो रहे हैं।

इसमें रैंक का गड़बड़ 76 है, रेलवे इक्विपमैंट के कारण 30 परसैंट हुआ है और 26 परसैंट रेलवे ट्रैक के कारण हुआ है। इसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिये और इसके लिये जल्द से जल्द सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? इसके लिये कितना पैसा रखा है, इसके बारे में बताने की कृपा करें।

6 महीने में आपने जितना कम्पैंसेशन दिया है, अगर उसके जवाब आपके पास और पार्लियामेंट के पास नहीं मिले तो उसके लिये हमें अफसोस है। आपने इस प्रश्न के भाग डी का उत्तर दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी। आपने कितना पैसा दिया है, यह आपको नहीं मालूम है। आपके पास इसका हिसाब किताब नहीं है, यह अफसोस की बात है। हम चाहते हैं कि जो मरे हैं, उनके लिये कम्पैंसेशन की पूर्ति होनी चाहिये। आपको कम-से-कम 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपया तक इसके लिये देना जरूरी होगा।

परिवहन मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई : उपाध्यक्ष महोदय, मधु दंडवते जी ने रेलवे एक्सीडेंट के ऊपर रूल 193 के तहत जो डिसक्सशन की शुरूआत की, मैं उसके लिए उनका और उन सभी मैम्बरान का जिन्होंने इस डिसक्सशन में हिस्सा लिया, बहुत आभारी हूं। सभी ने बहुत से अच्छे सुझाव भी दिये।

जब भी कोई घटना होती है, कोई हादसा या एक्सीडेंट होता है तो यह हर इन्सान के लिए एक बड़े दुःख की बात होती है और खासतौर से उन लोगों के लिए जिन के अन्डर में वह विभाग होता है। मेरा काम मधु दंडवते जी ने काफी हल्का कर दिया क्योंकि वह एक अनुभवी व्यक्ति है। खुश-किस्मती की बात यह है कि रेलवे विभाग का भी उनके तजुर्बा है और उस तजुर्बे के तहत इतनी

दिलचस्पी है कि उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, करीब सब पर हमारा काम शुरू हो चुका है और कुछ पर हो रहा है।

यह जो घटनाएं घटती हैं उनको यदि हम तीन हिस्सों में बांट ले तो मैं समझती हूं कि ज्यादा सही ढंग से···बात समझ में आ सकती है। बहुत से जो रेलवे एक्सीडेंट होते है, उनको मैं दोहराना नहीं चाहती हूं। मधु दंडवते जी ने उन सारे एक्सीडेंट की किस्में बतायीं जो एक्सीडेंट के परिप्रेक्ष्य में आते हैं।

एक एक्सीडेंट वह होते हैं जो स्टेशनों की लिमिट्स में आते हैं, एक एक्सीडेंट वह होते है जो दो स्टेशनों के बीच में होते हैं जैसे कि अभी गढ़वा स्टेशन के पास दुर्घटना हुई, एक एक्सीडेंट वह होते हैं जिसमें ड्राईवर सिगनल्स को बाई-पास कर देता है। इन तीनों किस्मों की दुर्घटनाओं के तहत जो भी सेफ्टी का काम है, इसमें कोई शक नहीं कि सेफ्टी एक बड़ी बुनियादी और महत्त्वपूर्ण चीज है। यह भी सही है कि इस विषय के ऊपर शुरू से कई कमेटियों का गठन हुआ-जैसे एक सिकरी कमेटी, वांचू कमेटी और तीसरी एक और कमेटी बनी थी। आखिर में 1978 में वांचू कमेटी थी। इन सब की रिकमडेशन् एक दूसरे, से मिलती-जूलती हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : सीकरी समिति अन्तिम मिति थी।

श्रीमती मोहसिना किदवई : जी हां, सीकरी समिति अन्तिम समिति थी। परन्तु इससे पहले दो समितियां और भी थीं। एक थी वांचू समिति दूसरी समिति का नाम भी मैं आपको बता सकती हूं परन्तु इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है।

[हिन्दी]

उन्होंने भी अपनी रिकमंडेशन्स दी और उन रिकमंडेशन्स को माना भी गया है। इससे इतना फाइनेंनशल बर्डन पड़ता है कि कोशिश के बावजूद भी वह सारे काम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। जो जरूरी हैं वह किए भी जा रहे हैं।

जहां तक पैसेंजर्स की सेफ्टी की बात है, इसके बारे में बहुत से सुझाव आय हैं। इन सब को मैं एक-एक करके बताना चाहती हूं। जो एक्सीडेंट स्टेशन की लिमिट्स में आते हैं, उसके बारे में मधु दंडवते जी ने जो बात कही कि ट्रैक सर्किटिंग प्लेटफार्म पर हो इसके द्वारा स्टेशन मास्टर को अपने कमरे में बैठकर मालूम हो जाता है कि लाईन खाली है या नहीं और वह सिगनल नहीं देता है। यह ट्रैक-सर्किटिंग केबल इलेक्ट्रिक रूट्स में ही हो सकता है। जो हमारे बिजिरूट्स हैं, उसमें इनको अपनाया गया है। जो बिजि रूट्स कहलाते हैं उसमें दिल्ली-बम्बई, दिल्ली-कलकत्ता, कलकत्ता-मद्रास, मद्रास-बम्बई, मद्रास-दिल्ली और बम्बई-कलकत्ता आदि है। इनके ऊपर तकरीबन 2600 स्टेशन हैं और 2600 स्टेशनों में से 226 के ऊपर यह काम शुरू हुआ है। जो लूप-लाइन्स हैं, उसके ऊपर भी काम शुरू किया गया है। हर साल 30 स्टेशन और 100 लूप-लाइन्स हम लेते हैं। हमें उम्मीद है कि इस प्लान में इस काम को खत्म कर देंगे और कोशिश होगी कि सातवें प्लान में इसको पूरा कर लें।

दूसरी खास बात यह है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच जो हादसे होते हैं उसको रोकने के एक तरीके को ऐक्सिल काऊंटर कहते हैं। हमने कोशिश करके भी इसकी व्यवस्था की है, लेकिन हम इसको बहुत छोटे से रूट में ले रहे हैं।

क्योंकि कुछ वह भी खर्चीला है। एक रूट पर पन्द्रह लाख का खर्चा आता है। इसलिए उसको भी एक छोटे से रूट पर लिया है—अम्बाला-बिलेरा-मोरी सेक्शन पर नादर्न रेलवे के और 33 लाख रुपये उसमें लगे हैं। मार्च, 86 में वह कम्पलीट हो गया है और एक अच्छे ढंग से उस पर काम हो रहा है।

[अनुवाद]

यह बहुत ही महंगा है जैसा कि मैंने कहा तथा प्रत्येक ब्लाक सेक्शन इस पर 15 लाख रुपये की लागत आगगी।

[हिन्दी]

तो यह हमारी दिक्कत उसमें पैसे की भी आती है। 'लेकिन पैसे की दिक्कत की वजह से हम कोई काम छोड़ने नहीं जा रहे हैं।

तीसरी जो सबसे बड़ी बात है और यह बिल्कुल एक ओपेन फेक्ट है, कोई छिपाने की बात नहीं है, रिन्युअल आफ दि रेलवे ट्रैक्स-वह भी बहुत बड़ा काम है। 19550 कि०मी० की पुरानी रेलवे ट्रैक्स हैं जिन को रिन्यू करना है, हमारा टार्गेट है, हम ने प्लान किया है कि अगले दस वर्षों में हम यह पूरा बदलेंगे और बहुत सा काम उसमें शुरू भी हो गया है। तकरीबन 44 सौ किलोमीटर पर ईयर हमने ले लिया है जिसमें 6-7 हजार लाख करोड़ रुपये का खर्चा आता है। लेकिन यह बहुत लम्बा काम है और पैसा भी उसमें बहुत खर्च होता है। हमारी कोशिश होगी उनको रिन्यू किया जा सके और उसमें सुधार लाया जाय।

प्रो० मधु दण्डवते : इसमें जो आपने राशि रखी है ट्रैक्स रिन्युअल के लिए वह बिल्कुल पर्याप्त नहीं है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमारी वकालत कीजिए, हमें पैसा प्लानिंग कमीशन दे। उसकी भी अपनी दिक्कतें हैं लेकिन यह भी बड़ा महत्त्वपूर्ण काम है और हमारी कोशिश है कि किसी सूरत से हम इसे करें।

प्रो० मधु दण्डवते : हम वकालत करेंगे लेकिन लार्डशिप को भी कुछ कहें, वह चेयरमैन हैं प्लानिंग कमीशन के।···(व्यवधान)···

श्रीमती मोहसिना किदवई : वह तो पूरी कोशिश उनकी है।···व्यवधान···मधु दण्डवते जी इस बात को मानेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत दिलचस्पी है और इसीलिए पिछले बजट में पहली मर्तबा ट्रैक रिन्युअल के लिए इतना पैसा रखा गया। अगर इतनी दिलचस्पी नहीं होती तो आज तक मुझे बताइए कि कभी इतना पैसा रखा गया हो? तो इसमें कहीं ऐसी भावना नहीं है, जितने भी

हमारे उन बेन्चेज पर लोग बैठे हैं उन सब ने इस बात से अपनी सहमति प्रकट की है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

श्री नारायण चौबे डिपार्टमेंटल लेबर से कार्य करवाइये ठेकेदारों को हटाइए।

श्रीमती मोहसिना किदवई: ठेकेदार तो कहां-कहां कौन है वह तो पता ही नहीं चलता कि वहां कौन किस का ठेकेदार बनकर बैठा हुआ है?

एक बात और सामने आई। मधु दण्डवते जी ने खुद यह बात कही, उन्होंने जुडिशियल एन्क्वायरी की बात कही और उन्होंने यह भी कहा था कि रेलवे मिनिस्ट्री में ही सिर्फ ऐसा सिस्टम है जिसमें कमिश्नर फार रेलवे सेफ्टी यह एन्क्वायरी करता है। आप ने खुद इस चीज को सराहा है। यह किसी और डिपार्टमेंट में नहीं है। रलवे मिनिस्ट्री में ही सिर्फ ऐसा सिस्टम है जिस में कमिश्न आफ रेलवे सेफ्टी यह एन्क्वायरी करता है। जूडिशियल एन्क्वायरी तो सिर्फ रेस्पांसिविलिटी फिक्स करेगी कि एक पर्टिकुलर एक्सीडेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? कमिश्नर फार रेलवे सेफ्टी बिल्कुल इंडिपेंडेंट बाडी है जिस तरह से वह एन्कवायरी करता है, उसमें रेस्पासिविलिटी फिक्स करने के साथ-साथ वह तमाम और चीजें भी प्वाइंट आउट करता है-कि सकी जिम्मेदारी थी, क्या कमियां थीं, कहां पर लेप्स रह गया, यह सारी चीजें वह बताता है। तो मैं समझती हूं कि इस वक्त जो ढंग चल रहा है एन्क्वायरी का उसको चलने देना चाहिए। उससे भी बड़े अच्छे परिणाम निकलते हैं। जो एन्क्वायरीज हुई है, मधु दण्डवते जी को ज्यादा मालूम होगा कि वह बिलकुल इम्पार्शियल हुई हैं और उनकी जो रिपोर्ट आती है उस पर अमल भी होता है।

एक बात बहुत से मेम्बरों ने कही। क्लेम्स के बारे में एक भ्रम है, यह जो पांच हजार रुपया हम दे रहे हैं बेचारे बदकिस्मत लोग जो उसमें खत्म हो गए हैं, यह मुआवजा नहीं है, यह एक्स-ग्रेशिया है जो हमने तमाम उन वारिशों को देने का वायदा किया और जो बहुत ज्यादा जख्मी हुए उनको एक हजार रुपया-यह एक्स ग्रेशिया है। क्लेम कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है। वह जहां पर दुर्घटना होती है, वहां की स्टेट गवर्नमेन्ट से कन्सल्टेशन के बाद होती है। आपको मालूम है जब कोई मरता है तो कभी सही और कभी गलत लोग उसके वारिस बनने की कोशिश करते हैं वह सारी लीगल प्रोसीडिंग्ज होती है, उसका रेलवे मिनिस्ट्री से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। हम पैसा देते हैं लेकिन देर जरूर होती है। किसी माननीय सदस्य ने कह दिया कि हमने किसी को एक लाख रुपया दिया ही नहीं, मेरे पास ये आंकड़े हैं, हम काफी लोगों को दे चुके हैं। 1982-83 में 24 लाख दिया, 1983-84 में 76 लाख दिया और 1984-85 में 123 लाख दिया है। एक वो यहां आगरा में राजा मण्डी के पास जो एक्सीडेन्ट हुआ था उसमें 28 लोगों को दिया है। उसी तरह से बाइकुला, बम्बई में जो एक्सीडेण्ट हुआ था 1984 में उसमें 25 लोगों को हम दे पाए हैं। हम मानते हैं कि इसकी लीगल प्रोसीडिंग्ज में काम देर से होता है, उसमें हमें नहीं मालूम कि हम कुछ मदद कर सकेंगे कि वह जल्दी हो सके क्योंकि वहां पर सारा काम शहादतों पर, गवाहियों पर, एविडेन्टसेज पर ही चलता है। उसमें देर होनी स्वाभाविक है।

दो-तीन चीजें माननीय सदस्यों ने रेलवे लाईन के बारे में कही हैं जो कि बिहार के ही मुताल्लिक है। एक बात यह भी किसी माननीय सदस्य ने कही है कि जो घटना घटी है उसमें कहीं ज्यादा मौतें

हुई हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि मैं जरा बराबर भी कोई चीज छिपाने के हक में नहीं हूं क्योंकि आप सभी इस हाउस के रेसपांसिबल मेम्बर्स हैं इसलिए आपको भी जानना चाहिए कि घटना घटी है। इसमें हमने 44 की संख्या मरने वालों की दी है और 37 जो घायल हुए हैं उनकी दी है। 'मैं खुद वहां गई हूं और जाकर देखा है, वहां पर इंजन पड़ा हुआ है लेकिन नाले में इतना पानी नहीं हैं कि कोई उसमें बह गया हो। दो फीट से भी ज्यादा पानी नहीं होगा। इसलिए में नहीं कह सकती कि कोई बहकर चला गया हो। क्योंकि पानी बहुत कम है इसलिए बहने का सवाल नहीं है। लेकिन इंजन ड्राइवर की बाडी जरूर कहीं फंसी हुई पड़ी है। हमने क्रेन भी मंगवाई लेकिन वह उतना नीचे जाकर उठा नहीं सकती क्योंकि इंजन बहुत भारी है। आज सुबह तक की यही इत्तला है कि उसको अभी निकाला नहीं जा सका है। इस तरह से 44 प्लस एक की उम्मीद की जाती है। **व्यवधान**

आपने यह भी कहा कि यह हादसे बढ़ गए हैं। मेरे पास आंकड़े है जिससे यह साबित होता है कि पिछले सालों में घटनाएं कम हुई हैं और जानें भी कम गई हैं। वैसे शायद मेम्बर्स इस गूढ में नहीं होगें, लेकिन में बताना चाहूंगी कि पीछें जितनी भी कोशिशें की गई हैं, मुझ से पहले बंसी लाल जी ने, जब वे रेलवे मिनिस्टर थे, एक टेन-प्वाइन्ट प्रोग्राम बनाया था कि मानिटरिंग, पैटोलिंग या और जितनी भी चीजें हैं उनके लिए सीनियर आफिसर्स ट्रैक्स पर जायेंगे और मानीटर करेंगे और इन सारी चीजों की बदौलत में समझती हूं इस दफा जो हादसे हुए है वह कम हुए हैं। 1961-62 में हादसों की जो टोटल संख्या थी वह 1131 थी। 1980-81 में 1013 थी, 1981-82 में 1130 थी, 1982-83 में 797 थी, 1983-84 में 768 थी, 1984-85 में 812 थी और 1985-86 में 717। इस तरह से इसमें 11.7 परसेन्ट की कमी हुई है। जहां तक जानों का ताल्लुक है, जो घटना हुई है इसको साथ मिलाकर जो सारी कैजुअलटीज हुई हैं उनकी भी संख्या कम है। इस तरह से हमारी कोशिश है कि ये घटनायें कम से कम घष्टे। इस सिलसिले में जो इक्विपमेन्टस हैं जो एलेक्ट्रानिक्स की डिवाइसेज हैं नयी-नयी, वह भी दूसरे मुल्कों से लेने की कोशिश हो रही है। (**व्यवधान**) यह भी है कि भर्तियां बन्द की हैं उससे कुछ कमी होगी लेकिन ज्यादा कमी नहीं है।

3.00 म० प०

जो कमी होगी, वह देखी जाएगी। मैं हाउस को एश्योर करती हूं कि जो भी कसूर-वार होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको सजा जरूर मिलेगी। आईन्दा कोशिश यह होगी कि आपके जो सुझाव हैं, उनको देखा जाएगा कि कितने हम मान सकते हैं। किस तरह से और व्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं। मैं आपका आभार प्रकट करते हुए, अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री वी. तुलसी राम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं पहले जो कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद आपने कितने लोगों को सजाएं दी हैं ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : जिसने गलती की है, उसको सजा दी है।

श्री नारायण चौबे: सजाएं देनें और छोटे लोगों को। कितने आफिसरों को आपने सजायें दी हैं ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : चाहे आफिसर हो, चाहे नीचे का आदमी हो, जो जिम्मेदार होगा, नीचे का हो या ऊपर का हो, सबको सजा मिलेगी ।

3.02 मृ० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

22 वां प्रतिवेदन

(अनुवाद)

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं ।

"कि यह सभा, 6 अगस्त, 1986 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बाईसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 6 अगस्त, 1986 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बाईसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ !

3.02 1/2 म० प्र०

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में संकल्प जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : 25 जुलाई, 1986 को श्री डी० एन० रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किये संकल्प पर ब सदन और आगे चर्चा करेगा । श्री हरीश रावत अपना भाषण जारी रखेंगे ।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार कह रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले जो अधिकारी है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जो कमिटमेंट की भावना होनी चाहिए, जो समपर्ण की भावना होगी, जो लगाव होनी चाहिए वह भावना उन

अधिकारियों और कर्मचारियों में नहीं दिखाई देता है। आज हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए, वहां के आर्थिक विकास के लिए किसी भी कार्यक्रम में पैसे की कोई कमी नहीं है। चाहे वह एन.आर.इ.पी. हो, आर.एल.इ.जी.पी. हो, आई.आर.डी.पी. स्पेशल कम्पोनेंट प्लान हो, इन सब कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों की भलाई के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति के लिए सरकार द्वारा पैसा काफी खर्च किया गया है। पांचवीं या छठी पंचवर्षीय योजना के बाद इन कार्यक्रमों के लिए क्रमबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इतना पैसा खर्च करने के बाद जितना असर दिखाई देना चाहिए था, उतना असर विकास का नहीं दिखाई दे रहा है। एन.आर.इ.पी.और आर.एल.इ.जी.पी. कार्यक्रम में पैसे की आज स्थिति यह है कि रास्ते बन रहे हैं और वही रास्ते एक बारिश में इतने खराब हो जाते हैं, वहां की मिट्टी बह जाती है, कि पहले से भी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जो भी निर्माण के कार्य हो रहे हैं, वे आधे-अधूरे मन से किए जा रहे हैं उनमें इस तरह से भ्रष्टाचार पैदा हो गया है कि गांव के कमजोर लोग शिकार होते जा रहे हैं। जो आज तक शहरों में देखने में आता था वही स्थिति अब ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की हो गई है। बल्कि नेतृत्व भी जो ग्रामीण क्षेत्रों का है, वह भी इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ गया है।

उपाध्यक्ष जी, 1990 तक हमने हर गांव में पीने का पानी उपलब्ध करवाने का वायदा किया है। 1972 के सर्वेक्षण के आधार पर आज भी कई गांवों की स्थिति ऐसी है कि उनमें पेयजल का अभाव है। ग्रामीण विद्युती करण में भी हमारा राष्ट्रीय एवरेज 51 प्रतिशत है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे और भी राज्य हैं, जो 40 परसेंट भी ऊपर नहीं आ पाए हैं। इस स्थिति को दूर करते के लिए योजना आयोग को काम करना चाहिए। योजना आयोग को यह भी देखना चाहिए कि विभिन्न मंत्रालय जो इस काम में लगे हुए हैं, उनको निर्देश देना चाहिए कि वे इस तरह से काम करें। योजना आयोग को सिर्फ पैसे का वितरण ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसको यह भी देखना चाहिए कि जिस काम के लिए पैसा दिया जा रहा है, जिस लोक कल्याण के कार्यक्रमों के लिए पैसा दिया जा रहा है।...

उसी तरीके से वह खर्च हो और उस पैसे से जिस के जीवन पर हम असर डालना चाहते हैं, वह असर उस पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। एक आम भारतवासी की तरह मुझको इस बात का गर्व है कि हमारे देश ने आजादी आने के बाद काफ़ी तरक्की की है हम जहां पर थे 1947 में और आज जहां पर खड़े हैं, वह हम सब के लिए गर्व की बात है मगर साथ ही साथ हम जब पीछे मुड़ कर देखते हैं, तो यह पाते हैं कि हमारे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 40 प्रतिशत से ज्यादा लोग ग़रीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। आम व्यक्ति के जीवन यापन के लिए जितनी चीजों की जरूरत हैं, उतनी जरूरत की चीजें हम मुहैय्या नहीं करवा पा रहे हैं। उनके रहने के लिए मकान नहीं हैं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और खाने के लिए पौष्टिक अन्न उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। बहुत समय तक इन सारी उपलब्धियों, जिन को एक भारतवासी के रूप में याद कराना चाहूंगा, गिनाना चाहूंगा, के नशे में हम झूमते नहीं रह सकते। हमें कहीं न कहीं यह कोशिश करनी पड़ेगी और यह देखना पडेगा कि हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पीछे रह गया है, उसको गरीबी की रेखा से ऊपर लाने की कोशिश करें और उस को भी लायक बनाएं ताकि वह भी गर्व कर सकें, वह भी देख सके कि उसके देश ने, भारत ने कितनी तरक्की की है और इस सरकार ने उसकी भलाई के लिए क्या कुछ किया है।

उन्हें साझीदार बनाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। योजना मंत्री कहां तक योजना आयोग के लोगों को और विभिन्न मंत्रालय के लोगों को इस विषय में समझा पाएंगे, मुझे संदेह है लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे योजना मंत्री नौजवान आदमी हैं और उनमें जोश है और वे इसे करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी इस भावना को उन लोगों तक, जो प्रभाव डाल सकते हैं, जरूर पहुंचाएं। आज ग्रामीण क्षेत्रों की जो हालत है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़े तबके की जो हालत है, उसको बहुत समय तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यदि हम इसी स्थिति में चलते रहे, तो इससे न केवल हमारे आर्थिक जीवन में विसंगति आएगी बल्कि हमारे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में कई प्रकार की विसंगतियां खड़ी हो जाएंगी और वह पूरे तंत्र के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमारा जो कृषि उत्पादन है, वह निश्चित तौर पर बहुत बढ़ा है और आज यदि हम सकल कृषि उत्पादन की बात करते हैं, तो हमें गर्व होता है कि हमने बहुत तरक्की की है मगर उस का लाभ बड़े फार्मर्स को ही मिला है। जो छोटे फार्मर्स हैं, जो मार्जीनल फार्मर्स हैं जो हरिजन हैं, जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं, जिन के पास कम होल्डिंग है, उस को उस का लाभ नहीं मिल पाता है और उनकी हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हुई है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हमने भूमि सुधार कानूनों को कड़ाई के साथ लागू नहीं किया, ईमानदारी से लागू नहीं किया। आज भी शायद ही कोई प्रान्त यह कह सकने की स्थिति में हो कि उसने भूमि सुधार कानूनों का कड़ाई से पालन किया है चाहे हमारी विचारधारा की सरकारें राज्यों में हों या किसी दूसरी पार्टी की विचारधारा की सरकार हो। प्रभावशाली लोगों ने भूमि सुधार कानूनों को निरुत्साहित करने के लिए, बेकार और नकारा करने के लिए नाना प्रकार के कानूनों का सहारा ले कर उन को लुंज-पुंज कर दिया है। इसे देखने की आवश्यकता तो है ही लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की स्वावलंबी अर्थ-व्यवस्था थी और एक दूसरे पर हमारी डीपेन्डेंस थी, गांवों में बहुत सारा काम लोग अपने हाथों से कर लेते थे, अब वैसी बात नहीं है। जब मैं विद्यार्थी था तो गांवों में लोग चरखा कातते थे और मैं देखता था कि बहुत सारे लोग तकली ले कर सूत कातने का काम करते थे। अब गांव में कोई सूत कातने वाला दिखाई नहीं देता है। छोटा-मोटा धंधा करने वाले बहुत सारे लोग थे और गांव के बहुत सारे लोग अपने जीवन-यापन के लिए उसी काम को करते थे। आज वे सारी चीजें समाप्त हो गई हैं उनका स्थान बड़े-बड़े उद्योगों ने ले लिया है। यह ठीक है कि एक व्यक्ति जो हाथ से सूत कातेगा, तो उससे जो चीज बनेगी, वह कीमती होगी, उसके बनियान की कीमत ज्यादा होगी। उसकी जगह हम मशीनें और बड़े-बड़े उद्योग ले आए हैं और उन उद्योगों ने इस प्रकार की स्थिति खड़ी कर दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योग धंधे आज बिल्कुल समाप्त प्रायः हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस बात को देखा जाना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन से उद्योग हो सकते हैं। वहां पर विशेषकर कृषिजन्य उद्योग हो सकते हैं।

वे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने चाहिए। उनके लिए चाहे आप कोआप्रेटिव्ज का सहारा लीजिये। मैं अपने उत्तर प्रदेश की कोआप्रेटिव्ज की बात नहीं करूंगा। लेकिन जिन राज्यों में सहकारिता की भावना अच्छी है, जहां सहकारी आन्दोलन पनपा है। उन राज्यों में तो कृषिजन्य उद्योगों को सहकारी क्षेत्र में स्थापित करें ताकि गांवों के लोग अपने-अपने उद्योग स्थापित करके, डेयरी स्थापित करके, कृषि फार्म स्थापित करके, शक्कर मिल स्थापित करके, छोटी-छोटी कताई मिलें स्थापित करके

उनमें लोग लगें और लोगों को उनमें रोजगार मिले। यह न हो कि उनको भाग कर शहरों में आना पड़े। कलकत्ता की जो स्थिति है, बोम्बे की जो स्थिति है, इस प्रकार की स्थिति शहरों में और न बढ़े और शहरों का जीवन और ज्यादा जटिल और कठिन न हो इसके लिए भी इसको देखने की जरूरत है।

इसके अलावा हमारे खादी ग्रामोद्योग कमीशन और इस प्रकार की बहुत सी संस्थाएं हैं जिनको हमने छोटे-छोटे उद्योगों को पनपाने का दायित्व सौंप रखा है। मैं नहीं समझता कि खादी ग्रामोद्योग कमीशन ने कोई सराहनीय काम किया है। उन्होंने लोन बांटने का काम किया है। वे सब्सीडी देकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का और वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स को पनपाने का ही काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिल सके, काम धंधे मिल सकें, मेरे ख्याल में इसमें उनकी कोई सराहनीय भूमिका नहीं है। हमारे जो जिला उद्योग केन्द्र हैं उनके ऊपर दायित्व है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े हुए क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योग लगाएं। उनके द्वारा लगाये गये आज कितने उद्योग चल रहे हैं? उद्योग लगाने के लिए नये लोगों को ऋण दिया जाता है। वे लोग ऋण ले लेते हैं और दो-तीन साल के बाद वे लोग वसूली के चक्कर में पड़ जाते हैं उनके पास जो जमीन-जायदाद होती है वह भी बिक जाती है।

आपने बैंकों को निर्देश दे रखे हैं कि नये उद्यमियों की मदद कीजिये। आज कितने बैंक आपके निर्देशों का पालन कर रहे हैं और कितने लोगों को सेल्फ एम्पलाएमेंट गारन्टी स्कीम के तहत ऋण मिल रहा है? जिस परिवार के पास पहले से रोजगार का साधन है, गांवों में जा करके आप देखिये, जिनके पास पिताजी के नाम पर बड़ा रोजगार है, जिनका परिवार खाता-पीता है, जिनकी आर्थिक माली हालत ऐसी है जिसको आप बहुत अच्छी कह सकते हैं उन्हीं परिवार के लोगों को आपके बैंक ऋण देते हैं।

उपाध्यक्ष जी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारे कार्यक्रम हैं, जिस वर्ग के लाभ के लिए वे कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं, उन लोगों को ही उनका फायदा मिले। इसके साथ-साथ हमको यह भी देखना चाहिए कि इकोनोमिक पावर कुछ हाथों मे केन्द्रित न हो। आज मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि धीरे-धीरे आर्थिक शक्ति कुछ हाथों में सीमित होती जा रही है। हमने यह वायदा किया था कि हम आर्थिक स्वावलंबन लायेंगे, समानता लायेंगे, डिस्पैरिटीज को हटायेंगे। ये डिस्पैरिटीज धीरे-धीरे बढ़ती जा रही हैं। इंडीविजुअल के लिए भी बढ़ती जा रही है और क्षेत्रों के लिए भी बढ़ती जा रही हैं।

जिन बड़े घरानों के इंडीविजुअल्स के पास पहले सीमित पूंजी थी, वह पूंजी इतनी अपूर्व हो चुकी है कि उसकी गिनती संभव नहीं है, जिस पूंजी को उन्होंने डिक्लेअर कर रखा है वह इतनी बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ एरियाज भी ऐसे हो गये हैं कि कुछ एरियाज में बहुत तरक्की हो रही है, वे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ एरियाज बहुत पीछे हैं। आप महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब को देखिये। उनकी तुलना आप बिहार से, पूर्वी उत्तरप्रदेश से, बुन्देलखण्ड से या हमारे पहाड़ी क्षेत्रों से कर सकते हैं? आप पंजाब की तुलना पश्चिम बंगाल से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इन डिस्पैरिटीज को इंडीविजुअल लेबुल पर भी क्षेत्रीय लेबुल पर भी खत्म करने की जरूरत है। हमारे जो राज्य और क्षेत्र हैं उनके लिए डिस्पैरिटीज खत्म करने के लिए सक्रिय प्रयास होने चाहिएं।

हमारे गांवों में सामाजिक सुविधाओं का प्रसार जिस लेवुल पर करना चाहिए वह नहीं हुआ है। हमारे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो विद्युतीकरण के अभाव में, पेयजल के अभाव में, सम्पर्क मार्ग के अभाव में हैं। स्कूल बहुत दूर हैं। जिनमें पोस्टल और टेलिग्राफिक सर्विसिज बहुत दूर है। और तो और, स्वास्थ्य की जो बुनियादी आवश्यकता है, मेरे अपने क्षेत्र के अन्दर जितने भी होस्पिटल्स हैं उनमें 80 परसेन्ट में डाक्टर्स नहीं है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने अपने क्षेत्र में एक स्थान पर एक होस्पिटल खुलवाया। 6 महीने के बाद मैं वहां गया तो मैंने सोचा कि लोग वहां मेरा स्वागत करेंगे। मैं वहां गया, उन्होंने मेरी बात सुनी, मुझे फूल माला भी पहनायी। जब मैं वहां से चलने लगा तो उन्होंने एक स्टूल मेरी गाड़ी पर रख दिया। मैंने उनसे पूछा कि यह स्टूल क्यों रख दिया, मेरी गाड़ी के ऊपर तो वे कहने लगे कि 6 महीने पहले जो होस्पिटल मंजूर करवाया था वह होस्पिटल यह स्टूल ही है। यहां पर एक वार्ड-ब्वाय बैठता है और कोई व्यक्ति नहीं आया। इस प्रकार के बहुत सारे अस्पताल हैं। हमने गांवों में अस्पताल खोल दिए हैं लेकिन वहां पर डाक्टर तो क्या कंपाउंडर तक हम नहीं भेज पाए। उत्तरप्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में 40 प्रतिशत ऐसे स्कूल हैं जहां प्राचार्य नहीं हैं, अध्यापक नहीं हैं, उत्तरप्रदेश की हालत बहुत खराब है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में हमको सामाजिक सुविधाओं का प्रसार करना चाहिए। हमको देखना चाहिए बुनियादी जीवन की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वे ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी चले जाइए, मर्द तो वहां पर खेतों में जाते ही हैं, महिलाएं भी सैकड़ों की तादाद में खेतों में नित्यकर्म के लिए जाती हैं, कितनी दयनीय स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आज भी चूल्हा फूंकती हैं और सबकी आंखें खराब हैं। उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन आज भी तकलीफ में है, कष्टमय है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीजों को देखना चाहिए। आज शहरी क्षेत्रों में रोजगार के साधन हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन बहुत कम हैं, हमको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वृद्ध हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन, जो विधवाएं हैं, उनको विधवा पेंशन, जो गरीब अपंग हैं उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए और एक कार्यक्रम के तहत मिले कि इतने लोगों को प्रतिवर्ष पेंशन देंगे, ताकि हम दावे के साथ कह सकें कि इतने पीरियड के अंदर इतने लोगों को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा, लेकिन आज हम इस स्थिति में नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया और मैं अपने साथी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा संकल्प प्रस्तुत किया, हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिला, मुझे उम्मीद है कि योजना-मंत्री इस पर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

*श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास संबंधी डा० डी० एन० रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का, मैं स्वागत करता हूं। ग्रामीण

*मूलतः तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपांतर।

अर्थ-व्यवस्था का विकास मुख्य रूप से तीन घटकों पर निर्भर करता है। पहला घटक है कृषि क्षेत्र में जो एकाधिकार पूंजीपति स्वामित्व वाले कुछ ही व्यक्ति हैं उनके हाथों से कृषि उत्पादन की मुक्ति करना। यह तभी सम्भव है जब भूमि सुधार कानूनों का सख्ती से क्रियान्वयन किया जाये। दूसरा घटक है कृषि उत्पादों के लिये लाभकारी मूल्यों को दिलवाना जिससे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास को मदद मिलती है। अन्तिम यानि कि तीसरा परन्तु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण घटक जिसका ग्रामीण विकास पर प्रभाव पड़ता है, वह है, सिंचाई के लिये जल की आपूर्ति सुनिश्चित रूप से सुनिश्चित करना।

महोदय, मैं आपको सबसे पहले घटक के बारे में विस्तार से बताऊंगा। वह घटक इस प्रकार है कृषि क्षेत्र में एकाधिकार वाले जमीदारों-भूपतियों के हाथ से कृषि उत्पादों को मुक्त कराना। यद्यपि भूमि सुधार कानूनों को द्वितीय पंच वर्षीय योजना के बाद से ही लागू किया जा रहा है परन्तु इस बारे में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इसका कार्य निष्पादन बहुत ही निराशाजनक रहा है। भूमि सुधार कानूनों का क्रियान्वयन न सिर्फ धीमा ही है अपितु एक शर्मनाक पाखंड बन गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में इस मुद्दे को लिया गया है।

[अनुवाद]

सातवीं पंचवर्षीय योजना में बताया गया है कि सन् 1950 में बने अभी तक के सभी कानूनों के तहत सिर्फ 72 लाख एकड़ भूमि को अतिरिक्त घोषित किया गया है तथा इसमें से 56 लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है और वास्तव में सिर्फ 44 लाख एकड़ भूमि का ही आबंटन किया गया है। महालानोबिस समिति के अनुसार 630 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि यह लगभग 7 प्रतिशत है, जब 1976 में भूमि परिसीमन कानून बनाने का पहला दौर हुआ था तथा एन० एस० एस० के 26वें दौर के दौरान प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह अतिरिक्त भूमि का लगभग 1/5 ही था। परन्तु इस भूमि सुधार के कानून को लागु करने में सरकार की पूर्ण असफलता पर सातवीं योजना को कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने हमें सिर्फ यह बताया कि 20 लाख एकड़ भूमि करो अतिरिक्त घोषित किया है परन्तु उसका आबंटन नहीं किया गया; 10.6 लाख एकड़ भूमि मुकदमेबाजी में फंसी हुई है। 8.9 लाख एकड़ भूमि किसी विशेष सार्वजनिक उद्देश्य के लिये सुरक्षित रखी है सिर्फ 3 लाख एकड़ भूमि आबंटन के लिये बची है। इस तरह से, भूमि सुधार योजना पूरी तरह से असफल हो गई है तथा एक शर्मनाक नाटक बन कर रह गयी है। इसीलिये भूमि संबंधी मामलों में एकाधिकार व्याप्त है। 1980-81 के दौरान हुई कृषि संबंधी गणना से पता चला है कि 1976-77 तथा 1980-81 के दौरान एक हेक्टेयर कृषिरत जोतों की संख्या में लगभग 60 लाख की वृद्धि हुई। (445.2 लाख से बढ़कर 505.2 लाख) 1980-81 के दौरान कृषिरत जोतों का अनुपात काश्तकारों का 56.5 प्रतिशत था तथा 1976-77 में यह 54 6 प्रतिशत था। इस तरह से छोटी भूमि वाले काश्तकारों की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा कुछ कम भूमि वाले काश्तकार भूमिहीन होकर कृषि मजदूर बनते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि गरीबी बढ़ रही है। इस तरह से हम कैसे गरीबी को हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं? ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास की हम कैसे आशा कर सकते हैं? कृषि क्षेत्र में उत्पादकता की व्यवस्था पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है तथा इसीलिये 50 प्रतिशत भूमि सिर्फ 5 प्रतिशत लोगों के पास है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक इस पर एकाधिकार एवं पूंजीपतियों का बोल-बाला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय अपने देश में सिंचाई सुविधाओं को सुनिश्चित करने के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। यद्यपि हमारे देश में जल संसाधनों की कोई कमी नहीं है परन्तु सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कुल खेती योग्य भूमि के सिर्फ 29 या 30 प्रतिशत भाग के लिए ही है। हम खेती को किस प्रकार उन्नत कर सकते हैं यदि स्थिति यह है तो? इतना ही नहीं अपितु बहुत सी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से अभी तक उन्हें स्वीकृति नहीं दी गई है। मुख्य सिंचाई परियोजनाएं अधूरी हैं।

तीसरा मुद्दा जो मैं बताना चाहूंगा वह है लाभकारी मूल्यों के बारे में। 1980-81 में गेहूं के लिए समर्थन मूल्य 117 रुपए प्रति क्विंटल था, 1985-86 में 157 रुपये प्रति क्विंटल तथा 1986-87 में 162 रुपए प्रति क्विंटल था। मैं अन्य वाणिज्यिक फसल की स्थिति के बारे में भी बताऊंगा। अथक संघर्ष के पश्चात विभिन्न राज्यों में गन्ना उत्पादकों को 23 से 26 रुपए प्रति क्विंटल दिया गया परन्तु किसान के इन उत्पादों को खरीदने के लिए कोई संस्थान या संगठन की व्यवस्था नहीं है। मैं एक और वाणिज्यिक फसल कपास के बारे में आपको बताना चाहूंगा। 1984-85 में कपास का अत्यधिक उत्पादन करने के लिए 'कपास' उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1985 में जून के महीने में कीमत 1984 जून के महीने के मुकाबले 17 से 30 प्रतिशत कम थीं। 'इकानोमिक्स टाइम्स' के थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार कपास का मूल्य जो 1984 में 291.9 वह कम होकर 255.9 रह गया यानि कि 12 प्रतिशत के लगभग कम हो गया।

इस प्रकार से यदि कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध नहीं हैं तो किसानों को किस प्रकार अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? किस तरह से हम कृषि का विकास कर सकते हैं। आप ऐसी आशा नहीं कर सकते। कृषि उत्पादन के लिए लाभकारी कीमतों की कोई गारन्टी नहीं है। अतः अब किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार, उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ रहा है।

ऋणभार के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि 1983 में यह दावा किया गया था कि कुल मिलाकर लगभग 5500 करोड़ रुपए के संस्थागत ऋण ने ग्रामीण ऋण की लगभग 40 प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति की थी। इससे हम यह समझ सकते हैं कि ग्रामीण ऋणभार लगभग 13000 करोड़ रुपए था। 195 -52 में प्रथम ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण ने लगभग 750 करोड़ रुपए के ऋणभार की रिपोर्ट दी थी जिसका अर्थ यह है कि तीनदशकों से कुछ ज्यादा समय में ऋणभार लगभग 17 गुना बढ़ गया है।

अतः ग्रामीण लोगों में ऋणभार तथा गरीबी बढ़ रही है। इस तरीके से हम ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास की आशा नहीं कर सकते। हमारी जनसंख्या का 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। परन्तु कृषि कार्य ही कुछ लोगों के एकाधिकार में है अर्थात् जमीदारों तथा बड़े पूंजी. पतियों के एकाधिकार में। जब यह स्थिति है तो जिस तरीके से हम चाहते हैं, अर्थ-व्यवस्था का विकास उस तरह से नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया करता हूं।

श्री राज मंगल पांडे (देवरिया) : यह वास्तव में बड़े दुःख की बात है कि 1947 से लेकर

अब तक, यद्यपि ये गांव वाले ही हैं जो हमें सत्ता में लाए हैं—तीन साल को छोड़कर—हम अभी तक गांवों में रहने वालों की सहायता वास्तव में नहीं कर पाए हैं, तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का जो भारी कर्त्तव्य हम पर है उसे पूरा नहीं कर पाए हैं। यह कितना दुःखदायी है कि यहां तक कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 39 वर्षों के बाद भी, गांवों में जीवन पर्याप्त मात्रा में बदलाव नहीं आया है। निःसंदेह कुछ थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ है; परन्तु पर्याप्त मात्रा में परिवर्तन नहीं आया है जिसकी सरकार से अपेक्षा की गई थी।

वहां विद्युत नहीं है, भोजन नहीं है, रोशनी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं हैं, कोई परिवहन संविधाएं नहीं हैं। वे लगभग हर तरह की बीमारी से पीड़ित हैं। यह देखना एक बड़ा रमनीय एवं कारुणिक दृश्य है कि वे कैसे रह रहे हैं। एक प्रमुख कारण यह है कि विभाजन के बाद गांवों में जनसंख्या केवल दोगुनी ही क्यों हुई, जबकि शहरों में यह आठ गुना बढ़ी है, क्योंकि लोगों ने यह महसूस किया कि वे शहरों में अधिक सुरक्षित हैं। शहरों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हैं। वे शहरों में बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते थे। कम घण्टे काम करके वे शहरों में अधिक वेतन पा सकते हैं। अतः ग्रामीण लोगों को शहरों में आना अधिक आकर्षक लगा है, जिससे शहरों में नई समस्याएं पैदा हो गई हैं। शहरों में ग्रामीण लोग भारी मात्रा में आते रहे हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली में सन् 2000 ई० तक, 1000 लाख से अधिक जनसंख्या होगी। उस समय क्या होगा? यह लोगों का पीने का पानी तथा आधारभूत आवश्यकताएं प्रदान करने का प्रश्न है। लोगों को आधारभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी—जो संविधान बनाते समय हमारा लक्ष्य था। हमारे पूर्वजों को इस बात का ज्ञान था कि उन लोगों के प्रति, जिन्होंने हमें चुना है, हमें अपना कर्त्तव्य इस तरीके से पूरा करना चाहिए। वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं, यहां तक कि हमें आजादी दिलाने के लिए भी अथवा जिसके लिए हम यहां हैं, वह सब दिलाने के लिए भी उन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं। सच बात यह है कि यह प्रस्ताव इतना प्रशंसनीय है कि मैं श्री रेड्डी की केवल प्रशंसा कर सकता हूं जिन्होंने यह प्रस्ताव किया है और मैं जान सकता हूं कि इस प्रस्ताव में यह मांग करने में, कि बिना किसी दलगत भावना के यहां हममें से प्रत्येक व्यक्ति इस प्रस्ताव का समर्थन करें, उनकी भावना सच्ची है।

क्या आप विश्वास करेंगे कि गांवों में लोगों के पास एक साल में 8 महीने भी काम नहीं होता है। यदि खेती का मौसम होता है अथवा पौधे लगाने का मौसम होता है अथवा फसल कटने का मौसम होता है तब उनके पास कुछ काम होता है; उसके बाद उनके पास कोई काम नही होता। अब गांवों में प्रति व्यक्ति आय देखिए, मैं नहीं सोचता कि यह मुश्किल से 400 रुपए से 500 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक है। कई लोगों को तथा कई बच्चों को प्रतिदिन दो जून भोजन भी नहीं मिलता। सर्दी मे उनके पास पहनने को कपड़े मात्र भी नहीं है। अतः हमारी अर्थ-व्यवस्था किस प्रकार की है? हम 6 पंचवर्षीय योजनाओं से गुजर चुके हैं और बड़े-बड़े दावों से भरी, कि हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले हैं, यह सातवीं पंचवर्षीय योजना है। हम घोषण कर रहे हैं कि हम लगभग 12.7 प्रतिशत अधिक विद्युत का उत्पादन करेंगे, हम विद्युत उत्पादन में लक्षित सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश का लगभग 31 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। हम लोगों को और अधिक विद्युत प्रदान करेंगे, इत्यादि।

परन्तु वास्तविक प्रबन्ध इतना त्रुटिपूर्ण है, नौकरशाही कार्यप्रणाली इतनी त्रुटिपूर्ण है कि सभी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताएं जो उन्हें चाहिएं सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर हैं।

मेरे मित्र ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में ठीक ही कहा है। यह ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रश्न नहीं है। यहां तक कि जिला मुख्यालयों में भी हम जाएं तथा देखें तो हम पाएंगे कि वहां कोई दवा ही नहीं है अथवा वहां कोई डाक्टर नहीं है अथवा जब डाक्टर है भी तो गैर-सरकारी भण्डारों से दवा लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनको बाहर से दवा खरीदने के लिए कहा जाता है। यह कितनी बेतुकी बात है? जब एक रोगी एक अस्पताल में जाता है तो उससे कहा जाता है कि उस अस्पताल मे कोई दवा उपलब्ध नहीं है, उसे एक गैर-सरकारी फर्म से दवा खरीदने को कहा जाता है। परन्तु उस समय तक उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अत: सरकार से तथा सामाजिक व्यवस्था से जिसकी हम आवश्यकता समझते हैं, उसका विश्वास ही उठ गया है।

3.32 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए।)

प्रस्ताव में यह कहा गया है :

> "ग्रामीण और शहरी आय के बीच बढ़ती हुई विषमता जिसके परिणामस्वरूप कस्बों और शहरों के उपनगरीय क्षेत्रों में भीड़-भाड़ होती जा रही है और ग्रामीण उद्योगों, दस्तकारी तथा कला के द्वारा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के स्वत: विकास के लिए प्रोत्साहनों का और 'समुचित' अवसरों का अभाव हो रहा है, को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह सातवीं योजना में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए दस हजार करोड़ रुपए की राशि आबंटित करें।"

इसलिए ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की सहायता करने के लिए अपने सही परिप्रेक्ष्य में कई विकल्प हैं। परन्तु मैं नहीं समझता कि लोग इस बारे में गम्भीर हैं, क्योंकि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में भी कई लघु तथा कुटीर उद्योग हैं जिन्हें वास्तव में इस क्षेत्र को सौंपा जा सकता है तथा पूंजीदार उद्योगों या अन्य उद्योगों अथवा भारी उद्योगों को उन वस्तुओं के प्रयोग से मना किया जा सकता है जिनका वे उत्पादन करते हैं। यहां तक कि साधारण साबुन से लेकर ट्रैक्टर तक सभी बड़े कारखाने इन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं गैर-सरकारी या ग्रामीण अथवा गरीब लोगों के लिए, जो इन्हें बनाना चाहते हैं कोई क्षेत्र नहीं छोड़ते। आप कैसे सोच सकते हैं कि ये उद्योग ग्रामीण लोगों के मन में विश्वास पैदा कर सकते हैं। परन्तु बेहतर जीवन जीने की अपेक्षा प्रतिदिन वे निर्धनता भरा जीवन, अन्धकारमय जीवन पाते हैं। उनके जीवन में कोई सुखद दिन नहीं आता। वे केवल यही आशा करते हैं कि प्रसन्नता भरा दिन अभी आएगा। निःसन्देह हम नहीं कह सकते कि इस इतनी अधिक राशि को यदि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में लगा दिया जाता है तो लोगों को इतना लाभ पहुंचा सकता है जितना हमने सोचा है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था शहरी अर्थ-व्यवस्था के समकक्ष बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिएं, ताकि लोग यह महसूस न करें कि ग्रामीण तथा शहरी लोगों के बीच अन्तर बहुत ज्यादा है अथवा इतना अधिक है कि उनके मन में यह एक भ्रम पैदा करता है, तथा वह उनके

मन में किसी तरह की निराशा पैदा कर सकता है। अन्ततः इससे दो समाजों में मतभेद उत्पन्न कर सकता है अथवा उनमें एक दरार पैदा कर सकता है।

इस विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूं। यदि हम अपनी राष्ट्रीय अखण्डता को बनाए रखना चाहते हैं, जो इस देश की श्रेष्ठ विशेषताओं में से एक है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा तथा लोगों को रहने के लिए घर, परिवहन जैसे आधारभूत आवश्यकताएं प्रदान करनी होंगी, उनके बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा जो दी जा सकती है, दी जानी चाहिए तथा वे सभी सुविधाएं दी जानी चाहिएं जो एक शहरी व्यक्ति को प्राप्त हैं। हम शहरी लोगों के लिए कई चीजें कर रहे हैं, परन्तु ईमानदारी से हमें ग्रामीण जनता के लिए अधिक कार्य करना होगा। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो इन दोनों के बीच मनमुटाव पैदा करे जो आधारभूत एकता या राष्ट्रीय एकता को छिन्न-भिन्न करे। यह हमारे स्वयं के हक में है कि हम एक प्रकार की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था बनाएं तथा प्रोत्साहन दें तथा वह ग्रामीण जनता को आशा प्रदान कर सके, वे यह भी महसूस करें कि उनकी अवहेलना नहीं की जा रही है। अन्यथा यदि उनके में यह बात आ गई कि उनकी अवहेलना की जा रही है, वे हमसे पूछेंगे कि उनकी अवहेलना क्यों की जा रही है।

अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि अधिकांश ग्रामीण लोग यह महसूस करने लग गए तो हमारी वर्तमान नीति से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या होगी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने एक प्रयास किया है क्योंकि छटी पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय असंतुलन दूर नहीं किया जा सका था। यहां तक कि सातवीं योजना में भी क्षेत्रीय असन्तुलन हैं। हमें आशा है कि सातवीं योजना में हम ग्रामीण जनता के लिए और अधिक कार्य कर सकेंगे तथा इन क्षेत्रीय असमानताओं अथवा क्षेत्रीय असन्तुलन भी दूर कर सकेंगे। पिछली योजना में हम अधिक कार्य नहीं कर सके थे परन्तु शायद इस बार हम यह कर सकेंगे; अथवा लोग यह आशा करेंगे कि कुछ किया जा रहा है।

मैं सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज से कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं :

"संसाधन आबंटन की प्रस्तावित पद्धति को इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि देश खाद्य के मामले में आत्म-निर्भर बना रहेगा, और वनस्पति तेलों, दालों सब्जियों के उत्पादन और बागवानी में वृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। उद्देश्य यह है कि प्रतिव्यक्ति खपत के बढ़ते हुए स्तरों पर खाद्य सुरक्षा की एक विस्तृत व्यवस्था का निर्माण हो। क्षेत्रीय रूप से अधिक सन्तुलित कृषि विकास और उत्पादन की कार्य नीति के भाग के रूप में पूर्वी राज्यों में चावल की उत्पादकता में वृद्धि पर और शुष्क भूमि कृषि के विकास पर विशेष बल दिया गया है। योजना में छोटे और मझोले किसानों की उत्पादकता और आप में वृद्धि करने पर भी काफी जोर दिया गया है। योजना के कृषि कार्यक्रमों को, लगभग 13 मिलियन हेक्टेपर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न होने से काफी लाभ मिलेगा। कृषि की विकास दर में भिन्नताएं, ऐसे प्रमुख कारक हैं जिनसे विकास की गति में क्षेत्रीय अन्तर उत्पन्न होते हैं, इसलिए योजना की कृषि कार्यनीति से, जिसमें कृषि विकास के अधिक समान और सन्तुलित वितरण पर बल दिया गया है, क्षेत्रीय असमानताएं भी कम करने में मदद मिलेगी।"

अत: क्षेत्रीय असमानताएं दूर करने के लिए इस 10,000 करोड़ रुपए की राशि से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अत: योजना तथा प्रयास ही हैं जो सरकार की ओर इसकी घोषणा तथा वायदा करते हैं। हमें आशा है कि इस योजना में मनचाहे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। हमें आशा रखनी चाहिए कि इस राशि से लोगों के मन में आशा की भावना पैदा होगी, ताकि वे यह जान जाएं कि उनके लिए भी कुछ किया जा रहा है, परन्तु केवल अन्य लोगों के लिए ही नहीं अथवा किसी समाज विशेष के लिए ही नहीं। इसके लिए समानरूप से यह भी आवश्यक है कि प्रशासन को कृषि क्षेत्र पर अधिक बल देना चाहिए, तथा जरूरतमंद क्षेत्रों को सिंचाई के साधन प्रदान करने चाहिएं, तथा नौकरशाही तन्त्र को चुस्त कर देना चाहिए ताकि ग्रामीण लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए कि उनकी अवहेलना नहीं की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री राम श्रेष्ठ झिरहर (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, मौजूदा रैंज्यूलूशन में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विषमता और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास की बात कही गई है, इसमें 10 हजार करोड़ रुपये की मांग सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए की गई है। सचमुच में यह सराहनीय रैंज्यूलूशन है।

जब हम विकास की ओर दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि आजादी के बाद हमारी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास की बातें की हैं। एक लम्बी रकम उसके लिए मुहैय्या की गई है। विकास हुआ भी है। परन्तु इतने लम्बे अर्से के बाद आज जब गांव की ओर देखने का मौका मिलेगा, मैं हिन्दुस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र उत्तरी बिहार के पास नेपाल की सीमा से आता हूं, अभी भी देहात के इलाके का जो जीवन-यापन है, उनके खाने-पीने की जो सामग्री है, उनके पहनावे की व्यवस्था है, उनके देखने से लगता है कि उनके लिए जो कुछ भी किया गया है वह बहुत ही नकारात्मक है, ना के बराबर है। सचमुच में पांडे जी जैसा अपने कथन में कहा, यह विश्वास की बात नहीं होती है। यह ठीक बात है कि आज 80 प्रतिशत जनता गांव में रहती है उनके मैंडेट से हम सब यहां आकर बैठते हैं और उनके लिए जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो यह धर्म की बात नहीं होती है।

जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, सिंचाई का कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे बागमती योजना हो, या गंडक की योजना हो, मैं खास तौर से बिहार की बात करूंगा, बागमती योजना पिछले 15, 16 वर्षों से लम्बित है, इसमें हमारा सैकड़ों करोड़ रुपया लग गया लेकिन आज भी उसकी सैकड़ों एकड़ जमीन नाले और बांध में फंसकर रह गई है और इससे सैकड़ों एकड़ का हमारा भूभाग सीतामढ़ी का उजड़ गया है। वहां मांग होती है 10 करोड़ रुपये की, लेकिन सरकार मुहैय्या करती है 85 लाख रुपया। इस तरह से कैसे काम चलेगा? अगर सिंचाई की व्यवस्था सही नहीं हुई तो खेती का जो भी होना है, वह आज भी या तो बाढ़ के या सुखाड़ के चलते नष्ट होता जा रहा है। हम इस बारे में यहां जो कुछ भी डिस्कशन कर पाते हैं या चर्चा चलती है, जैसा पांडे जी ने कहा है, ब्यूरोक्रेसी का जो रवैया है, काम करने का जो सिलसिला है, वह काम जिस स्तर पर किया गया है, वह उनके चलते काम नहीं होता है।

अब मैं बिजली की बात करता हूं। हमारी सरकार के पास बिल्कुल ही गलत रिपोर्ट आती हैं। बिहार क्षेत्र का ज़ो रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम है, उसके सारे आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। अगर किसी गांव के विद्युतीकरण के आंकड़े दिए गए है कि वहां विद्युतीकरण हो गया तो या तो वहां खम्भे खड़े हैं लेकिन लाइन नहीं है, अगर लाइन मिलेगी तो बल्ब नहीं है, अगर बल्ब लगा है तो ट्रांसमीटर जला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आज भी गांव अंधेरे में रह रहे हैं, वहां पावर अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं।

ऐसी परिस्थिति में खास तौर से मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि रूरल डैवलपमैंट के जिन प्रोग्रामों को लिया गया है जैसे आर० एल० ई० जी० पी० या एम० आर० ई० पी०, इनकी मौनिटरिंग नहीं हो पाती है। अगर उनकी मौनिटरिंग हो, जांच हो तो समय-समय पर पता चलेगा कि आखिर ऐसा किस स्तर पर होता है, कहां अकर्मण्यता है? राज्य सरकार की कमी है तो उसमें क्या किया जा सकता है, केन्द्रीय सरकार की ओर से इन सारी बातों की जरूरत है। इस पर ध्यान दिया जाए। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मेरी समझ में चाहे जो भी रकम मुहैय्या की जाए, उसका जो फल ग्रामीण क्षेत्रों को मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सरकार से आग्रह है कि जितनी भी रकम दी जाए गांव के लिए वह मुनासिब है, लेकिन समय-समय पर उसकी जांच होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, यह सिद्ध करने लिए कोई आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है कि विकास की प्रक्रिया ग्रामीण जनसमुदाय के प्रति अनुचित रही है। वास्तव में यदि हम इसे समय तथा क्षेत्र सीमा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राष्ट्र दो भागों में विभाजित हो जाता हैं जिसे दो संस्कृतियां या दो राष्ट्र कहा गया है, दो समुदायों के लोग अपना स्वतन्त्र जीवन अपने वातावरण में जीते हैं जहां वे पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, तथा जहां वे मरते हैं, उनके जीवन केवल एक नियत स्थान पर एक दूसरे को सस्पर्श करते है, शायद केवल विनिमय के स्थान पर लेकिन विनिमय एक पक्ष के लिए हमेशा अनुचित होता है तथा दूसरे पक्ष के आदेश पर होता है। शहरी भागीदारों की स्थिति अग्रगण्य होती है। वे अर्थ-व्यवस्था पर नियन्त्रण करते हैं, संपक्ष पर नियंत्रण करते हैं, शक्ति पर नियन्त्रण करते हैं, सम्पत्ति पर नियन्त्रण करते हैं, संसाधनों पर नियन्यण करते हैं, ये क्रियान्वयन तंत्र पर नियन्त्रण करते है, ये प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण करते हैं, लेकिन यदि मैं यह कहूं कि वे संसद पर भी नियंत्रण करते है। और सही कारण ग्रामीण जनसमुदाय की निर्धनता के सम्बन्ध में सुविधाओं से वंचित करने के सम्बन्ध में, अशिक्षा के सम्बन्ध में, ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के संदर्भ में, लोगों को एक मानव की भांति जीवन यापन करने के लिए आधार भूत आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी असमर्थता के सम्बन्ध में, हम केवल कोरी सेवा करते हैं, तथा इसके पश्चात हम चुप हो जाते हैं और उस धन के वितरण की योजना व्यवस्था जो अधिकांश रूप से ग्रामीण जनसमुदाय द्वारा पैदा किया जाता है, इस प्रकार की होती है कि यह ग्रमीणों के लिए अनुचित रहती है। यह मूलभूत समस्या है। समस्या यह है कि हम एक विशेष मानसिकता के शिकार हो गए हैं जिसमें धनिकों की स्थिति हमेशा अच्छी रहती है। समाज का दो भागों में विभाजन चला आ रहा है। किसी तरह से कुछ विशिष्ट

लोगों ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, और इसकी पृष्ठभूमि में वे खुशी-खुशी नारे बुलन्द कर रहे हैं और देश का शासन कर रहे हैं।

हम भूल जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा है कि उपलब्ध करके मानव प्रौद्योगिकी का प्रयोग द्वारा पूंजी उत्पन्न की जाती हैं। पूंजी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने वाली हमारी क्षमता से उत्पन्न की जाती है। अतः धन उत्पन्न किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों इसका व्यापक तौर पर उत्पादन किया जा रहा है लेकिन जब इसके वितरण की बात आती है, जब इसके देने की बात आ जाती है, तो यहीं शहरी लोग होते हैं जिन्होंने एक अंतरग दल बना रखा है।

समय-समय पर वे चाहे कतिपय रियायतें भी दे, लेकिन कुल मिलाकर राज्य की संवितरण-कारी शक्तियों पर उनका पूरा अधिकार व नियंत्रण बना रहता है। यह आधार भूत समस्या है। यह केवल कुछ हजार लोगों के आंसू पोंछने वाली बात नहीं है। यहां प्रश्न अपनी अर्थ व्यवस्था में मूलभूत संरचनात्मक परिवर्तन करने की है। हमारे सोचने के तरीके में परिवर्तन करने की है, अपने समाज में धन के वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन करने की है। इसलिए मैं सोचता हूं कि कतिपय आधार-भूत प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है।

हमें अपनी योजना व्यवस्था पर पुनः विचार करना है। योजना व्यवस्था क्या है? योजना व्यवस्था मुख्यतः प्राथमिकताओं के निर्धारण का प्रश्न है। अब, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? भारत में एक पागलपन सवार हो गया है जिसके कारण हम बड़े-बड़े टावर बना रहे हैं जिनके रख-रखाव में करोड़ों रुपया खर्च होता है जबकि हम भूखी जनता को नहीं खिला पा रहे हैं।

[हिन्दी]

हम कहते हैं कि हिन्दुस्तान की जनता की आम जरूरतें पूरी करो। हर भूखे को खाना, हर प्यासे को पानी, हर नंगे बदन को वस्त्र, हर बीमार को दवा और हर सिर के ऊपर छप्पर दो। इसके साथ हम यह भी कहते हैं कि बच्चे को इंसान बनने के लिए शिक्षा का एक मौका दो, हर गली थोड़ी-सी रोशनी दो। दिल्ली को जगमगाने से हिन्दुस्तान नहीं बदलेगा। गांवों को जब बदलोगे तो देश बदलेगा। लेकिन हम यह सब नहीं करते हैं।

बरसों तक हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हम देश की दौलत का कम-से-कम 40 प्रतिशत अपने गांवों पर खर्च करेंगे। यह प्रोग्राम कितने दिन तक चलाया? हम यह सब भूल गए। यह हमारा नेशनल मकसद होना चाहिए था, यह हमारा टारगेट होना चाहिए था। इसके लिए हमारी पार्लियामेंट और सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए था। मगर हम जगमगाहट में बाकी अधेरी दुनिया को भूल जाते हैं। जब हम ऊपर की तरफ नजर करते हैं तो जमीन के नीचे वाली कड़वाहट को भूल जाते हैं और असलियत से बेगाना हो जाते हैं। हम गरीब की गुरबत और भूखे-पेट की भूख को भूल जाते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि आजादी के इतने वर्षों के बाद हिन्दुस्तान के चार गांवों में से एक गांव ऐसा है जिसको पीने का पानी मुअस्सर नहीं है।

हमें शर्म आनी चाहिए कि आज के आजाद हिन्दुस्तान में आजादी के 40 वर्ष बाद भी सिर्फ

नाम के वास्ते के अस्पताल हैं, नाम के वास्ते डाक्टर हैं, नाम के वास्ते स्कूल हैं जहां पढ़ाई नहीं होती, जहां अस्पताल में इलाज नहीं होता है। मुझे ताज्जुब होता है, कैसे चल रहा है यह हिन्दुस्तान? कैसे लोगों का इलहाम नहीं आता। कैसे लोग बगावत का झंडा खड़ा नहीं करते? कैसे लोग खड़े होकर इस सिस्टम को चेलेंज नहीं करते, यह मेरी समझ में नहीं आता। कहते हैं हमारी जनता के दिलों में प्रेम है, बहुत टालरेंस है। हम बार-बार कहते हैं कि हिन्दुस्तान की जनता में बहुत टालरेंस है लेकिन टालरेंस की भी कोई इन्तहा होती है?

इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्लानिंग सिस्टम को जब तक आप प्लानिंग कमीशन के आइवरी टावर से नहीं निकालेंगे, जब तक दिल्ली में बैठकर देश की प्लानिंग करते रहेंगे तब तक देश नहीं बदलेगा। इसलिए हम यह कहते हैं कि प्लानिंग नीचे से शुरु करो, ऊपर से मत लादो। हर गांव की जरूरत को देखो। हर गांव के लिए सब कुछ एक साल में नहीं हो सकता, पांच साल में नहीं हो सकता। लेकिन जो हो सकता है उसको इस गांव वाले खुद तय करें। गांवों की योजना को मिलाकर ब्लाक की योजना बनाओ, ब्लाक की योजना को मिला कर जिले की योजना बनाओ, जिलों की योजना को मिलाकर राज्य की योजना बनाओ और राज्यों की योजना को मिलाकर राष्ट्र की योजना बनाओ। तब सही मानों में गरीबों की तस्वीर बदल सकेगी। तब सही मानो में गांव का चेहरा बदल सकेगा। तब गांव की गलियों में थोड़ी सी रोशनी आएगी। तब इंसान को इंसान की तरह रहने का मौका मिलेगा। लेकिन यह नहीं होता है। हम दिल्ली में बैठकर हुकुम चलाते हैं कि एक हजार गांवों में बिजली होगी। कौन से एक हजार गांव होंगे? एक हजार घटते-घटते क्या हो जाता है? [कितना पैसा कहां खर्च होता है? कितना कहां लीकेज हो जाता है? कितना वजीरों की जेब में जाता है, कितना साहूकारों की जेब में जाता है, कितना ठेकेदारों की जेब में जाता है, कितना सियासतदानों की जेब में जाता है? आखिर में सड़कें बनती हैं तो ऐसी बनती हैं जो अगली बाढ़ में बह जाती हैं। कुएं खुदते हैं। तो वह कागज पर खुदते जमीन पर जाकर देखिए तो उनका कहीं निशान भी नहीं मिलेगा। स्कूल भी कागज पर खोले जाते हैं। अस्पताल भी कागज पर बन जाते हैं। यह सब इसीलिए होता है कि आपने अव्वल तो पैसे का सही बंटवारा नहीं किया। फिर उनको यह तय करने का भी अधिकार नहीं दिया कि वे अपनी भलाई के लिए कुछ करें और तीसरे उनके हाथ में यह ताकत नहीं दी कि डाक्टर इलाज नहीं करे, इलाज के लिए पैसे मांगे, आपरेशन के लिए पैसे मांगे और दवा देने के लिए, गांवों में जाने के लिए पैसे मांगे तो उसको वे बरखास्त कर सकें। टीचर अगर नहीं पढ़ाए तो उसको वे निकाल सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय, मैं आज यह कह रहा हूं कि आपने राष्ट्रीय संसाधनों के वितरण की एक नई पद्धति खोजी है। संसाधनों का कम-से-कम 40 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर दें। इस पर राष्ट्रीय सहमति है। लेकिन इससे भी अधिक संसाधनों को उपलब्ध कराने से अधिक आप उन्हे वह अधिकार दे दें। जिससे वे अपने लिए जो चाहे वह करे। हर गांव को यह अधिकार प्रदान करें कि क्या इस वर्ष वह स्कूल या अस्पताल या सड़क बनाना चाहेंगे, क्योंकि एक ही समय में वे हर चीज नहीं प्राप्त कर सकते, और अन्त में उन्हें प्रबन्ध करने, पर्यवेक्षण करने तथा प्रशासन करने का अधिकार दे दिया जाए। आप उन्हें वित्तीय अधिकार प्रदान कर दीजिए, उन्हें प्रशासनिक अधिकार

प्रदान कर दीजिए। आप कहेंगे कि वे अशिक्षित हैं, लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं। आप कहेंगे कि कुछ लोग इसको खा लेंगे। आज भी कुछ लोग इसको खा रहे हैं। अंतर केवल यह है कि बाहर के कुछ लोग इसको खा रहे हैं। कम-से-कम यह धन गांवों में ही रहेगा। मुझे विश्वास है कि यदि हममे से कोई प्रजातंत्र के सिद्धान्तों में विश्वास करता है, हममें से कोई प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में विश्वास करता है तो सभापति महोदय, इससे निर्णय-कर्ताओं तथा लोगों, जिनके भाग्य का फैसला किया जाता है, के बीच की दूरी कम होगी, भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी, धन की बरबादी की समस्या कम होगी, और लोगों का अधीक्षण तथा पर्यवेक्षण अधिक होगा। सभापति महोदय, इसलिए मैं एक शब्द में ग्रामराज चाहता हूं। मैं इस संकल्प के आधार पर आज यह कहता हूं कि कुछ करोड़ रुपयों के आवंटन की ही न केवल बात की जाए। यदि हम वास्तव में ग्रामीण स्थिति को बदलने के प्रति गम्भीर हैं, यदि हम वास्तव मे देश में एक समतावादी समान स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि हम वास्तव में गांधी जी के शब्दों में 'गरीबों के चेहरों से आंसू पोंछे' के प्रति गम्भीर हैं, तो हम शुरुआत करें। हम जनसमुदाय को शक्ति दें। हम पंचायतों को अधिकार दें। ग्राम राज, ग्राम सरकार की स्थापना करें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री बालासाहब विखे पाटिल (कोपरगांव) : सभापति महोदय, अपने ग्रमीण क्षेत्र के लिए यह जो एक रेजोल्यशन आया है :

[अनुवाद]

ग्रामीण तलाशहरी आय के बीच बढ़ती हुई असम्मानता को देखते हुए—

[हिन्दी]

उसके साथ ही साथ

[अनुवाद]

ग्रामीण उद्योगों, शिल्प तथा कला के माध्यम से स्वयं उत्पादक ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का विकास—

[हिन्दी]

हमारे कई साथियों ने कहा हैं कि हमारे देश के अन्दर 40 सालों की आजादी के बाद भी जो कुछ हमे करना चाहिए था वह हमने नही किया। लेकिन अभी जो कुछ काम चल रहे हैं, कुछ नये शहर भी बने हैं, हमारी आबादी भी बढ़ी है और पर-कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है उसका कारण क्या है। आई.आर.डी.पी., एन.आर.ई.पी.—ये सभी प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसके कारण भी रोजगार बढ़ा है और कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या दूर हुई है। छठी योजना मे हमारे यहां 16 हजार करोड़ का प्रावधान था और इस योजना मे ग्रामीण क्षेत्रो के लिए 33 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो यह समझने की बात है जब हम देहात की बात सोचते है, गांवो की बात सोचते हैं

तो शहरों में भी ऐसी आबादी है झुग्गी-झोपड़ी वालों की जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाना बहुत आवश्यक है। हमें यह देखना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाएं हों जिनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों में न आयें क्योंकि शहरों में आने के कारण आबादी बढ़ने की समस्या पैदा होती है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम दिल्ली में बैठकर प्लानिंग करते हैं। मैं महाराष्ट्र का जिक्र करूंगा। हमारे यहां 15 साल के डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड चल रहे हैं, एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम भी चल रही है फिर भी हम समस्या को पूरी तरह से हल नहीं कर सके हैं। वहां पिछले साल 250 करोड़ रुपया एम्पलायमेन्ट गारन्टी स्कीम के कारण खर्च किया गया है लेकिन हम अभी तक केवल 21 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कर सके हैं। फिर भी गांवों के लोग उठकर बाम्बे, पूना जैसे शहरों में क्यों आ जाते हैं? इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सुविधाएं नहीं हैं। आजकल कुछ ऐसा तरीका बन गया है कि जो भी नेता बनता है वह गांव से उठकर शहर में मकान बना लेता है। कई लोग तो राजधानी में मकान बना लेते हैं लेकिन सारे भाषण गांवों के लिए ही करते हैं। कई लोगों को हम देखते हैं कि पहाड़ से उतर कर नीचे अपने मकान बना लेते हैं और पहाड़ों के लिए भाषण देते हैं, पहाड़ी इलाकों को सुधारने की बातें करते हैं। कितने लोग ऐसे होंगे कि जहां उन्होंने जन्म लिया है वहीं पर घर बनाकर रहें? तमाम लोग नेता बनने के बाद गांवों से उठकर शहरों में—तहसील या जिला हेडक्वार्टर में आकर बैठ जाते हैं। (व्यवधान) कुछ लोग विदेशी भी चले जाते हैं वह बात दूसरी है, उससे भाषा भी सुधर जाती है लेकिन उस बात को मैं नहीं कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो या उड़ीसा हो वहां जो लोग गांवों में रहते हैं उनकी हालत सुधारने की कोशिश कितने लोग करते हैं? जिन नेताओं ने गांव में जन्म लिया है, गांव में रहते हैं उन्होंने अपने गांव के लिए या अगल-बगल के गांवों के लिए, उनको सुन्दर बनाने के लिए कितना काम किया है? गांधी जी का सेल्फ-सपोर्टिंग विलेज बनाने के लिए उन्होंने क्या कोशिश की है? यह कह दिया जाता है कि सरकार ने यह नहीं किया और वह नहीं किया। मैं समझता हूं आज देश में कांग्रेस के अलावा जितनी भी और राजनीतिक पार्टियां हैं—सी.पी.आई., सी.पी.एम., जनता, बी.जे.पी. सभी पार्टियां कहीं न कहीं सत्तारूढ़ हैं या रह चुकी है। लेकिन किसी भी रीजन के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि बेकारी दूर हो गई है। जब बेरोजगारी की बात आती है तो कह दिया जाता है कि केन्द्र ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब वे केन्द्र से पैसा मांगते हैं तो राज्यों में भी कुछ पैसा जुटाना चाहिए। मुझे यह भी बताया गया है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां के माननीय सदस्य लैण्ड सीलिंग की बात करते हैं लेकिन वहां पर लैण्ड रिकार्ड भी नहीं हैं फिर अबरन सीलिंग की की बात ही नहीं पैदा नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले खुद अपना घर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए फिर दूसरे को सलाह दे सकते हैं। पहले अपने गांवों में स्कूल-कालेज खोलें, बच्चों की पढ़ाई का प्रबन्ध करें। कहते हैं कि हेल्थ सर्विस नहीं है, डाक्टर 25 रुपए में इंजेक्शन देता है और व्यापारी लूटते हैं, दो नम्बर का धन्धा करते हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कभी हमने उनके खिलाफ कोई मेला लगाया है?

4.00 म० प०

हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया डाक्टर है। जो ज्यादा पैसे लेता है वही अच्छा डाक्टर है। जिस स्कूल में ट्यूशन फीस ज्यादा है, वही स्कूल अच्छा है। हमारी जिन्दगी का तरीका

बदल रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम लोगों को आश्वासन देकर यहां चुनकर आते हैं। हम कहते हैं कि यह करेंगे, वह करेंगे,तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम कुछ काम करें। छोटी-छोटी बातों के लिए मतदाताओं को गुमराह करते हैं। कहते है कि हम दुनिया बदल देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। लेकिन चुनने के बाद, चाहे विधानसभा में या लोकसभा में या राज्य सभा में, कुछ नहीं करते हैं। विरोधी पक्ष सरकार को गाली देता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत झुग्गी-झोंपड़ी दी हैं, आई.आर.डी.पी. के तहत लोन दिया है तो कहते हैं हमने किया, लेकिन जब पैसा कम हो जाता है तो कहते हैं कि केन्द्र हमको पैसा नहीं देती है। आज कई लोग हमको लूट रहे हैं। कोई पार्टी का सवाल नहीं है। गरीबी चाहे शैडयूल्ड कास्ट का हो या शैडयूल्ड ट्राइब्स का हो, किसान हो या मजदूर हो, सब गरीब हैं। हम बन्धुआ मजदूर की बात करते हैं। दिल्ली में तो यहां मोर्चे निकाले जाते हैं और लेकिन गांवों में उसके द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है। एक्सप्लायटेशन करने वाले जो लोग है, जो लूटने वाले लोग हैं, चाहे डाक्टर हो, वकील हो या व्यापारी हो, इनके खिलाफ हम कुछ नहीं करते हैं। टी वी के ऊपर बताया जा रहा था कि 10-15 साल से न्याय नहीं मिल रहा है। पैसा लेकर वकील काम करता है, काम नहीं होता है, लोगों को लूट लिया जाता है। लिबर्टी की बात है। राइट आफ लिबर्टी, ह्यूमनराइट—किसके लिए ह्यूमन राइट, किसके लिए ह्यूमन लिबर्टी, जिनके पास पैसा है, उनके लिए है। जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कहां है। हम हमदर्दी के साथ मजदूरों की बात करते हैं, हमदर्दी के साथ किसानों के लिए बात करते हैं। जब हम गरीब को देखते है, तो हमें दुःख होता है। रेलवे स्टेशन दिल्ली में भी यही हालत है। जब हम इनके बारे में सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है।

हमारे महाराष्ट्र में एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम की योजना चल रही है, लेकिन लोग शहरों की तरफ आते रहे हैं। क्यों? क्योंकि न वहां पर इन्फास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, स्वास्थ्य की सुविधा है न शिक्षा की सुविधा है और गांवों में पीने के पानी की समस्या है। इसलिए इस सयस्या को हमें अलग ढंग से हल करने की आवश्यकता है। मुझे महाराष्ट्र का अनुभव है, किसी और राज्य का अनुभव नहीं है। कुछ लोग गांवों में जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि किसान को दाम मिलना चाहिए वही शहरों के मजदूर के पास आते हैं तो कहते हैं कि महंगाई हो गई है। तुम्हारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। पहाड़ों में जाते हैं तो कहते हैं कि सब किसानों के लिए हो रहा है, आपके लिए कुछ नहीं है। जब यह स्थिति होगी तो हिन्दुस्तान को आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। सब काम राजनीतिक हो जाते हैं। आप सब कार्यक्रमों के लिए राजनीतिक क्यों लाते हैं। लोगों का नुकसान हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है। गरीब और अमीर में अन्तर बढ़ रहा है। हम छोटी बातों को राजनीति में लाते हैं।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी (कड़प्पा) : महोदय, वह जो भी कह रहे हैं, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस विषय का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं हैं।···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : सभापति महोदय, में कन्क्ल्यूड कर रहा हूं। हमें यह सोचने

की आवश्यकता है कि छोटी बातों को हम राजनीति में न लाएं। जब डैम बनाने की बात आती है, तो कहा जाता है कि तुम्हारी जमीन जा रही है, इसको बनाने नहीं देंगे। जब किसी काम को नहीं करना हो, तो बस उसको राजनीति में उठा दो।

मैं ज्यादा न कहते हुए, मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"ग्रामीण कार्यक्रम सातवीं योजना में अधिक प्रभावपूर्ण बनाए जाते है।"

[हिन्दी]

उन्होंने कुछ बातें कही हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा। उन्होंने इनपुट्स की बात कही है। इनपुट्स में इर्रीगेशन का जिक्र किया है। अकाल जहां होता है, सूखा जहां होता है, डेजर्ट जहां होता है, वहां पानी की कमी है और सूखे इलाकों का प्रधान मंत्री जी ने काफी दिन दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि जहां पानी होता है, वहां के लोग पानी का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं और जहां पानी नहीं है, वे लोग पानी मांगते हैं। ड्रिफ्ट इर्रीगेशन और स्प्रिंकिल के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। ड्रिफ्ट इर्रीगेशन के लिए 35 हजार प्रति एकड़ खर्च आता है। ड्रिफ्ट इर्रीगेशन के लिए जो इक्युपमेंट बनाना है और नई टेक्नोलॉजी गांवों में लाना है, तो पब्लिक सेक्टर में ही इस उद्योग को बनाना पड़ेगा क्योंकि सब्सीडी देने से करप्शन बढ़ जाता है। मैं सब्सीडी देने के खिलाफ हूं। जब पब्लिक सैक्टर में हम कुछ काम करेंगे और पब्लिक सैक्टर के अन्दर ड्रिफ्ट इर्रीगेशन और स्प्रिंकिल इर्रीगेशन के उपकरणों के उत्पादन का काम करेंगे, तो गांवों में कुछ हो सकता है। जब गांवों में तकड़ा काम करेंगे और फसलों की रेम्यूनिरेटिव प्राइस मिलेगी, तो किसान इकट्ठा हो जाएंगे और मजदूरों को साथ ले सकते हैं और नए उद्योग लगा कर गांवों का चेहरा बदल सकते हैं और फिर जिस समस्या के बारे में आप सोच रहे हैं, उसको कुछ-न-कुछ हल कर सकते हैं।

आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : सभापति जी, माननीय सदस्य ने ग्रामीण विकास के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की मांग की है और इसके लिए सदन में बिल लाए हैं। और 10 हजार करोड़ रुपए दे देने से ही गामीण विकास हो जाए, तो मैं माननीय योजना मन्त्री से निदवेन करूंगा कि इस को 15,000 करोड़ रुपए कर दिया जाए। सवाल पैसों का नहीं है। मेरे अनुभव के अनुसार 10 हजार करोड़ रुपए या 20 हजार करोड़ रुपए दे देने से ग्रामीण विकास होने वाला नहीं है। हम करीब 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये योजना में खर्च करने जा रहे हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना में। उस की मदों की ओर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एग्रीकलचर में हम 10,573 करोड़ रुपएअ ल्रेडी एलोट कर रहे हैं, रूरल डेवलपमैंट में 9074 करोड़ रुपए एलोट कर रहे हैं। स्पेशल एरिया प्रोग्राम के लिए 3144 करोड़ रुपए, इर्रीगेशन और फ्लड कन्ट्रोल के लिए 16,978 करोड़ रुपए, बिजली के लिए 54,821 करोड़ रुपए, ट्रान्सपोर्ट के लिए 22,971 करोड़ रुपए, साइंस और टेक्नोलाजी के लिए 2,466 करोड़ रुपए और सोशल सर्विसेज, जो सबसे ज्यादा ग्रामीण विकास से सम्बन्धित है, के

लिए 29,350 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसका मतलब यह है कि पैसे की कमी नहीं है। अगर कमी है तो 10 हजार करोड़ रुपए की बजाए 20,000 करोड़ रुपए ले लीजिए क्योंकि सब आदमी ग्रामीण विकास चाहते हैं। असली कारण जो ग्रामीण विकास न होने का है, वह मेरे समझ में यह है कि प्लान का जो थ्रस्ट होना चाहिए, उसमें पीपुल्स इन्वोल्वमेंट, पीपुल्स रेप्रेजेन्टेटिव्ज इन्वोल्वमेंट कितना है। इसमें आपके प्लान में डेफीसियेन्सी ही रही है। प्लान के इम्पलीमैंटेशन में पीपुल्स रेप्रेजेन्टेटिव्ज का इन्वोल्वमेंट नहीं है मंत्रियों का थोड़ा-सा है, पूरा नहीं है लेकिन चाहे पंचायत समिति के सदस्य हों, चाहे विधायक हों या संसद सदस्य हों, उनका इन्वोल्वमेंट प्लान के डेवलपमैंट में या प्लान के इम्पलीमेंटेशन में नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि पहले जनप्रतिनिधियों को आप प्लान के इम्लीमेंटेशन में इन्वोल्व कीजिए, उस को शक्ति दीजिए और मजबूत कीजिए, तो शायद आपका यह संरचना बदल सकेगा।

दूसरी बात जो आवश्यक होगी, वह है इन्फ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। रोड्स सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, इर्रीगेशन सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम इत्यादि। ये जो सारे सिस्टेम्स हैं, इन के ऊपर आप को ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक ध्यान देना होना। गलती क्या हो रही है। आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर होता था। एक एक्जीक्युटिव इंजीनियर के पास पचास लाख रुपए सालाना खर्च करने की पावर थी। लेकिन उस समय यह था कि 50 लाख रुपए में 50 किलोमीटर या सत्तर किलोमीटर सड़क बनानी पड़ती थी। लेकिन आज सब का मूल्य चार गूना या दस गूना हो गया है लेकिन ब्योरोक्रेसी ने पैसा वही रखा है। मूल्य बढ़े, उनके अनुसार काम बढ़ा या नहीं बढ़ा, लेकिन बढ़े हुए मूल्यों पर इंजीनियर्स की संख्या बढ़ गयी, काम अनुपात घट गया। इसलिए इंनीनियर्स की बहाली सिर्फ पैसे पर, अलोकेशंस पर न कीजिए, फिजिकल डवलपमेंट, काम पर कीजिए। आज से दस साल, बीस साल या पचास साल पहले इंजीनियर्स पर जो वर्क लोड था उसी पर इंजीनियर की वहाली कीजिए। पैसे के बल पर इंजीनियर की वहाली करना प्लान का बहुत बड़ी कमी या दोष है।

दूसरी बात यह है जिसको मैं बराबर दोहराता आया हूं कि मेनपावर का प्लानिंग हम लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमने जिला मुंगेर में एक सर्वे कराया था—टेक्नो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे। मैंने पता लगाने की कोशिश की कि कितने अधिकारी विकास के काम में प्रशासन में लगे हुए हैं। शिक्षा विभाग को अलग कर दिया, पुलिस को अलग कर दिया, यूडीशियरी को अलग कर दिया। इन तीन विभागों को अलग करने के बाद हमने देखा कि एक जिले में 14 हजार ऐसे लोग हैं जिनकी एक हजार रुपए से ज्यादा आमदनी है। पहले एक जिला हुआ करता था जिसके अब तीन भाग कर दिए गए। उस जिले में एक डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट होता था और उसके नीचे एक ए० डी० एम० होता था। अब तीन भाग हो गए, तीन डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट हो गए और उनके नीचे चार-चार ए० डी० एम० तक बढ़ते गए। प्लान का पैसा तन्ख्वाहा के लिए, सुख-सुविधाओं के लिए चला गया लेकिन उसका धरातल पर विकास जो होना चाहिए था वह नहीं उतरा। मैन पावर का सर्वे किए बिना प्लानिंग नहीं चल पायेगी। न विकास न हो सकेगा। इसलिए मेरी राय है कि यूटिलाइजेशन आफ द रिसोर्सिज, डवलपमेंट आफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर इनका इम्पेक्ट क्या हो रहा है आगे की जेनरेशन पर इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है।

आप लोग योजना आयोग में, ग्रामीण मंत्रालय में बैठ कर मेनडेज की सबसे बड़ी चिंता में लगे हुए हैं। लेकिन मेनडेज क्रियेशन से आप हिसाब भले ही लगा लें लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सड़क बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है मेनडेज क्रियेट करके आपको बढ़ई मिल जाएगा। उसको लगा कर आप सड़क का इन्फ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए जिससे देहात का आदमी अपने फल, सब्जी इत्यादि अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में लाने में सफल हो। अगर यह नहीं करेंगे तो शायद हमारा ग्रामीण विकास नहीं हो सकेगा।

हम योजना आयोग में बैठते हैं। बड़े-बड़े आरनामेन्टल नाम स्कीमों को देते है—फूड फार वर्क, इन्टेगरेटिड रूरल डवलपमेंट, इन्टेंसिव एग्रीकल्चरल डवलपमेंट। मिट्टी और गिट्टी के काम करने के लिए इन्हें अंग्रेजी शब्दों के जाल में बैठाकर पांच साल के बाद प्लान फण्ड को नान-प्लान फण्ड मे बदल कर आप हैड बड़ा बना दीजिए लेकिन उससे फूड लोड तो आपका कमजोर रह गया। इसलिए नाम न बदलिए, काम कितना हुआ इस पर बहुत ध्यान दीजिए। नाम वही रहे। उसके अनुसार नाम बदलने की जरूरत नहीं है।

रह गई बात हमारे लोगों की भी बहुत गल्ती है। शहाबुद्दीन साहब बहुत ऊंची आवाज में कह रहे थे और कह कर वे चले गये कि यह नही हुआ, वह नहीं हुआ। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह मत कीजिए, अपनी अपनी कांस्टीच्युएंसी का एवरेज निकालिए कि कितना काम हुआ और उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि कितना काम किया। उसकी रिपोर्ट योजना मंत्री को होनी चाहिए कि हमने अपनी कांस्टीच्युएंसी में इतना काम किया। तब पता चल जाएगा कि उनकी बात भाषण तक है यथार्थ में नहीं है।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं नई शिक्षा नीति में इस बात का जिक्र किया गया है "वोकेशनलाइजेशन आफ एजूकेशन" किया जाएगा, मैं थोड़ा-सा इसमें परिवर्तन करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में "वोकेशनलाइजेशन आफ एजूकेशन" की जगह "एजूकेशनलाइ-जेशन आफ वोकेशन" होना चाहिए। वोकेशन जहां है वह रहने दिया जाए, उसमें एजूकेशनल और टेक्नालाजिकल मेथ्ड्स एडाप्ट किए जाएं और उसका कैसे डेवलपमेंट हो, यह देखना चाहिए। यह ग्रामीण विकास का लक्ष्य होना चाहिए। सवाल साधन का नहीं, सवाल साधक का है। मंत्री जी यहां है, अच्छे साधक हैं, बहुत मजबूत मंत्री हैं योजना मंत्री जी, मेरी उनसे बड़ी अच्छी पटती है और हमारी बात को मानते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वे एक साधक की तरह से सामने आएं, इसके लिए चाहे उनको गेरुए वस्त्र धारण करने पड़े तो वे धारण करें, एक गेरुआ वस्त्र तेलगू देशम में और एक इधर योजनामंत्री जी धारण करें तो कोई हर्ज नहीं है।

इन शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए निर्धारित समय 4.19 म० प० समाप्त होगा। सदन की क्या इच्छा है ? क्या हम इसे एक घण्टा बढ़ा दें।

कुछ माननीय सदस्य : दो घण्टे।

कुछ माननीय सदस्य : एक घण्टा ।

सभापति महोदय : अभी मैं एक घण्टा बढ़ाऊंगा । एक घण्टे के पश्चात् देखूंगा ।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है ।

सभापति महोदय : अतः समय एक घण्टा बढ़ाया जाता है । एक घण्टे के पश्चात् मैं देखूंगा । श्री वण्मुख ।

श्री ए० सी० वण्मुख (वेल्लोर) : सभापति महोदय, मैं माननीय डा० डी० एन० रेड्डी द्वारा सदन के सम्मुख प्रस्तुत विभाग संकल्प का अखिल भारतीय अन्ना द्रविण मुनेत्र कषगम की तरफ से समर्थन करता हूं । अपने संकल्प में उन्होंने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब तथा दलित लोगों के उत्थान लिए केन्द्र से 10,000 करोड़ रुपयों की मंजूरी की मांग की है । महोदय, कृपि हमारे देश की रीढ़ है । हमारा देश प्रमुख रूप से कृषि पर आश्रित है । हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि जब कृषक खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं, केवल तभी शहरी सम्भ्रान्त लोगों को भोजन प्राप्त होता है । माननीय सदस्यों ने, जो पहले बोले, शहरी धनिकों की चर्चा की । लेकिन हमें पता लगाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है । तथ्य यह है कि कृषि उत्पाद को उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है । यदि किसानो को उत्पादन लागत के बराबर मूल्य प्राप्त होता है तो उनके जीवित रहने के लिए मुश्किल से कुछ बचेगा । बिचौलिए मुनाफा उठा रहे हैं । वे उनकी उपज को बहुत कम मूल्य पर खरीद लेते हैं और लगभग छः महीने तक उसे रखने के पश्चात् वे उसे उपज को बाजार में अधिक कीमत पर बेच देते हैं । इस तरह से उन्हें बड़ा लाभ होता है । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार इस उद्देश्य के लिए इन अपराधी बिचौलियों को दण्डित करने के लिए कड़ा कानून बनाएं ।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि सरकार को ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने पर विचार करना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों के आने की प्रवृत्ति हतोत्साहित की जा सके ।

यदि सरकार आगे आकर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योग को शुरु करती है तो खेतीहर मजदूर व भूमिहीन मजदूर इन उद्योगों में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं । इससे भी अधिक बेमौसम के समय में ग्रामीण लोग, गांवों में खाली बैठने के स्थान पर कृषि पर आधारित उद्योग में रोजगार पा सकते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में ये लघु उद्योग आरम्भ करने का आधार, एक विशेष क्षेत्र में कच्चे माल की उपलब्धता के अनुसार होना चाहिए । जहां गला उपब्ध है उन क्षेत्रों में चीनी के मिल खोले जाने चाहिए । जहां चावल उगाया जाता है । उस क्षेत्र में आटे के मिल खोले जाने चाहिए ताकि मिल चलाने के लिए कच्चे माल की प्राप्ति में कोई समस्या न हो ।

महोदय, हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए ताकि प्रत्येक गांव एक छोटे से कस्बे में परिवर्तित हो सके जहां सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो । तमिलनाडु इसका एक उदाहरण है । ग्रामीण क्षेत्रों के दलितों व गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चालू की गई है और इस सम्बन्ध

में भारत के सभी राज्यों में तमिलनाडू सबसे अग्रणी है। महोदय, हमारी स्व० प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने गरीबों व समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को उठाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहते हुए खुशी है कि तमिलनाडू के मुख्य-मंत्री डा० एम०जी० रामचन्द्रन द्वारा इन कार्यक्रमों को भली प्रकार लागू किया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण योजना विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 'छोटे परिवार' का नारा है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का तमिलनाडू में सख्ती से लागू किया गया है और मुझे इस भव्य सदन में कहते हुए खुशी है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने में तमिलनाडू प्रथम हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बहुत सुखी जीवन गुजार रहे हैं।

महोदय, तमिलनाडू में एक अच्छी योजना लागू की गई है। यह सिंचाई-सुविधाओं से सम्बन्धित है। इसके अनुसार प्रत्येक जिले को तीन भागों में बांटा गया है और 50 से 70 लाख रुपए तक की लागत का एक बांध प्रत्येक भाग में बनाया गया है। इस प्रकार तमिलनाडू के सभी जिलों में सिंचाई-सुविधाओं को जुटाने के लिए अब तक लगभग 250 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। महोदय 1980-84 के दौरान तमिलनाडू में स्वावलम्बता प्राप्त करने के लिए विभिन्न योज-नाओं को लागू किया गया था जिनके द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मूल सुविधाएं जैसे पीने का पानी, ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कें, गरीब बच्चों को पौष्टिक आहार का बटवारा, चिकित्सा सुवि-धाओं व प्रसूती-गृहों की व्यवस्था, विद्यालय भवनों व शैक्षणिक सुविधाओं आदि की व्यवस्था की गई है। महोदय, तमिलनाडू में सभी गांव अच्छी परिवहन प्रणाली द्वारा कस्बों व शहरों से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडू के सभी गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। इस क्षेत्र में तमिलनाडू प्रथम आता है।

तमिलनाडू के गावों में प्रत्येक झोपड़ी में एक लैम्प के सिद्धान्त का पालन किया गया है। इसके अतिरिक्त गांवों में गरीबों व दलितो में साड़ियां व धोतियां बांटने का भी तमिलनाडू सरकार का एक प्रस्ताव है। तमिलनाडू के गांवों में वृद्धावस्था पेंशन को आरम्भ करने का भी प्रस्ताव है। तमिलनाडू सरकार पहले ही 5 एकड़ भूमि से कम जमीन वाले छोटे किसानों को अपने पम्प चलाने के लिए निःशुल्क बिजली दे रही है।

सहकारी बैंकों ने स्वरोजगार के लिए खेतीहर किसानों व भूमिहीन मजदूरों को ऋण दिया है। ये किसान तमिलनाडू में लगातार अकाल व सूखे के कारण अपना ऋण नहीं चुका सके। तमिल-नाडू सरकार ने इन लोगों की कठिन स्थिति को समझा है और बहुत दयालुता से 250 करोड़ रुपये का ऋण माफ कर दिया है। महोदय, 150 करोड़ रुपए की ऋण की एक और किस्त जिसको राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए व्यय किया गया था उसे भी माफ कर दिया गया है। महोदय माननीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने उल्लेख किया था कि वे राज्य जिनको 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आई.आर.डी.पी.;, आर.एल.जी.पी.; आर.एल.ई.जी.पी. आदि को लागू करने के लिए धन की व्यवस्था की गई है उन्हें इन योजनाओं को चलाना चाहिए और इस कार्य के लिए आबंटित धन को खर्च करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि इन योजनाओं के लिए आबंटित धन का कुछ राज्यों द्वारा पूरा लाभ नहीं उठाया जाता है तो सरकार केन्द्र सरकार की इच्छानुसार उस

धन को उन राज्यों को देने पर विचार कर सकती है जो 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इन योजनाओं को लागू कर रहे हैं।

महोदय केन्द्र सरकार द्वारा धान का मूल्य 142 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था परन्तु लागत मूल्य 172 रुपये प्रति क्विंटल था। किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 35 रुपए प्रति क्विन्टल की छूट दी है। ताकि तमिलनाडु के किसानो को लाभ पहुंचे। इसी प्रकार गन्ना उत्पादकों को भी गन्ने का मूल्य 225/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करके छूट दी गई है। गरीब किसानों व छोटे कृषकों और भूमिहीन मजदूरों को यह प्रोत्साहन इसलिए दिया है ताकि इन लोगों को अपने उत्पादों के लिए परिश्रम मूल्य मिल सके ताकि उन्हें आत्म-निर्भरता के लिए अधिक-से-अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिल सके। महोदय भारत सरकार को नई चीनी नीति बनानी चाहिए व जल्दी ही इसकी घोषणा भी करनी चाहिए। गांवों के किसानों के उत्पादों से निपटने के लिए एक सहकारी समिति होनी चाहिए ताकि ये समितियां उनके उत्पादों को परिश्रम मूल्य देकर खरीद सके व ग्रामीण व्यक्तियों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं बेच सकें। यदि गांवों में इस प्रकार की सहकारी प्रणाली चलाई जाती हैं तो शायद लोग शहरी क्षेत्रों में प्रवास की बात नहीं सोचेंगे।

महोदय, तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र से 30 चीनी मिलों की स्थापना की अनुमति के लिए अनुरोध किया है, ताकि प्रत्येक जिले में कम-से-कम दो मिल लग सकें। परन्तु केन्द्र सरकार ने अभी तक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। इसी प्रकार बिनोला निकालने व कातने की मिलों को भी इन क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए।

महोदय अन्त में मैं यह प्रस्तुत करना चाहूंगा कि 3 वर्षों की समय अवधि में तमिलनाडु सरकार ने सभी गांवों में 'आत्म-निर्भरता योजनाओं' को आरम्भ किया है और उन्होंने इन योजनाओं को लागू करने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है। महोदय, इस प्रकार तमिलनाडु के सभी गांवों में दलितों व गरीबों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई है। महोदय, डा० रेड्डी ने अपने प्रस्ताव में 10,000 करोड़ रुपये के आबंटन की मांग की है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश में समाज के कमजोर वर्गों व गरीबों को ऊपर उठाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तुरन्त इस राशि को मंजूरी देनी चाहिए।

अन्त में महोदय, लगातार सिंचाई सुविधाएं जुटाने के लिए, प्रत्येक जिले में एक या दो करोड़ रुपए भी लागत के तीन या चार छोटे बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि किसानों व अन्य लोगों को पीने के लिए व सिंचाई कार्यों के लिए लगातार पानी मिल सके। यदि इस योजना को लागू किया जाता है तो लगातार सूखे व अकाल की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, जैसी स्थिति अब हैं। मैं सरकार से देश के विभिन्न राज्यों की नदियों में बहने वाले जल-संसाधनों के राष्ट्रीयकरण पर विचार करने के लिए अनुरोध करूंगा ताकि प्रत्येक राज्य को समान जल का बंटवारा हो सके। सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

*श्री वी० कृष्णा राव (चिक्कबल्लापुर) : सभापति महोदय श्रीमान जी, मैं ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए डा० रेड्डी का शुक्र गुजार हूं। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और सदन के समक्ष कुछ आवश्यक सुझाव रखता हूं मेरा जन्म व पालन-पोषण एक गांव में हुआ। अब भी मैं एक गांव में रहता हूं। यह सच है कि गांव से लोग शहरों में जा रहे हैं। इस प्रस्ताव को सरकार द्वारा रोका जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में उचित शिक्षा सुविधाए नहीं है। यदि स्कूल है तो उनके अध्यापक नहीं है। बहुत से गांवों में विद्यालय भवन नहीं हैं। गांवों के बच्चों के लिए अन्य सुविधाएं जैसे ब्लैक बोर्ड, पुस्तकें व अन्य उपकरण उपलब्ध नहीं होते।

गांवों को जोड़ने के लिए सड़कें नही हैं। गांवों में पूर्ण रूप से संचार सुविधाओं की कमी है। बहुसंख्यक लोग जो कि हमारे बेश की जनसंख्या का 70 प्रतिशत है वे गांवों में रहते है। इसके बावजूद केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा गांवों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। यदि आप स्वतंत्रता से पहले व स्वतन्त्रता के बाद गांवों में प्रगति का एक तुलकनात्मक अध्ययन करते है तो गांव के लोगों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। स्वतन्त्रता के 34 वर्षों के बाद भी गांवों के लोगों की जीवन स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। गांवों के लोगों को योजनाओं से लाभ नहीं हुआ है। अधिकतर परियोजनाए शहरों की प्रगति पर केन्द्रित होती हैं जैसा कि मेरे मित्रों ने पहले ही अभिव्यक्त किया है कि निचले स्तर पर कुछ लाभ नहीं हुआ है।

गरीब किसानों का उत्थान करने में योजनाए असफल रही हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि योजना के मूल ढांचे को बदल देना चाहिए। एक कन्नड़ कहावत के अनुसार कृषक कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। मैं एक कृषक हूं। जिस दिन मैंने अपने परिवार का भार उठाया, मैं एक ऋणी था। आज भी मैं कर्जे में हूं। शायद मुझे कर्जे में ही रहना है। यह एक असली सच्चाई है जो मैं इस भव्य सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। किसान ऋणी रहकर मरते हैं।

ग्रामीण लोगों को मुश्किल से 1 दिन में दो जून भोजन व एक वर्ष में एक जोड़ा कपड़े मिलते है। यदि हम ग्रामीण जनता को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं तो सभी प्रगति कार्यों को केवल गांवों में करना चाहिए। देश में प्रगति के कार्यों का निर्णय करते समय गांवों के लिए सौतेला व्यवहार नहीं दर्शाना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री से इस गम्भीरतापूर्वक विचार करने व गांवों की प्रगति के लिए योजना के मूल ढांचे में परिवर्तन करने का अनुरोध करता हूं।

आजकल कृषि कार्यों में कोई भी व्यक्ति रूचि नहीं ले रहा है। लोग व्यापार चलाना पसन्द करते हैं। कुछ दफ्तरों में कार्य करना चाहते हैं परन्तु कृषि को कोई भी पसन्द नहीं करता। कृषकों को कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता।

मैं कर्नाटक राज्य के कोलार जिले से आता हूं। पिछले पांच वर्षों से मेरा राज्य गम्भीर सूखे का सामना कर रहा है। कोलार जिले में पिछले कई वर्षों से 16 इंच भी वर्षा नहीं हुई है। बहुत से

* मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

ग्रामीण लोग विशेषकर कृषक काम की तलाश में पड़ौसी राज्यों, आन्ध्र प्रदेश व तमिलनाडु में जा रहे हैं। दूर-दराज के गांवों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं है। सारे जिले में लगभग स्थिति गंभीर है।

मेरे क्षेत्र में एक हाई स्कूल है जिसके सात अध्यापकों के स्थान पर केवल एक अध्यापक है। अधिकतर गांवों की गलियों में रोशनी नहीं है। यह अधिक अच्छा है कि में इन गांवों में चिकित्सा सुविधाओं के बारे में कुछ नहीं कहूं। इसलिए गांव के दृश्य को पूर्ण रूप से बदलने की बहुत आवश्यकता है। मैं अपने 20 सूत्री कार्यक्रमों, विशेषकर, एन० आर० ई० पी० आई० आर० डी० पी०, आर० डी० ई० जी० पी० आदि से बहुत खुश हूं। ये कार्यक्रम पर्याप्त नहीं हैं। गांवों की प्रगति के लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों को भरपूर कोशिश करनी चाहिए। कृषकों को लाभकारी मूल्य मिलने चाहिए। बिचौलियों को स्थिति का लाभ उठाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

कृषि एवं व्यापार में बहुत सारा अन्तर है। एक बार एक व्यक्ति जिसने केवल पी० यू० सी० पास किया था मेरे पास काम के लिए अनुरोध करने आया। मैं उसकी काम प्राप्त करने में सहायता नहीं कर सका। तब वह बैंगलोर गया और फुटपाथ पर एक छोटा-सा होटल आरम्भ कर दिया। पांच वर्षों के बाद उसने उस शहर में दो भवनों का निर्माण कर लिया। उसके पिता व दादा गरीब कृषक थे। आज वह एक बहुत अमीर आदमी है। बहुमंजिली इमारतों, पांच सितारा होटलों आदि के निर्माण के लिए सारा सामान जैसे लोहा, सिमेन्ट, लकड़ी आदि शहरों में आ रहा है। इसे तुरन्त रोका जाना चाहिए और हमें गांवों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। गांव की झोपड़ियों की जगह पक्के मकान बनवाए जाने चाहिए। कृषकों को सभी चिकित्सा व शिक्षा सुविधाएं मिलनी चाहिए। तभी अमेरिका, जापान व अन्य अग्रणी देशों की तरह कृषि हमारे देश में सम्पन्न बन सकती है। राष्ट्र की प्रगति व सम्पन्नता के रास्ते पर ले जाने में एक मात्र तरीका कृषकों को उच्च प्राथमिकता व सबसे अधिक प्रोत्साहन देना है।

महोदय, मुझे बोलने के लिए यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

चौधरी सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : सभापति जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं अपने ख्यालात पेश करने से पहले विवेकानन्द की बात सुनना चाहता हूं:

[अनुवाद]

"जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं मैं प्रत्येक व्यक्ति को एक देशद्रोही ही समझता हूं जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की थी और वह उनकी तरफ बिलकुल ध्यान नहीं देता।"

[हिन्दी]

आज हम सब यह बात कहते हैं कि लोग गांव को छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे हैं। हम

यह बातें केवल कहते ही हैं लेकिन उसको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। इसके साथ-साथ गांवों पर अधिक धन भी खर्च नहीं किया जाता है। हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। इस कारण हमें गांवों की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। उनको सारी सुख-सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा होने के बाद ही वह गांवों में रहना पसन्द करेंगे।

मेरा एरिया लैंड-लेस एरिया है। यहां पर ग्रामीणों के पास अपनी जमीन तक नहीं है। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आया था। वह हमें बता रहा था कि उसके पास 20 साल से जमीन थी लेकिन अब नोटिस दे दिया गया है। आज बड़े-बड़े जमींदार मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी को कोई पूछता नहीं है। बड़े-बड़े सरकारी पदों पर भी बड़े घराने के लोग ही आसीन रहते हैं। आपको गरीब की तरफ भी गम्भीरता से सोचना होगा। अगर आप लैंड रिफार्म कर दें तो बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जाती। ऐसा होने से हर कोई गांव में ही रहना पसन्द करेगा। हमने देखा है कि गांवों में खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था होती है। वहां पर सब्जी और फल आदि सब ताजा खाने को मिलते हैं।

सभापति महोदय, आपको मालूम ही है कि मैं पंजाब में 30 साल तक मिनिस्टर रहा हूं। इस कारण मुझे गरीब व्यक्ति के हालत की काफी जानकारी है। मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं। मुझे प्रताप सिंह कैरों ने कहा कि फूल-फलैज मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन मैंने उनसे साफ कहा कि मुझे मिनिस्टर नहीं बनना है, पहले मुझे जमीन दो। मैंने पंडित नेहरू जी से भी कहा कि पहले मुझे जमीन दो। उनके कहने के बाद ही मुझे जमीन मिल पाई थी।

पंजाब में कोई आदमी ऐसा नहीं है किजो गरीब हो, कोई गरीब नहीं है। सारे लोगों के पास जमीन है। लैंडलेस कोई नहीं है। कोई उनको तंग नहीं कर सकता क्योंकि उनके सबके पास जमीन है और जिसके पास जमीन होती है उसके पास लाठी होती है। इसलिए उसको कोई मार नहीं सकता है। मैंने सबको वहां जमीन दिला दी। आप यहां एमपी बनकर आ गए हैं, कहते हैं कि फलां जगह नहीं हो रहा है, तो आप वहां लड़ाई करिए, वहां की राज्य सरकार से लड़िए, और वह नहीं करती है तो उस सरकार को तोड़ दीजिए। इसी तरह से हमने अपने यहां जमीन ली है। यहां खाली लैक्चर देने से कोई काम नहीं बनता है। वहां के जो एमएलए हैं उनको अपनी सरकार से लड़ाई करनी चाहिए। तब वहां काम होगा। यहां जितने मंत्री हैं सबके पास गनमैन लगे हुए हैं। मैं कोई गनमैन नहीं रखता हूं। मैं कभी गांव में जाता नहीं हूं। जहां गरीबी है वहां ला एण्ड आर्डर की हालत बहुत खराब है। आज क्या होता है, हम वहां मेम्बर बनकर आ जाते हैं। जब मैं मेम्बर नहीं था तो एक पाजामा मेरे पास था। आज मेरे पास 40 पाजामें हैं, 20 कुर्ते हैं,। हमारी तरक्की तो हो गई। तो हम अपनी तरक्की करने के लिए यहां आए हैं या गरीबो की तरक्की करने के लिए आए हैं हमें लोगों की तरक्की करनी है, अपनी नहीं। जहां जो रहते है वहां का इलाका उनको ठीक करना चाहिए। वहां के एमपीज और एमएलएज को चाहिए कि अगर वहां की सरकार काम नहीं करती है, लोगों की भलाई के लिए आगे नहीं बढ़ती है तो उनको उस गवर्नमेंट को तोड़ देना चाहिए।

केन्द्र सरकार का काम है ओवरआल सारे हालात को देखे। यह नहीं होना चाहिए कि अजी,

हम किसी के क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहते। दखल नहीं दे सकते तो चौधरी किसलिए बन कर बैठे हो।

एक बार एक लकड़ी ने एक बटुवा चुराया। लोगों ने उस को पकड़ा और पकड़ कर कहा कि इसको पुलिस के हवाले करना है। मैंने कहा कि क्यों ? उन्होंने कहा कि यह चोर है। मैंने कहा कि चोर कौन हैं ? उन्होंने कहा कि यह लड़की चोर है। मैंने कहा कि लड़की चोर नहीं है, तुम चोर हो। जिसके पास बटुवा है वह चोर है। वह तो गरीब है। वह कैसे चोर हो सकती है जिसके पास पैसे नहीं हैं ? चोर तुम हो।

[अनुवाद]

'तुम चोर हो। मेरे विचार से एक तरह से हम सभी चोर हैं।'

[हिन्दी]

तुम लोग इसको क्यों मरा रहे हो ? इसे मत मारो।

तो एक डिटरमिन्ड फीलिंग होनी चाहिए। आज ये लोग जो मिनिस्टर बन कर बैठे हुए हैं और गरीबों के लिए कुछ करते नहीं हैं, ये गरीबों की मदद करने के लिए नहीं हैं बल्कि अपनी मिनिस्ट्री को संभाल कर रखने में लगे हुए हैं। ये गरीबों का काम क्या करेंगे ?

[अनुवाद]

मैं इस बात को हर एक के लिए महसूस करता हूं।

[हिन्दी]

मैं जब से मेम्बर बना हूं बराबर जीत कर आता हूं। ...(व्यवधान)...

मैं कभी बोलता नहीं हूं, मुझे बोलने दीजिए, घंटी मत बजाइए।

...व्यवधान...

अमल से दुनिया बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी
यह खाती है अपनी फितरत से न नूरी है न नारी है।

गरीबों का नाम लेकर उनसे लोग वोट ले लेते हैं। जो गरीब है उसको इतनी समझ नहीं होती कि कौन काम करने वाला है और कौन निकम्मा है जिसको वोट नहीं देना है। हमारा देश इंडिया कृषि प्रधान देश है, उद्योग प्रधान नहीं है। यहां पर सभी गरीब लोगों को अगर जमीनें मिल गई होती तो सारा अनएम्पलायमेंट दूर हो गया होता। आज बड़े-बड़े लोगों ने बहुत सारी जमीनें हथिया कर अपने पास रखी हुई हैं। जमीन की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए था।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

*श्री सी० सम्बु (बापतला) : सभापति महोदय मैं पूर्ण रूप से डा०डी०एन रेड्डी द्वारो पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए डा० डी० एन रेड्डी बिलकुल उचित हैं क्योंकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की परिस्थितियों को भली प्रकार जानते हैं। मैं सरकार से इस इच्छित प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। महोदय स्वतन्त्रता प्राप्त किए हुए हमें लगभग 4 दशक हो चुके हैं। परन्तु हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन-स्तर में कोई अन्तर नही हुआ है। जीवन स्तर वैसा ही है जैसा कि 38 वर्ष पहले का। कांग्रेस के 38 वर्षों के शासन से हमारे ग्रामीण अचंल मे कोई परिवर्तन नही हुआ कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रो की प्रगति की उपेक्षा की। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुधारने की कोई कोशिश नही की गई। गांवों की पूर्णतः उपेक्षा की गई। सारे धन का प्रयोग कस्बों व शहरों की प्रगति के लिए किया गया। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे गांवों को पूर्णतः घृणा की दृष्टि से देखा गया।

महोदय, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में परिस्थितियां निराशाजनक रूप से खराब है। वहां सड़कें नहीं हैं। ग्रामीण गरीबों के लिए न तो अस्पताल हैं न ही शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक साधारण जीवन व्यतीत करने की न्यूनतम सुविधाएं भी हमारे गांवों में उपलब्ध नही हैं। इन सभी सुविधाओं की अनुपस्थिति ग्रामीणों के जीवन को बिल्कुल दयनीय बनाती है। वे बहुत दुख उठा रहे हैं।

महोदय, हमने स्वतन्त्रता के बाद मिश्रित अर्थ-व्यवस्था अपनाई थी हमारा निजी निवेश क्षेत्र पर कोई नियन्त्रण नहीं है। निजी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना के बारे में सरकार कुछ नही कह सकती परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के नियन्त्रण वाले उद्योग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं। परन्तु कुछ अज्ञात कारणों से सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को केवल शहरी क्षेत्रों में स्थापित करने पर ही अपना ध्यान केन्द्रित कर रही थी। आगे से सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयां केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जानी चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन आयेगा। अर्थ-व्यवस्था में सुधार होगा। लाखों पढ़े लिखे व अनपढ़ बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा 23,000 करोड़ से भी अधिक रुपया बड़े सार्वजनिक उद्योगों में बन्द कर दिया गया है। इन उद्योगों का कार्य-निष्पादन संतोष-जनक नहीं हैं। ये इकाइयां कुछ सीमित शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करती है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में भारी निवेश के बावजूद सरकार इससे क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं की हैं। इस प्रकार धन को बर्बाद करने की सरकार की इस नीति में परिवर्तन होना चाहिए। सावधानी एवं परिकल्पना से रुपए को विवेश किया जाना चाहिए। इस पुस्तक द्वारा डा० डी० एन० रेड्डी सरकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए 10 हजार करोड़ की धनराशि आबंटित करना चाहते है। हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए यह एक अच्छा निवेश है। और सरकार को इसे बिना झिझक के स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि यह आबंटन हो जाता है तो ग्रामीण अचंल में एक बड़ा परिवर्तन होगा। वहां बहुत से गरीब किसान, मछुआरे और अन्य पिछड़े वर्ग हैं जो दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देश में ऐसे हजारों गांव हैं जिनमे बिजली नहीं है। इस प्रकार की स्थिति पर हमें दुःख अनुभव होना चाहिए।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने में सरकार अनिच्छुक रही है। कुटीर

* मूलतः तेलुगु में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उद्योगों की भी उपेक्षा की जा रही है। इनके उत्पादों की कोई मांग नहीं है। इन उत्पादों की मांग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। परिणामस्वरूप धीरे-धीरे कुटीर उद्योग निर्धारित हो रहे हैं। यह दर्शाता है कि सरकार हमारे गांवों से किस प्रकार का व्यवहार कर रही है। सिनेमा-हालों का निर्माण भी केवल कस्बों व शहरों में हो रहा है। इस प्रकार की स्थिति का कारण यह है कि सभी प्रकार के विकास कार्यों को केवल शहरी क्षेत्रों में ही सरकार प्रोत्साहन देती है। इस प्रकार कम से कम अब सरकार को अपनी पिछली भूले समझनी चाहिए और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए 10 हजार करोड़ रुपया आबंटित करने के डा० रेड्डी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए।

महोदय, आधुनिक अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में ग्रामीण उद्योगों व कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन को एक प्रतनोन्मुख कदम नहीं समझना चाहिए। जापान में बहुत से आधुनिक उद्योग कुटीर व लघु इकाईयों पर आधारित है। उनके कुटीर एवं लघु उद्योगों के उत्पाद आज विश्व बाजार में छाए हुए हैं। जापान में बहुत-सी कृत्रिम मदों का उत्पादन कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों में हो रहा है। जापान और बहुत से अन्य देश ग्रामीण उद्योगों को प्राथमिकता देते हैं। हमारी सरकार को भी अपना उदाहरण देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों मे हमारे लोग संसार में किसी से कम नहीं हैं। वे कुटीर उद्योगों द्वारा कृत्रिम वस्तुओं जैसे इलैक्ट्रोनिक सामान का उत्पादन कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो उस प्रौद्योगिकी का आयात किया जा सकता है। इस दिशा में काम करने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं।

जैसा कि मैंने पहले कहा है हमारे गांवों की स्थिति बहुत अधिक दयनीय है। उनके पास पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए आन्ध्र प्रदेश के कानीगिरी क्षेत्र में पीने के लिए पानी नहीं है। आन्ध्र प्रदेश के कानीगिरी गिद्दालर और मार्कपुरम क्षेत्रों में पीने के लिए पानी नहीं है। इस क्षेत्र में उपलब्ध पानी फ्लोराइड मिश्रण से परिपूर्ण है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के बहुत से लोग फ्लोरोसिस के शिकार हो गए है जिससे आंखों की रोशनी कम हो जाती है और अंग मुड़ जाते हैं। क्षेत्र के बहुत से लोग अन्य स्थानों पर पलायन कर रहे हैं आज उन क्षेत्रों की यह स्थिति है। जब स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उस क्षेत्र का दौरा किया तो उनके उपभोग के लिए दिल्ली से पानी ले जाना पड़ा। उस क्षेत्र के लोग बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पीने के लिए उपयुक्त पानी उपलब्ध नही है। वास्तव में इन लोगों के लिए कृषि के लिए पानी अकल्पनीय है। उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। यह केवल एक उदाहरण है यह दर्शाने के लिए कि कैसे हमारे ग्रामीण लोग न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पीने का पानी की कमी के कारण कष्ट उठाते हैं।

सरकार ने ग्रामोदय योजना को आरम्भ किया है। इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए 25 हजार रुपए का ऋण दिया जाता है। परन्तु यह एक तुच्छ राशि है। यह किसी भी प्रकार से स्वरोजगार योजना को आश्रय नहीं दे सकती। इस प्रकार यदि स्वरोजगार योजना को वास्तव में सफल होना है तो राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपया करना चाहिए।

महोदय, मुझे यह कहते एहु गर्व है कि केवल आन्ध्र प्रदेश में ही ग्रामोदय को सख्ती से

बोर्ड का मेम्बर कहलाता था तो उसका इन्तजाम था और सारे स्कूलों में उपस्थिति भी प्रतिशत होती थी। लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद् में 6 के 6 अध्यापक मैस-टोजिर। इसलिए मैं कहता हूं कि एक्ट रिफार्मेट्स की जरूरत नहीं है। जरूरत है मान्यवर जैसा कि इन्दिरा जी ने कहा था कि अगर इस मुल्क का विकास करना है तो सबसे पहले गांवों का विकास करना होगा। गांव इस देश का 70-75 पर्सेन्टी हिस्सा है। उसका विकास करना होगा, खेत का, खेतिहर मजदूर का और खेती करने वाले किसान का विकास करना होगा।

एक जमाना था जब हम पढ़ते थे—

अहा ग्राम्य जीवन भी क्या है?
क्यों न इसे सबका मन चाहे॥

कितना बढ़िया रूरल लाईफ का वर्णन कवि ने किया है। आंगन में कितना प्रेम था। कितना स्वच्छ वातावरण, कितनी स्वच्छ हवा, कितना स्वच्छ पानी। आज क्या है? किसी भी गांव में शायद ही कोई ऐसा कुंआ हो जिसमें कीड़े न पड़े हों। बहुत से ऐसे कुएं जिनका पानी इतना गंदला है कि अगर वह पानी परीक्षण के लिए वहां रख दिया जाए तो आप उसे पीने योग्य नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति उत्तरप्रदेश में आपके गांवों की है। छठी पंचवर्षीय योजना तक गांवों पेयजल की योजना चालू थी और पीने के पानी की टंकियां गांवों को दी जा रही थीं। लेकिन छठी और सातवीं योजना में पेयजल की टंकियां गांवों में समाप्त कर दी गयीं। गांवों में स्कूल भवनहीन पड़े हुए हैं, वहां रेल लाईन नहीं है, उद्योग नहीं है। अगर वहां गांवों की यही स्थिति रही तो मुझे नहीं लगता कि आप 21वीं शताब्दी तक, मेरे ख्याल से 22वीं शताब्दी तक गांवों की तरफ देख पाएंगे। मैं पंत जी से निवेदन करूंगा कि कोई ऐसी नीति बनाइए जिससे गांवों के जीवन में अभाव दूर हो, दूर नहीं तो कम हो।

मान्यवर डी०पी० यादव कह रहे थे कि इसके लिए साधन न दीजिए, साधक दीजिए। वे कह रहे थे कि साधन से काम नहीं होगा, साधक से होगा। मैं कहता हूं हमारे राजीव गांधी बहुत बड़े साधक हैं। इससे पहले इन्दिरा जी बहुत बड़ी साधक थीं जिन्होंने देश को एन्टी पावर्टी प्रोग्राम दिया, गांवों के विकास के लिए कुछ किया।

एन०आर०ई०पी०, आर०एल०जी०ई०पी०, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जितने भी ऐसे प्रोग्राम हैं उनके लिए जितना रुपया रखा जाता है उसमें से 70 पर्सेन्टी रुपया दूसरे लोगों की जेबों में जाता है। केवल 20-25 रुपया ही गांवों में काम पर खर्च होता है। इसकी मोनिटरिंग होनी चाहिए। आपने इन कामों के लिए दस हजार करोड़ रुपया रखा जिसमें से तीन हजार करोड़ रुपए का ही काम हो पाया। आप सब जानते चले जाइए, दूसरों की जेबों में रुपया जा रहा है। इसमें शासन क्या करेगा? इसका एक ही रास्ता है कि गांवों के विकास के लिए जनता से पैसा दिया जाए। हर गांव को एक इकाई मानकर चला जाए। आज यहां भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है। बड़े-बड़े लोग आए, उन्होंने सारी प्रयास किए कि भ्रष्टाचार खत्म हो। लाखों रुपया भी बहाया मगर गांवों का विकास नहीं हुआ।

हिन्दुस्तान गांवों का देश है। गांवों में एग्रीकल्चर के सही दाम किसान को नहीं मिल पाते, सपोर्ट प्राइज नहीं मिल रही, सब्सीडी नहीं मिल रही। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब, किसानों, मजदूरों और सीमान्त कृषकों के लिए खाद्य पर छूट देने की घोषणा की लेकिन केन्द्र सरकार ने उसको रोक दिया। गांवों में रहने वाले किसान, मजदूर इससे परेशान हैं।

ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए मान्यवर मैं आपसे निवेदन करता हूं, माननीय योजना राज्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे जो योजना बना रहे हैं, उसमें गांव की तरफ, ग्रामीण विकास की तरफ आंख खोलकर पहले देखें, उसके बाद हिन्दुस्तान की तरफ देखें। गांव खुशहाल होगा, गांव आगे बढ़ेगा, वहां एप्लायमेंट के साधन होंगे, इंडस्ट्री होगी, शिक्षा और सफाई की व्यवस्था होगी तो देश का विकास होगा और गरीब का आशीर्वाद शासन को मिलेगा, माननीय पंजा जी को मिलेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : सभापति महोदय, भारतीय अर्थ-व्यवस्था ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था है। लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या, गांवों में रहती है और 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। इसलिए ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में विकास किये बिना भारतीय अर्थ-व्यवस्था का विकास नहीं किया जा सकता।

महोदय, इस सरकार ने कई योजनाएं क्रियान्वित की है—20 सूत्री कार्यक्रम, ग्रामीण भूमि-हीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और अन्य योजनाएं हैं विभिन दृष्टिकोणों से ग्रामों के विकास को देखना है और विद्यमान ग्रामो की [illegible] में तेज लानी है।

महोदय, इन योजनाओं के अधीन आदिवासी लोगों को रियायती दर पर आटे और चावल क पूर्ति कराने के प्रयत्न किये गये हैं। लेकिन यह देखा गया है कि कुछ राज्यों में सरकार जिस मूल्य पर आदिवासियों को इन वस्तुओं को उपलब्ध कराना चाहती है उस मूल्य पर यह उपलब्ध नहीं कराई जाती कुछ राज्य आदिवासी लोगों के लिए आटे व चावल की पूर्ति में से कुछ पूंजी कमाना चाहते हैं। जहां तक 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए और अन्य गरीबी दूर करने की योजनाओं का प्रश्न है इन्हें ईमानदारी व निष्कपटता से पूरा क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इसका लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलना चाहिए जिनको इसकी आवश्यकता है लेकिन बिचौलियों और प्रशासनिक तंत्र के कारण इसका कुछ हिस्सा समाप्त हो जाता और उन लोगों तक कभी नहीं पहुंचता। इसलिए इन योजनाओं को पूरी तरह क्रियान्वित करने के लिए कुछ पर्यवेक्षय एजेन्सियों का होना आवश्यक है और पर्यवेक्षय एजेन्सियों को यह अवश्य देखना चाहिए कि इससे लोगों को लाभ पहुंचे। लाभभोगियों मे जागरूकता पैदा करनी चाहिए जिससे उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो सके। संक्षेप मे यह एक जन आन्दोलन होना चाहिए।

गांवों में मैट्रिक से स्नातक तक पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय बैंकों द्वारा 6000 रु० से 20,000 रुपये रियायती ऋण दिये गये हैं और यह आशा की जाती है कि ये लाभभोगी ऋण लेने के बाद कुछ योजना मूलक योजनाओं में जिससे वे हमेशा के लिए बस जाये। लेकिन कुछ

मामलों में देखा गया है कि वास्तव में जिनको लाभ मिलना चाहिए वे लाभ रह जाते हैं। कुछ विचौलिये बैंकों को प्रभावित करते हैं तथा कभी-कभी बैंक खुद इस तरह से कार्य करने में रुचि रखते हैं ताकि गरीब लोग बैंक ऋण न लें क्योंकि यह संभावना रहती है कि वो उसको अदा न कर पाये और बैंक ऋण बढ़ जायेगा और ऋण लेने के बाद लाभभोगी धन को किसी उत्पादक उद्देश्य में नहीं लगाते और ऋण का दुरुपयोग होता है इसलिए इसकी खंडस्तर और जिलास्तर पर पर्यवेक्षय की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जिस उद्देश्य के लिए दिया था उसके लिए उसका प्रयोग किया गया या नहीं अगर नहीं तो इसकी सूचना दी जानी चाहिए और राशि की वसूली की जानी चाहिए। क्या किया जा रहा है; हम ऋण देने में संतुष्ट हैं, हम कागजी कार्यवाही में संतुष्ट हैं कि कई लाभभोगियों को पशु बैल या गाय आदि खरीदने में सहायता दी गई है हम पर्यवेक्षय नहीं करते और इस बात का पता नहीं लगाया जाता कि क्या उन लाभभोगियों की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं और अगर हुआ है तो किस सीमा तक। इस विषय में यही कठिनाई है और सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निःसंदेह केन्द्रीय सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने का कर्तव्य राज्य सरकार का है। केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों में अपनी एजेंसियों द्वारा नमूना सर्वेक्षण कर सकती है यदि यह पता चलता है कि जिस कार्य के लिए धन या ऋण दिया गया था उसको ठीक तरह से काम में नहीं लाया गया है तो केन्द्र सरकार उन राज्यों को और धन देने से रोक सकती है। अगर ऐसा किया जाए तो मेरे विचार से वे राज्य जो राज्य जिस उद्देश्य के लिए धन दिया गया है उसके लिए व्यय नहीं कर रहे और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं- यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए भी हो सकता है— वे राज्य इस बात को भली प्रकार समझेंगे।

इसी प्रकार ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए, हमें कृषि आधारित उद्योग और कुटीर उद्योगों को महत्व देना चाहिए। इसका कारण यह है कि किसान खेत में कार्य करने के बाद अपने फालतू समय को कुटीर उद्योग में लगाकर कुछ कमा भी सकते हैं कुछ बूढ़े व्यक्ति भी हैं जो कुटीर उद्योग में कार्य करके अपनी जीविका कमा सकते है।

जहां तक आवश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है, वितेयक आ रहा है और हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन महोदय, आप यह जानकर हैरान होंगे कि सरकार को विदेशी मुद्रा कोष की बहुत बड़ी राशि खाने के तेलों के आयात पर खर्च करनी पड़ती है। इसकी भावना यह है कि इसका लाभ गांव वालों को मिलना चाहिए जो कम मूल्य पर तेल खरीदकर लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन वास्तव में, क्या यह तेल लोगों को मिल रहा है ? सरकार आसान किश्तों या रियायती दरों पर सहकारी संगठनों को बहुत बड़ी राशि दे रही है। इसकी भावना यह है कि ये सहकारी संगठनों को ऋण इसलिए दिए गए कि विभिन्न राज्यों के ये सहकारी संगठन किसानों को उर्वरक और अन्य वस्तुएं समय पर उपलब्ध करवाएं और अपनी खुदरा दुकानों के माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाएं लेकिन वास्तव में कभी-कभी विभिन्न राज्यों को आसान किश्तों पर दिए गए ऋणों का प्रयोग अपेक्स मार्केटिंग सोसायटी अथवा अपेक्स सोसायटियों द्वारा अपने लाभ के लिए किया जाता है। वे इस राशि का प्रयोग अपनी हानि को पूरा करने के लिए करते हैं और किसानों को लाभ नहीं होता। उर्वरक जिसको किसानों को रियायती दरों पर दिया जाता है उसका लाभ उन्हें समय पर कभी नहीं मिल

पाता। खाद्य तेल किसानों को कभी नहीं मिलते खाने के तेलों का मूल्य केवल 12 रुपए से 14 रुपए कि०ग्रा० होता है। खाने का तेल अधिकतर बिचौलियों द्वारा लिया जाता है। वे इसमें सरसों के तेल की खुशबू के साथ मिलावट करते हैं और इसे सरसों का तेल कहकर 22 रुपए से 24 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। गांवों में कृषि आधारित औद्योगिक विकास होना आवश्यक है। भूमि की अधिकतम सीमा तथा भूमि सुधार अधिनियम को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए और फालतु जमीन भूमिहीन लोगों में बांटी जानी चाहिए, लम्बी प्रक्रिया होने के कारण भूमि नहीं मिलती बल्कि उन्हें केवल भूमि का नाम ही प्राप्त होता है क्योंकि जमींदार उच्च न्यायालय में मुकद्मेबाजी के लिए जाते हैं और अन्त में किसी तकनीकी त्रुटि के कारण, वही स्थिति आ जाती है और भूमिहीन व्यक्ति भूमि से वंचित हो जाता है।

सरकार को इन सब पहलुओं पर विचार करना चाहिए और ग्रामीण विकास, किसानों और गांव वालों के लाभ के लिए समाधान ढूंढना चाहिए।

सभापति महोदय : अगर इसे जारी करना है तो फिर, एक घंटे का समय बढ़ाना पड़ेगा। श्री कालीप्रसाद पाण्डेय हाल के लिए हम इसे एक घंटे के लिए समय बढ़ाना है।

कुमारी ममता बनर्जी (बादवपुर) : दो घंटे।

सभापति महोदय : क्या यह सदन दो घंटे का समय बढ़ाने की अनुमति देता है।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : हम दो घंटे तक का समय बढ़ाते हैं।

[हिन्दी]

श्री कालीप्रसाद पांडे (गोपालगंज) : सभापति जी; ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार विषय पर इस सदन में माननीय श्री डी० एन० रेड्डी द्वारा जो गैर-सरकारी संकल्प लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इनका तहेदिल से शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने गांवों की हालत सुधारने के लिए गैर-सरकारी संकल्प इस सदन में प्रस्तुत किया।

सभापति जी, जब इस संकल्प पर डिस्कशन हो रहा था तो मेरी निगाह बार-बार अपने हाथ की तरह जाती थी और मैंने उसमें देखा कि चाहे किसी भी तरह से, किसी भी तरफ से देखा जाए, उसकी बड़ी उंगली बड़ी हो रही है। पंजा साहब में भी पंजा शब्द का सम्बोधन हाथ से ही होता है और यह कांग्रेस सरकार भी हाथ के चुनाव चिन्ह को बदौलत जीतकर इस सदन में आई है। लेकिन जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसी हाथ से गरीबों के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम तैयार करके देश के सामने रखा तो उसके पीछे उनका उद्देश्य यही था कि इस देश की 75 प्रतिशत आबादी, जो गांव में रहती है, वह अपनी मांगों के लिए नारे नहीं लगा सकती, पैसे के आधार में किसी बड़े नेता तक पहुंच नहीं सकती, उनका उत्थान हो। हमारे एक माननीय सदस्य ने इस संकल्प पर विचार प्रकट करते हुए बीस सूत्री कार्यक्रम का जिक्र किया। बहुत अच्छा किया और इसके

लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं लेकिन देहातों में उस कार्यक्रम की आज क्या हालत है, उसकी तरफ क्या कभी किसी ने दृष्टि दौड़ाई है। गांवों का विकास तभी हो सकता है, जब आप इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की हर स्टेट में समीक्षा करें। जिस राज्य में आपकी सरकार है, कम-से-कम उस राज्य में देखें। वैसे तो हर राज्य के मुख्यमंत्री ने किसी एक मंत्री को बीस सूत्री कार्यक्रम का प्रभारी मंत्री बनाया हुआ है, आप उसके साथ मीटिंग रख सकते थे और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सही स्थिति का अवलोकन कर सकते थे। मैं जिस जिले से आता हूं, उस प्रदेश के बीस सूत्री कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रभारी मंत्री ने मेरे जिले गोपालगंज में 9 माह के बाद एक मीटिंग की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीमती गांधी ने जो योजना बनाई थी, उस पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, उसे कहां तक क्रियान्वित किया जा रहा है। कभी नहीं हुआ। अगर यह हुआ होता तो आज की हालत न होती। देहात के लोगों ने कभी यह सोचा नहीं था। उन्होंने सोचा था कि आजादी मिली, उमीदें थीं कि हम गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होंगे। आजाद हिन्दुस्तान का नागरिक कहलाने के साथ-साथ जो देहात में हम लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है, बिजली के अभाव में बोरिंग और ट्यूबवैल नहीं लगा सकते हैं वह लगा पाएंगे। लेकिन हुआ क्या?

यही हुआ कि अमीरी बढ़ी। पंजाब साहब, जिस तरह अमीरी बढ़ी उसी तरह अमीर अमीर होता चला गया और गरीब रसातल के गर्भ में चला गया। कभी सरकार ने सोचा कि मानव पटल पर यह बातें छाई रहती है। इस योजना के लिए हमारे रेड्डी साहब ने 10 करोड़ रुपये की मांग की है कि हिन्दुस्तान की समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर यह 10 करोड़ रुपये इस सरजमी पर खर्च हों तो यह हो सकता है, लेकिन होता क्या है कि जो भी योजनाएं यहां से जाती हैं, सभी मेम्बरान अगर अपनी आत्मा पर हाथ रखकर यह सोचें और अपनी अन्तरात्मा की पुकार से पूछें कि जितनी भी योजनाएं देहात में गई हैं, सिर्फ कागज के पन्नों तक ही सीमित रहीं। अगर इसका सर्वेक्षण करायें, मैंने इसी सदन में बोलते-बोलते कहा था कि मेरा आरोप गलत हो तो मैं सदन से त्यागपत्र दे दूंगा।

श्री बापूलाल मालवीय (शाजापुर) : ये कहां गये हैं? इन्होंने गांव देखा ही नहीं। गांव में जाकर देखिये कि कितना काम हो रहा है।

श्री काली प्रसाद पांडे : अभी मैं उस पर आता हूं। जो आप कह रहे हैं, मैं उसी का समर्थन करता हूं। मैं सुदूर इलाके से आता हूं जहां कभी नदी का कटाव, कभी भयंकर बाढ़ का प्रकोप होता है। मैं उसी भूमि में पैदा हुआ हूं। कहने का तात्पर्य यह नहीं है, मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूं, आपकी बातों का ओनर करता हूं, लेकिन यह योजनाएं जो आती हैं देहात में तो रोड को अगर टू लेयर ग्राफ्टिंग करना है तो होता यह है कि एक लेयर ग्राफ्टिंग करने के बाद दो लेयर ग्राफ्टिंग का पेमेंट कर देते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी एलाटमैंट जाता है उसके आधे पैसे से अधिक वहां के प्राधिकारियों की जेब में हो जाते हैं।

गांव के विकास के लिए बिहार प्रदेश में वृद्धावस्था पैंशन योजना चली। उस समय भी ग्रामीण

इलाके के लोगों ने यह सोचा था कि गांव को कम-से-कम अपंग गरीब तबके लोगों को इससे कुछ लाभ पहुंचेगा, लेकिन लाभ सिर्फ कागज के पन्नों तक ही रह गया। पहले यह होता था कि जो गांव में कुंए होते थे, गड्ढों के माध्यम से खोदे जाते थे उससे किसानों को फायदा होता था कि पीने का पानी मिल जाता था और दूसरे उससे सिंचाई का कार्य भी हो जाता था। अब बहुत लम्बी नहर बनाई जाती है और कहा जाता है कि हजारों एकड़ भूमि में पटवन होगा, गांव का विकास होगा, उत्थान होगा, लेकिन जितनी सतह थी उस सब में बालू भर चुका है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप गांव का विकास करना चाहते हैं तो गांव में अध्ययन दल भेजें और गांव की हालत का अध्ययन करके उस पर योजना का पूरे रूप में कार्यान्वयन करें तभी गांव का विकास हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेड्डी साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, आर्थिक विषमता देश के लिए अभिशाप है। यदि आपने इस बात को गहराई से नहीं समझा तो आने वाले समय के लिये हमें दीवारों पर लिखा हुआ पढ़ लेना चाहिये कि कोई न कोई नये प्रकार की क्रांति आयेगी।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति जी, मेरे ख्याल से संविधान की शपथ सब ने ली है। मैं आर्टिकल 38-39 के बारे में जानकारी देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अनुच्छेद 38 में कहा गया है :

(1) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्यसाधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।

(2) राज्य विशिष्टतया, आपकी असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच की प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।

(व्यवधान)

5.26 अ० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

अनुच्छेद 39 साफ तौर से कहता है।

राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से :

(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।

शब्द है "जीविका के पर्याप्त साधन"।

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्त रूप से साधन हो।"

[हिन्दी]

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि आर्टिकल 38-39 की जो मंशा है, उनके विरुद्ध ही हम सब ने काम किया है। मेरे पास जो पंजा साहब का उत्तरा आया है, वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

प्रश्न था :

(क) क्या सरकार के पास ग्रामीण तथा शहरी लोगों की औसत आय के पृथक-पृथक आंकड़े हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने 1980-81 के आधार पर ग्रामीण तथा शहरी लोगों की आय के रिकार्ड पृथक रूप से रखने की बात रही थी

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया दो मिनट तक ही बोले, इसके पश्चात् हम आधा घण्टे की चर्चा शुरू करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : उनका उत्तर क्या है ? ग्रामीण तथा शहरी आपकी गणना से संबंधित विवरण में ग्रामीण आबादी जो 80 प्रतिशत है की कुल आय 21,672 करोड़ रुपए है और शहरी आबादी जो 20 प्रतिशत है की कुल आय 12,487 करोड़ रुपये है। ग्रामीण आबादी की प्रति व्यक्ति आय केवल 499.4 रुपए है जबकि शहरी आबादी की प्रति व्यक्ति आय 1200/- रुपये है। यह उत्तर माननीय मन्त्री जी द्वारा दिया गया है।

[हिन्दी]

आप यह बता दीजिए कि हम जो इकानामिक डिसपैरिटी कह रहे हैं, यह एक जगह नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा शुरु करेंगे। कृपया आप बाद में अपनी बात कहें।

आधे घंटे की चर्चा

5.30 म० प०

पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, इस महत्त्वपूर्ण चर्चा में भाग लेना एक महत्व की बात है। मैं अध्यक्षपीठ तथा माननीय मंत्री जी की कृतज्ञ हूं क्योंकि उन्होंने हमारे विचार सुनने की कृपा की।

आरम्भ में, मैं कहना चाहूंगी कि यद्यपि मैं शरणार्थी नहीं हूं। फिर भी मेरा हृदय और भरी भावनाएं शरणार्थियों का पूरा समर्थन करती हैं। हम जानते हैं कि कौन-कौन लोग 1947 के पहले और 1947 तथा 1964 के बीच आए। मैं इन लोगों की परेशानियां जानती हूं। यद्यपि हम स्वतन्त्रता के समय पैदा नहीं हुए थे फिर भी हमने उन लोगों के बारे में जो पूर्वी पाकिस्तान से आए बहुत-सी बातें सुन रखी है, पढ़ रखी है। उनमे से कुछ लोग अपने मां बाप खो बैठे और कुछ अपने बच्चे। फटे कपड़ों में भिखारी की तरह भारत आए। वे भारत में केवल इसी आशा में आए थे कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू स्वतन्त्रता के दौरान बेघरबार हो गए लोगों को देश के अन्य नागरिकों की भांति समान अधिकार प्रदान कर भारत में बसाएंगे।

14 दिसम्बर 1948 को हुए अन्तर अधिराज्य समझौता के खण्ड 2 (i) के अनुसार :

> "पाकिस्तान तथा भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार समान अवसर; विशेष अधिकार तथा कर्त्तव्य होंगे और अल्प संख्यकों के साथ कोई भेद नहीं किया जाएगा, उनके सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की पूरी तरह से सुरक्षा की जाएगी।"

नेहरू लियाकत सन्धि, जिसे मैं उद्धृत करना चाहूंगी के अनुसार :

> "नेहरू-लियाकत समझौता 8 अप्रैल, 1956" भारत सरकार और पाकिस्तान विधिवत सहमत हैं कि प्रत्येक सरकार अपनी-अपनी सीमाओं में कानून तथा नैतिकता के अध्याधीन, अल्प संख्यकों को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समान नागरिकता जीवन की पूर्ण सुरक्षा, संस्कृति, सम्पत्ति, व्यक्तिगत सम्मान तथा व्यवसाय की स्वतन्त्रता, बोलने तथा पूजा की स्वतन्त्रता देगी। दोनों सरकारों ने इन अधिकारों को मूलभूत अधिकार घोषित किया और उनको लागू करने का वचन लिया।"

श्रीमन्, मुझे यह कहते दुःख हो रहा कि हमारी सरकार ने 1974 में पुनर्वास विभाग बन्द कर दिया, क्योंकि सरकार का कहना है कि जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, पुनर्वास समस्या

खत्म हो चुकी है। लेकिन में कहना चाहती हूं माननीय गृहमन्त्री के प्रति बहुत अधिक सम्मान रखती हूं कि आपको ये आंकड़े नौकरशाहो तथा अफसरों से प्राप्त हुए हैं। यह व्यवहारिक बात नही है। यदि आप पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम तथा जम्मू और कश्मीर जाए तो आप वहां शरणार्थी समस्या पाएंगे। मेरे राज्य में 34 प्रतिशत लोग शरणार्थी हैं जो पूर्वी पाकिस्तान से इस आशा में आए कि भारत सरकार उन्हें सुविधाएं प्रदान करेंगी, लेकिन आज व असहाय हैं क्योंकि हमारे विधि मन्त्री को भूतपूर्व गृह मन्त्री श्री चव्हाण द्वारा 21 अगस्त 1985 को दिया गया एक उत्तर प्राप्त हुआ। उद्धत करती हूं —

> 'ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि 99 वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण अधिकार के आधार पर प्रति एक सौ वर्ग गज या उसके किसी भूमि खण्ड पर प्रति वर्ष 1 रुपया लागन पर दी जाती है ये शर्तें भारत सरकार द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी अपनायी जा रही सामान्य नीति के अनुरूप हैं। फिर भी, यह शहरी क्षेत्रों में भूमि की कीमत बढ़ जाने के कारण विस्थापित लोगों को उसे प्रलोभन में बेचने से रोकेगा, जिससे वे पुन: विस्थापित न हो जाएं।"

उन्होंने दो बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि शहरी लोगों को स्वामित्व का अधिकार देना संभव नहीं है, क्योंकि यदि सरकार उन्हें स्वामित्व का अधिकार दे देती है तो वे उस भूमि को बेच देंगे।

महोदय, यह जानकर अत्यधिक आश्चर्य होगा कि जब 1960 में इन लोगों को बसाया गया तो इन पुनर्वासित लोगों ने अपने भवन बनवा लिए। ये भवन इन्होंने खुद पैसा लगाकर बनवाए। केवल भूमि की कीमत सरकार द्वारा अदा की गई थी। तीस वर्ष बीत जाने के बाद भी पुनर्वासित लोगों को सशर्त पट्टा विलेखो के कारण भवन और संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जो सभी प्रकार से न्याय के विरुद्ध है।

यदि सरकारी नीति शहरी लोगों को भूमि के स्वामित्व की अनुमति नहीं देती, तो सरकार ने शहरी इलाकों में इन कालोनियों का पंजीकरण क्यों किया? शहरी तथा ग्रामीण लोगों के बीच इस प्रकार का भेदभाव क्यों है। आपने ग्रामीण लोगों को भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया है लेकिन शहरी लोगों को नहीं।

हम सभी प्रकार की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। हम बड़ी उत्सुकता से 21वीं सदी की ओर देख रहे हैं। प्रौद्योगिकी तथा अन्य विकास के सम्बन्ध मे ढेर सारी बातें की जा रही हैं। यदि हम लोगों की भलाई की दृष्टि से अपनी प्रौद्योगिकी नीति में परिवर्तन कर सकते हैं, सिंचाई नीति में परिवर्तन कर सकते हैं और यहां तक हर प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं तो हम इन शरणार्थियों के संरक्षण के लिए तथा उन्हें भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए अपनी नीति में परिवर्तन क्यों नही कर सकते। इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

हम इस समस्या को राजनैतिक दृष्टिकोण से न देखें। मुझे आशा है, कि इन शरणार्थी

लोगों को माननीय मन्त्री जी से न्याय मिलेगा और इस समस्या को मानवतावादी दृष्टिकोण से देखा जाएगा और इस समस्या के प्रति किसी प्रकार का नौकरशाही दृष्टिकोण नहीं होगा।

हमारे मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु ने अपने बजट भाषण में कहा :

> यह दुःख की बात है कि विभाजन के चार दशक बीत जाने के बाद भी हम उन बहुत से शरणार्थियों को बसाने की बात करते हैं जो इस घटना के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल आ गए थे। केन्द्र सरकार ने इस समस्या को साधारणतया टाल दिया है और सभी उत्तरदायित्वों से मुकर गयी है। ऐसी स्थिति में हम अपने सीमित साधनों से बेहतर प्रयास करते रहे हैं।"

श्रीमन्, यह राज्य सरकार का दायित्व था कि वह केन्द्र सरकार के साथ इस समस्या को जोरदार ढंग से उठाए लेकिन वह ऐसा करने में पूरी तरह से असफल रहीं। उन्होंने केन्द्र सरकार की जानकारी में इसे लाना चाहिए था कि वास्तविक समस्या क्या है और क्या सच्चाई है। यह हम सब का कर्त्तव्य है कि हम इस समस्या की सत्यता को और इसके व्यवहारिक पहलू को महसूस करें।

जैसा कि मैंने कहा, तत्कालीन गृहमन्त्री श्री एस० बी० चव्हाण ने श्री अशोक सेन को लिखा कि सरकार की नीति ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि को पूर्ण स्वामित्व के आधार पर देने की है तथा शहरी क्षेत्रों में पट्टा स्वामित्व के आधार पर देने की है। लेकिन मेरे पास एक दस्तावेज है जो अति महत्व का है। स्वर्गीय नेता पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री विधान चन्दर राय के नेतृत्व में 1965 में कतिपय लोगों को ये अधिकार प्रदान किए गए थे तथा स्क्वेटर्स कालोनी कलकत्ता में विक्रय के कागजात प्रदान किए गए थे। कतिपय लोगों ने शहरी सम्पत्ति के ये अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, यह दस्तावेज मेरे पास हैं जब कुछ लोगों को इसकी अनुमति प्रदान की जा रही है तो कुछ को क्यों नहीं? आप कुछ लोगों के प्रति यह भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आपको शहरी लोगों को भी भूमि के पूर्ण स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने चाहिएं। मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करेगी।

अपकी जानकारी के लिए, मैं एक-दूसरे दस्तावेज को भी उद्धृत करना चाहूंगी। हमारी सरकार ने 99 वर्ष के लिए पट्टे पर जमीन देने का आदेश जारी किया है। किन्तु महोदय, पट्टा दस्तावेज की शर्तें ऐसी हैं कि इसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। यह पूर्णतया अलोकतान्त्रित और असंवैधानिक है। मैं पट्टा दस्तावेज से सिर्फ एक या दो बातें बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि यह किस तरह का दस्तावेज है। दस्तावेज के पैरा 2 (i) के अनुसार : "पट्टे की समय अवधि 99 वर्ष के लिए होगी और पट्टादाता की इच्छा के अनुसार नवीनीकरण हो सकेगा। फिर भी पट्टादाता अपने आप या पट्टाधारी के अनुरोध पर 99 वर्ष की समाप्ति पर जमीन के पट्टे का पट्टादाता द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली शर्तों के अनुसार नवीनीकरण कर सकता है।"

महोदय, इस प्रकार सिर्फ राज्य सरकार की मर्जी के अनुसार ही उनको पट्टा मिलेगा।

किन्तु अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सत्ता में रहे तो मुझे सन्देह है कि उनको पट्टा मिलेगा भी या नहीं।

श्रीमती विभाघोष गोस्वामी (नवद्वीप) : यह केन्द्र सरकार का एक निर्देश है। तथ्यों को तोड़िए-मरोड़िए मत।...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : आप गुमराह कर रहे हैं। आपकी सरकार को कम-से-कम इस संबंध मे तो कुछ करना चाहिए।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया, शान्त रहें। इसको कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह आधे घंटे की चर्चा है और उन्होंने यह मामला उठाया है। इनका भाषण समाप्त होने के बाद मन्त्री महोदय जवाब देंगे और तत्पश्चात् तीन या चार माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकेंगे। बस यही कार्यवाही होगी। और दूसरे माननीय सदस्य जो कुछ कहते हैं वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

कुमारी ममता बनर्जी : उन्होंने कहा है कि पट्टाधारी भूमि का उपयोग अपने निवास स्थान के रूप मे करेगा। वह अपने निवास स्थान मे एक छोटी-सी दुकान भी खोल सकता है। किसी को भी सरकार से अनुमति क्यो लेनी चाहिए?

सभापति महोदय : कृपया आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। प्रश्न पूछिए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, कृपया मुझे दो मिनट का समय और दीजिए। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : समय लिया जाता है। यह कभी दिया नहीं जाता। बोलते जाइए।

कुमारी ममता बनर्जी : अन्त में मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं।

(1) आप कृपया 99 वर्षीय पट्टा देने की व्यवस्था को तुरन्त बन्द करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी करें, और आप कृपया हर चीज का सर्वेक्षण करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति के साथ पश्चिमी बंगाल का दौरा करें। तत्पश्चात् आप एक उचित निर्णय ले सकें। कृपया शहरी क्षेत्रों के लोगों के स्वतंत्र स्वामीत्व अधिकारों को सुनिश्चित करें। कृपया शरणार्थियों की मूल समस्याओं की तरफ उचित ध्यान दें।

(2) शहरी और देहाती क्षेत्रों के बीच भेदभाव को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए।

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

और मैं आपसे एक अनुरोध करती हूं कि कृपया पश्चिमी बंगाल सरकार को एक राजनीतिक नाटक खड़ा करने की पूर्ण छूट मत दीजिए। आपकी न सिर्फ पश्चिमी बंगाल के संबन्ध में बल्कि त्रिपुरा तथा असम के संबन्ध में भी पूर्ण जिम्मेदारी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बेदखली तथा उत्पीड़न के कारण असम में अल्पसंख्यक लोग आजकल खतरे में हैं। और अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बन्धित काफी लोग बंगला देश के कैम्पों में शरण लेने के लिए जा रहे हैं। असम सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है कि गैर-असमी विद्यार्थियों को भी आवश्यक रूप से उनकी भाषा सीखनी चाहिए। अल्पसंख्यकों का संरक्षण कहां हो रहा है? सरकार को इस सभी पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। मुझे एक माननीय सदस्य से पता चला है कि जम्मू कश्मीर में 50,000 ऐसे शरणार्थी हैं जो स्वतन्त्रता के पश्चात आये। परन्तु उनको कहीं भी जगह नहीं मिली। मुझे बताया गया है कि अहमदाबाद में भी यही समस्या है। इसका तुरन्त समाधान किया जाना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं। शरणार्थियों के आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए सरकार ने धन प्रदान किया है। किन्तु सरकार को यह भी देखना रखना चाहिए कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को आबंटित किये गये धन का उपयोग पूर्णतया किया गया है या नहीं और क्या उसका दुरुपयोग किया गया है। शरणार्थियों की सही हालात जानने के लिए सरकार को एक समिति की स्थापना करनी चाहिए।

अन्त में, मैं आशा करती हूं कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे और नौकरशाही वाला जवाब नहीं देंगे। मुझे आशा है कि मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर मुझे न्याय मिलेगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं एक शरणार्थी नहीं हूं किन्तु मैंने उनकी तकलीफ, कार्य, हालत और भानाओं को देखा है। अगर आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो ये लोग केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहरायेंगे। और वहां शासन करने वाले लोग इसका सिर्फ एक राजनीतिक नाटक बनायेंगे। वे सिर्फ अपनी पार्टी की सहायता करने के लिए ही कदम उठायेंगे न कि शरणार्थियों की सहायता के लिए। जबकि मैं शरणार्थियों के लिए आर्थिक तथा सामाजिक न्याय चाहती हूं।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूं। धन्यवाद

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं माननीय साथी ममता जी का सदन में एक बार फिर से इस अतिमहत्वपूर्ण मामले को उठाए जाने के लिए आभारी हूं। इससे पहले एक प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से यह मामला उठाया गया था। शायद यह महसूस किया गया था कि इस सदन के समक्ष एक अधिक विस्तृत सूचना रखी जा सके।

वास्तव में, मुझे भी शरणार्थी समस्या पर अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। उन्होंने यह कहते हुए प्रारम्भ किया कि यह एक मानवीय समस्या है और इससे यह प्रशासन के चाहे वह केन्द्र का हो या राज्य सरकार का निकम्मेपन का पता चलता है। मैं यहां कोई दलगत लाभ नहीं उठाना

चाहता —यह वास्तव में प्रशासन का ढीलापन है और यह ढीलापन इस हद तक है कि लगभग 40 वर्ष बाद भी हमारे सामने शरणार्थी कहे जाने वाले लोगों की समस्या है, जिसका अर्थ यह है कि जो योजनायें तथा परियोजनायें केन्द्र ने या राज्य सरकार ने बनायी हैं, उनमें कुछ गड़बड़ है। इनको न तो उचित ढंग से बनाया गया और न ही लागू किया गया। परिणामस्वरूप, आज भी हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे अपने लोग कष्ट झेल रहे हैं। उनको शरणार्थी पुकारा जा रहा है यह पूर्वी क्षेत्र में एक अजीब समस्या है। पश्चिमी क्षेत्र में मैं नहीं जानता कि इसका श्रेय प्रशासन या खुद लोगों को जाना चाहिए; वहां पर कोई भी परिवार शरणार्थी नहीं है। उन्होंने अपने भाग्य का निर्माण स्वयं किया है। उन्होंने शेष देश के साथ अपने आप को मिला लिया है। अगर आप शरणार्थी पुकारे जाने वाले लोगों के निवासस्थानों पर जाते हैं तो आपको यह आभास नहीं होगा कि वो किसी दूसरे देश के शरणार्थी हैं। कुछ मामलों में, वे इस देश के उसी क्षेत्र के मूल नागरिकों से बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार, राज्य तथा केन्द्र दोनों सरकारों के लिए इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का यह सही समय है। इस परिपाटी का अन्त किया जाना चाहिए, और हमें सम्पूर्ण आत्मसात्करण और सहभागिता के युग में प्रवेश करना चाहिए। हमारे एक वर्ग के लोगों में इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए कि उनको वंचित रखा जा रहा है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उनकी देखभाल नहीं की जा रही है। यहां पर उनके आवास, धन्धों, हाऊसिंग कोलोनिज तथा दूसरी सुविधाओं के संबन्ध में समस्यायें हैं। इनसे सदा के लिए निपटना चाहिए।

इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय सदस्या का आभारी हूं कि उन्होंने इस समस्या के दो या तीन पहलुओं पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सबसे पहले, उन्होंने इस पट्टेदारी व्यवस्था के बारे में अपनी चिन्ता जहिर की है जो कि वास्तव में एक बहुत गंभीर मामला है। वास्तव में, यह उचित नहीं है, जब एक ही परिवार के सदस्य, अगर देहात में रहते हैं तो पूर्ण स्वामित्व वाली जमीन प्राप्त कर लेते हैं, और अगर वे शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो वे पट्टेदारी व्यवस्था के तहत आते हैं। किन्तु जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, यहां पर एक सामान्य नीति है--उन्होंने मेरे पूर्ववर्ती माननीय श्री चव्हाण द्वारा दिए गए जवाब का जिक्र किया था। भारत सरकार की सामान्य नीति यह है कि हम सम्पूर्ण पट्टेदारी व्यवस्था की ओर, चाहे यह दिल्ली में हो या कलकत्ता में हो या किसी और जगह हो, ध्यान देंगे और उस पर हम एक आम निर्णय लेंगे। मुझे पता चला है कि कलकत्ता उच्च न्यायलय में एक मामला लंबित है। अगर आज मैं वास्तव में इस मामले पर एक निर्णय लेना भी चाहता हूं तो, रुकावट है, क्योंकि मामला न्याय निर्णय अधीन है। मैं यहां पर उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को एक बात बता सकता हूं कि भारत सरकार का इस विषय मे विचार पूर्वग्रहमुक्त है और हम सारे मामले की समीक्षा करना चाहेंगे। और उन्होंने पहले भी स्वर्गीय डॉ. बिधान चन्द्र राय का यह कहते हुए जिक्र किया था कि उन्होने शहरी क्षेत्रो में भी उसी व्यक्ति को उन्होंने पूर्ण स्वामित्व देने की दलिल दी थी। मैं इन अभिलेखों को देखना चाहूंगा और जैसे ही हमारे लिए यह सम्भव होगा हम उस मामले का निपटारा हो जाने पर यह कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगे, हम पूर्वाग्रहमुक्त हैं, और तब हम राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद सारे मामले की समीक्षा तथा सर्वेक्षण करेंगे। उन्होंने मुझे एक विशेष दल भेजने के लिए कहा है और हम समीक्षा करने के लिए ऐसा करेंगे, और अगर यह सम्भव हुआ तो हम इसे करेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों

को सुझाव देने के लिए निमंत्रित करता हूं चाहे सदन में वे किसी भी पक्ष से सम्बन्ध रखते हों। उनको सुझाव देने चाहिएं।

कुछ लोग पहले से ही बस गए हैं, उन्होंने घर बना लिए हैं; कुछ अपने घरों को बना रहे हैं; वे स्वयं अपने संसाधनों के जरिए घर बना रहे हैं; और विभिन्न संस्थाओं तथा सरकार द्वारा मुहैया कराए गए ऋण से वे अपने घर बना रहे हैं। हमारा दृटिकोण स्पष्ट व सहानुभूति पूर्ण है और हम यह भी देखना चाहेंगे कि उनको पूर्ण स्वामित्व का अधिकार मिले।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : यह सम्पूर्ण पूर्वी भारत के लिए होना चाहिए।

सरदार बूटा सिंह : यह सिर्फ कलकत्ता में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण पूर्वी भारत के लिए होना चाहिए, परन्तु इसके बारे में, मैंने अभी जिन समस्याओं का जिक्र किया था, उन समस्याओं के हल हो जाने के बाद विचार किया जाएगा। माननीय श्री एच० के० एल० भगत यहीं हैं—दिल्ली में भी हम बड़ी गम्भीरता से इन समस्याओं को दूर करने के लिए विचार कर रहे हैं।

उन्होंने आर्थिक उत्थान के बारे में जिक्र किया। अब, जैसा कि मैंने कहा और इस सम्पूर्ण मामले पर निगाह डाली तो बात यह है कि यहां पर इस सम्पूर्ण मामले को जारी परियोजनाओं से चाहे वे केन्द्र या राज्य सरकार की हों, प्रारम्भ करने के लिए एक समय निर्धारण होना चाहिए। हम हमेशा उनको तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले लोगों को शरणार्थी नहीं मान सकते। और अब उचित समय आ गया है कि हमें इस विचारधारा का निर्माण करना चाहिए और विभिन्न राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं के जरिए उनको आर्थिक उत्थान की परियोजनाएं दें, जिनके माध्यम से उनको जोड़ा जा सके। इस सम्पूर्ण मामले में सामजस्य स्थापित किया जा सकता है। और उनको कार्य की फिलहाल चल रही उन योजनाओं से प्रारम्भ करना चाहिए जो एक लम्बे समय के लिए हैं, और जो आर्थिक उत्थान के लिए स्थायी समाधान हैं। हमने उद्योग मंत्रालय तथा योजना आयोग से परामर्श किया है और उन्होंने इस विचार से सहमति जताई है कि इन विस्थापित लोगों के लिए आर्थिक पुनर्वास की योजनाएं स्थायी आधार पर होनी चाहिए। और कार्यान्वयन सम्बन्धित एजेंसियों तथा राज्य सरकार के विभागों के माध्यम से होना चाहिए और राज्यों की पंचवर्षीय योजनाओं से इनको धन दिया जाना चाहिए। ये कुटीर उद्योग, लघु क्षेत्र उद्योग और हथकरघा उद्योग हो सकते हैं। और ये योजनाएं नियमित मुख्य योजनाओं से जुड़ी होनी चाहिए।

हाल में, बस्तियों के नियमन के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने एक जिक्र किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बस्तियों के नियमन के बारे में भी हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं और हम इसे राज्य सरकारों के सहयोग से करेंगे। मैं फिर से माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर भी मुझे अपने सुझाव दें।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अभी मंत्री जी ने जो जवाब दिया, 1965 और 1971 की लड़ाई में बाड़मेर और जैसलमेर में और पाली जिलों में कुछ शरणार्थी आए। क्या आप बतायेंगे कि उनमें से कितने लोगों को आपने इन्दिरा नहर क्षेत्र में जमीन दी और कितने लोगों को रिहैब्लीटेट कर दिया ? मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं कि उनमें से 86 फेमिलीज ऐसी हैं जिनको आपने रिहैब्लीटेट नहीं किया है। इसका आप देखकर उत्तर दीजिए। जो लोग बंगलादेश से भारत आए हैं, मेहरबानी करके यह बताने का कष्ट करें कि हाई कोर्ट के फैसले की जो बात आप कर रहे हैं, क्या कोर्ट आपको डीबार करता है कि आप रिहैब्लीटेट मत करिए।

सरदार बूटा सिंह : अभी फैसला नहीं हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : फैसला न होने का मतलब—

[अनुवाद]

लोगों के इस पुनर्वास कार्य के लिए सरकार को मना नहीं किया गया है। अत: मैं यह कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

मेरा सवाल इसमें यह था, आज भी मैं कहना चाहता हूं कि 35 हजार फैमलीज जो अल्पसंख्यक बंगलादेश से आए हैं, उनमें से कितनी फैमलीज के क्लेम को आपने तय कर लिया है और किस आधार पर किया है। आज तक किसी को रिहैब्लीटेशन बेनीफिट नहीं मिला है, क्योंकि नेहरू लियाकत समझौता तो मुजीबुर्रहमान के बाद चला गया।

[अनुवाद]

इसका पालन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

तो ये आप बताइए कि रिहैब्लीटेट किया ही नहीं और आज आप उत्तर दे रहे हैं—

[अनुवाद]

मैं समस्त मामले का निरीक्षण करूंगा।

[हिन्दी[

उस समय चटर्जी ने यह कहा था कि हम इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएंगे और सदन में कहा था, आज पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनेगी, क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर्स और ब्यूरोक्रेट्स के एटीट्यूड में फर्क होता है, लेकिन आपने उस कमेटी को वापिस जागृत करके और पार्लियामेंट के लोगों को क्यों नहीं डेप्यूट किया कि वे इस बात के अन्दर जाएं कि कितने अल्पसंख्यक रीहैब्लीटेट हो चुके हैं और कितने नहीं हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपने लिखा है कि 10 हजार रुपए में मकान बना दिया जाएगा, जमीन खरीदो।

सरदार बूटा सिंह : ये कहां से ला रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा थोड़े ही है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप तो काफी संजीदा हैं—

[अनुवाद]

सरकार ने इस स्थिति का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है। शहरी क्षेत्र में घर बनाने के लिए ऋण 10,000 रुपए तय किया गया है, जिसको इस तरह विभक्त किया गया है, 65,00 रुपये निर्माण कार्य के लिए तथा 1000 रुपए भूमि के लिए और 2500 रुपए उस जगह के विकास के लिए रखे गए हैं।

[हिन्दी]

यह मेहरबानी करके आप बना दीजिए इन जमाने में, आज की कीमत में बना दीजिए रहने लायके मकान जमीन खरीद कर, दस हजार रुपए में मकान बना जाएगा, यह आपकी ही योजना है।

आप मेहरबानी करके यह बताइए कि जो जमीनों के क्लेम का सैटलमेंट किया है वह 1948, 65 किस साल की कीमत के आधार पर किया है, वह कौन-सा इयर है जिस समय उनकी प्रापर्टी थी वह साल है या उसके पहले का साल है, यह आप बताइएगा। मैं अर्ज करता हूं कि यह बड़ा मानवीय प्रश्न है, आपने अच्छा दृष्टिकोण अपनाया है, मेरे प्रश्नों का उत्तर जवाब देते समय दीजिए।

[अनुवाद]

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : सभापति महोदय, यहां तक कि आजादी के 40 वर्ष बाद भी इस महान सभा में यह प्रश्न रखते हुए मुझे बड़ा खेद होता है, यद्यपि इस सभा में कई बातें हो रही हैं, इन विस्थापित लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से तथा सरकार से इन विस्थापित लोगों, जो तथाकथित पूर्वी पाकिस्तान जो अब बंगलादेश है, से आये हैं, के जीवन स्तर पर ध्यान दें।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से पट्टे सम्बन्धी दस्तावेजों, जो उन्हें दिए गए हैं, के प्रश्न पर ध्यान देने के लिए निवेदन करता हूं। इन लोगों का जीवन यापन का स्तर इतना घटिया है कि वे कुत्ते और बिल्लियों की तरह रह रहे हैं, यहां तक कि वर्ष 1986 में भी उनके जीवन-यापन का स्तर इतना निकृष्ट है कि उनकी दशा सुधारने ने लिए कुछ किया जाना चाहिए।

6.00 म० प०

मैंने दस्तावेजों में पाया है कि 1980 से सरकार ने विस्थापित लोगों के उत्थान के लिए धन-राशि स्वीकृत की है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि कागजात में पश्चिम बंगाल सरकार यह राशि खर्च कर चुकी है, पर वास्तव में कुछ भी नहीं किया गया है। मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल में

विशेषतौर पर उन क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए जहां शरणार्थी बस्तियां हैं तथा लोगों के जीवन-स्तर के बारे में एक सर्वेक्षण करने के लिए, एक विशेष दल भेजने की इच्छुक है। उन्हें पीने का पानी नहीं मिलता। वहां कोई सड़क नहीं है। वहां बिजली नहीं है तथा कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है। मैं यह बात अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर कह रहा हू क्योंकि मैं उस जगह से सम्बन्धित हूँ जहां ये पुनर्वास बस्तियां हैं। मैंने देखा है कि मानसून के दौरान तीन महीने या छः महीने तक ये लोग पानी में रहते हैं। वहां आपातकालीन स्थिति में उनकी देखभाल करने के लिए एक चिकित्सा अधिकारी भी नहीं है। इसलिए, मैं फिर हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करता हूं कि उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए अतिशीघ्र एक केन्द्रीय दल भेजे, उनके लिए धनराशि स्वीकृत करे तथा राज्य सरकार द्वारा उस राशि का वितरण न करवा कर किसी केंन्द्रीय संस्था द्वारा इस धनराशि का वितरण कराए, क्योंकि वे लोग इस राशि का उपयोग अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जिन लोगों का जमीन पर अधिकार है उन शरणार्थी लोगों को पूर्ण स्वामित्व का अधिकार देने में इतनी देर क्यों की जा रही है? आखिरकार इस मामले में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमारे कानून के अन्तर्गत हम वास्तव में सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए एक व्यक्ति से जहां वह बसा हुआ है, भूमि नहीं छुड़वा सकते। यदि यह स्थिति है, तो बिना और देरी किए, हम उनका सपना पूरा क्यों नहीं कर देते तथा उन्हें भूमि के पूर्ण स्वामित्व अधिकार क्यों नहीं प्रदान कर देते?

31 जुलाई, 1977 तक सरकार द्वारा प्राप्त किये गये कुल प्रार्थना पत्रों की संख्या 53,549 थी। 1950 के नेहरू लियाकत समझौते के अनुसार उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों को तब के पूर्व पाकिस्तान में उनके सम्पत्ति के अधिकार रखने का अधिकार दियागया था। यही कारण है कि उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। परन्तु बाद में ताशकन्द समझौते के पश्चात भारत-पाक युद्ध के बाद, यह निर्णय दिया गया था कि इन शरणार्थियों को अनुग्रह योजना के अन्तर्गत अनुग्रह राशि दी जाये, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की सम्पूर्ण सम्पत्ति शत्रुओं की सम्पत्ति घोषित कर दी गई थी तथा भारत में भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद समय-समय पर आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। 14180 आवेदन पत्रों पर मांग की गई थी। 14710 आवेदन पत्र अभी तक विचाराधीन हैं तथा बाकी के आवेदन पत्रों को विभिन्न आधारों पर अस्वीकार कर दिया गया था। ये गरीब लोग अपनी सम्पत्ति, जो बंगलादेश में है। वापस नहीं प्राप्त कर सकते विशेष रूप से इस राजनैतिक परिस्थित में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ रहा हूं कि मुआवजे के दावों का अन्तिम रूप देने में तथा किसी भी तरह इस झगड़े के निपटाने में, चाहे कुल दावे का 25%. मिले या 30%. या 50%., इतनी देर क्यों की जा रही है।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : सभापति जी, डागा जी ने दो तीन प्रश्न उठाये जिनमें उन्होंने सबसे पहले तो यह पूछा कि 1965 और 1971 के बीच में कितने रिफ्यूजी आये और उनका ब्यौरा क्या है, राजस्थान में उनमें से कितने सैटल हुए, उनमें से कितनों को नहर की जमीन दी गई। इस सम्बन्ध में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि :

[अनुवान]

:964 से 1971 के बीच 11.14 लाख शरणार्थी आये, उनमें से 6 लाख शरणार्थी पश्चिम बंगाल में रुक गये तथा बाकी बचे हुये पूरे देश में फैल गये। इस समय मेरे पास राजस्थान में गये हुये शरणार्थियों की संख्या नहीं है। मैं यह सूचना एकत्र करके माननीय सदस्य को दे सकता हूं।

[हिन्दी]

दूसरे उन्होंने यह कहा कि रिहैब्लीटेशन की स्कीम हाईकोर्ट में पैन्डिग है और इस कारण सारा काम बन्द कर दिया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डागा जी शायद इस चीज को मिक्स-आप कर गए क्योंकि मैं जब हाईकोर्ट का जिक्र कर रहा था तो उस वक्त रिहैब्लीटेशन की बात नहीं कर रहा था परन्तु लीज और फ्री-होल्ड की बात कर रहा था। उनका लीज और फ्री-होल्ड का मामला हाईकोर्ट में पैंडिग है और उस पर विचार चल रहा है।

[अनुवाद]

पुनर्वास योजना जैसी कोई योजना उच्चन्यायालय में विचाराधीन नहीं है तथा पुनर्वास योजना के अन्तर्गत शुरु की जा रही विभिन्न योजनाओं को हमने बन्द नहीं किया है। वे चालू हैं।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं आपको बताना चाहता हूं। कि उनमें से बहुत सी फैमिलीज अभी भी ऐसी रहती हैं जिनको रिहैब्लीटेशन का बैनिफिट नहीं मिला है। वे बेचारे अभी तक सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या विचार है, उस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। क्योंकि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। जब आप सारी चीज कर रहे हैं, तो एक मौका उनको और दे दीजिए।

सरदार बूटा सिंह : उनमें से काफी लोग ऐसे थे जिनको यह एडवाइज किया गया था।

[अनुवाद]

कि जब तक वे शिविरों में नहीं आते तथा अपने को पंजीकृत नहीं कराते, सरकार के लिए यह सम्भव नहीं हो सकेगा, स्थानीय राज्य सरकार के लिए यह केवल पश्चिम बंगाल सरकार के लिए ही नहीं, इसमें अन्य राज्य सरकारें भी शामिल हैं। जब तक कि आपको वास्तव में यह नहीं मालूम कि लोग कहां हैं आप वास्तव में नहीं पहचान सकते और उनकी सहायता नहीं कर सकते। उनको कहीं-न-कहीं अपने आपको पंजीकृत करना होगा···(**व्यवधान**)···जिला अधिकारियों को एक स्थान निश्चित करना होता है जहां उन्हें अपने आपका अदश्य पंजीकृत करा लेना चाहिए। उन्हें किसी जिम्मेदार अधिकारी को सूचित करना चाहिए। केवल तब ही आगे उपाय किए जाएंगे कि उनका पुनर्वास कैसे किया जाए, उनकी देखभाल कैसे की जाए। प्रथमतः तो एक शर्त रखी गई थी। पश्चिम बंगाल में त्रिपुरा में तथा अन्य भागों में जहां शरणार्थी अधिकतम संख्या में थे, विशेषतौर पर पश्चिम बंगाल में जहां और अधिक शरणार्थियों के लिए जगह नहीं थी, हमने यह घोषणा की थी कि जो शरणार्थी अन्य क्षेत्रों में जायेंगे,

लाभान्वित होंगे। परन्तु उन्होंने इस बात की सूचना कभी नहीं दी। इसलिए, जब तक वे परिवार इस बात की सूचना नहीं देते तो वे किसी भी तरह के लाभ के अधिकारी कैसे होंगे? मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि कुछ ऐसे परिवार अवश्य होंगे जिनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया होगा। परन्तु हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं?

[हिन्दी]

तीसरी बात उन्होंने यह पूछी कि आपने किस चीज को आधार माना, उसके लिए सबसे पहले तो मैं डागा जी से यह अर्ज करना चाहता हूं कि कुल डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की संख्या, जो पश्चिमी पाकिस्तान से, वैस्ट बंगाल में आए, 1947 से लेकर 1958 तक 41.17 लाख थी। उनमें से केवल वैस्ट बंगाल में ठहरने वालों की संख्या 31.32 लाख थी।

[अनुवाद]

तथा उन सबको पुनर्वास तथा सहायता प्रदान की गई थी। डागा जी, यह सूचना आपके लिए है। कृपा करके नोट कर लीजिए।

दो अन्य श्रेणियां हैं। 1958 से 1963 तक पश्चिम बंगाल में 55000 लोग रुके जबकि 61000 लोग आए थे। फिर एक तीसरी श्रेणी है, जिसके बारे में डागा जी ने उल्लेख किया था। मैंने आंकड़े दिए थे। 11.14 लाख शरणार्थी आए थे जिनमें से 6 लाख पश्चिम बगाल मे रुके थे तथा बाकी देश के अन्य भागों मे फैल गए थे। वास्तव में, ये परिवार जो तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत आए कानूनन वे पुनर्वास योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ के हकदार नहीं थे जो वहां देश के विभाजन के बाद शुरु की गई थी। इसलिए सरकार ने भी कानून से बाहर जाकर कार्य किया है क्योंकि यह एक मानव समस्या थी। मैं आपसे सहमत हूं। परन्तु समस्या यह है कि जैसाकि मैंने श्री मनोरञ्जन भक्त जी को बताया, उनको एक व्यवस्था का पालन करना होगा। जब तक वे आकर अपने को पंजीकृत नही कराते, जब तक कि अधिकारियों को लोगो के छोटे-छोटे समूहो का पता नहीं चलता तब तक कोई कार्यवाही नही की जा सकती···(व्यवधान)।

ये दावे लोगों द्वारा खोई हुई सम्पत्ति के आधार पर किए गए थे। यह निर्धारण 'युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया' द्वारा निर्धारित भूमि मूल्यो के आधार पर किया गया, जिसके आधार पर' पूर्वी पाकिस्तान मे ऋण दिया जाता था। श्रीमान् आशुतोष लाहा ने दो प्रश्न उठाए है। एक का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं अर्थात् पट्टा तथा पूर्ण स्वामित्व।

श्री आशुतोष लाहा : समयबद्ध कार्यक्रम।

सरदार बूटा सिंह : जैसा कि मैं आपको बता चुका हू कि ज्योही हम वहां पेश आने वाली बाधाओं को समाप्त कर देंगे तो और अधिक देरी नहीं होगी तथा मैं आपको विश्वास दिलाता हू कि हम इन बातो को शीघ्र ही अन्तिम रूप देंगे।

इन बस्तियों के जीवन स्तर के बारे में, मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि इन

बस्तियों में रहन-सहन बहुत खराब है । उनको जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे पानी की सप्लाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं ये सब चीजें मिलती हैं, यह जानने के लिए हम निश्चित रूप से राज्य सरकार से सम्पर्क करेंगे । मैं पश्चिम बंगाल सरकार से सम्पर्क करूंगा तथा हम देखेंगे कि आवश्यक सुधार किए जाएं ।

6.10 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 11 अगस्त, 1986, 20 श्रावण, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 एस्प्लेनेड रोड दिल्ली-6